

राज्य स्तर पर्यटन समन्वय निदेशन प्रधिकरण (एन.ई.आई.ए.ए.), उत्तीरागढ़ की ११२वीं बैठक का कार्यवाही विवरण

राज्य स्तर पर्यटन समन्वय निदेशन प्रधिकरण (एन.ई.आई.ए.ए.), उत्तीरागढ़ की ११२वीं बैठक दिनांक २४/०६/२०२१ को ०९०० बजे की शैली द्वारा सत्र, अध्यक्ष, राज्य स्तर पर्यटन समन्वय निदेशन प्रधिकरण, उत्तीरागढ़ की अध्यक्षता में विविध आन्दोलन के संदर्भ में सत्रण हुई। बैठक में निम्न कार्यवाही उपस्थित थे—

१. श्री. जयंत काजपेयी, सदस्य, राज्य स्तर पर्यटन समन्वय निदेशन प्रधिकरण

२. श्री सुभा साहू, सदस्य सचिव, राज्य स्तर पर्यटन समन्वय निदेशन प्रधिकरण

बैठक के प्रारंभ में तालीकी अधिकारी, सचिवालय, राज्य स्तर पर्यटन समन्वय निदेशन प्रधिकरण द्वारा अध्यक्ष एवं सदस्यों का स्थाना किता सत्र।

एजेन्डा आइटम क्रमांक-१ 23/06/2021 को कार्यवाही विवरण का अनुमोदन।

राज्य स्तर पर्यटन समन्वय निदेशन प्रधिकरण, उत्तीरागढ़ की १११वीं बैठक दिनांक 23/06/2021 को आयोजित की गई थी। प्रधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से कार्यवाही विवरण का अनुमोदन किता गया।

एजेन्डा आइटम क्रमांक-२ राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति, उत्तीरागढ़ की ३२३वीं एवं ३२४वीं बैठक क्रमा. दिनांक ३१/०५/२०२१ एवं ०१/०६/२०२१ की अनुमोदन के आदेश पर शीम/मुख्य अधिकारी एवं औद्योगिक परियोजनाओं संबंधी प्रकरणों में निर्णय किता जाना।

१. बेसर्त नादराव कर्ती पाकर नाईनिंग ऑब्जेक्ट (श्री- श्री विरेंद्र साहू), धाम-नादराव, तालीत व जिता-महागुद (सचिवालय का नमरी क्रमांक १६१४)

ऑनलाइन आवेदन - उपरोक्त सत्र - एमआईए /सीडी /एमआईए / ३१/०५/२०२१, दिनांक १२/०३/२०२१। परियोजना प्रसाधक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाइन आवेदन में कनिडी होने से आदेश दिनांक २२/०३/२०२१ द्वारा जालकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्दिशत किता गया। परियोजना प्रसाधक द्वारा उचित जानकारी दिनांक ०९/०६/२०२१ को ऑनलाइन प्रस्तुत की गई।

प्रसाधक का विवरण - सत्र प्रस्तावित कर्ती पाकर (शीम कनिड) कदम है। कदम धाम-नादराव, तालीत व जिता-महागुद किता, कदम क्रमांक २२३५/१, कुल क्षेत्रफल-१.३६ हेक्टर में प्रस्तावित है। कदम की आवेदित सत्रण क्रमा-००१४.२० टन प्रतिवर्ष है।

परियोजना प्रसाधक श्री एन.ई.ए.ए., उत्तीरागढ़ के आदेश दिनांक २१/०६/२०२१ द्वारा अनुमोदन हेतु सुचित किता गया।

बैठक का विवरण -





(अ) समिति की 373वीं बैठक दिनांक 31/08/2021

प्रस्तुतकरण हेतु की दिनांक 22/08/2021 को मिला गया। समिति द्वारा माली, प्रस्ताव आनकारी का अंशोक्त एवं पंजीयन करने पर निम्न स्थिति आई गई-

1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय लीक्युति बाबाजी विवरण- इस प्रकार जो पूर्व में पर्यावरणीय लीक्युति जारी नहीं की गई है।
2. धारा 4(क) का अनुसूचित प्रस्ताव पत्र - राजस्व के संबंध में धारा 4(क) का अनुसूचित प्रस्ताव पत्र दिनांक 10/11/2019 का अनुसूचित प्रस्ताव पत्र प्रस्तुत किया गया है।
3. परामर्शन योजना - राष्ट्रीय जन (अपरी जन, इन्फ्लेमेटरी गैलेक्ट जन एवं अन्य) को लेकर प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है, जो अनुसूचित प्रस्तावक (अ.प्र.) संशोधनार्थ, भूमिहीन तथा लीक्युति, माली प्रस्ताव अंशोक्त नगर की धारा 4(क) 1732/अंशोक्त 02/माली/अनुसूचित/म.अ.02/2019(1) तथा अनुसूचित दिनांक 10/08/2021 द्वारा अनुसूचित है।
4. 500 मीटर की परिधि में विधायक खदान - कार्यलय कलेक्टर (अंशोक्त नगर), जिला-महासमुद्र के धारा 4(क) 1732/अंशोक्त 02/माली/म.अ.02/2021 महासमुद्र दिनांक 22/08/2021 के अनुसार अनुसूचित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 3 खदानें, डीजल 8.94 टैरेटोयल बोना बताया गया है। जिसमें केवल विधायकी खदान के बीच बीच से 500 मीटर के परिधि में अवस्थित खदानों का विवरण दिया गया है। उक्त प्रस्ताव पत्र से यह स्पष्ट नहीं हो रहा है कि उक्त खदानों से 500 मीटर के भीतर अन्य खदान है अथवा नहीं? इन्फ्लेमटरी गैलेक्ट जन 2018 (अंशोक्त नगर) में परिभाषित कलेक्टर अनुसार कोई कलेक्टर उस समय बनाया जाएगा, जब एक बीच के परिधि के बीच दूरी उस अनुसूचित क्षेत्र में अन्य खदानों के परिधि से 500 मीटर से कम है। अंतर्गत कलेक्टर हेतु इन्फ्लेमटरी गैलेक्ट जन में विधायकी खदान के बीच बीच से 500 मीटर के भीतर अन्य खदानें जो शामिल करनी हों तथा इस प्रकार शामिल खदानों के बीच बीच से 500 मीटर के भीतर अन्य खदानें जो (कलेक्टर में खदानों को नहीं एक शामिल किया जाए, जो एक 500 मीटर की दूरी में कोई खदान अवस्थित न हो) शामिल किया जाना चाहिए।
5. 200 मीटर की परिधि में विधायक कार्यालय क्षेत्र/संरचनाएं - कार्यलय कलेक्टर (अंशोक्त नगर), जिला-महासमुद्र के धारा 4(क) 1732/अंशोक्त 02/माली/म.अ.02/2021 महासमुद्र दिनांक 22/08/2021 द्वारा जारी प्रस्ताव पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी कार्यालय क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, मण्डप, अस्पताल, स्कूल, पुल, बांध, एनीकट एवं अन्य अनुसूचित अतिरिक्त क्षेत्र निर्मित नहीं है।
6. भूमि एवं एल.जी.आई. संबंधी विवरण - भूमि अंशोक्त के नाम पर है, जिसमें एल.जी.आई. कार्यलय कलेक्टर (अंशोक्त नगर), जिला-महासमुद्र के धारा 4(क) 1734/अंशोक्त 02/माली/म.अ.02/2019 महासमुद्र दिनांक 03/02/2020 द्वारा जारी की गई, जिसकी क्लियर जारी दिनांक से 1 वर्ष की अवधि तक है।

7. डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट - वर्ष 2019 की डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

8. दल विभाग का अभावित प्रमाण पत्र – जमागत दल कावज अधिकारी, समान्य कमरेवाल, जिला-महासमुद्र के द्वारा जमागत/भा.वि./अ.प. महासमुद्र, दिनांक 18/10/2019 से जारी अभावित प्रमाण पत्र अनुसार अधिगत क्षेत्र की सीमा दल क्षेत्र से 0.8 कि.मी की दूरी पर है।
9. महासमुद्र संरचनाओं की दूरी – निकटतम जलवाटी दाम-नांदगाँव 0.85 कि.मी, खुलु दाम-नांदगाँव 0.88 कि.मी, एवं जलसागर दाम-महासमुद्र 0.8 कि.मी की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 4.8 कि.मी, एवं राजमार्ग 11.5 कि.मी दूर है।
10. पारिस्थितिकीय/जैववैविधता संबंधित क्षेत्र – जयसिंह प्रसाद दल 0.8 कि.मी की दूरी से अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय राजमार्ग, जलसागर, सैन्डीय प्रदूषण निरोधन क्षेत्र द्वारा घेरित कृषिखेती पोल्टुटेज एरिया, पारिस्थितिकीय संबंधित क्षेत्र का शेषित जैववैविधता क्षेत्र स्थित नहीं होगा अधिगत क्षेत्र में।
11. खनन संधि एवं खनन का विवरण – किरादारिकल सिद्ध जलमन 1,31,440 टन, नाईनेवल सिद्ध जलमन 1,12,008 टन एवं किरादारिकल सिद्ध जलमन 1,08,437 टन है। (सील की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा घट्टी (खनन से लिए अधिगत क्षेत्र) का क्षेत्रफल 3,200 वर्गमीटर है। खनन कास्ट सेन्ट्रल विधि से प्रारम्भ किया जाएगा। खनन की अंतिम अधिकतम गहराई 8 मीटर है। खनन मिट्टी की गहराई 3 मीटर है तथा कुल मात्रा 28,191 टनमीटर है। आसपास/समुद्रा खनन मिट्टी को 7.5 मीटर (नाईन बाउण्ड्री) क्षेत्र में कुलक्षेत्र से लिए उपयुक्त तथा क्षेत्र खनन मिट्टी को खननित प्राप्त भूमि पर संशोधन करने हेतु सख्त प्रक्रिया से अनुमति प्राप्त संशोधन किया जाएगा। क्षेत्र की गहराई 3 मीटर एवं चौड़ाई 8 मीटर है। खनन की संशोधित आयु 18 वर्ष है। सील क्षेत्र में खनन स्थापित नहीं है एवं इसकी स्थापना का अभाव नहीं किया गया है। खनन में कच्चे प्रदूषण निरोधन हेतु जल का विद्यमान किया जाएगा। उपरोक्त अभावित खनन का विवरण निम्नानुसार है:-

वर्ष	अभावित खनन (टन)
प्रथम	0.019
द्वितीय	0.985
तृतीय	0.981
चतुर्थ	0.017
पंचम	0.988

जमागी वर्ग का अभावित खनन

वर्ष	अभावित खनन (टन)
प्रथम	0.981
द्वितीय	0.019
तृतीय	0.985
चतुर्थ	0.981
पंचम	0.019

नोट: जलिका में प्रस्तावित क्षेत्र की सीमा की सत्यापन किया गया है।

Ans

Ans

Ans

12. जल आपूर्ति - परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 8.88 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति जल पंपाउट द्वारा टीकर से वाहन से की जाएगी। इस मात्रा का पंपाउट का संचालन पर प्रत्यक्ष किया गया है।
13. वृक्षापीनन कार्य - जीज डेज की सीमा में चारों ओर 2.5 मीटर की पट्टी में 275 मग वृक्षापीनन किया जाएगा।
14. खदान की 2.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में प्रवेशन - जीज डेज की चारों ओर 2.5 मीटर की सीमा पट्टी में प्रवेशन कार्य नहीं किया गया है।
15. जासूसीकरण के दौरान परियोजना प्रत्यक्षक द्वारा बताया गया कि वास्तव में जाने वाली जल खदानों के लिए बैकअपिंग खाता बँलेंकरण का कार्य दिनांक 18/03/2021 से दिनांक 15/06/2021 तक किया जाएगा। कुल की कुल दिनांक 18/03/2021 को समाप्त की गई है। जल डेज में बैकअपिंग खाता बँलेंकरण का कार्य जारी है। एम्प्लिफ़ेड बैकअपिंग खाता की इंजाईए. रिपोर्ट तैयार किये जाने में उपरोक्त किये जाने की अनुमति के लिए अनुबंध किया गया। जिसे समिति द्वारा इस कार्य पर मान्य किया गया कि यह खदान जल संचयन का पत्र है, जिससे लिए इंजाईए. स्टडी की जा रही है।
16. मानवीय एन.टी.टी. प्रिण्टिंग मेश नहीं दिखी द्वारा सर्वोच्च प्राथमिक विद्यालय सरदार, खर्वावल, वन और जलवायु परियोजना संकलन नहीं दिखी एवं जल (परियोजना एन.टी.टी. नं. 100 जीज 2018 एवं जल) में दिनांक 13/09/2018 को जारी आदेश में सुझाव का से निम्नानुसार निर्दिष्ट किया गया है-
 - a) Providing for EA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha, falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEMA as well as for cluster situation where ever it is not provided.
 - b) If a cluster of an individual lease size exceed 5 ha, EA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श पत्रांतर सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया-

1. कार्यलय बँलेंकरण (खनि साखा) जिला-महासमुद्र के जलन इन्फॉर्म 884/क/खनि/न.क./2021 महासमुद्र, दिनांक 22/03/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर की मील अवधिमा 8 खदानें क्षेत्रफल 8.88 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (घाम-भंडारा) का रकबा 1.28 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (घाम-भंडारा) की मिलाकर कुल रकबा 8.2 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिसर में लीक्यूट/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 8 हेक्टेयर से अधिक का बँलेंकरण निर्मित होने की कारण यह खदान 'बी' श्रेणी की शर्तें नहीं।
2. समिति द्वारा विचार विमर्श पत्रांतर सर्वसम्मति से प्रकल्प 'बी' श्रेणी के खदानों से कारण परत बँलेंकरण परियोजना, वन और जलवायु परियोजना संकलन द्वारा अप्रैल, 2018 में आवेदित खदानों एवं जीज रिपोर्ट (टी.टी.आर) और इंजाईए. /इ.एम.पी. रिपोर्ट और प्रोजेक्ट/एन.टी.टी.एन. रिपोर्टिंग इन्फॉर्मेशन बँलेंकरण इंजाईए. नोटिफिकेशन, 2020 में दर्जित क्षेत्रों का क्षेत्रफल टी.टी.आर (जी.क. सुन्वाई सचिव) वन और जल सचिव प्रोजेक्ट हेतु निम्न उद्देश्य टी.टी.आर के साथ जारी किये जाने की अनुमति की गई-

4. Project proponent shall submit the Common Environment Management Plan.
5. Project proponent shall submit top soil management plan & incorporate the details in the EIA report.
6. Project proponent shall submit revised certificate regarding cluster of mines as defined in EIA notification from mining department and accordingly EIA study shall be carried out incorporating all the mines included in cluster.
7. Project proponent shall submit the copy of panchanama and photographs of every monitoring stations.
8. Project proponent shall submit CER proposals with details of works alongwith their estimates including land cost.

प्रतिकारण द्वारा बीडक में विचार - उपरोक्त प्रस्ताव पर प्रतिकारण की दिनांक 24/08/2021 को मजबूत बीडक में विचार किया गया; प्रतिकारण द्वारा मशीन का अपडेटेशन किया गया। विचार विमर्श अंततः प्रतिकारण द्वारा सर्वसम्मति से समिति की अनुमति का सीकरा जारी करके पूर्ण उपरोक्तानुसार टर्न ऑफ लेआउट (टी.ओ.एल.) (जो कि सुनवाई सहित) जारी करने का निर्णय किया गया।

परियोजना प्रस्तावक को टर्न ऑफ लेआउट (टी.ओ.एल.) जारी किया जाय।

2. मेशिन सुईंग फॉर स्टोन क्वारी (डी.-की अडवाउट सिड), डाम-सुईंग, तहसील व जिला-महासमुद्र (सबिहाउर का मशीन क्रमांक 1888)

जीनलरईन आवेदन - उपरोक्त मशीन - एमआईए / सीडी / एम्प्लॉयमेंट / 03278/2021, दिनांक 14/08/2021 को जीनलरईन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण - यह पूर्ण से संचालित फॉर स्टोन (सीक खनिज) खदान है। खदान डाम-सुईंग, तहसील व जिला-महासमुद्र स्थित खदान क्रमांक 04, कुल क्षेत्रफल-0.44 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्पादन क्षमता-3480 टन प्रतिदिन है।

परियोजना प्रस्तावक को एमआईएसी, फर्टीलाइजर के द्वारा दिनांक 21/08/2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बीडक का विवरण -

(क) समिति की 373वीं बीडक दिनांक 31/08/2021:

प्रस्तुतीकरण हेतु की आरोप पूर्ण, अधिभुक्त प्रतिनिधि विविधो कार्पोरेशन के सदस्य से उपस्थित हुए। समिति द्वारा मशीन, प्रस्तुत जानकारी पर अपडेटेशन एवं परीक्षण करने का निर्णय किया जाई गई।

1. पूर्ण में जारी पर्यावरणीय सहीकृति संबंधी विवरण:-

1. पूर्ण में जारी फॉर खदान खदान क्रमांक 4, कुल क्षेत्रफल-0.44 हेक्टेयर, क्षमता-3000.0 किलो टन प्रतिदिन हेतु पर्यावरणीय सहीकृति विस्तार स्टोन पर्यावरण प्रस्तावक विस्तार प्रतिकारण, जिला-महासमुद्र द्वारा दिनांक 18/08/2021 को जारी की गई। यह सहीकृति दिनांक 18/08/2022 तक की अवधि हेतु जारी की गई है।

- क. पूर्व में जारी पर्यावरणीय जांच/परीक्षा की शर्तों के अंतर्गत में जारी हुई कार्यवाही की प्रतिक्रिया प्रस्तुत की गई है।
- ख. कार्यवाही कार्यवाही (प्रतिपत्र संख्या), जिला-बहालपुर द्वारा दिनांक 28/03/2021 को अनुमति विनाश दर्जा में किये गये पर्यावरण का प्रतिक्रिया निम्नानुसार है:-

वर्ष	जायाचन (खननीकरण)
2018	03
2019	199
2020	201

1. निर्दिष्ट कार्यानुसार पुनरावेदन नहीं किया गया है।
2. ग्राम पंचायत का अनुमति प्रमाण पत्र - पर्यावरण के संरक्षण में ग्राम पंचायत मुख्यालय का दिनांक 22/08/2017 का अनुमति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
3. पर्यावरण जांच - राष्ट्रीय प्लान (आजीविका ग्राम विकास एवं पुनर्वासनीकरण के अंतर्गत) प्रस्तुत किया गया है, जो ग्राम पंचायत (प्रतिपत्र संख्या), जिला-बहालपुर के अंतर्गत अनांक क/खनि/टीन-8/2018 बहालपुर, दिनांक 01/12/2018 द्वारा अनुमति है।
4. 500 मीटर की परिधि में विस्थापित खदान - कार्यवाही कार्यवाही (प्रतिपत्र संख्या), जिला-बहालपुर के अंतर्गत अनांक 177/क/खनि/न.क./2021 बहालपुर, दिनांक 01/02/2021 को अनुमति प्रमाण पत्र के 500 मीटर के भीतर अवस्थित 14 खदानों, संयोजक 8.52 हेक्टेयर है। जिसमें केवल विद्यार्थी खदान को जीव सीमा से 500 मीटर की परिधि में अवस्थित खदानों का विनाश किया गया है। उक्त प्रमाण पत्र से यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि उक्त खदानों से 500 मीटर की भीतर अन्य खदान है क्या नहीं? ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2008 (अनुमति) में परिभाषित मानक अनुसार 'कोई खदान पर समय-समय पर जांच, जब एक जीव सीमा की सीमा पूरी या बहुत खनिज क्षेत्र में अन्य खदानों की सीमा से 500 मीटर से कम है।' अर्थात् खदान से 500 मीटर के भीतर अन्य खदानों को विद्यार्थी खदान की सीमा से 500 मीटर के भीतर अन्य खदान सभी खदानों को शामिल करने हुए तथा इस प्रकार शामिल खदानों की सीमा सीमा से 500 मीटर के भीतर अन्य खदानों को (खदान में खदानों को नहीं एक खनिज किया जाए, जहाँ तक 500 मीटर की दूरी में कोई खदान अवस्थित न हो) शामिल किया जाना चाहिए।
5. 500 मीटर की परिधि में विस्थापित खनिज क्षेत्र/संरक्षणार्थ - कार्यवाही कार्यवाही (प्रतिपत्र संख्या), जिला-बहालपुर के अंतर्गत अनांक 177/क/खनि/न.क./2021 बहालपुर, दिनांक 01/02/2021 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 500 मीटर की परिधि में कोई भी खनिज क्षेत्र जीव सीमा, नोटिफिकेशन, 2008 (अनुमति) के अंतर्गत एक खदान से 500 मीटर की दूरी में कोई खदान अवस्थित नहीं है।
6. जीव सीमा का विनाश - यह प्राथमिक भूमि है, जीव सीमा के अंतर्गत विनाश के नाम पर है। जीव सीमा 30 वर्षों के दिनांक 20/03/2018 से 18/02/2018 तक की अवधि से 500 मीटर है।

7. डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट - सर्वे द्वारा की डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
8. वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र - कर्पोरल वन सहायक अधिकारी, सहायक जलसंचय विभाग-महाबलपुर की द्वारा अनापत्ति/मा.वि./2738 महाबलपुर, दिनांक 23/08/2014 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवंटित क्षेत्र की सीमा वन क्षेत्र से 2 कि.मी की दूरी पर है।
9. महाबलपुर संरक्षणाधीन की दूरी - निकटतम आसटी राम-पुरेवा 1 कि.मी एवं सधुल राम-पुरेवा 1 कि.मी की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 3 कि.मी दूर है।
10. पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र - परिचालन प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी की परिधि में अंतरराष्ट्रीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अनापत्ति, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित विविध जैववैज्ञानिक क्षेत्रों, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र का शक्ति जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होने घोषित किया है।
11. खनन संयंत्र एवं खनन का विवरण - डिस्ट्रिक्ट/जिला रिजर्व लगभग 80,000 टन, माइक्रो जिला रिजर्व लगभग 24,000 टन एवं विश्वसेवा रिजर्व लगभग 18,047 टन है। सीमा की 1.5 मीटर चौड़ी सीमा चट्टी ट्रांसेक्शन की विधि प्रतिष्ठित क्षेत्रों का क्षेत्रफल 2100 वर्गमीटर है। खनन काल में कुल 10 दिनों में खनन किया जाता है। खनन की अनापत्ति अधिकतम गहराई 2 मीटर है। क्षेत्र की चौड़ाई 1.5 मीटर एवं गहराई 1.5 मीटर है। खनन की संयोजित आयु 10 वर्ष है। सीमा क्षेत्र में खनन स्थिति नहीं है एवं इसकी खनन का प्रभाव नहीं किया गया है। खनन में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का सिंचना की व्यवस्था की गई है। सर्वथा अनापत्ति खनन का विवरण निम्नानुसार है:-

वर्ष	प्रस्तावित खनन (टन)
प्रथम	2281
द्वितीय	2377
तृतीय	2438
चतुर्थ	2441
पंचम	2480

आवामी वर्गों का उत्पादन योजना

वर्ष	प्रस्तावित उत्पादन (टन)
प्रथम	2484
द्वितीय	2501
तृतीय	2525
चतुर्थ	2508
पंचम	2588

नोट: तासिका में दहासला की बांध की जमीन को सार्वजनिक किया गया है।

12. जल आपूर्ति - परिचालन हेतु आवश्यक जल की मात्रा 6 घण्टीय प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति राम परवादा की टैंकर से सहायक से की जाती है। जल की आपूर्ति हेतु राम परवादा का सुशक्ति पर प्रस्तुत नहीं किया गया है।

13. कुआरीयम कार्य – लीज क्षेत्र की सीमा में बायी ओर 7.5 मीटर की गहराई में 500 मम कुआरीयम स्तम्भों में किया जाएगा।
14. खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा घट्टी में संरक्षण – लीज क्षेत्र की बायी ओर 7.5 मीटर की सीमा घट्टी में संरक्षण कार्य नहीं किया गया है।
15. नाला 100 मीटर दूर है। नदी का पानी खदान में जाने की संभावना है, इसके संरक्षण के लिए उचित व्यवस्था के अभाव में निम्न प्रस्ताव नहीं किया गया है। साथ ही नदी के उपप्लवन, (Height Flood level) की संरक्षा में जलवाही / संरक्षण प्रस्ताव नहीं किया गया है।
16. मासिक एन.ओ.टी., डिग्रीस से. गई दिल्ली द्वारा सर्वोच्च मासिक विस्तार प्राप्त सरकार, मशीनरी, वन और जलवायु परिवर्तन संरक्षण, नई दिल्ली एवं अन्य (अधिकार प्रमाणन नं. 188 जीके 2018 एवं अन्य) में दिनांक 13/08/2018 को उचित आदेश में मुख्य रूप से निम्नानुसार निर्दिष्ट किया गया है:-
 - a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 all par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.
 - b) If a cluster of an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरोक्त सर्वसम्पत्ति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. सर्वोच्च कोर्ट द्वारा (वर्ष 2017), जिला-महासमुद्र के इलाके अर्थात् 07/03/2017 दिनांक 01/02/2021 को अनुयायन आदेशित खदान से 500 मीटर की सीमा अर्थात् 14 खदानें, क्षेत्रफल 8.82 हेक्टेयर है। आदेशित खदान (ग्राम-मुईना) का क्षेत्र 0.44 हेक्टेयर है। इस प्रकार आदेशित खदान (ग्राम-मुईना) को मिलकर कुल क्षेत्र 9.26 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की नजदी में खोद/आदेशित खदानों का कुल क्षेत्रफल 8 हेक्टेयर से अधिक का बलवा निर्मित होने के कारण यह खदान "बी" श्रेणी की नहीं गयी।
2. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरोक्त सर्वसम्पत्ति से प्रस्ताव "बी" श्रेणी का होने के कारण प्राप्त सरकार, मशीनरी, वन और जलवायु परिवर्तन संरक्षण द्वारा वर्ष 2018 में अर्जागत सीमाई टर्न ऑफ रिप्रेस (टीओआर) एवं ई.आई.ए. / ई.एम.पी. रिपोर्ट और कोर्पोरेट / एनटीवीटीए विस्तारित इन्फार्मेटिव लिविंग अन्वय ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2008 में उचित श्रेणी 1(i) का श्रेणीई टीओआर (लीज सुनवाई सहित) वन वरिष्ठ राष्ट्रीय कोर्पोरेट हेतु किए अतिरिक्त टीओआर के साथ जारी किए जाने की अनुमति की गई-
 - i. Project proponent shall inform S.E.A.C. Orisagari before start of monitoring work for preparation of EIA Study Report.
 - ii. Project proponent shall submit the Common Environment Management Plan.
 - iii. Project proponent shall submit revised certificate regarding cluster of mines as defined in EIA notification from mining department and accordingly EIA study shall be carried out incorporating all the mines included in cluster.

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signatures in blue ink.

- iv. Project proponent shall submit previous year production details along with dispatch number and date.
- v. Project proponent shall complete plantation works in 1.5 meter statutory boundary and submit the details of plantation alongwith photographs.
- vi. Project proponent shall submit the NOC from concerned department for water usage.
- vii. Project proponent shall submit the copy of panorama and photographs of every monitoring stations.
- viii. Project proponent shall submit the details of HFL (High Flood Level) of Mahanadi river along with NOC from Water Resource Department.
- ix. Project proponent shall submit top soil management plan & incorporate the details in the EIA report.
- x. Project proponent shall submit CER proposals with details of works alongwith their estimates including land cost.

परियोजना द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर परियोजना की दिनांक 24/06/2021 को संयम 112वीं बैठक में विचार किया गया। अधिकृत द्वारा नसीब पर अवलोकन किया गया। विचार किये जाते अधिकृत द्वारा सर्वसम्मति से समिति की अनुमति को स्वीकार करते हुए उपरोक्तानुसार सभी शीघ्र कार्रवाई (टी.ओ.आर.) (जीक सुगवाई प्रतिप) जारी करने का निर्णय किया गया।

परियोजना प्रस्तावक को सभी शीघ्र कार्रवाई (टी.ओ.आर.) जारी किया जाए।

3. मेसर्स मुईना कंसेप्ट स्टोन क्वारी (प्रो.- श्री ललित राम विहार), धाम-मुईना, तहसील व जिला-नवलपरा (सविवालय का नसीब क्रमांक 1801)

ऑनलाईन आवेदन – प्रोजेक्ट नम्बर – एनएचडीए /सीसी /एनएचडीएन / 63348/2021, दिनांक 14/06/2021 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्लॉट में संघर्षित कंसेप्ट स्टोन (जीक खनिज) खदान है। खदान धाम-मुईना, तहसील व जिला-नवलपरा स्थित खदान क्रमांक 333/1, कुल क्षेत्रफल-0.24 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित खदान क्रमांक-633.25 एम प्रमाण है।

परियोजना प्रस्तावक को एन.डी.ए.सी, नवलपरा की द्वारा दिनांक 21/06/2021 द्वारा अनुमोदन हेतु भूमिगत किया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 373वीं बैठक दिनांक 21/06/2021-

अनुमोदन हेतु की करीब सुना, अधिकृत प्रतिनिधि विभिन्न क्वैरिंग के संयम से परामर्श हुए। समिति द्वारा नसीब प्रस्तुत प्रस्तावक को अवलोकन एवं परीक्षण करने का निर्णय किया गई।

1. प्लॉट में जारी पर्यावरणीय सीक्युरिटी क्वैरी विवरण-

1. प्लॉट में जारी खदान खदान क्रमांक 333/1, कुल क्षेत्रफल-0.24 हेक्टेयर, क्रमांक-262.40 क्वैरिंग प्रतिप हेतु पर्यावरणीय सीक्युरिटी क्वैरी करीब सर्वेक्षण संयमगत निर्वाह परियोजना, जिला-नवलपरा द्वारा दिनांक

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

18/02/2017 को जारी की गई। यह जीवृत्ति दिनांक 14/02/2022 तक की जाती हेतु जारी की गई है।

- a. पूर्व में जारी पर्यावरणीय जीवृत्ति के शर्तों के अन्तर्गत में ही नई आवेदनों की जानकारी प्रस्तुत की गई है।
- b. कार्यलय कार्यालय (अग्नि शक्ति, जिला-महासमुद्र द्वारा दिनांक 28/08/2021 के अनुसार विगत वर्ष में किये गये आन्वयन का विवरण निम्नानुसार है:-

वर्ष	आवदान (चिनमीटर)
2017	निरा
2018	138
2019	121
2020	238

क. निर्धारित शर्तानुसार पुनरावलोकन नहीं किया गया है।

1. काम संवाहक का अनाधिकृत प्रमाण पत्र -- आन्वयन के संकाय में काम संवाहक नुद्देन का अनधिकृत प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है। उक्त प्रमाण पत्र में दिनांक स्पष्ट नहीं है।
2. आन्वयन योजना -- राष्ट्रीय प्लान (अर्थात् प्लान एंवायरनमेंट इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवेलपमेंट प्रोग्राम) प्रस्तुत किया गया है, जो एक संघोक्त (एड), कार्यलय कार्यालय (अग्नि शक्ति) जिला-महासमुद्र द्वारा दिनांक 14/02/2018 द्वारा अनुमोदित है।
3. 500 मीटर की परिधि में स्थित खदान -- कार्यलय कार्यालय (अग्नि शक्ति), जिला-महासमुद्र के द्वारा दिनांक 14/02/2021 महासमुद्र दिनांक 01/02/2021 के अनुसार अर्पित खदान को 500 मीटर की सीमा अर्थात् 15 खदानें, क्षेत्रफल 11.88 हेक्टेयर है। जिसमें केवल विद्युत्घटीय खदान को सीमा सीमा से 500 मीटर की परिधि में अवस्थित खदानों का विवरण दिया गया है। उक्त प्रमाण पत्र में यह स्पष्ट नहीं हो रहा है कि उक्त खदानों को 500 मीटर की सीमा अन्य खदान है अथवा नहीं? ई.आई.ए. परिधि-सीमा, 2000 (सात संशोधित) में परिभाषित कार्यलय अनुसार "जहाँ कलक्टर उक्त सात खदानें अथवा, जब एक सीमा के परिवर्तन को बीच घुंटी तक संपूर्ण स्थिति क्षेत्र में आवे पट्टे की परिधि से 500 मीटर से कम है।" अर्थात् कार्यलय हेतु इन्फोर्मेशनल सिस्टम क्षेत्र में विद्युत्घटीय खदान को सीमा सीमा से 500 मीटर की सीमा अने वाले सभी खदानों को शामिल करने हुए तथा इन उक्त शामिल खदानों को सीमा सीमा से 500 मीटर की सीमा अने वाले अन्य सभी खदानों को (कलक्टर में खदानों को नहीं तक शामिल किया जाए, जहाँ तक 500 मीटर की दूरी में कोई खदान अवस्थित न हो) शामिल किया जाना चाहिए।
4. 200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं -- कार्यलय कार्यालय (अग्नि शक्ति), जिला-महासमुद्र के द्वारा दिनांक 14/02/2021 महासमुद्र दिनांक 01/02/2021 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, मठ, अस्पताल, स्कूल, पुल, बांध, एंटीकट एवं अन्य अनुमोदित जति परिभाषित क्षेत्र निर्मित नहीं है।

6. भूमि एवं सीज का विवरण — यह सार्वजनिक भूमि है, सीज की तारीख एवं निषेध के नाम पर है। सीज क्षेत्र 10 वर्षों अवधि दिनांक 12/03/2008 से 12/03/2018 तक की अवधि हेतु थी। तत्पश्चात् सीज क्षेत्र में 20 वर्षों की, दिनांक 12/03/2018 से 12/03/2038 तक की अवधि वृद्धि की गई है।
7. डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट — वर्ष 2018 की डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
8. सहायपूर्ण संरचनाओं की दूरी — निकटतम आवासीय इलाके-मुंबेरा 1 कि.मी. एवं सड़क इलाके-मुंबेरा 1 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 3 कि.मी. दूर है।
9. पारिस्थितिकीय/जीववैविध्यता संवेदनशील क्षेत्र — परिवहन प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राष्ट्रीय सीमा, राष्ट्रीय राजमार्ग, अंतरराज्य, अंतर्राष्ट्रीय प्रमुख निर्यात बंदरगाह शामिल डिस्ट्रिक्ट पोल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या अति संवेदनशील क्षेत्र स्थित नहीं होने प्रमाणित किया है।
10. खनन संपदा एवं खनन का विवरण — जिब्राल्टरिफास रिजर्व 28,200 टन, साईनेसल रिजर्व 8,200 टन एवं निकेलिफस रिजर्व 4,725 टन है। सीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (खनन से किए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 788 वर्गमीटर है। खनन कार्य केवल सड़क सिटिंग में खनन किया जाता है। खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 2 मीटर है। क्षेत्र की संख्या 1.8 मीटर एवं सीमा 1.5 मीटर है। खनन की संख्या 10 वर्ष है। सीज क्षेत्र में खनन स्थिति नहीं है एवं इसकी स्थापना का प्रस्ताव नहीं किया गया है। खनन में लागू प्रमुख निबंधन हेतु जल का विद्यमान की व्यवस्था की गई है। पर्याप्त प्रस्तावित खनन का विवरण निम्नानुसार है—

वर्ष	प्रस्तावित खनन (टन)
प्रथम	618
द्वितीय	620
तृतीय	620
चतुर्थ	620
पंचम	620

आवामी वर्षों का उत्पादन योजना

वर्ष	प्रस्तावित खनन (टन)
प्रथम	637
द्वितीय	645
तृतीय	652
चतुर्थ	658
पंचम	670

नोट: तालिका में प्रथम वर्ष की राशि की अंशों को सार्वजनिक किया गया है।

11. जल आपूर्ति — परिवहन हेतु आवश्यक जल की मात्रा 6 घनमीटर प्रतिदिन है। जल की आपूर्ति घास संभारों से टैंकर से संचालन से की जाती है। जल की आपूर्ति हेतु घास संभारों का संचालन 24 घण्टों नहीं किया गया है।

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

12. कुसारीपन कार्य - लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की गहराई में 200 मी. कुसारीपन बरतवृत्त में किया जाएगा।

13. गहनाही 200 मीटर दूर है। नदी का पानी खदान में जाने की संभावना है, इसके रोकथाम के लिए उचित व्यवस्था के अंतर्गत में विचारण प्रस्तुत नहीं किया गया है। साथ ही नदी से एच.एच.एल. (High Flood Level) की संकेत में जानकारी / बसावरेण प्रस्तुत नहीं किया गया है।

14. खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा घटती में व्यवस्था - प्रस्तुतकरण के दौरान पर्यावरण प्रभावक द्वारा बताया गया कि लीज क्षेत्र की चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा घटती का कुछ क्षेत्र परामर्शित है। जहां परामर्शित क्षेत्र को पुनर्भरण का कुसारीपन का कार्य किया जाएगा। यह समिति द्वारा उपरोक्त का संशोधन का, संशोधित माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया जाने हेतु निर्दिष्ट किया गया।

15. उपरोक्तगीत है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिधान मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा नीचे नीचे माईनिंग डीजलेंडर हेतु भारत पर्यावरणीय सौं जारी की गई है। सौं क्रमांक 58310 के अनुसार-

"The Project Proponent shall develop greenbelt in 7.5m wide safety zone all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCED in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. The whole green belt shall be developed within first 5 years starting from windward side of the active mining area. The development of greenbelt shall be governed as per the EC granted by the Ministry irrespective of the stipulation made in approved mine plan."

यहां भारत सौं के अनुसार माईनिंग लीज क्षेत्र की ओर 7.5 मीटर चौड़े सीमा लीज में कुसारीपन किया जाना आवश्यक है।

16. भारतीय एन.जी.टी., दिल्ली में, नई दिल्ली द्वारा जारी पर्यावरण विवाद भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिधान मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (जी.ओ.डी.एल. एन.जी.टी. नं. 188 जी.ओ. 2018 एवं अन्य) में दिनांक 13/06/2018 को पारित करंट में मुक्त रूप से निम्नानुसार निर्दिष्ट किया गया है-

a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 20 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where over 5 is not provided

b) If a cluster of an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श करवाते सर्वसम्पति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया-

1. भारतीय कंसिडर (जोनि भारत, जिला-भारतमुंद के द्वारा क्रमांक 148/क./जोनि./न.क./2021 भारतमुंद, दिनांक 01/02/2021 के अनुसार जारी किए खदान से 300 मीटर की सीमा अर्थात् 15 खदानें, क्षेत्रफल 11.88 हेक्टर है। अर्थात् खदान (गाम-कुंडेरा) का सतह 0.34 हेक्टर है। इस प्रकार अर्थात् खदान (गाम-कुंडेरा) की मिताकर कुल सतह 12.12 हेक्टर है। खदान की सीमा से 300 मीटर की परिधि में सीकुर / संशोधित खदानों का कुल

सेवाएँ 8 डेस्टॉप से अधिक का समूह निर्मित होने से कारण यह प्रभाग 'बी' श्रेणी की मान्यता प्राप्त।

2. माईन सीक क्षेत्र की गहराई और 7.5 मीटर चौड़े सुरक्षा जॉन की सुरक्षा कार्य में किसे गये प्रबंधन के कारण इस क्षेत्र की उपचारिता प्रभावी (Remedial Measures) की संकेत में तथा सीक क्षेत्र के अंदर माईनिंग क्रियाकलापों के कारण प्रदूषण नियंत्रण हेतु आवश्यक प्रभावी एवं सुचारुतापूर्वक अर्थों से किसे अनुचित प्रभावी कार्य संयोजक, संयोजकता, भूमिहीन तथा प्रतिकर्ष, इलाकी मूल, तथा वास्तु प्रकाश कार्य, विद्युत - वास्तु (प्रकीर्णक) से सम्बन्धी कार्य की जाए।

3. समिति द्वारा विचार विमर्श प्रयास अंततः अंततः 'बी' श्रेणी का होने की कारण भारत सरकार, पश्चिम, उत्तर और उत्तरांचल परिवहन मंत्रालय द्वारा अक्टूबर, 2018 में प्रकाशित नोटबुक एनई सीक विधेय (टीडीआर) और ईआईए / ईएमपी, रिपोर्ट और प्रोसेचर / एनटीटीए विचारणीय अनुसंधान अंततः अंततः नोटिफिकेशन, 2008 में वर्णित धारा 1(7) का अंततः टीडीआर (सीक सुधार अधिनियम) और अंततः माईनिंग प्रोसेचर हेतु विभिन्न अंततः टीडीआर के साथ जारी किसे जाने की अनुसंधान की गई-

- i. Project proponent shall inform S.E.A.C. Chhatnagarh before start of monitoring work for preparation of EIA Study Report.
- ii. Project proponent shall submit the Common Environment Management Plan.
- iii. Project proponent shall submit a readable copy of NOC of gram panchayat.
- iv. Project proponent shall submit revised certificate regarding cluster of mines as defined in EIA notification from mining department and accordingly EIA study shall be carried out incorporating all the mines included in cluster.
- v. Project proponent shall submit previous year production details along with dispatch number and date.
- vi. Project proponent shall submit layout map earmarking 7.5 meter of mine lease periphery & previously mined out area in safety zone, calculation of mined out area and remedial measures for development of greenbelt in 7.5-meter wide all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. Project proponent shall incorporate the remedial measures for mining activity carried out in the past in safety zone and submit the revised approved mining plan accordingly.
- vii. Project proponent shall complete the restoration of 7.5 meter width of mine lease periphery & do plantation during the current year and incorporate the details alongwith photographs in the EIA report.
- viii. Project proponent shall submit the NOC from concerned department for water usage.
- ix. Project proponent shall submit the copy of parchment and photographs of every monitoring stations.
- x. Project proponent shall submit the details of HFL (High Flood Level) of Mahanadi river along with NOC from Water Resource Department.
- xi. Project proponent shall submit top soil management plan & incorporate the details in the EIA report.

- iii. Project proponent shall submit CIPM proposals with details of works alongwith their estimates including land cost.

प्रतिकल्प द्वारा बीडक में विचार – उपरोक्त प्रस्ताव पर प्रतिकल्प की दिनांक 28/08/2021 को संख्या 119वीं बीडक में विचार किया गया। प्रतिकल्प द्वारा नली का अपरोक्षण किया गया। विचार विभाई, उपरोक्त प्रतिकल्प द्वारा सर्वेक्षणों से समिति की अनुमोदन को स्वीकार करते हुए उपरोक्तानुसार टर्मन लीज लेनेका (सी.ओ.आर.) (लीज सुनवाई सहित) जारी करने का निर्णय किया गया। साथ ही यह भी निर्णय किया गया कि लीज लीज क्षेत्र को जारी क्षेत्र 7.8 मीटर चौड़े सड़की क्षेत्र के कुछ भाग में किये गये उपकरणों के कारण इस क्षेत्र की उपकारी टर्माई (Kamath Malan) के संघ में तथा लीज क्षेत्र के अंदर मरुतिंग विचारवार्ता के कारण उपकरण उपकरण निर्धारण हेतु आवश्यक टर्माई तथा सुधारणका अदि के लिये अनुचित तथावी बाधक संघर्षक, संघर्षकालक, भीमिरी तथा खनिजन, इटावली मकन, मका रायपुर अटल मकर, जिला – रायपुर (उत्तीसगढ़) को यह विचार जाय।

परिशीलना प्रस्तावक को टर्मन लीज लेनेका (सी.ओ.आर.) जारी किया जाए। साथ ही संघर्षक, संघर्षकालक, भीमिरी तथा खनिजन, इटावली मकन, मका रायपुर अटल मकर, जिला – रायपुर (उत्तीसगढ़) को यह विचार जाय।

4. मेसर्स मुईना फ्लैग स्टोन क्वारी (प्री.- की अखिल टान निवार), धान-मुईना, तारसील व जिला-महासमुंद (सचिवालय का पत्ता क्रमांक 1882)

लीजलाईन आवेदन – उपरोक्त संख्या – एमआईए /सीडी /एम्प्लॉय / 83318 / 2021, दिनांक 14/08/2021 को लीजलाईन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण – यह पूर्ण से संघर्षित फ्लैग स्टोन (लीज खनिज) खदान है। खदान धान-मुईना, तारसील व जिला-महासमुंद जिला खदान क्रमांक 333/2, कुल क्षेत्रफल-0.24 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदिता प्रस्तावक संख्या-2020.28 को अधिन है।

परिशीलना प्रस्तावक को एमआईएसी, उपरोक्तानुसार के कारण दिनांक 21/08/2021 द्वारा प्रस्तुतिकल्प हेतु सुचित किया गया।

बीडक का विवरण –

(क) समिति की 373वीं बीडक दिनांक 31/05/2021

प्रस्तुतिकल्प हेतु की जमीन मुक्त, अखिल प्रतिनिधि विविध कॉन्सींग के मकदान के उपस्थित हुए। समिति द्वारा नली, प्रस्तुत जानकारी का अपरोक्षण एवं परीक्षण करने का निम्न विधि गई गई-

1. पूर्ण में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण-
 1. पूर्ण में जारी नली खदान खदान क्रमांक 333/2, कुल क्षेत्रफल-0.24 हेक्टेयर, संख्या-825.86 उपरोक्त अधिन हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जिला राष्ट्रीय पर्यावरण संस्थागत निर्देशन अधिकल्प, जिला-महासमुंद द्वारा दिनांक 18/02/2017 को जारी की गई। यह स्वीकृति दिनांक 14/02/2022 तक की अवधि हेतु जारी की गई है।
 2. पूर्ण में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की जारी से पहले में की गई आवेदाओं को जानकारी प्रस्तुत की गई है।

Kash

[Signature]

[Signature]

- क. कार्यालय कलेक्टर (प्रमिज सहाय), जिला-महासमुद्र द्वारा दिनांक 28/06/2021 के अनुसार विगत वर्षों में किये गये उपखनन का विवरण निम्नप्रकार है:-

वर्ष	उपखनन (घनमीटर)
2016	158
2017	310
2018	470
2019	98
2020	95

ख. निर्धारित कारियुक्त नुसारखनन नहीं किया गया है।

1. ग्राम पंचायत का कार्यालयीय प्रमाण पत्र - उपखनन के संबंध में ग्राम पंचायत मुख्यालय का दिनांक 18/03/2018 का कार्यालयीय प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. उपखनन कीधन्यता - राष्ट्रीय पटन (खारी पटन पुराण विद्या प्रशासकीय संशोधन केंद्र) प्रस्तुत किया गया है, जो प्रमिज अधिकारी (प्रमिज सहाय), जिला-महासमुद्र के द्वारा दिनांक 1722/क./प्रमिज./म.प्र./2018 महासमुद्र, दिनांक 27/08/2018 द्वारा अनुमोदित है।
3. 500 मीटर की परिधि में विस्तार खदान - कार्यालय कलेक्टर (प्रमिज सहाय), जिला-महासमुद्र के अनुसार निर्धारित खदान से 500 मीटर की मीटर अवधिगत 15 खदानों, कुलगत 11.88 हेक्टरों को खोला गया है। जिसमें सीधे विद्यार्थीय खदान की सीध सीध से 500 मीटर की परिधि में अवधिगत खदानों का विवरण दिया गया है। उक्त प्रमाण पत्र से यह स्पष्ट नहीं हो पाता है कि उक्त खदानों से 500 मीटर की मीटर अन्य खदान हैं अथवा नहीं? ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2008 (उक्त संशोधित) में परिभाषित खनन अनुसार "कोई खनन पर समय बनाया जाएगा जब तक सीध के खननों की सीध दूरी पर सदा प्रमिज क्षेत्र में अन्य पट्टों की परिधि से 500 मीटर से कम है।" अर्थात् खनन सेतु नोटिफिकेशन विस्तार क्षेत्र में विद्यार्थीय खदान की सीध सीध से 500 मीटर की मीटर जाने वाले सभी खदानों को प्रमिज करते हुए उक्त इस प्रकार प्रमिज खदानों की सीध सीध से 500 मीटर की मीटर जाने वाले अन्य सभी खदानों को (खनन से खदानों को जहाँ तक प्रमिज किया जाए, जहाँ तक 500 मीटर की दूरी में कोई खदान अवधिगत न हो) प्रमिज किया जाय नहीं।
4. 200 मीटर की परिधि में विस्तार सार्वजनिक क्षेत्र/भरवनाए - कार्यालय कलेक्टर (प्रमिज सहाय), जिला-महासमुद्र द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार पुराने खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, मठ, अस्पताल, स्कूल, पुस्तकालय, एन.डी.ए. एवं अन्य अनुमति अति परिभाषित क्षेत्र निर्मित नहीं है।
5. भूमि एवं सीध का विवरण - यह कार्यालयीय भूमि है, सीध की प्रमिज रूप विवरण के नाम पर है। सीध की 30 वर्षों अर्थात् दिनांक 12/08/2001 से 10/08/2001 तक की प्रमिज सेतु का है।
6. डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट - वर्ष 2018 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

8. महात्मा पूर्ण बांधवनाओं की दूरी - निकटतम आवासीय घास-भूमेन 1 कि.मी. एवं जलुन घास-भूमेन 1 कि.मी. की दूरी पर कलल है। राष्ट्रीय बांधवना 2 कि.मी. दूर हैं।
9. पारिस्थितिकीय/जीवविधिवल बांधवनाकल श्रेण - पारिस्थलक प्रलललक दूरल 10 कि.मी. की पारिथ में अंतर्राष्ट्रीय शीम, राष्ट्रीय उद्यान, अलललललल संन्दीय प्रदूषण नलरंजन कलई दूरल पारिथ कलरिअली पॉल्युटेड एरलल, पारिस्थितिकीय संरलदनशील श्रेण या पारिथ जीवविधिवल श्रेण कललल नहीं शीमल प्रललरललल कललल है।
10. कलनन बांधवना एवं कलनन का कलरलन - कलरिअलीकलललल कलनन 20,222 टन, सारुनलकल कलनन 25,521 टन एवं कलरलनलकल कलनन 19,149 टन हैं। शीम की 7.8 मीटर कीडी शीम शकटी (अलललनन के कललु प्रलललललल श्रेण) का शीमकल 1,759 कलननलर है। शीम कललल सेकुलल कलरिथ से अलललनन कललल कललल है। अलललनन की प्रललललल अललललनन सलललई 10 मीटर है। शीम की अलललई 1.3 मीटर एवं शीमलई 1.3 मीटर है। कललन की सललललल अललु 12 कल है। शीम श्रेण में कललल कललललल नहीं है एवं दूरलकी सलललनन का प्रलललन नहीं कललल सलल है। कललनन में अललु प्रदूषण नलरंजन शीम कलल का कलरलनन की कललललल की नहीं है। कलरिअल अललललल कलललनन का कलरलनन नलनननुकलल है-

वर्ष	प्रलललललल कलललनन (टन)
अललल	1,974
दलरिअल	1,994
अललल	2,013
अललल	2,018
अललल	2,020

आगलनी वर्षी का प्रललललन कलललनन

वर्ष	प्रलललललल कलललनन (टन)
अललल	1,934
अललल	1,957
अललल	2,008
अललल	2,187
अललल	2,479

शकटी: कललललल में अललललल के शकटी की अललल की सललललललल कललल सलल है।

11. अलल अललुनल - पारिस्थलक शीम अललललल ललल की मलल 6 कलननलर प्रललललल है। अलल की अललुनल घलम अललललल के शीम के मलललनन में की कललल है। अलल की अललुनल शीम घलम अललललल का कललललल कलल प्रललुल नहीं कललल सलल है।
12. कुललरललल कललल - शीम श्रेण की शीम में कललल शीम 7.8 मीटर की शकटी में 250 लल कुललरललल सलनलुनन में कललल कलललल।
13. सलललली 250 मीटर दूर है। नदी का घलनी कलललनन में कललल की कललललल है, दूरलकी अलललललनन के कललु प्रलललल कललललल के ललललल में कललललल अललुलल नहीं कललल सलल है। कललल ही नदी के अललललललल (High Flood Level) के ललललल में अललललली / अललललललल प्रललुलल नहीं कललल सलल है।

14. खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा परती में वास्तव्यन - उपरोक्तन के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि सीमा क्षेत्र की चौड़ी 7.5 मीटर की सीमा परती का कुछ क्षेत्र उपलब्ध है। उक्त उपलब्ध क्षेत्र को पुनर्वास का पुनर्वास का कार्य किया जाएगा। उक्त समिति द्वारा उपरोक्त का समर्थन एवं संशोधित सर्वेक्षण प्लान प्रस्तुत किया जाने हेतु निर्देशित किया गया।

15. उल्लेखनीय है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा नीचे बोल सर्वेक्षण प्रोसेचर हेतु मन्त्रक पर्यावरणीय सारि जारी की गई है। सारि क्रमांक 518/13 के अनुसार-

"The Project Proponent shall develop greenbelt in 7.5m wide safety zone all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCRI in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. The whole green belt shall be developed within first 5 years starting from windward side of the active mining area. The development of greenbelt shall be governed as per the EC granted by the Ministry irrespective of the stipulation made in approved mine plan."

उक्त मन्त्रक सारि के अनुसार सर्वेक्षण सीमा क्षेत्र की अंदर 7.5 मीटर चौड़े सीमा क्षेत्र में पुनर्वास किया जाना आवश्यक है।

16. मन्त्रीय एन.जी.टी., डिप्टिमेंट केच, नई दिल्ली द्वारा सर्वोद पर्यावरण विभाग भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (प्रतिजनक एडिसेशन नं. 188, डीए 2018 एवं अन्य) के दिनांक 13/09/2018 को जारी आदेश में मुद्दा एवं के निम्नानुसार निर्दिष्ट किया गया है-

a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

b) If a cluster of an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा निम्न विवर्त प्रस्ताव सर्वसम्पत्ति के निम्नानुसार निर्णय किया गया-

1. कार्बोनाट जलसंस्तर (खनि साधन), जिला-बलानगुड के अनुसार आवेदित खदान की 800 मीटर की सीमा उपलब्ध 13 खदानों, क्षेत्रफल 11.88 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (ग्राम-मुडेना) का सतह 0.84 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (ग्राम-मुडेना) की मिजाऊन कुल सतह 12.72 हेक्टेयर है। खदान की सीमा में 800 मीटर की परिसर में सीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 9 हेक्टेयर से अधिक का अलावर निर्मित होने के कारण यह खदान 'बी' श्रेणी की शर्तों पर है।

2. सर्वेक्षण सीमा क्षेत्र की चौड़ी 7.5 मीटर चौड़े सीमा क्षेत्र के कुछ भाग में किये गये वास्तव्यन के कारण इस क्षेत्र को उपरोक्त प्रस्तावित अलावर मिजाऊन की शर्तों में उक्त सीमा क्षेत्र के अंदर सर्वेक्षण कियेजावार्तों के कारण उपलब्ध प्रस्ताव निर्धारण हेतु आवश्यक उपरोक्त उक्त पुनर्वास कार्य के किये समुचित उपरोक्त कार्य संशोधन, संशोधन, भीमिडी उक्त अधिनियम, इत्यादी अन्य, उक्त समस्त अलावर मन्त्र, जिला - राधपुर (प्रतीजनक) से जानकारी प्राप्त की जाए।



3. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरोक्त कार्यसमिती से प्रकल्प 'डी' क्षेत्रों की का होने के कारण सोला जिले पर पर्यावरण, उन क्षेत्र जलवायु परिवर्तन प्रभावण द्वारा वरीर, 2015 में प्रकल्पित क्षेत्रों को सभी क्षेत्र विचार (टी.सी.आर) और ई.आई.ए. / ई.एम.पी. विचार को प्रोत्साहन / एकीकृतित विचारण प्रकल्पित क्षेत्रों को प्रकल्प ई.आई.ए. नीतिनिर्देशन, 2006 में वर्णित क्षेत्रों का क्षेत्रों को प्रकल्प (सीक सुधार) वरीर) को को प्रकल्प प्रोत्साहन हेतु विचार विचारित क्षेत्रों को सहा करी विचार करने की अनुमति की गई-

- i. Project proponent shall inform S.E.A.C. Chhatoghri before start of monitoring work for preparation of EIA Study Report.
- ii. Project proponent shall submit the Common Environment Management Plan.
- iii. Project proponent shall submit revised certificate regarding cluster of mines as defined in EIA notification from mining department and accordingly EIA study shall be carried out incorporating all the mines included in cluster.
- iv. Project proponent shall submit previous year production details along with dispatch number and date.
- v. Project proponent shall submit layout map earmarking 7.5 meter of mine lease periphery & previously mined out area in safety zone, calculation of mined out area and remedial measures for development of greenbelt in 7.5 meter wide all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. Project proponent shall incorporate the remedial measures for mining activity carried out in the past in safety zone and submit the revised approved mining plan accordingly.
- vi. Project proponent shall complete the reclamation of 7.5 meter width of mine lease periphery & do plantation during the current year and incorporate the details alongwith photographs in the EIA report.
- vii. Project proponent shall submit the NDC from concerned department for water usage.
- viii. Project proponent shall submit the copy of parchments and photographs of every monitoring stations.
- ix. Project proponent shall submit the details of HFL (High Flood Level) of Mahanadi river along with NDC from Water Resource Department.
- x. Project proponent shall submit top soil management plan & incorporate the details in the EIA report.
- xi. Project proponent shall submit CER proposals with details of work alongwith their estimates including land cost.

प्रतिकरण द्वारा क्षेत्र में विचार - उपरोक्त प्रकल्प पर प्रतिकरण की विचार 24/08/2021 को जेसन 152वीं क्षेत्र में विचार किया गया। प्रतिकरण द्वारा वरीर की अनुमति किया गया। विचार विमर्श उपरोक्त प्रतिकरण द्वारा कार्यसमिती से समिति की अनुमति की स्वीकार वरीर हेतु उपरोक्तानुसार सभी क्षेत्र विचार (टी.सी.आर) (सीक सुधार) वरीर) करी करने का निर्णय किया गया। साथ ही यह भी निर्णय किया गया कि वरीर क्षेत्र क्षेत्र के वरीर और 7.5 मीटर चौड़े क्षेत्रों को को प्रकल्प में विचार, गरी प्रकल्प की कारण इस क्षेत्र के उपरोक्त क्षेत्रों (Residual Mines) के कारण में एक क्षेत्र क्षेत्र के उपर वरीर विचारसमिती की कारण

सामान्य अनुभव विवरण हेतु आवश्यक तथ्यादी तथा पुनरावलोकन अदि के लिये समुचित प्रस्तावी अथवा संसाधक, संसाधनवादा, भूमिहीन तथा अनिश्चित, इत्यादी नमान, तथा संधिपुत्र अटल नगर, जिला - रायपुर (झारखण्ड) को पत्र लिखा जाय।

परिचोदना प्रस्तावक को टर्नर ड्रांग रेगुलेशन (टी.डी.आर.) जारी किया जाय। तथा ही संसाधक, संसाधनवादा, भूमिहीन तथा अनिश्चित, इत्यादी नमान, तथा संधिपुत्र अटल नगर, जिला - रायपुर (झारखण्ड) को पत्र लिखा जाय।

8. रीसर्च सुईना प्लेन स्टोन क्वारी टर्न-बी जलिया राम निधाद, राम-सुईना, तहसील व जिला-महासमुद (सचिवालय का नक्की क्रमांक 1893)

जीनलाईन आवेदन - प्रपोजन नम्बर - एस्/एईए / सीडी / एम्/एईए / 63330/2021, दिनांक 14/08/2021 को जीनलाईन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण - यह प्लेन से संबंधित प्लेन स्टोन (पीन क्वारी) खदान है। खदान राम-सुईना, तहसील व जिला-महासमुद जिला खदान क्रमांक 330, कुल क्षेत्रफल-0.307 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित परमाणु क्रमांक-1278.18 एम इतिहास है।

परिचोदना प्रस्तावक को एस्/एईए.सी., झारखण्ड को प्रथम दिनांक 21/08/2021 द्वारा अनुमोदित हेतु सूचित किया गया।

बीटक का विवरण -

(अ) समिति की 373वीं बैठक दिनांक 21/08/2021:

प्रस्तुतिकरण हेतु की जातीय मुद्दा, अधिकृत प्रतिनिधि विभिन्न पारमेट्रिक को परामर्श से परीक्षित हुए। समिति द्वारा नक्की, प्रस्तुत जानकारी का अपलोडेशन एवं परीक्षण करने पर निम्न सिद्धि पाई गई -

1. प्लेन में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:-

- a. प्लेन में जारी पर्यावरण खदान खदान क्रमांक 330, कुल क्षेत्रफल-0.307 हेक्टेयर, क्रमांक-011.28 परामेट्रिक इतिहास हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जिला स्तरीय पर्यावरण संस्थागत निर्देशन अधिकरण, जिला-महासमुद द्वारा दिनांक 15/02/2017 को जारी की गई। यह स्वीकृति दिनांक 14/02/2022 तक की अवधि हेतु जारी की गई है।
- b. प्लेन में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के टर्नर के कारण से जारी हुई कार्यावाही की जानकारी प्रस्तुत की गई है।
- c. कार्यावाही करनेवाले (अभिज साखा) जिला-महासमुद द्वारा दिनांक 28/08/2021 के अनुसार विवाद टर्न में किये गये प्रस्तावना का विवरण निम्नानुसार है:-

वर्ष	समाप्तन (टन)
2016	117
2017	408
2018	370
2019	164
2020	230

d. निर्धारित कार्यावाही पुनरावलोकन नहीं किया गया है।

2. **घास संसाधन का अनापत्ति प्रमाण पत्र** — आवेदन के संख्या में घास संसाधन प्रयोग का विनांक 14/08/2008 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
3. **सावधानी योजना** — राष्ट्रीय पशु (खसरी पशु) पालन विधु इन्फ्रास्ट्रक्चर सर्वेयरमेंट योजना) प्रस्तुत किया गया है, जो खसरी अधिकाड़ी (खसरी गाय), जिला-महासमुद्र के आवेदन क्रमांक 1721/क./पशु/न.क./2018 महासमुद्र, विनांक 27/08/2018 द्वारा अनुमोदित है।
4. **500 मीटर की परिधि में विस्तार खदान** — कार्यालय कॉलेक्टर (खसरी गाय), जिला-महासमुद्र के आवेदन क्रमांक 180/क./पशु/न.क./2021 महासमुद्र, विनांक 01/02/2021 के अनुसार अनुमोदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 18 खदानें, क्षेत्रफल 11.38 हेक्टेयर होना बताया गया है। जिसमें क्षेत्र विभागीय खदान के लीज सीमा से 500 मीटर के परिधि में अवस्थित खदानों का विवरण दिया गया है। इस प्रमाण पत्र से यह स्पष्ट नहीं हो रहा है कि इस खदानों से 500 मीटर के भीतर अन्य खदान हैं अथवा नहीं। (अर्थात्, सर्वेयरमेंट, 2008 (पशु संशोधित) में परिभाषित कलक्टर अनुसार "बड़े कलक्टर उस समय बनाया जाएगा, जब एक लीज के परिधि के बीच दूरी पर बहुत खसरी क्षेत्र में अन्य खदानों के परिधि से 500 मीटर से कम है।" अर्थात् कलक्टर हेतु सर्वेयरमेंट नियोजन क्षेत्र में विभागीय खदान के लीज सीमा से 500 मीटर के भीतर जाने वाले सभी खदानों को शामिल करते हुए तथा इस प्रकार शामिल खदानों के लीज सीमा से 500 मीटर के भीतर जाने वाले अन्य सभी खदानों को (जिनमें से खदानों को नहीं तक शामिल किया जाए, जहाँ तक 500 मीटर की दूरी में बड़े खदान अवस्थित न हों) शामिल किया जाना चाहिए।
5. **200 मीटर की परिधि में विस्तार कार्यालयिक क्षेत्र/घरघरावा** — कार्यालय कॉलेक्टर (खसरी गाय), जिला-महासमुद्र के आवेदन क्रमांक 180/क./पशु/न.क./2021 महासमुद्र, विनांक 01/02/2021 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार खदान खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी कार्यालयिक क्षेत्र जैसे भविष्य, भविष्य, अखाड़ा, स्कूल, पुज, कम, एनीमल एन जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।
6. **लीज का विवरण** — यह कार्यालय भूमि है, लीज की अंतिम लम विवरण के नाम पर है। लीज सीमा 50 वर्ष अर्थात् विनांक 08/10/2008 से 08/10/2038 तक की अवधि हेतु है।
7. **डिस्ट्रिक्ट सर्वे सिटीट** — वर्ष 2018 की डिस्ट्रिक्ट सर्वे सिटीट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
8. **महासमुद्र घरघरावा की दूरी** — निकटतम आवासीय ग्राम-मुंडेरा 1.8 कि.मी. एवं स्कूल ग्राम-मुंडेरा 1 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 14 कि.मी. दूर है।
9. **पारिस्थितिकीय/जीववैविध्यता संवेदनशील क्षेत्र** — जीववैविध्यता प्रभावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राष्ट्रीय सीमा, राष्ट्रीय खदान, अखाड़ा, संशोधन प्रयोग नियोजन बोर्ड द्वारा घोषित डिस्ट्रिक्ट वील्डलाइव परिधि, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जीववैविध्यता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिबंधित किया है।

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

10. **खनन बांधवा एवं खनन का विवरण** - विद्यमान/विद्यमान दिनांक 33,000 टन, कार्यवाही दिनांक 13,000 टन एवं विद्यमान दिनांक 12,000 टन है। खनन की 1.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (सखनन के लिए अधिभूत क्षेत्र) का क्षेत्रफल 1,122 वर्गमीटर है। खनन कार्य के लिए सिंचन किया जाता है। खनन की अधिभूत अधिकतम गहराई 14 मीटर है। खनन की चौड़ाई 1.5 मीटर एवं गहराई 1.5 मीटर है। खनन की संरचना जलु 10 वर्ष है। खनन क्षेत्र में खनन कार्यवाही नहीं है एवं इसकी स्थापना का प्रस्ताव नहीं किया गया है। खनन में जल प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल विद्यमान की स्थापना की गई है। वर्षवार अधिभूत खनन का विवरण निम्नानुसार है:-

वर्ष	अधिभूत खनन (टन)
प्रथम	1,188
द्वितीय	1,268
तृतीय	1,280
चतुर्थ	1,297
पंचम	1,308

खननी वर्षों का उपचार योजना

वर्ष	अधिभूत खनन (टन)
प्रथम	1,307
द्वितीय	1,308
तृतीय	1,313
चतुर्थ	1,318
पंचम	1,320

नोट: खनन में खननन के बाद की जमीन को सततदर्शीक किया गया है।

11. **जल आपूर्ति** - परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 8 घनमीटर प्रतिदिन है। जल की आपूर्ति जल संचयन के टैंक के माध्यम से की जाती है। जल की आपूर्ति हेतु जल संचयन का स्थायी षड प्रस्ताव नहीं किया गया है।
12. **प्लांटिंग कार्य** - खनन क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 1.5 मीटर की पट्टी में 220 वन प्लांटिंग मानक में किया जाएगा।
13. **मर्यादी 200 मीटर दूर है।** नदी का धनी खनन में जाने की संभावना है, इससे खननन के लिए अधिभूत स्थापना के कार्य में विचलन प्रस्तुत नहीं किया गया है। साथ ही नदी के उपर/खाल (भूत/कोर/बन्ध) के कार्य में खननन / सततदर्शीक प्रस्तुत नहीं किया गया है।
14. **खनन की 1.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में खननन** - उपरोक्त जल संचयन अधिभूत स्थापना द्वारा बताया गया कि खनन क्षेत्र की चारों ओर 1.5 मीटर की सीमा पट्टी का क्षेत्र क्षेत्र अधिभूत है। इस अधिभूत क्षेत्र को पुनर्स्थापन एवं प्लांटिंग का कार्य किया जाएगा। जल संचयन द्वारा उपरोक्त का संचयन कर, अधिभूत अधिभूत खनन प्रस्तुत किया जाने हेतु निर्दिष्ट किया गया।
15. **सततदर्शीक है कि** बाधा संचयन, सततदर्शीक, एवं एवं उपरोक्त अधिभूत संचयन, नहीं दिखती द्वारा खनन क्षेत्र अधिभूत क्षेत्र/क्षेत्र हेतु सतत पर्यवेक्षण की जाती की गई है। सर्वेक्षण 2022 के अनुसार-

"The Project Proponent shall develop greenbelt in 7.5m wide safety zone all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. The whole green belt shall be developed within first 5 years starting from windward side of the active mining area. The development of greenbelt shall be governed as per the EC granted by the Ministry irrespective of the stipulation made in approved mine plan."

उक्त मानक शर्तों के अनुसार माईन सीज क्षेत्र के अंदर 7.5 मीटर चौड़े सुरक्षा जोन में पुनरोपवन किया जाना आवश्यक है।

18. माननीय एन.डी.डी., जिलात्मक सेवा, नई दिल्ली द्वारा जारी राष्ट्रीय विद्युत शक्ति संचालन, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन विभाग, नई दिल्ली एवं अन्य (ऑपरेशनल एनवायरनमेंट नं. 188 डीओ 2018 एन अम) में दिनांक 12/08/2018 को पारित आदेश में मुख्य रूप से निम्नानुसार निर्धारित किया गया है—

(a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA, as well as for cluster situation where ever it is not provided.

(b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरोक्त सर्वसम्पत्ति से निम्नानुसार निर्धारित किया गया—

1. कार्यलय ब्लॉक (ऑफिस बिल्डिंग), जिला-महासमुद्र के प्रथम क्रमांक 180/म/ऑफिस/न.ब./2021 महासमुद्र, दिनांक 01/02/2021 के अनुसार आवंटित खदान से 500 मीटर से अधिक अवस्थित 18 खदानों, क्षेत्रफल 11.28 हेक्टेयर है। इस प्रस्तावित खदान (ग्राम-सुप्रेम) को निकटतम कुल क्षेत्रफल 11.88 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की दूरी में अर्धवृत्त/अर्धवृत्तित खदानों का कुल क्षेत्रफल 3 हेक्टेयर से अधिक का क्लस्टर निर्मित होने के कारण यह खदान 'बी' श्रेणी की शर्तों पर है।

2. माईन सीज क्षेत्र के शर्तों अंदर 7.5 मीटर चौड़े सुरक्षा जोन के कुछ भाग में किये गये उल्लंघन के कारण इस क्षेत्र की उपरोक्त शर्तों (Remedial Measures) से संबंध में उक्त सीज क्षेत्र के अंदर माईनिंग क्लस्टरों के कारण उत्पन्न प्रदूषण नियंत्रण हेतु आवश्यक उपरोक्त उक्त पुनरोपवन आदि के निर्देश समुचित उपरोक्त वास्तु संरक्षण, संरक्षणकार, पीपिडी तथा अनिजर्न, इंटरव्यू क्वेश्चन, वन संपन्न अटल क्वेश्चन, किया - समुद्र (संशोधन) से जानकारी प्राप्त की जाए।

3. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरोक्त सर्वसम्पत्ति से प्रकल्प 'बी' श्रेणी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा जारी, 2018 में प्रकाशित एनवायर्ड टर्न ऑफ रिपोर्ट (टीओआर) और ई.आई.ए./ई.एम.पी. रिपोर्ट और प्रोजेक्ट्स/एक्टिविटीज रिजल्टिंग इनसायनेट ब्लॉक ऑफ एनवायर्ड नोटिफिकेशन, 2006 में पारित शर्तों (शर्तों) का एनवायर्ड टीओआर (लोक सुपेराई सर्विस) नीम सीज माईनिंग प्रोजेक्ट हेतु निम्न अधिलिखित टीओआर के साथ जारी किये जाने की अनुमति की गई—

1. Project proponent shall inform S.E.A.C. Chhatogarn before start of monitoring work for preparation of EIA Study Report.

- g. Project proponent shall submit the Common Environment Management Plan.
- h. Project proponent shall submit revised certificate regarding cluster of mines as defined in EIA notification from mining department and accordingly EIA study shall be carried out incorporating all the mines included in cluster.
- i. Project proponent shall submit readable copy of lease agreement document.
- j. Project proponent shall submit previous year production details along with dispatch number and date.
- k. Project proponent shall submit layout map surrounding 7.5 meter of mine lease periphery & previously mined out area in safety zone, calculation of mined out area and remedial measures for development of greenbelt in 7.5 meter wide all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. Project proponent shall incorporate the remedial measures for mining activity carried out in the past in safety zone and submit the revised approved mining plan accordingly.
- l. Project proponent shall complete the restoration of 7.5 meter width of mine lease periphery & do plantation during the current year and incorporate the details alongwith photographs in the EIA report.
- m. Project proponent shall submit the NDC from concerned department for water usage.
- n. Project proponent shall submit the copy of parchhams and photographs of every monitoring stations.
- o. Project proponent shall submit the details of HFL (High Flood Level) of Mahanadi near along with NDC from Water Resource Department.
- p. Project proponent shall submit top soil management plan & incorporate the details in the EIA report.
- q. Project proponent shall submit CER proposals with details of works alongwith their estimates including land cost.

प्रतिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रस्ताव पर प्रतिकरण की दिनांक 24/08/2021 को सारण उपखंड बैठक में विचार किया गया। प्रतिकरण द्वारा सभी का अवलोकन किया गया। विचार विमर्श उपरान्त प्रतिकरण द्वारा सर्वसम्मति से सचिवी की अनुमति को स्वीकार करते हुए उपरोक्तानुसार सभी जीक रेवेनेस (टी.जी.आर.) (जीक सुधारों सहित) जारी करने का निर्णय किया गया। साथ ही यह भी निर्णय किया गया कि माईन जोन क्षेत्र को जारी क्षेत्र 7.5 मीटर चौड़े लेनोटी जोन को कुछ भूत में किये गये उपखनन के कारण इस क्षेत्र को उपखरी उपखरी (Rehabilitated Measures) की राहों में एक जीक क्षेत्र को लेकर माईनिंग विपदाखणों को कालम कालम प्रदूषण निरोधक हेतु आवश्यक उपखरी तथा पुनरोपेण आदि के किये अनुचित उपखरी बाबा, संचालक, संचालनसभ, बीमिडी तथा इन्जिनर, इटावली मण, नरा उपखु अदात मण, दिना – राधपुर (उपखिलसद) को सब लिखा जाए।

परिचोपना जलाशय को टर्न जीक रेवेनेस (टी.जी.आर.) जारी किया जाए। साथ ही संचालक, संचालनसभ, बीमिडी तथा इन्जिनर, इटावली मण, नरा उपखु अदात मण, दिना – राधपुर (उपखिलसद) को सब लिखा जाए।

4. **पैसल बासीन क्लेग स्टोन साईन (डी.-बी नजीक कुमार साहू), ग्राम-बासीन, तहसील-राजिम, जिला-परिषद (अग्निपालन का नगरी अर्थात् 888)**

अनसाईन आवेदन - पूर्व में प्रोपोज करवा - एलआईए/ सीडी/ एमआईएन/ 42781/2018 दिनांक 04/08/2018 द्वारा टी.ओ.अन. हेतु आवेदन किया गया था।
बासीन में प्रोपोज करवा - एलआईए/ सीडी/ एमआईएन/ 82519/ 2018 दिनांक 07/05/2021 द्वारा सर्वोच्चतम स्वीकृति प्राप्त करने हेतु ई.आई.ए. लिमिटेड प्रस्तुत की गई है।

प्रस्ताव का विवरण - यह अनाच्छिन्न क्लेग स्टोन (सील अग्निज) खदान है। खदान ग्राम-बासीन, तहसील-राजिम, जिला-परिषद के अन्तर्गत अर्थात् 1312/1 एवं 1314/1, कुल क्षेत्रफल - 0.42 हेक्टेयर में अनाच्छिन्न है। खदान की अग्निज संयोजना अर्थात् - 1,300.8 टन प्रतिवर्ष है।

एल.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के अन्तर्गत दिनांक 03/02/2009 द्वारा प्रकल्प बी-1 कोटली का होने से कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वर्ष 2018 में प्रस्तावित सीमावर्ती एवं सीमा विनियम (टी.ओ.अन.) और ई.आई.ए./ई. एम.पी. लिमिटेड और प्रोसेक्टर/एल.ई.ए.सी. विनियमन अनुपस्थिति अधिनियम अन्तर्गत ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2008 में प्रेषित शर्तों अन्तर्गत सीमावर्ती टी.ओ.अन. (लोक सुनवाई अधिनियम) नीचे अनाच्छिन्न प्रोसेक्टर हेतु टी.ओ.अन. जारी किया गया।

परिषदका प्रस्तावक को एल.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के अन्तर्गत दिनांक 21/08/2021 द्वारा प्रस्तुतियां हेतु सुविधा किया गया।

बीजक का विवरण -

(अ) समिति की 373वीं बैठक दिनांक 31/05/2021

प्रस्तुतियां हेतु बी नजीक कुमार साहू, अनाच्छिन्न तथा सर्वोच्चतम अनाच्छिन्न पैसल बासीन सेवेरिटीज लिमिटेड, सुनार की ओर से डॉ. मधुसूता देव सिद्धि अनाच्छिन्न के अध्यक्ष से परामर्श हुए। समिति द्वारा जारी, प्रस्तुत अनाच्छिन्न का अनाच्छिन्न एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति आई गई-

1. पूर्व में जारी सर्वोच्चतम स्वीकृति संबंधी विवरण- इस खदान को पूर्व में सर्वोच्चतम स्वीकृति जारी नहीं की गई है।
2. ग्राम संघावली का अनाच्छिन्न प्रस्ताव पत्र - अनाच्छिन्न के संबंध में ग्राम संघावली अग्निज दिनांक 25/07/2018 का अनाच्छिन्न प्रस्ताव पत्र प्रस्तुत किया गया है।
3. अनाच्छिन्न बीजक - सर्वोच्चतम अनाच्छिन्न (अग्निज अनाच्छिन्न) प्रस्तुत किया गया है, जो एक संयोजक (अग्निज), जिला-राजिम के अन्तर्गत अर्थात् 1008-3/अग्नि./सी-8/2018 संपूर्ण, दिनांक 08/08/2018 द्वारा अनुमोदित है।
4. 800 मीटर की परिधि में स्थित खदान - सर्वोच्चतम अनाच्छिन्न (अग्निज अनाच्छिन्न), जिला-परिषद के अन्तर्गत अर्थात् 88/अग्नि./अग्नि./न.क./2008-21 परिषद, दिनांक 31/08/2021 से अनुमोदित अनाच्छिन्न खदान से 800 मीटर के भीतर अनाच्छिन्न 44 खदानें, क्षेत्रफल 34.881 हेक्टेयर है।
5. 200 मीटर की परिधि में स्थित सर्वोच्चतम अनाच्छिन्न क्षेत्र/संयोजना - सर्वोच्चतम अनाच्छिन्न (अग्निज अनाच्छिन्न), जिला-परिषद के अन्तर्गत अर्थात् 50/अग्नि./अग्नि./2008-21 परिषद, दिनांक 27/08/2021 द्वारा जारी प्रस्ताव पत्र अनाच्छिन्न अनाच्छिन्न से 200 मीटर की परिधि में अनाच्छिन्न क्षेत्र/संयोजना क्षेत्र के भीतर

खदान खानिज नदी से एक इलाकी खदान का प्रस्ताव नहीं किया गया है। खानिज नदी की चौड़ाई 8 मीटर है तथा कुल बांध 8.771 घनमीटर है। खदान की खानिज आयु 10 वर्ष है। नदी की चौड़ाई 3 मीटर एवं चौड़ाई 3 मीटर है। वर्षावा प्रस्तावित खदान का विवरण निम्नप्रकार है-

वर्ष	प्रस्तावित खदान (घन)
प्रथम	1.274
द्वितीय	1.071
तृतीय	1.281
चतुर्थ	1.231
पंचम	1.296
छठम	1.147
सातम	1.284
आठवें	1.069
नौवें	1.13
दसम	0.90

नोट: तालिका में खदान के बांध के अंशों को सार्वजनिक किया गया है।

13. **नदी अपवृत्ति** - परिशोधन हेतु आवश्यक बांध की मात्रा 8.38 घनमीटर निर्धारित होगी। बांध की अपवृत्ति घास पंचायत द्वारा टीका के माध्यम से की जाएगी। इस बांध का पंचायत का सहायता पत्र सहायता पत्र प्रस्तुत किया गया है।
14. **नदी नदीनिधि क्षेत्र** - प्रस्तुतीकरण के दौरान परिशोधन प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि खदान से पानी सड़क 10 मीटर की दूरी पर है। निम्नप्रकार सड़क से 50 मीटर की दूरी के क्षेत्रों को नदी नदीनिधि क्षेत्र (1.500 वर्गमीटर) निर्धारित किया गया है। बांध क्षेत्र में टीका खोदने को एकत्र का सुझाव दिया जाय प्रस्तावित है।
15. **वृक्षारोपण कार्य** - टीका क्षेत्र के पानी की 7.5 मीटर चौड़ी क्षेत्र में 321 का तथा नदी नदीनिधि क्षेत्र (1.500 वर्गमीटर) में 382 का (कुल 713 का) वृक्षारोपण कार्य करे में ही किया जाएगा।
16. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में खदान** - टीका क्षेत्र के पानी क्षेत्र 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में खदान कार्य नहीं किया गया है।
17. **कोर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** - परिशोधन प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विवरण से कार्य प्रस्ताव निम्नप्रकार प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
16.58	2%	0.33	Following activities at Government Primary School Totangpora, Village - Basin	
			Rain Water Harvesting System	0.30
			Total	0.30

18. पर्यावरण प्रदायक द्वारा प्रस्तुतिकाय को प्राप्त करना यह है कि कुल जल मिट्टी द्वारा फलित जल को। प्रदायकानुसार जल मिट्टी को 1.5 मीटर (गहिरा बंधन) क्षेत्र में 230 फलित एवं 10 फलित जल में 1.725 फलित जल मिट्टी को एकत्र कर प्रदायक किता जाय प्रदायक है जल को जल मिट्टी को सहायि प्राप्त नुनि का सहायि रखने हेतु जल परियायके में अनुभवि प्रदायक सहायि किता जायका।

19. जलदाय हेतु जलिन इन्फ्रास्ट्रक्चर केनेजमेट प्दान- पर्यावरण प्रदायक द्वारा प्रदायक यह कि जलदाय में कुल 45 खदानें जाली हैं। जलदाय में 4 खदानों को एकत्रित कर जल को नुनि है, जिनके द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति के किता प्रदायक किता गया है। जल 37 खदानों को नुनि से ही पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त होने के कारण जलके द्वारा जलिन इन्फ्रास्ट्रक्चर केनेजमेट प्दान देया किता जाने हेतु जल नुनि को जा नुनि है। जल जलदाय में जलिन पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु जलदाय 4 खदानों द्वारा जलिन इन्फ्रास्ट्रक्चर केनेजमेट प्दान प्रस्तुत किता गया है। जलिन इन्फ्रास्ट्रक्चर केनेजमेट प्दान को प्राप्त किता जाय प्रदायक है-

- I. प्रदायक निरालय हेतु परियायक के दोहन सहायि/एकीय क्षेत्र के प्रदायक कुल जलदाय के निरालय हेतु जल कितायक 4 किमी तक पहुँच नुनि हेतु अनुभवि राशि 2,40,000/- प्रतिवर्ष जाय किता जायका।
- II. जल को पहुँच नुनि के दोनी तक 4 किमी तक तक के जल को जल के प्रदायक हेतु अनुभवि राशि 12,84,700/- प्रदायक वर्ष में जाय किता जायका। इसके अतिरिक्त जलदाय जल नुनि तक 100-1000 हेतु अनुभवि राशि 4,14,800/- जाय किता जायका।
- III. इन्फ्रास्ट्रक्चर केनेजमेट हेतु अनुभवि राशि 80,000/- प्रतिवर्ष जाय किता जायका।
- IV. सहायि का सहायक (Road Maintenance) हेतु अनुभवि राशि 2,00,000/- प्रतिवर्ष जाय किता जायका।
- V. पर्यावरणीय सहायि जल मिट्टी एवं जलिन पुनर्प्राप्त के अतिरिक्त हेतु जलदायिक सहायि (Road Yearly Environment Monitoring) किता जायका।
- VI. जलदाय हेतु प्रदायक जल नुनि को कितायक जलदायिक के नुनि जल हेतु अनुभवि राशि सहायि 53,00,450/- जाय जलदाय प्रदायक किता गया है। जलदाय हेतु सहायक 400 की प्रस्तुत किता गया है। जलिन इन्फ्रास्ट्रक्चर केनेजमेट प्दान के कितायकयन हेतु जलदायिक द्वारा सहायि प्रदायक की नुनि।
- VII. सहायि हेतु 12 जलदायिक सहायि जलदायिक जलदायिक प्रदायक है।

20. जलदाय सहायि, पर्यावरण, जल जलदायिक परियायक सहायि, नुनि जलदायिक द्वारा जलदायिक सहायि, 2008 (जलदायिक) के प्रदायक एवं जलदायिक एवं जलदायिक द्वारा जलदायिक के अनुभवि सहायि सहायि हेतु जलिन इन्फ्रास्ट्रक्चर केनेजमेट प्दान देया किता जाय प्रदायक है।

जलदायिक का यह है कि जलदायिक में जलिन जलदायिक द्वारा जलदायिक के पर्यावरणीय सहायिक के दोहन हेतु जलदायिक को कितायक एवं जलदायिक सहायिक सुनिहित किता जाय प्रदायक है।

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

समिति का मत है कि आसफ़ में जाने वाले छात्रों की आवश्यक परिस्थितियों को पर्यावरणीय शर्तों पर जाने वाले दुष्प्रभावों की रोकथाम हेतु आसफ़ में जाने वाली समस्त छात्रों को सम्मिलित करके हुए, आसफ़ हेतु सीमांत इन्फ़्रास्ट्रक्चर को जल्द ही बना दिया जाये जहाँ हेतु संसाधक, संसाधकत्व, नीतिगत तथा तकनीकी, इंटरनेट कनेक्ट, नया सड़क, अटल नगर, जिला - रायपुर (आसफ़) के साथ ही अन्यथा कार्यवाही किए जाये जल्द होना।

21. ई-ग्राईन्ट रिपोर्ट का विश्लेषण:-

1. जल एवं वायु आदि दुष्प्रभाव संबंधी जानकारी - सीमितता का रिपोर्ट 18/12/2018 से रिपोर्ट 18/03/2020 के लिए किया गया है। 10 किलोमीटर की अवधि 8 स्थलों पर पर्यावरणीय वायु गुणवत्ता-समय, 4 स्थलों पर सू-जल गुणवत्ता समय, 8 स्थलों पर ध्वनि स्तर समय, 2 स्थलों पर तापीय ध्वनि स्तर गुणवत्ता तथा 3 स्थलों पर मिट्टी के तट्टे परीक्षा का विश्लेषण किया गया है।
 2. सीमितता परीक्षाओं के अनुसार वि.एम्. 18.1 से 27.4 माईक्रोग्राम/घनमीटर, वि.एम्. 42.2 से 57.3 माईक्रोग्राम/घनमीटर, एस.डी. 8.2 से 8.4 माईक्रोग्राम/घनमीटर तथा एस.डी. 10.1 से 18.4 माईक्रोग्राम/घनमीटर पाई गई है। जो निर्धारित मानक के अनुसार है।
 3. पर्यावरणीय ध्वनि स्तर के अनुसार जल स्रोतों की गुणवत्ता भारतीय मानक के अनुसार है।
 4. पर्यावरणीय ध्वनि स्तर (Day time) 81.6 डीबीए से 91.6 डीबीए एवं रात्रि स्तर (Night time) 30.2 डीबीए से 33.2 डीबीए पाया गया। जो जल स्रोत के निर्धारित मानक के अनुसार है।
22. लोक सुमवाई दिनांक 18/03/2021 का 12:00 बजे स्थान पर प्रस्ताव मूल समीक्षा, तकनीक-समिति, जिला-परिषदों में प्रस्तुत हुई। लोक सुमवाई प्रस्तावित सदस्य समिति, तकनीकगत पर्यावरण संरक्षण मंडल, नया रायपुर अटल नगर, जिला-रायपुर के पत्र दिनांक 21/03/2021 द्वारा प्रेषित किया गया है।
23. जनसुमवाई के दौरान मुख्य रूप से निम्न मुद्दाएं/विचार प्रस्तुत किये गये हैं:-
- i. कालीन-कालादा में कालीचक्र खटने तकनीक 30 वर्षों से संचालित होना बताया गया किन्तु इन दिनों में खदान संरक्षण के नाम पर क्षेत्र का दोहन किया जा रहा है। क्षेत्र में जो खदानें 30-50 फीट या उससे भी अधिक गहराई में अधिक रूप से संचालित हो रही हैं, उन पर कालीन कार्यवाही किए जाने तथा इन खदानों को बालू द्वारा जमा कर लोगों को खदानें बंद कर इन खदानों को परदेख कर या पुनर्स्थापन के लिए प्रयत्न किया जाए। खदान संरक्षणों के द्वारा खदान की सुरक्षा के लिए प्रतिबंधित प्रदान किए जाने चाहिए। पर्यावरणीय समस्याओं में जारी हुए प्रमुख कार्य किए जाये एवं प्रशासन में अनुरोध है कि अधिक प्रशासन का दौरा कराये।
 - ii. खदानों संरक्षणों द्वारा कालीचक्र के परिवहन के लिए जल्द ही लंबे लंबे वाले सड़कों का रख-रखाव किया जाए।
 - iii. स्थानीय लोगों को रोजगार हेतु प्रयत्निका दी जाए।

जीव कुन्वाई के जीवन चक्र में सभी विभिन्न चरणों के निराकरण की दिशा में परिशोधन प्रभावक की ओर से उपस्थित प्रतिनिधि / कर्मचारी का काम निम्नानुसार है:-

1. जीव जीव की सभी जीव विभिन्न की जादगी। साथ ही 7.5 मीटर की परिधि एवं बहुत भार में पुनरोपण किया जाएगा। उपस्थित खदान की निम्नानुसार रकम-सहाय किया जाएगा।
 2. सड़कों का रकम-सहाय किया जाएगा तथा जल निष्कास किया जाएगा। बहुत भार में कितने पुनरोपण की व्यवस्था की जादगी।
 3. सहायीय जीवों को आवश्यकतानुसार सहायता हेतु व्यवस्था की जादगी।
24. कार्यविधि कार्यवाही प्रमाण- खदान की कर्मियों के पूर्व विभिन्न खदान के जल हेतु 10 मीटर की गहराई तक 8842 घनमीटर गहराई एक से एवं 5 मीटर की गहराई तक जीव जन बर्तन / अथवा मिट्टी से भरकर कर 200 नम पुनरोपण किया जाएगा प्रस्तावित है। जल हेतु कर्म मत्र प्रस्तुत किया गया है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरोक्त कार्यवाही से निम्नानुसार निर्देश दिया गया-

1. उपरोक्त कार्यवाही (उपस्थित कर्मचारी) जिन्हें-परीक्षाकृत के द्वारा प्रमाणक 88/18, सि./अ.स./म.क./2020-21 परीक्षाकृत, दिनांक 21/08/2021 के अनुसार आवेदन खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 44 खदानों तथा 34881 हेक्टेयर है। उपस्थित खदान (दाम-बासीन) का रकम 0.47 हेक्टेयर है। इस प्रकार उपस्थित खदान (दाम-बासीन) को निराकरण कुल रकम 25.101 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में उपस्थित / उपस्थित खदानों का कुल क्षेत्रफल 8 हेक्टेयर का जहाँ अधिक जीवों के कारण यह खदान की-1 केनी की गयी गयी।
2. भारत सरकार, पर्वतारोहण एवं जीव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी ई.आई.ए. अधिसूचना 2020 (जिसे संशोधित) के प्रावधानों एवं भारतीय एन.सी.टी. द्वारा जारी अधिसूचना संख्या में जल वाली खदानों की निराकरण प्रतिनिधियों से सहायकारीय खदानों पर करने वाले कुचनों की निराकरण हेतु प्रस्ताव में जल वाले समस्त खदानों को शामिल करती हुई, प्रस्ताव हेतु अधिनियम-कार्यवाही के निम्नलिखित प्राण तैयार किये जाने हेतु संघटक, संघटक, संघटक, सीमित तथा अधिनियम, इंटरनली मदन, तथा सहायक खदान गन्त, जिजा - सहाय (अधीनस्थ) के सार में उपरोक्त कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया जाद।
3. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरोक्त कार्यवाही से अवैधक - केसरी जल सटीक कार्य (सं- की सभी कुचन कार्य की दाम-बासीन, उपस्थित-उपस्थित, जिजा-परीक्षाकृत के समय क्रमिक 1312/1 एवं 1314/1 में स्थित जल सटीक (सीम अधिनियम) खदान, कुल क्षेत्रफल - 0.47 हेक्टेयर, जहाँ - 1380 टन प्रतिवर्ष हेतु सहायकारीय सीमाकृति दिद जाने की अनुमति की गई।
4. निराकरण करने के पूर्व अवैधक द्वारा क्षेत्र में उपस्थित मिट्टी 2.771 घनमीटर की सीमा सटीक 1818 घनमीटर एवं 10 मीटर गहराई क्षेत्र में आवश्यकतानुसार निराकरण करने के उपरोक्त अवैधक मिट्टी के निराकरण हेतु कर्म प्रतिनिधि से विभिन्न अनुमति प्राप्त की जाद तथा अनुमति की प्रति एम.ई. आई.ए.ए., पर्वतारोहण को प्रेषित की जाद।

प्रतिकरण द्वारा बैठक में विचार - उपरोक्त प्रकरण पर प्रविष्टता की दिनांक 24/08/2021 को संलग्न 112वीं बैठक में विचार किया गया। प्रविष्टता प्राप्त नहीं की जा सकी। विचार विभागाध्यक्ष प्रविष्टता प्राप्त अवसंधि से समिति की अनुमति को स्वीकार करते हुए अवसंधि - मेसर्स प्रवीण एटोम सर्विस (प्रा.) - की शीश कुप्रास (प्रा.) की धान-बल्ला, लक्ष्मी-सवित्र, विद्या-सवित्र के प्रमाण क्रमांक 1312/1 एवं 1314/1 में स्थित खेतों में (नीचे वर्णित) खदान, कुल क्षेत्रफल - 0.47 हेक्टेयर, अन्वय - 1,200 टन प्रतिवर्ष हेतु निम्न आर्थिक शर्तों को अंतिम पर्याप्ततः स्वीकृति जारी करने का निर्णय लिया गया -

"खदान बंद होने के कारण खदान की खरीद तत्काल प्रस्तावित की जाये-तब तक खदान की खरीद में अडिच न पड़े अथवा अन्य, जिससे कुछ खदान/भूमि अथवा व सिस्टम को रोक जा सके"

प्रविष्टता प्रस्तावक को पर्याप्ततः स्वीकृति जारी किया जाए।

7. मेसर्स बल्ला प्रवीण एटोम सर्विस (प्रा.) - की कुप्रास (प्रा.) धान-बल्ला, लक्ष्मी-सवित्र, विद्या-सवित्र (प्रविष्टता प्राप्त नहीं क्रमांक 878)

जीएआईएन आवेदन - पूर्व में उपरोक्त तथा - एमआईए/ सीडी/ एमआईए/ 82888/2018 दिनांक 24/10/2018 द्वारा टी.जी.आर. हेतु अर्जित किया गया था। आवेदन में उपरोक्त तथा - एमआईए/ सीडी/ एमआईए/ 82888/ 2020 दिनांक 07/08/2021 द्वारा पर्याप्ततः स्वीकृति प्राप्त करने हेतु ई.आई.ए. सिस्टम प्रस्ताव की गई है।

प्रस्ताव का विवरण - यह प्रस्तावित खेतों में (नीचे वर्णित) खदान है। खदान धान-बल्ला, लक्ष्मी-सवित्र, विद्या-सवित्र के निम्न प्रमाण क्रमांक 15, कुल क्षेत्रफल - 0.43 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित अन्वय अन्वय - 704.52 टन प्रतिवर्ष है।

एमआईएसी, प्रवीणसर्व के प्रमाण दिनांक 08/02/2020 द्वारा प्रकरण सी-1 अंतर्गत की जाने वाली कार्रवाई परामर्श, परामर्श, एवं और अन्वय परामर्श प्रमाणित द्वारा अंतर्गत 2018 में प्रस्तावित परामर्श अन्वय अंतर्गत (टी.जी.आर.) और ई.आई.ए./ई.ए.सी. सिस्टम और एमआईए/एमआईएसी प्रस्तावित अन्वय अंतर्गत ई.आई.ए. सिस्टम अन्वय, 2020 में अर्जित करने हेतु का परामर्श टी.जी.आर. (लेख कुप्रास सर्विस) और अंतर्गत परामर्श अन्वय हेतु टी.जी.आर. जारी किया गया।

परिष्कार प्रस्तावक को एमआईएसी, प्रवीणसर्व के प्रमाण दिनांक 21/08/2021 द्वारा अनुमति हेतु सुचित किया गया।

बैठक का विवरण -

(अ) समिति की 173वीं बैठक दिनांक 21/08/2021:

अनुमति हेतु की कुप्रास (प्रा.) धान-बल्ला तथा परामर्श प्रस्तावक मेसर्स बल्ला प्रवीण एटोम सर्विस (प्रा.) कुप्रास (प्रा.) की शीश कुप्रास (प्रा.) की धान-बल्ला, लक्ष्मी-सवित्र, विद्या-सवित्र के प्रमाण की उपस्थिति हेतु। समिति द्वारा प्रस्ताव प्रमाणित का अन्वय एवं अन्वय करने पर निम्न स्थिति आई गई-

1. पूर्व में जारी पर्याप्ततः स्वीकृति संबंधी विवरण- इस खदान की पूर्व में पर्याप्ततः स्वीकृति जारी नहीं की गई है।

2. ग्राम पंचायत का अनामति प्रमाण पत्र — राजस्व की संख्या में ग्राम पंचायत संभागा विनांक 14/07/2014 का अनामति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
3. परस्वामन खोजना — माईमिड प्लान (खारी प्लान, इन्फार्मेटिव मैनेजमेंट प्लान प्लान खारी खरीदर प्लान) प्रस्तुत किया गया है, जो उप संकलक (अभिप्रेत), सहायक सचिव, सीनियर तथा सचिव, नया सचयु अटल नगर, जलसंधारण की द्वारा अनांक 8807-08/सचि 02/साप.अनुसंधान/न.क.03/2018 तथा सचयु अटल नगर, दिनांक 14/10/2018 द्वारा अनुमोदित है।
4. 300 मीटर की परिधि में निम्न खदान — कार्यालय कार्बोटा (अभिप्रेत साखा), जिला-परियाबंद की द्वारा अनांक 83/सचि./ज.स./न.क./2020-21 परियाबंद, दिनांक 31/03/2021 को अनुमति अनामति खदान की 300 मीटर की सीमा अनामति 88 खदानों संख्या 34721 इस्तेमाल है।
5. 300 मीटर की परिधि में निम्न सार्वजनिक क्षेत्र/असहकार — कार्यालय कार्बोटा (अभिप्रेत साखा), जिला-परियाबंद की द्वारा अनांक 752/अभिप्रेत/न.क./2018 परियाबंद, दिनांक 18/11/2018 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुमति अनामति खदान की 300 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, मच्छ, अनामति, पत्थर, पुर, धंध, एनिकट एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।
6. भूमि एवं प्ल.जी.आई. संकली विवरण — भूमि आवेदन की संख्या 04 है, जिसमें प्ल.जी.आई. कार्यालय कार्बोटा (अभिप्रेत साखा) जिला-परियाबंद की द्वारा अनांक 244/सचि./ई.पि.वि.प./2018-19 परियाबंद, दिनांक 27/04/2018 द्वारा जारी की गई, जिसकी प्रकृत जारी दिनांक से 6 महीने की अवधि तक की। प्ल.जी.आई. की प्रकृत प्रकृत अनामति सहायक सीनियर तथा सचिव, नया सचयु अटल नगर की पुनरीक्षण प्रकृत अनांक 20/2020 द्वारा जारी प्रति अनामति दिनांक 04/11/2020 की प्रति प्रस्तुत की गई है जिसमें अनुमति विवेचना की आधार पर पुनरीक्षण प्रकृत अनामति अनामति होने, जिला कार्यालय (अभिप्रेत साखा), परियाबंद की पत्र दिनांक 27/04/2018 द्वारा जारी आधार पत्र में निर्दिष्ट शर्तों का पालन पुनरीक्षणकर्ता की सुझावी पत्र पत्र, पत्र-बलांक, सहायक-सचिव, जिला-परियाबंद द्वारा कर लिये जाने की स्थिति में जलसंधारण साखा, अभिप्रेत साखा विभाग द्वारा जारी अधिसूचना अनांक एन 8-42/2012/12, दिनांक 26/08/2020 की परिधि में जलसंधारण सीनियर सचिव, 2018 की प्रकृत 42(8) के अनामति अनामति प्रकृत में विभागपुत्र अनामति कार्यवाही करने हेतु अधिसूचना समवायि खदान अनामति प्रकृत अनामति कार्बोटा, जिला परियाबंद की प्रकृत अनामति किया जाता है। अनामति पत्र है।
7. डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट — वर्ष 2018 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
8. ग्राम विभाग का अनामति प्रमाण पत्र — कार्यालय पंचायतसमवायिअनामति, परियाबंद नगरपालिका परियाबंद, जिला-परियाबंद की द्वारा अनांक /सचि./अनामति/8308 परियाबंद, दिनांक 20/11/2018 की जारी अनामति प्रमाण पत्र अनुमति अनामति अनामति अनामति भूमि की सीमा की 2.5 कि.मी. तथा अनामति अनामति 88 कि.मी. की दूरी पर है।

8. **सड़कपूर्ण संरचनाओं की दूरी** - निम्नलिखित आंकड़ों का ब्यौता 0.48 कि.मी., कुल ब्यौता-बसंत 0.78 कि.मी. एवं असातल विनोद 3.2 कि.मी. की दूरी का किया है। राष्ट्रीय राजमार्ग 11.8 कि.मी. एवं राजमार्ग 2.8 कि.मी. दूर है। कुल नदी 3.8 कि.मी. एवं राजम 0.88 कि.मी. दूर है।
9. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** - परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की दूरी में अंतरराष्ट्रीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, जलवायु, केंद्रीय प्रमुख निबंधन क्षेत्रों द्वारा संरक्षित जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र, परिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र का संरक्षित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होता प्रमाणित किया है।
11. **खनन क्षेत्रों एवं खनन का विवरण** - निम्नलिखित विवरण अनुसार 12,240 टन, सड़कपूर्ण विवरण अनुसार 3,477 टन एवं निम्नलिखित विवरण अनुसार 3,300 टन है। खनन की 7.5 मीटर चौड़ी खनन पट्टी (अखनन के लिए प्रमाणित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 1,182 वर्गमीटर है। खनन कार्य में कुल विधि की आवश्यकता है। अखनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 12 मीटर है। खनन क्षेत्र में खनन स्थिति नहीं है एवं इसकी स्थापना का प्रस्ताव नहीं किया गया है। कुपटी विवरण की गहराई 5 मीटर है तथा कुल मात्रा 3,312 वर्गमीटर है। क्षेत्र की चौड़ाई 3 मीटर एवं लंबाई 3 मीटर है। खनन की संभावित आयु 3 वर्ष है। खनन प्रस्तावित प्रस्ताव का विवरण निम्नानुसार है-

वर्ष	प्रस्तावित प्रखनन (टन)
प्रथम	704
द्वितीय	681
तृतीय	683
चतुर्थ	677
पंचम	688

- नोट: गणितों में प्रस्तावकों के बंधन के अंतर्गत का सत्यापन किया गया है।
12. **जल आपूर्ति** - परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 8.78 वर्गमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति घण्टा प्रचारात द्वारा टैंकरों के सहाय में की जाएगी। इस संबंध में प्रस्तावक को सहायता एवं सहायता एवं सहायता एवं सहायता किया गया है।
13. **पुनरावेषण कार्य** - खनन क्षेत्र के कार्य क्षेत्र 7.5 मीटर कुल क्षेत्र में 228 वर्ग मीटर क्षेत्र सड़कपूर्ण क्षेत्र (1,852 वर्गमीटर) में 600 वर्ग (कुल 884 वर्ग) पुनरावेषण प्रदान करने में ही किया जाएगा।
14. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** - परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति को सहाय विवरण में कार्य प्रस्ताव निम्नानुसार स्वीकार प्रस्ताव किया गया है-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

10.73	2%	0.21	Following activities at Government Primary School Village - Barbhata	
			Potable Drinking water Facility with 5 years AMC Provision	0.25
			Total	0.28

15. पर्यावरण के जीवन परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि जल की सफाई कर देने के कारण उपचार किया जाना संभव नहीं है। जल कुल 3.201 वर्गमीटर क्षेत्र को गैर सड़कित क्षेत्र चिह्नित किया गया है। जल क्षेत्र में टॉप सॉइल को पृथक कर पुनरोपयोग किया जाना प्रस्तावित है।

16. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण के द्वारा बताया गया है कि कुल जल मिट्टी 3.312 वर्गमीटर जलित होगा। आवासीय-कार्यालय जल मिट्टी को 1.3 मीटर (सड़क सड़क) एवं गैर सड़कित क्षेत्र में 3.201 वर्गमीटर जल मिट्टी को 0.8 मीटर से 1 मीटर सड़क तक पृथक कर पुनरोपयोग किया जाना प्रस्तावित है तथा जल मिट्टी को सफाई जल नुमि या संशुद्ध करने हेतु सफाई प्रणाली से अनुसंधित प्रणाली संशुद्धित किया जाएगा।

17. खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में कक्षाएं - पर्यावरण के जीवन परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि जीव क्षेत्र की सारी क्षेत्र 7.5 मीटर की सीमा पट्टी का कुल क्षेत्रफल 170.3 वर्गमीटर क्षेत्र है, जिसमें से 90 वर्गमीटर क्षेत्र 5 मीटर गहराई तक संशुद्धित है। परियोजना पूर्ण से उपरिष्ठ क्षेत्र को पुनरोपयोग कर पुनरोपयोग कर कार्य किया जाएगा। जल परियोजना का सफाई जल हेतु अनुसंधित सड़कित क्षेत्र प्रस्तुत किया गया है।

18. परियोजना है कि सफाई प्रणाली, जल एवं उपकरण सीलिंग प्रणाली, सड़क क्षेत्रों द्वारा जीव क्षेत्र सड़कित क्षेत्रों हेतु सफाई प्रणालीय सड़कित क्षेत्रों की गई है। सड़क क्षेत्रों के अनुसार-

"The Project Proponent shall develop greenbelt in 7.5m wide safety zone all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. The whole green belt shall be developed within first 5 years starting from windward side of the active mining area. The development of greenbelt shall be governed as per the EC granted by the Ministry irrespective of the stipulation made in approved mine plan."

जल सफाई सड़क के अनुसार सड़कित क्षेत्रों की जल 7.5 मीटर चौड़ी सीमा क्षेत्र में पुनरोपयोग किया जाना प्रस्तावित है।

19. सफाई हेतु कोमन इन्फ्रास्ट्रक्चर केनेजमेंट प्रणाली- परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि सफाई में कुल 48 खदानें जारी हैं। वर्तमान में 8 खदानों को सड़कित, जारी की गई है, जिसमें द्वारा पर्यावरणीय सड़कित क्षेत्रों को सफाई किया गया है। क्षेत्र 37 खदानों को पूर्ण से ही पर्यावरणीय सड़कित क्षेत्र होने के कारण सफाई द्वारा कोमन इन्फ्रास्ट्रक्चर केनेजमेंट प्रणाली से सफाई करने हेतु सड़कित क्षेत्रों को सड़कित क्षेत्रों में सफाई पर्यावरणीय सड़कित क्षेत्रों को सफाई 8 खदानों द्वारा कोमन इन्फ्रास्ट्रक्चर केनेजमेंट प्रणाली प्रस्तुत किया गया है। कोमन इन्फ्रास्ट्रक्चर केनेजमेंट प्रणाली के सड़कित क्षेत्रों को सफाई प्रस्तावित है-

1. अनुभव निवृत्त हेतु पत्रिकाओं की वीरान कक्षाओं/एड्रेस रीड के प्रारम्भ रूप प्रकाशन के निवृत्त हेतु जल विभाग, 4 कि.मी. तक पहुँच मार्ग हेतु अनुमानित राशि 2,40,000/- अंतिम रूप किया जाएगा।
2. गांव के पहुँच मार्ग के दोनों तरफ 4 कि.मी. तक एक से कम की कक्षा में प्रकाशन हेतु अनुमानित राशि 12,84,750/- प्रथम वर्ष में व्यय किया जाएगा। इसके अतिरिक्त आगामी चार वर्षों तक एक एक-एकान हेतु अनुमानित राशि 4,14,850/- व्यय किया जाएगा।
3. इन्फ्रास्ट्रक्चर मॉनिटरिंग हेतु अनुमानित राशि 80,000/- अंतिम रूप किया जाएगा।
4. सड़कों का संभाल (Road Maintenance) हेतु अनुमानित राशि 2,00,000/- अंतिम रूप किया जाएगा।
5. पर्यावरणीय वायु, जल, मिट्टी एवं ध्वनि गुणवत्ता की मॉनिटरिंग हेतु अर्धवार्षिक मॉनिटरिंग कार्य (Half Yearly Environment Monitoring) किया जाएगा।
6. वकालत हेतु प्रथम वर्ष वर्ष की विस्तृत कार्ययोजना की प्रस्ताव कक्षा हेतु अनुमानित राशि करीब 22,08,400/- व्यय करण प्रस्तावित किया गया है। वकालत हेतु समय पर भी प्रस्तुत किया गया है। अंतिम इन्फ्रास्ट्रक्चर मॉनिटरिंग प्रारंभ के विचार-व्यवस्था हेतु समिति द्वारा कक्षाओं काया की गई।
7. मॉनिटरिंग हेतु 12 लोगों की मॉनिटरिंग समिति का गठन करण प्रस्तावित है।

20. भारत सरकार, नवीन, एन और प्रस्ताव परीक्षण संस्थाओं, नई दिल्ली द्वारा जारी ई.आई.ए. अंतिम, 2008 (एनए संशोधित) के प्रस्तावों एवं प्राथमिक एवं जी.टी. द्वारा जारी आदेश के अनुसार सम्पूर्ण कन्स्ट्रक्शन हेतु अंतिम इन्फ्रास्ट्रक्चर मॉनिटरिंग प्रारंभ किया जाना आवश्यक है।

समिति का मत है कि कन्स्ट्रक्शन में शामिल सभी खदानों द्वारा खनन के पर्यावरणीय दुष्प्रभावों की रोकथाम हेतु खदानों की विलीन एवं वार्षिक सहायिता सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है।

समिति का मत है कि कन्स्ट्रक्शन में जाने वाले खदानों की आवश्यक मॉनिटरिंगों में पर्यावरणीय प्रभावों का पहचान करने वाले दुष्प्रभावों की रोकथाम हेतु कन्स्ट्रक्शन में जाने वाली कक्षा खदानों को शामिल करते हुए, कन्स्ट्रक्शन हेतु अंतिम इन्फ्रास्ट्रक्चर मॉनिटरिंग प्रारंभ किया जाना हेतु आवश्यक, संसाधन, मॉनिटरिंग तथा कनिष्ठ, इलाका मन्त्र, तथा समुदाय अंतर्गत प्राप्त किया - समुदाय (प्रतीभा) के साथ से अनुसूचित कार्यवाही किया जाना उचित होगा।

21. ई.आई.ए. रिपोर्ट का विलेखन-

1. जल एवं वायु आदि गुणवत्ता संबंधी जानकारी - मॉनिटरिंग कार्य दिनांक 18/12/2018 से दिनांक 10/03/2020 के बीच किया गया है। 10 डिग्रीसेंटर के अंतर्गत 8 खानों पर पर्यावरणीय वायु गुणवत्ता मापन, 4 खानों पर भू-जल गुणवत्ता मापन, 8 खानों पर ध्वनि मापन, 3 खानों पर सड़की जल गुणवत्ता तथा 3 खानों पर मिट्टी की नमूने प्रदर्शित कर विलेखन किया गया है।

क. सीमेंटिंग परिधानों के अनुसार पीएच₂ 18.1 से 21.4 माईक्रोग्राम/घनमीटर, पीएच₁₀ 42.2 से 47.3 माईक्रोग्राम/घनमीटर, एनडी₂₅ 6.2 से 8.4 माईक्रोग्राम/घनमीटर तथा एनडी₁₀₀ 10.1 से 18.4 माईक्रोग्राम/घनमीटर पाई गई है। जो निर्धारित मानक के अनुसार है।

ख. परिवर्तनक स्थल से आसपास जल स्रोतों की गुणवत्ता पर्याप्त मानक के अनुसार है।

ग. परिवर्तनीय स्थिति का (Day One) 41.8 सीसीए से 51.8 सीसीए एवं डेल्टा स्तर (Delta One) 23.3 सीसीए से 29.3 सीसीए पाया गया। जो मानक क्षेत्र के निर्धारित मानक के अनुसार है।

22. लोक गुनवाई दिनांक 05/02/2021 प्रायः 1200 बजे स्थल पर पर्याप्त मानक अनुसार पर्यवेक्षण-रखिर, जिला-परिष्कारक से सम्बन्ध हुई। लोक गुनवाई पर्याप्त रूप से सख्त, पर्यवेक्षण पर्याप्त रूप से सख्त, जो सख्त अटल सख्त, जिला-सख्त के एक दिनांक 21/02/2021 द्वारा प्रेषित किया गया है।

23. जनसुनवाई के दौरान मुख्य रूप से निम्न मुद्दा/विषय प्रस्तुत किये गये हैं:-

1. बस्ती-आसपास में पर्याप्त रूप से पर्यवेक्षण 30 मीटर के संघटित क्षेत्र स्थापित किया किन्तु इतने दिनों में बस्ती-आसपास के पत्र पर क्षेत्र का पर्यवेक्षण किया जाता रहा है। क्षेत्र में जो बस्ती 50-60 मीटर या उससे भी अधिक गहराई में अधिक रूप से संघटित हो रहे हैं, उन पर पर्यवेक्षण कार्यवाही किए जाने तथा उन बस्ती के स्थल द्वारा जमा कर लोगों को स्थली पर्यवेक्षण का उन बस्ती के पर्यवेक्षण उन पर सुधारोपचार के लिए पर्यवेक्षण किया जाय। बस्ती-आसपास के द्वारा पर्यवेक्षण की मुख्य के लिए पर्यवेक्षण जमा किए जाने चाहिए। पर्याप्त रूप से पर्यवेक्षण में जो कुछ बस्ती कार्य किया जाये एवं बस्ती में अनुरोध है कि अधिक पर्यवेक्षण पर रोक लगाये।

2. बस्ती-आसपास के द्वारा पर्यवेक्षण के पर्यवेक्षण के लिए बस्ती में जाये जाने वाले बस्ती का एक-एक किया जाय।

3. बस्ती-आसपास के पर्यवेक्षण हेतु पर्यवेक्षण की जाय।

लोक गुनवाई के दौरान बस्ती पर्यवेक्षण के विभिन्न मुद्दों के निराकरण की दिशा में पर्यवेक्षण पर्याप्त की ओर से पर्यवेक्षण कार्यवाही/कॉन्सर्ट का काम निम्नानुसार है:-

1. लोक क्षेत्र के छोटे क्षेत्र पर्यवेक्षण की जाय। तथा ही 7.5 मीटर की पर्यवेक्षण एवं पर्यवेक्षण में सुधारोपचार किया जायेगा। पर्यवेक्षण बस्ती के निम्नानुसार एक-एक किया जायेगा।

2. बस्ती का एक-एक किया जाय तथा जमा पर्यवेक्षण किया जाय। पर्यवेक्षण के लिए सुधारोपचार की व्यवस्था की जाय।

3. बस्ती-आसपास के पर्यवेक्षण हेतु पर्यवेक्षण की जाय।

24. माईक्रो बस्ती-आसपास पर्यवेक्षण- बस्ती-आसपास के पर्यवेक्षण बस्ती के बस्ती हेतु 7 मीटर की गहराई तक 1.000 घनमीटर बस्ती-आसपास से एवं 3 मीटर की गहराई तक बस्ती-आसपास/घनमीटर की बस्ती-आसपास का सुधारोपचार किया जाय पर्यवेक्षण है। तथा हेतु बस्ती-आसपास पर्यवेक्षण किया गया है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरोक्त सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्धारित किया गया—

1. कार्यलय बरखोटा (अभिन्न गांधी) जिला-परिषद के द्वारा क्रमांक 43/स. वि./अ.स./न.क./2020-21 परिषद, दिनांक 31/08/2021 के अनुसार आवंटित खदान में 600 मीटर की सीमा आवंटित 44 खदानें तथा 34721 हेक्टेयर हैं। आवंटित खदान (ग्राम-बरखोटा) का क्षेत्र 0.43 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवंटित खदान (ग्राम-बरखोटा) की मिलावन कुल क्षेत्र 35182 हेक्टेयर है। खदान की सीमा की 500 मीटर की परिधि में स्थित/समाहित खदानों का कुल क्षेत्रफल 9 हेक्टेयर का उसी अधिक होने के कारण यह खदान की-1 वर्गी की वर्गी की गई।
2. गांधी जिला, पर्यटन, एवं और आवागु परिवहन बजट, गई दिल्ली द्वारा जारी ई.आई.ए. अधिसूचना, 2008 (फस आवंटित) के प्रावधानों एवं भारतीय एवं की.टी. द्वारा जारी आदेश के अनुसार बरखोटा में खाने वाली खदानों की संरक्षण प्रतिविधि से पर्यावरणीय खदानों पर पहले वाले दुष्प्रभावों को संरक्षण हेतु बरखोटा में खाने वाली खदान खदानों को शामिल करते हुए, बरखोटा हेतु अभिन दुष्प्रभावों में से खदानों पर खाने वाले दुष्प्रभावों को संरक्षण, संरक्षण, भीमिकी तथा खाने, दुष्प्रभावों को, नया खदानों खदान, जिला - रायपुर (अभिन्नगांधी) के साथ से पर्यावरण को खाने वाले हेतु निर्धारित किया जाए।
3. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरोक्त सर्वसम्मति से आवंटित - नया बरखोटा खाने स्टोन फॉर्म (अ-बी) कुल क्षेत्र 15 हेतु की ग्राम-बरखोटा, तहसील-परिषद, जिला-परिषद के द्वारा क्रमांक 15, में जिला खाने स्टोन (पीन खाने) खदान, कुल क्षेत्रफल - 0.43 हेक्टेयर, क्षेत्र - 704 एवं खाने हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुमति की गई।
4. संरक्षण प्राप्त करने के पूर्व आवंटित द्वारा क्षेत्र में खाने स्टोन 3,318 टन/मीटर की सीमा बढ़ती 1,188 टन/मीटर एवं क्षेत्र 1,188 टन/मीटर क्षेत्र में खाने स्टोन/पर्यावरण संरक्षण करने के उपरोक्त आवंटित स्टोन की संरक्षण हेतु खाने खाने की विधि अनुमति प्राप्त की जाए तथा अनुमति की प्रति ए.आई.ए. अधिसूचना को प्रेषित की जाए।
5. 1.5 मीटर की सीमा बढ़ती में आवंटित क्षेत्र की 15 मीटर की सीमा सुलभता किया जाएगा।

प्रतिक्रमा द्वारा क्षेत्र में विचार - उपरोक्त प्रकरण पर प्रतिक्रमा की दिनांक 24/08/2021 के अन्तर्गत 112वीं बैठक में विचार किया गया। प्रतिक्रमा द्वारा जारी का आवंटित किया गया। विचार विमर्श उपरोक्त प्रतिक्रमा द्वारा सर्वसम्मति से समिति की अनुमति को खाने करते हुए आवंटित - नया बरखोटा खाने स्टोन फॉर्म (अ-बी) कुल क्षेत्र 15 हेतु की ग्राम-बरखोटा, तहसील-परिषद, जिला-परिषद के द्वारा क्रमांक 15, में जिला खाने स्टोन (पीन खाने) खदान, कुल क्षेत्रफल - 0.43 हेक्टेयर, क्षेत्र - 704 एवं खाने हेतु निम्न खाने वाले की खाने पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने का निर्धारित किया गया—

खदान बंध होने के उपरोक्त खदान की खाने तक सुलभता के साथ-साथ खाने की क्षेत्र में खाने व खाने खाने खाने, खाने खाने खाने/भूमि खाने व खाने खाने की खाने खाने

प्रतिक्रमा प्रस्ताव को पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किया जाए।

8. वेसर्ली बल्थाडा फ्लेम स्टोन साईन (प्रो.- सी आरनरड यदु) बाग-बल्थाडा, तहसील-राजिम, जिला-परिधामंद (स्वविभाजन का नया क्रमांक 882)

अनसाईन आवंटन - पूर्व में आवंटन नंबर - एलआईए/ सीसी/ एमआईएन/ 45232/2019 दिनांक 24/10/2019 द्वारा टी.डी.आर. हेतु आवंटन किया गया था। वर्तमान में आवंटन नंबर - एलआईए/ सीसी/ एमआईएन/ 45236/ 2020, दिनांक 27/08/2021 द्वारा पारिवारिक सीक्युरिटी प्लान बनाने हेतु ई.आई.ए. रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है।

प्रस्ताव का विवरण - यह प्रस्तावित फ्लेम स्टोन (ग्रीन खनिज) खदान है। खदान बाग-बल्थाडा, तहसील-राजिम, जिला-परिधामंद जिला काला क्रमांक 4/1, कुल क्षेत्रफल - 1.38 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवंटित आकलन क्रमांक - 8887.38 एम एरिया है।

एल.ई.ए.सी., प्रतीसमद के द्वारा दिनांक 03/02/2020 द्वारा प्रस्ताव की-4 सेक्टरों का क्षेत्र को काला भाग काला, राजिम, डल और बालागु परिवर्तन संसाधन द्वारा अप्रैल, 2018 में प्रस्तावित स्टैन्डर्ड एम्स और विटरेस (टी.डी.आर.) और ई.आई.ए./ई. एम.पी. रिपोर्ट और प्रोजेक्ट्स/एक्टिविटीज निष्पादन इन्सायरमेंट कमीशन क्रमांक ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2008 में खनिज क्षेत्रों 1(0) का स्टैन्डर्ड टी.डी.आर. (जोकि एमआईएन/सीसी) नॉन कोल साईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु टी.डी.आर. जारी किया गया।

परिधामंद प्रशासक की एल.ई.ए.सी., प्रतीसमद के द्वारा दिनांक 21/08/2021 द्वारा अनुमोदित हेतु भूमि किया गया।

बीटक का विवरण -

(अ) समिति की 37वीं बीटक दिनांक 31/08/2021

अनुमोदित हेतु की आरनरड यदु, प्रो.साईनर तथा परिवर्तन संसाधन वेसर्ली बल्थाडा लेवीस्ट्रीक आईवेट लिमिटेड, कुनेवार की ओर से डॉ. मधुसूता देवा सिद्धी कोलंबेशियन के अध्यक्ष से उपस्थित हुए। समिति द्वारा नया प्रस्तुत जानकारी का आकलन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति आई गई-

1. पूर्व में जारी पारिवारिक सीक्युरिटी संबंधी विवरण- इस खदान की पूर्व में पारिवारिक सीक्युरिटी जारी नहीं की गई है।
2. बाग बल्थाडा का अनाकलित इमाण बर - प्रस्ताव की संख्या में बाग बल्थाडा प्रमाण का दिनांक 14/07/2014 का अनाकलित प्रमाण बर प्रस्तुत किया गया है।
3. परखनन बीजना - साईनिंग प्लान (नया प्लान, इन्सायरमेंट कमीशन प्लान एम.पी. कमीशन प्लान) प्रस्तुत किया गया है, जो एम बंधावक (खनि.उप.सं), संसाधन, परिवर्तन तथा खनिज, नया बागु अटक नंबर, प्रतीसमद के द्वारा क्रमांक 8801-02/खनि 02/मा.स.अनुमोदन/न.क.03/2018 तथा बागु अटक नंबर, दिनांक 14/10/2018 द्वारा अनुमोदित है।
4. 300 मीटर की परिधि में विधत खदान - कार्यलय कलेक्टर (खनिज सारंग), जिला-परिधामंद के द्वारा क्रमांक 78/खनि./ख.स./न.क./2020-21 परिधामंद, दिनांक 31/08/2021 के अनुसार आवंटित खदान से 300 मीटर की सीमा उपस्थित 44 खदानों का क्रमांक 88781 हेक्टेयर है।

5. 300 मीटर की परिधि में विधत कार्बनिक बोर/संरचनाएं - कार्यलय कलेक्टर (खनिज सारंग), जिला-परिधामंद के द्वारा क्रमांक 788/खनि./न.क. 2021

/2018 गरिबाबंद, दिनांक 18/11/2018 द्वारा जारी अन्वय पत्र अनुसार उक्त अन्वय से 200 पीटन की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, मठ, अस्पताल, स्कूल, पुस्तकालय, पार्क, बस, एसीआर एवं अन्य आयुर्षि जैसी परियोजना क्षेत्र निर्धारित नहीं है।

6. एल.ओ.आयू, आबादी विवरण - एल.ओ.आयू, कार्यालय इन्फोर्टर (खनिज शाखा) डिण्ड-परिषद के अन्वय क्रमांक 232/खनि/ई गिबिटा/2018-19 गरिबाबंद दिनांक 27/04/2018 द्वारा जारी की गई, जिसकी प्रतिलिपि जारी दिनांक से 8 महीने की अवधि तक की। एल.ओ.आयू की प्रतिलिपि वृद्धि अर्थात् पुनः आवासीय आवासीय नीतिहीन तथा खनिज, तथा राष्ट्रीय अन्वय पत्र के पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक 18/2020 द्वारा जारी करित आदेश दिनांक 04/11/2020 की प्रति अनुसूची की गई है जिसके अनुसार विवेचना के आधार पर पुनरीक्षण प्रकरण परीक्षण कराई हुई, जिला कार्यालय (खनिज शाखा), परिषद के पत्र दिनांक 27/04/2018 द्वारा जारी आदेश पत्र में निर्दिष्ट कर्तव्य का पालन पुनरीक्षणकर्ता की आवश्यक वस्तु, निवासी राम बाशीन, विकासखण्ड सिनेरबंद जिला गरिबाबंद द्वारा कर जिसे जाने की विधि में अतीतमद शासन, खनिज सार्वजनिक विभाग द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक एफ 8-82/2012/12, दिनांक 28/08/2020 के परिधान में अतीतमद यौग खनिज नियम, 2015 के नियम 82(5) के तहत प्रकाश प्रकरण में निष्पत्तिसार अधिसूचना जारी करने हेतु अतिरिक्त समयावधि प्रदान करती हुई प्रकरण अन्वय, जिला परिषद के आदेशों के अन्तर्गत किया जाता है।" द्वारा बताया गया है।
7. न्यू-स्वामिन् - नूनि की संख्याएं वस्तु के नाम पर हैं। प्रमाणन हेतु नूनि जारी कर आवृत्ति पत्र प्रस्तुत किया गया है।
8. डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट - वर्ष 2018 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
9. वन विभाग का अनुमति प्रमाण पत्र - कार्यालय वनसंरक्षणविभाग, परिषद वनसंरक्षण परिषद, डिण्ड-परिषद के अन्वय क्रमांक /खनि/अनुमति/2020 गरिबाबंद दिनांक 20/11/2018 को जारी अनुमति प्रमाण पत्र अनुसार आवृत्ति क्षेत्र वन नूनि की सीमा से 2.5 कि.मी. तथा वनसंरक्षण आवासीय 81 कि.मी. की दूरी पर है।
10. महापूरण संरचनाओं की दूरी - विद्यमान आबादी वन-संरक्षण 0.8 कि.मी., स्कूल वन-संरक्षण 0.8 कि.मी. एवं अन्वयण विभाग 2.3 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 11.8 कि.मी. एवं राजमार्ग 2.7 कि.मी. दूर है। स्कूल की दूरी 2.7 कि.मी. एवं राजमार्ग 0.78 कि.मी. दूर है।
11. पारिस्थितिकीय/जैववैविध्यता संवेदनशील क्षेत्र - परियोजना आवासीय द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अन्वय-जैविक सीमा, राष्ट्रीय अन्वय, अन्वयण, संदीय अन्वयण विभाग क्षेत्र द्वारा घोषित खनिजों की परियोजना एनिए, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैववैविध्यता क्षेत्र किया नहीं होगा जैववैविध्य क्षेत्र है।
12. खनिज संयंत्र एवं खनिज का विवरण - डिप्लोमा/विभाग रिपोर्ट अनुसार 328,400 टन, आईएनएस रिपोर्ट अनुसार 1,98,368 टन एवं विद्यमान रिपोर्ट अनुसार 1,31,368 टन है। क्षेत्र की 7.5 पीटन चौड़ी सीमा प्रती (अन्वयण के अनुसार)

सिंधु प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 2,813 वर्गमीटर है। अंग्रेज काल में कुल सिंधु की उपखनन किया जाएगा। उपखनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 15 मीटर है। जमीन क्षेत्र में अक्षा अक्षयित नहीं है एवं इसकी जमावत का प्रभाव नहीं किया गया है। जमीन मिट्टी की गहराई 3 मीटर है जब कुल गांवा 44,114 घनमीटर है। क्षेत्र की अक्षाई 3 मीटर एवं लंबाई 3 मीटर है। उपखनन की संभवित अनु. 10 वर्ष है। वर्षवार प्रस्तावित उपखनन का विवरण निम्नानुसार है:-

वर्ष	प्रस्तावित उपखनन (टन)
प्रथम	15,120
द्वितीय	15,987
तृतीय	15,380
चतुर्थ	14,872
पांच	15,280
षट्ठी	14,603
सातवीं	15,387
आठवीं	14,882
नौवीं	15,388
दसवीं	15,027

नोट: पहिले में उपखनन के बाद की जमीन का सुदृढीकरण किया गया है।

13. **जल अक्षुण्ण** - परिशोधन हेतु आवश्यक जल की मात्रा 0.48 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की अक्षुण्ण काम संभवता द्वारा टैंक की सहायता से की जाएगी। इस बांध का काम संभवता का अक्षुण्ण काम सहजता से प्रस्तुत किया गया है।
14. **दूधरोपण खाई** - सीमा क्षेत्र की गांवी क्षेत्र 1.3 मीटर गूरी क्षेत्र में 700 मल दूधरोपण खाई लगे में ही किया जाएगा।
15. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** - परिशोधन प्रस्तावक द्वारा सी.ई. आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति की समझ विचार से सभी उपरोक्त निम्नानुसार प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
25.41	2%	0.51	Following activities at Government Middle School, Village - Barhata	
			Rain Water Harvesting	1.05
			Total	1.05

16. परिशोधन प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुतकरण की द्वारा बताया गया है कि कुल जमीन मिट्टी 44,114 घनमीटर जमीन होगा। आवश्यकतानुसार जमीन मिट्टी को 1.3 मीटर (गूरी बांध) में 2,500 घनमीटर जमीन मिट्टी को एकत्र कर दूधरोपण

किन्तु जंगल प्रभावित है तथा क्षेत्र जंगली मिट्टी की संरक्षित जंगल भूमि पर संरक्षित रखने हेतु सचम प्रणिकाओं से अनुमति उपरोक्त संरक्षित किया जाएगा।

17. खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा परती में प्राथमिक - प्रस्तुतियां को दौरान परीक्षण प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि सीमा क्षेत्र की चौड़ी 7.5 मीटर की सीमा परती का कुल क्षेत्रफल 3,815 वर्गमीटर क्षेत्र है, जिसमें से 302 वर्गमीटर क्षेत्र 3 मीटर गहराई तक प्रत्यक्ष है। उपरोक्त पूर्व से प्रत्यक्ष क्षेत्र को पुनर्स्थापन एवं पुनर्स्थापन का कार्य किया जाएगा। अतः उपरोक्त को संरक्षित करते हुए अनुमोदित सड़कियां बनाए प्रस्तुत किया गया है।

18. उपरोक्तमें है कि भारत सरकार, पर्यावरण, जल एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, नई दिल्ली द्वारा नीम सीमा सड़कियां प्रोजेक्ट्स हेतु भारत पर्यावरणीय नती जारी की गई है। नती क्रमांक 53003 के अनुसार-

"The Project Proponent shall develop greenbelt in 7.5m wide safety zone all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. The whole green belt shall be developed within first 5 years starting from windward side of the active mining area. The development of greenbelt shall be governed as per the EC granted by the Ministry irrespective of the stipulation made in approved mine plan."

उक्त भारत नती के अनुसार सड़क सीमा क्षेत्र की अंदर 7.5 मीटर चौड़े क्षेत्रीय में पुनर्स्थापन किया जाना आवश्यक है।

19. क्लस्टर हेतु सीमा प्रस्तावकर्ता ने निम्नलिखित प्रदान - परीक्षण प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि क्लस्टर में कुल 20 खदानें आती हैं। खदानों में 8 खदानों को एल.ओ.आर.डी जारी की गई है, जिनके द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए आवेदन किया गया है। क्षेत्र 32 खदानों को पूर्व से ही पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त होने के कारण कुलके द्वारा सीमा प्रस्तावकर्ता ने निम्नलिखित प्रदान किया जाने हेतु सवि नहीं की जा रही है। अतः क्लस्टर में शेषित पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन 8 खदानों द्वारा सीमा प्रस्तावकर्ता ने निम्नलिखित प्रदान प्रस्तुत किया गया है। सीमा प्रस्तावकर्ता ने निम्नलिखित प्रदान को उक्त निम्न कार्य प्रस्तावित है-

- I. प्रदूषण नियंत्रण हेतु परिवहन के दौरान सड़कों/एरोस क्षेत्र के प्राथमिक वृक्ष प्रत्यक्ष के नियंत्रण हेतु जल प्रियकार, 4 कि.मी. तक पशुधन मार्ग हेतु अनुमति राशि 2,40,000/- प्रतिवर्ष व्यय किया जाएगा।
- II. रात के पशुधन मार्ग के दोनों तरफ 4 कि.मी. जल तक के जल को काल में पुनर्स्थापन हेतु अनुमति राशि 12,94,750/- प्रथम वर्ष में व्यय किया जाएगा। इसके अतिरिक्त आगामी चार वर्ष तक रात-रात हेतु अनुमति राशि 4,14,800/- व्यय किया जाएगा।
- III. प्रस्तावकर्ता ने निम्नलिखित हेतु अनुमति राशि 80,000/- प्रतिवर्ष व्यय किया जाएगा।
- IV. सड़कों का संचालन (Road Maintenance) हेतु अनुमति राशि 2,00,000/- प्रतिवर्ष व्यय किया जाएगा।
- V. पर्यावरणीय प्रदूषण, जल, मिट्टी एवं ध्वनि गुणवत्ता के निरीक्षण हेतु अतिरिक्त सैनिकीय कार्य (Half Yearly Environment Monitoring) किया जाएगा।

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

19. उक्त कार्य हेतु उक्त राशि को विद्युत कार्यशैल्य की सहाय-कमी हेतु अनुमानित प्रति सप्ते 52,00,000/- का व्यय प्रस्तावित किया गया है। उक्त हेतु उक्त राशि भी प्रस्तुत किया गया है। योनिन इन्फ्रास्ट्रक्चर सेक्टरमें प्लान के विधानमय हेतु समिति द्वारा सहमति प्राप्त की गई।

20. नीम्बोलीन हेतु 12 जमीनों की नीम्बोलीन समिति का गठन करना प्रस्तावित है।

20. माला सडक, पर्यटन, वन और पशुधनु परिवारि नोडल, नई दिल्ली द्वारा जारी ई.आई.ए. अडिप्लान 2008 (मया संशोधित) के अंतर्गत एन नानरीय एन. जी.टी. द्वारा जारी आदेश के अनुसार सम्पूर्ण सडक हेतु योनिन इन्फ्रास्ट्रक्चर सेक्टरमें प्लान तैयार किया जाय आवश्यक है।

समिति का मत है कि सडक में शामिल सभी जमीनों द्वारा प्लान के अंतर्गत दुरुपयोग की संख्याएं हेतु जमीनों की विलीय एन नीम्बोलीन सहमतिता सुनिश्चित किया जाय आवश्यक है।

समिति का मत है कि सडक में जाने वाले जमीनों की अडिप्लान परिधिधियों के पर्यावरणीय घटकों पर करने वाले दुरुपयोग की संख्याएं हेतु सडक में जाने वाले समस्त जमीनों को शामिल जारी हुए, सडक हेतु योनिन इन्फ्रास्ट्रक्चर सेक्टरमें प्लान तैयार किया जाने हेतु संयोजक, संयोजकालय, नीम्बोलीन तथा अडिप्लान, इंडियन माल, नया राधुन अडिप्लान माल, जिला - राधुन (मालीमाल) के मत से उपयुक्त कार्यवाही किया जाय उचित होगा।

21. ई.आई.ए. रिपोर्ट का विश्लेषण-

1. उक्त एवं वायु आदि गुणवत्ता संबंधी जानकारी - नीम्बोलीन कार्य दिनांक 16/12/2020 से दिनांक 15/03/2021 के मध्य किया गया है। 10 डिग्रीसेक्टर के अंतर्गत 8 स्थलों पर परियोजना वायु गुणवत्ता माल, 4 स्थलों पर वृ-जल गुणवत्ता माल, 8 स्थलों पर ध्वनि माप माल, 3 स्थलों पर उष्ण उक्त गुणवत्ता तथा 3 जमीनों पर मिट्टी के माले एकत्रित कर विश्लेषण किया गया है।

2. नीम्बोलीन परियोजना के अनुसार पी.एम. 10.1 से 27.4 माईक्रोग्राम/घनमीटर, पी.एम. 2.5 से 87.3 माईक्रोग्राम/घनमीटर, एसओ₂ 8.2 से 9.4 माईक्रोग्राम/घनमीटर तथा एनओ_x 10.1 से 13.4 माईक्रोग्राम/घनमीटर गई गई है। जो निर्धारित मानक से अनुपम है।

3. परियोजना स्थल के अंतर्गत उक्त जमीनों की गुणवत्ता भारतीय मानक से अनुपम है।

4. परियोजना ध्वनि माल (Day time) 41.8 डीबीए से 51.8 डीबीए एवं ध्वनि माल (Night time) 30.2 डीबीए से 35.3 डीबीए गया गया। जो उक्त क्षेत्र के निर्धारित मानक से अनुपम है।

22. लोक सुनवाई दिनांक 10/03/2021 द्वारा 1200 वही स्थान वाम संख्याएं गठन संख्या, सहाय-सहित, मिला-सहितमें से संलग्न हुई। लोक सुनवाई संस्थागत सहाय सहित, सहाय-सहित संख्याएं गठन, नया राधुन अडिप्लान माल, जिला-राधुन के माल दिनांक 21/03/2021 द्वारा उचित किया गया है।

23. जनसुनवाई के दौरान मुख्य माल से निम्न सुझाव/विचार प्रस्तुत किये गये हैं-

4. **खरीद-बिक्री** में खरीदारों को खदानें तकरीबन 50 वर्षों से संचालित होना चाहना तथा किन्तु इन दिनों में खदान संचालन की मात्र पर ध्यान का प्रयोग किया जाता रहा है। क्षेत्र में जो खदानें 30-50 फिट या उनसे भी अधिक गहराई में खोद कर से संचालित हो रही हैं, उन पर खरीद करवाली किए जाने तथा उन खदानों को संचालन द्वारा जहाँ तक जो भी मासूम खदान का उन खदानों को संचालन उन पर कुशलता से सिद्ध प्रदर्शन किया जाए। खदान संचालकों को द्वारा संचालन की सुझाव के लिए ऐतिहासिक प्रमाण दिए जाने चाहिए। पर्यावरणीय संचालकों में खाने हुए खदान वाले किया जाने एवं प्रमाण के अनुसार ही कि अधिक प्रमाण पर रोक लगायी।

5. खदानों संचालकों द्वारा खरीददारों के परिचय के लिए उपस्थित में खरीद करने वाले संचालकों का एक-एक किया जाए।

6. स्थानीय लोगों को संचालन हेतु प्रशिक्षण दी जाए।

लोक सुझावों से दीखत खदानों में विभिन्न सुझावों के निराकरण की दिशा में परिशोधन प्रस्तावक की ओर से उपस्थित प्रतिनिधि/कंसल्टेंट का समय निम्नानुसार है—

1. खोद क्षेत्र के खाने और खोद को खरीदी। साथ ही 1.5 मीटर की खोद एवं पट्टन कार्य में कुशलता से किया जायेगा। संचालित खदान को नियमानुसार एक-एक किया जायेगा।

2. खदानों का एक-एक किया जाएगा तथा उन सिद्धता से किया जाएगा। पट्टन कार्य के सिद्ध कुशलता की व्यवस्था की जाएगी।

3. स्थानीय लोगों को खदानानुसार संचालन हेतु प्रशिक्षण दी जायेगी।

24. **खरीदित खरीदार प्लान**— खदान कर करने की पूर्ण विधिगत खदान के संचालन हेतु 30 मीटर की गहराई तक 20,000 घनमीटर गहराई क्षेत्र से एवं 3 मीटर की गहराई तक खोद कर/खरीदी मिट्टी से मात्र कर 2,400 घन कुशलता से किया जाय प्रस्तावित है। तथा हेतु साथ पर प्रस्तुत किया गया है।

खरीदित द्वारा विचार निर्यात खदानों सर्वसम्पत्ति से निम्नानुसार निर्यात किया गया—

1. **खरीदित खरीदार (खनिज संचालन) विभाग-परिचय** के द्वारा क्रमांक-75/18. सि./ख.स./ग.स./2020-21 परिचय, दिनांक 21/08/2021 के अनुसार खरीदित खदान से 500 मीटर की सीमा खरीदित 44 खदानें तथा 33,781 टनमेंटर है। खरीदित खदान (घास-बनारस) का मात्रा 1,36 टनमेंटर है। इन प्रकार खरीदित खदान (घास-बनारस) को खरीदित कुल मात्रा 33,152 टनमेंटर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की खोद में खरीदित/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 टनमेंटर पर सबसे अधिक होने के कारण यह खदान बी-1 श्रेणी की शरी गयी।

2. **माता संचालन, पर्यावरण, एवं और खदानों परिशोधन संचालन**, नई दिल्ली द्वारा जारी ईआईए अतिरिक्त, 2008 (यथा संचालित) के प्रस्तावों एवं पर्यावरण एवं सी.टी. द्वारा जारी खरीदित के अनुसार संचालन में खाने वाली खदानों की संचालन प्रतिनिधियों से पर्यावरणीय खदानों पर खाने वाले सुझावों की संचालन हेतु खरीदित में खाने वाली खदान खदानों को खरीदित करती हुई, खरीदित हेतु खनिज इन्फार्मेशन प्रोसेसिंग प्लान द्वारा किने जाने हेतु संचालन, संचालन-संचालन,

समिति द्वारा अधिसूचना, इटावा की मांग, तथा सम्बन्धित अन्वयन प्राप्त किया - सम्बन्धित (अधीनस्थ) के मांग के अनुसार कार्यवाही किये जाने हेतु निर्दिष्ट किया जाय।

3. समिति द्वारा विवाद विना उपरोक्त सर्वसम्मति से अधिसूचना - मेरठ बरनादा पलेन स्टोन माईन (डी-बी कायमदा गद्दु) की ग्राम-बरनादा, तहसील-राजिन्, जिला-परिषदाद (समिदालय का नसीब क्रमांक 4/1) में स्थित पलेन स्टोन (ग्रीन खनिज) खदान, कुल क्षेत्रफल - 1.00 हेक्टेयर, अन्वयन - 15,000 टन अधिसूचना हेतु पर्यावरणीय सीकुति दिए जाने की अनुमति दी गई।
4. उपरोक्त खदान करने की पूर्ण अधिसूचना द्वारा क्षेत्र में उपरोक्त सिट्टी 44.114 घनमीटर की सीमा पट्टी 3.818 वर्गमीटर एवं गैर सड़कित क्षेत्र में आवश्यकतानुसार भूदायन करने के उपरोक्त अधिसूचना सिट्टी के अनुसार हेतु सहाय अधिसूचना से निर्दिष्ट अनुमति प्राप्त की जाय तथा अनुमति की अपी एच.ई. आई.ए. अधिसूचना को प्रेषित की जाय।
5. 1.3 मीटर की सीमा पट्टी में उपरोक्त क्षेत्र की 6 मीटर की सीमा पुनर्मापन किया जाय।

प्रतिकरण द्वारा बैठक में विचार - उपरोक्त प्रस्ताव का अधिसूचना की दिनांक 24/08/2021 को संलग्न 112वीं बैठक में विचार किया गया। अधिसूचना द्वारा नसीब का अधिसूचना किया गया। विवाद विना उपरोक्त अधिसूचना द्वारा पर्यावरणीय से समिति की अनुमति को प्रेषित करने हेतु अधिसूचना - मेरठ बरनादा पलेन स्टोन माईन (डी-बी कायमदा गद्दु) की ग्राम-बरनादा, तहसील-राजिन्, जिला-परिषदाद के अन्वयन क्रमांक 4/1, में स्थित पलेन स्टोन (ग्रीन खनिज) खदान, कुल क्षेत्रफल - 1.00 हेक्टेयर, अन्वयन - 15,000 टन अधिसूचना हेतु निम्न अधिसूचना जारी की अधीन पर्यावरणीय सीकुति जारी करने का निर्णय किया गया-

"खदान बंद होने के अन्तर्गत खदान की पट्टी तल्ले पुनर्मापन के साथ-साथ कुदों के क्षेत्र में अधिसूचना व तल्ले उपरोक्त जाये, जिससे मुदा अधिसूचना/भूमि अन्वयन व सिट्टीकरण को रोक जा सके"

परिषदाद परमापन की पर्यावरणीय सीकुति जारी किया जाय।

6. मेरठ बरनादा पलेन स्टोन माईन (डी-बी कायमदा गद्दु), ग्राम-बरनादा, तहसील-राजिन्, जिला-परिषदाद (समिदालय का नसीब क्रमांक 4/1)

अधीनस्थ अधिसूचना - पूर्ण में उपरोक्त अन्वयन - एच.आई.ए./ सीडी/ एच.आई.ए./ 40280/2019 दिनांक 24/10/2019 द्वारा टी.ओ.अन्वयन हेतु अधिसूचना किया गया था। अधिसूचना में उपरोक्त अन्वयन - एच.आई.ए./ सीडी/ एच.आई.ए./ 40280/2020 दिनांक 07/08/2021 द्वारा पर्यावरणीय सीकुति प्राप्त करने हेतु ए.आई.ए. सिट्टी उपरोक्त की गई है।

प्रस्ताव का विचार - यह अधिसूचना पलेन स्टोन (ग्रीन खनिज) खदान है। खदान ग्राम-बरनादा, तहसील-राजिन्, जिला-परिषदाद स्थित अन्वयन क्रमांक 42, 81, एवं 82 कुल क्षेत्रफल - 0.80 हेक्टेयर में उपरोक्त है। खदान की अधिसूचना अधिसूचना क्रमांक - 3848 टन अधिसूचना है।

एच.आई.ए.सी. अधिसूचना के अन्तर्गत दिनांक 03/03/2020 द्वारा अधिसूचना सी-1 केटीसी का होने के अन्तर्गत अन्वयन, पर्यावरण, एवं और उपरोक्त अधिसूचना अधिसूचना द्वारा अधिसूचना 2019 में अधिसूचना अधिसूचना एच.आई.ए. अधिसूचना (टी.ओ.अन्वयन) अधिसूचना ए.आई.ए./ई.

Handwritten text at the bottom center, possibly a name or official designation.

एनपी सिटी ऑन डेवलपमेंट/एनपीसीटीय विकासपरिचय इन्फ्रास्ट्रक्चर कमीशन अफ इंडिया, नॉनफिजिकल, 2008 में तैयार की गई 1(1) का परिचय टैबल (जो कानून द्वारा अद्यतित) को नॉन फिजिकल डेवलपमेंट हेतु टैबल (जो कानून द्वारा अद्यतित) के रूप में संदर्भित किया गया।

परिचय प्रस्तावक को एनपीसीटी, कानून संख्या 21/08/2021 द्वारा अनुमोदित हेतु सूचित किया गया।

बीक का विवरण -

(अ) समिति की 27वीं बैठक दिनांक 31/08/2021

अनुमोदित हेतु की समिति में, डेवलपमेंट तथा पर्यावरण संरक्षण के संबंध में कानून नॉनफिजिकल डेवलपमेंट विनियम, मुंबई की ओर से डॉ. सुनील जैन विदेशी कायदा के अधिन में तैयार हुए। समिति द्वारा जारी, अनुमोदित कानून का अद्यतन एवं पर्यावरण के संबंध में निम्न विधि गई गई-

1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण- इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।
2. धान संरक्षण का अनापत्ति प्रमाण पत्र - कानून के संबंध में धान संरक्षण कानून का दिनांक 13/08/2018 का अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुमोदित किया गया है।
3. कानून की प्रस्ताव - नॉनफिजिकल डेवलपमेंट (अन्य धान, इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर एनपीसीटी द्वारा जारी कानून) अनुमोदित किया गया है, जो धान संरक्षण (अन्य धान), नॉनफिजिकल डेवलपमेंट, नॉनफिजिकल डेवलपमेंट, नॉनफिजिकल डेवलपमेंट के अधिन अर्थात् 2018-19/अन्य 02/नॉनफिजिकल/नॉनफिजिकल/2018 नॉनफिजिकल डेवलपमेंट, दिनांक 14/10/2018 द्वारा अनुमोदित है।
4. 800 मीटर की परिधि में स्थित खदान - कानून कानून (अन्य धान), दिनांक-नॉनफिजिकल के अधिन अर्थात् 02/अन्य/नॉनफिजिकल/2018-19 नॉनफिजिकल दिनांक 31/08/2021 के अनुसार अद्यतित खदान से 800 मीटर की कक्षा अद्यतित 44 खदानें कक्षा 34291 हेक्टेयर है।
5. 200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरक्षण - कानून कानून (अन्य धान), दिनांक-नॉनफिजिकल के अधिन अर्थात् 02/अन्य/नॉनफिजिकल/2018 नॉनफिजिकल दिनांक 13/11/2018 द्वारा जारी कानून पत्र अनुमोदित कक्षा कक्षा से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, मठ, अनाथाशाला, स्कूल, पुस्तकालय, एनपीसीटी एवं अन्य अनुमोदित अद्यतित अद्यतित क्षेत्र निर्मित नहीं है।
6. एनपीसीटी, संबंधी विवरण - एनपीसीटी, कानून कानून (अन्य धान), दिनांक-नॉनफिजिकल के अधिन अर्थात् 234/अन्य/ई विधि/2018-19 नॉनफिजिकल दिनांक 27/04/2018 द्वारा जारी की गई, दिनांक कक्षा जारी दिनांक से 8 महीने की अवधि तक की। एनपीसीटी की कक्षा यदि कक्षा नॉनफिजिकल कानून नॉनफिजिकल डेवलपमेंट, नॉनफिजिकल डेवलपमेंट के अधिन अर्थात् 24/2020 द्वारा जारी कक्षा कक्षा दिनांक 04/11/2020 की प्रति अनुमोदित की गई है दिनांक अनुसार "विधि" के अन्तर्गत पर पुनरीक्षण प्रकल्प स्वीकृत करने हेतु, दिनांक कानून (अन्य धान), नॉनफिजिकल के अधिन दिनांक 27/04/2018 द्वारा जारी कक्षा पत्र के अद्यतित कक्षा का कानून पुनरीक्षणकर्ता की कक्षा में, दिनांक धान कक्षा, कक्षा

सिरीकरण, जिला परिषद द्वारा कर दिए जाने की स्थिति में अत्याधिक साधन, अतिरिक्त साधन विभाग द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक एच 8-82/2012/12, दिनांक 26/06/2012 के परिपत्र में अत्याधिक सीमा अतिरिक्त नियम, 2015 के नियम 42(5) के अन्तर्गत प्रकाशित प्रमाणों के विनियमन अनुसार अधिन कार्यवाही करने हेतु अतिरिक्त अनुमति प्रदान नहीं की जायेगी। जिला परिषद को प्रमाणित किया जाता है।

7. भू-स्वामित्व - भूमि की मालिकता वही है। सम्बन्धित भूमि स्वामी का सम्पत्ति पर प्रस्तुत किया गया है।
8. डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट - वर्ष 2013 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
9. वन विभाग का अनुमति प्रमाण पत्र - कार्यवाही सम्बन्धित जिला-परिषद के जलम, जल संयंत्र, /अनुमति/8234 परिषद दिनांक 20/11/2013 की जारी अनुमति प्रमाण पत्र अनुसार आवंटित क्षेत्र वन भूमि की सीमा से 2.5 कि.मी. तथा बांधावाला अनुमति 2.5 कि.मी. की दूरी पर है।
10. महासमुद्र बांधावाला की दूरी - निकटतम बांधावाला 0.2 कि.मी., बांधावाला 0.81 कि.मी. एवं अनुमति सिंचना 5 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 11.8 कि.मी. एवं राजमार्ग 2.4 कि.मी. दूर है। सुभा नदी 2.5 कि.मी. एवं राजमार्ग 0.2 कि.मी. दूर है।
11. पारिस्थितिकीय/जीववैज्ञानिक संवेदनशील क्षेत्र - परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिसर में आसपास क्षेत्र, राष्ट्रीय उद्यान, अनुसंधान, संरक्षित प्रकृत, निरक्षर क्षेत्र द्वारा परिचित डिस्ट्रीक्ट सीन्ट्रल एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र का परिचित जीववैज्ञानिक क्षेत्र स्थित नहीं होने अतिरिक्त किया है।
12. सड़क चौड़ा एवं जलम का विवरण - डिस्ट्रीक्टिकल रिजर्व जलम 2,08,400 टन, माईनेबल रिजर्व जलम 88,221 टन एवं निकटतम रिजर्व जलम 38,310 टन है। सीमा की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (जलम को लिए अतिरिक्त क्षेत्र) का क्षेत्रफल 1,447 वर्गमीटर है। जलम वास्तु अनुसार विधि से सम्बन्धित किया जाएगा। जलम की अनुमति अतिरिक्त सड़क 14 मीटर है। सीमा क्षेत्र में जलम अनुमति नहीं है एवं इसकी अनुमति का प्रस्ताव नहीं किया गया है। जमीन मिट्टी की मोटाई 4 मीटर है तथा कुल मात्रा 18,387 घनमीटर है। सड़क की मोटाई 3 मीटर एवं चौड़ाई 2 मीटर है। जलम की अनुमति आयु 10 वर्ष है। सर्वोपरि प्रस्तावित जलम का विवरण निम्नप्रकार है:-

वर्ष	प्रस्तावित प्रत्येक (टन)
प्रथम	5,472
द्वितीय	5,700
तृतीय	5,808
चतुर्थ	5,817
पंचम	5,711
षष्ठ	5,817

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]

बावटे	5.768
जावटे	5.472
लीव	5.380
दण्डे	4.364

नोंद: सल्लिका में दाखल हो बावटे की जमीन का दस्तावेजीकरण किया गया है।

13. जल आपूर्ति – परिशोधन हेतु आवश्यक जल की मात्रा 5.87 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति जल पंचायत द्वारा टैंकर से संचालन से की जाएगी। इस कार्य का पंचायत को सहमति एवं समर्थन प्राप्त प्रस्तुत किया गया है।
14. कुआरीकरण कार्य – लीव क्षेत्र को बावटे और 7.5 मीटर गूरे क्षेत्र में 227 लक्ष कुआरीकरण कार्य पूर्ण में हो किया जाएगा।
15. खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा बढ़ा दी में प्रत्येक – लीव क्षेत्र को बावटे और 7.5 मीटर की सीमा बढ़ा दी में प्रत्येक कार्य नहीं किया गया है।
16. कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.) – परिशोधन प्रस्तावक द्वारा सी.ई. आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति को समस्त विस्तार से पूर्ण प्रस्ताव निम्नानुसार प्रस्तुत किया गया है—

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
18.26	2%	0.37	Following activities at Government Middle School, Village - Barhata	
			Potable Drinking water Facility with 5 years AMC	0.25
			Running water arrangement for toilets	0.10
			Plantation	0.02
			Total	0.46

17. परिशोधन प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुतकरण से प्राप्त बताया गया है कि कुल कठरी मिट्टी 18.267 घनमीटर जमित होगा। आवश्यकतानुसार कठरी मिट्टी की 7.5 मीटर (मार्डिन बावण्टी) में 1.360 घनमीटर कठरी मिट्टी को एकत्र कर कुआरीकरण किया जाना प्रस्तावित है तथा बावटे कठरी मिट्टी को सहमति प्राप्त पूर्ण पर संचालन करने हेतु पंचायत समिति को अनुमति प्रस्तुत संवर्धित किया जाएगा।
18. कलक्टर हेतु सीमन इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवेलपमेंट प्लान- परिशोधन प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि कलक्टर में कुल 45 घण्टी जमी है। वर्तमान में 8 कठरी को एल.ओ.आई. जमी की गई है, जिसके द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति को लिए जायेगा किया गया है। बावटे 37 कठरी को पूर्ण में ही पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त होने के कारण बावटे द्वारा सीमन इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवेलपमेंट प्लान तैयार किया जाने हेतु प्रति नहीं की जा रही है। अतः कलक्टर में शामिल पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

अतिरिक्त 8 खंडों की द्वारा कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान प्रस्तुत किया गया है। कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान के तहत निम्न कार्य प्रस्तावित हैं:-

- i. अनुपलब्ध निवेशन हेतु परीक्षण के दौरान सड़कों/एरीय सीड से उपरम पुल प्रस्तावित के निवेशन हेतु जल विद्युत 4 कि.मी. तक पहुँच कार्य हेतु अनुमानित खर्च 2,48,000/- प्रतिवर्ष व्यय किया जाएगा।
- ii. गांव के पहुँच कार्य के दोरी तक 4 कि.मी. कम तक से कम दो किलोमीटर दूरी पर अनुमानित खर्च 12,94,750/- व्यय करने में व्यय किया जाएगा। इससे अतिरिक्त अगली बार वर्क तक एक-एक हेतु अनुमानित खर्च 4,14,880/- व्यय किया जाएगा।
- iii. इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट हेतु अनुमानित खर्च 88,000/- प्रतिवर्ष व्यय किया जाएगा।
- iv. सड़कों का रखरखाव (Road Maintenance) हेतु अनुमानित खर्च 2,00,000/- प्रतिवर्ष व्यय किया जाएगा।
- v. पर्यावरण हेतु जल, मिट्टी एवं ध्वनि गुणवत्ता के अंकन हेतु अतिरिक्त वार्षिक खर्च (Half Yearly Environment Monitoring) किया जाएगा।
- vi. जल कार्य हेतु प्रथम चरण वर्क की विस्तृत कार्ययोजना की मंजूरी करते हुए अनुमानित खर्च लगभग 61,08,450/- व्यय करना प्रस्तावित किया गया है। जल हेतु कार्य पर भी प्रस्तुत किया गया है। कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान के क्रियान्वयन हेतु समिति द्वारा सलाह देकर कार्य शुरू।
- vii. वार्षिक खर्च हेतु 12 वर्गों की वार्षिक खर्च का पटल करना प्रस्तावित है।

18. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी ई.आई.ए. अधिसूचना, 2028 (नया संशोधित) के प्रावधानों एवं मानकों एवं जी.टी. द्वारा जारी आदेश के अनुसार सम्पूर्ण कन्स्ट्रक्शन हेतु कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान तैयार किया जाना आवश्यक है।

समिति का मत है कि कन्स्ट्रक्शन में शामिल सभी खंडों की प्रारम्भिक पर्यावरणीय दृष्टिकोणों की परीक्षण हेतु खंडों की विविध एवं भौतिक सम्पत्तियाँ सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है।

समिति का मत है कि कन्स्ट्रक्शन में आने वाले खंडों की पर्यावरण परियोजनाओं से पर्यावरणीय प्रभावों पर करने वाले दृष्टिकोणों की परीक्षण हेतु कन्स्ट्रक्शन में आने वाली समस्त खंडों को शामिल करने हेतु, कन्स्ट्रक्शन हेतु कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान तैयार किया जाने हेतु मंत्रालय, मंत्रालय, भीमिटी एवं अधिसूचना, इलाहाबाद प्रथम, एवं सम्पूर्ण अटल नगर, जिला - रायबुरू (गोवा) के प्लान से सम्बन्धित कार्यवाही किया जाना उचित होगा।

20. ई.आई.ए. रिपोर्ट का विश्लेषण-

- i. प्लान एवं वायु आदि गुणवत्ता संबंधी जानकारी - वार्षिक खर्च दिनांक 18/12/2018 से दिनांक 18/03/2020 के समय किया गया है। 10 कि.मी. के अंतर्गत 8 खंडों पर पर्यावरण हेतु गुणवत्ता मूल्यांकन, 4 खंडों पर सु-जल गुणवत्ता मूल्यांकन, 8 खंडों पर ध्वनि स्तर मूल्यांकन, 3 खंडों पर सड़क जल गुणवत्ता मूल्यांकन 3 खंडों पर मिट्टी के नमूने एनालिसिस का विश्लेषण किया गया है।

Handwritten signature

सचिव

Handwritten signature

द. परिशिष्टित परिभाषों के अनुसार दी.एम._{max} 10.1 से 27.4 साइडोडॉम/अनपीएल दी.एम._{max} 42.2 से 57.3 साइडोडॉम/अनपीएल एमडी. 5.2 से 9.4 साइडोडॉम/अनपीएल तथा एमडी._{max} 10.1 से 18.4 साइडोडॉम/अनपीएल काई गई है। जो किशोरित मानक के अनुसार है।

क. परिशिष्टित ध्वज के अकारण एवं लंबाई की गुणवत्ता भारतीय मानक के अनुसार है।

ख. परिशिष्टित ध्वज का (Day time) 41.8 सेमीटर से 51.8 सेमीटर एवं रात्रि का (Night time) 32.2 सेमीटर से 38.2 सेमीटर पर्याप्त तथा जो उच्च क्षेत्र के किशोरित मानक के अनुसार है।

21. लोक सुनवाई दिनांक 10/03/2021 का 12:00 बजे स्वयं याप संस्थागत भवन संस्थान, राहसील-राजिप, जिला-परिषदाद में संयोजन हुई। लोक सुनवाई एस.डी.ए. सदस्य सदस्य, जिला-परिषदाद सदस्य संस्थागत भवन, तथा संयुक्त जिला न्याय, जिला-राजपुर के पत्र दिनांक 01/03/2021 द्वारा प्रेषित किया गया है।

22. जनसुनवाई के दौरान मुख्य रूप से निम्न मुद्दा/विचार प्रस्तुत किये गये हैं:-

1. भारतीय-संस्था में भारतीय-संस्था के सदस्य 50 वर्षों से संयोजित होना चाहिए तथा किन्तु इनके दिनों में स्वयं संस्थान के नाम पर क्षेत्र का क्षेत्र किया जाता रहा है। क्षेत्र में जो सदस्य 50-55 किंग का उमर में अधिक सदस्य में अधिक कर से संबंधित हो रहे हैं, उन पर लक्षित कार्यवाही किए जाने तथा उन सदस्यों को सामान द्वारा जमा कर लोगों की सदस्यी प्रत्येक का नाम सदस्यों को सटका उन पर कुशलता के निम्न प्रयोग किया जाए। स्वयं संस्थानों के द्वारा स्वयं की सुझाव के लिए ऐतिहासिक उपाय किए जाने सहित। भारतीय-संस्था में पत्रों हुए स्वयं कार्य किया जाये एवं प्रयोग के अनुसार है कि अधिक प्रत्येक पर रोक लागू है।

2. सदस्यी संयोजकों द्वारा भारतीय-संस्था के अधिकार के लिए उपाय में लगे जाने वाले सदस्यों का रक-संयोजन किया जाए।

3. सदस्यी लोगों को रोजगार हेतु प्रशिक्षण दी जाए।

लोक सुनवाई के दौरान प्रस्तुत किये गये विभिन्न मुद्दों के निराकरण की दिशा में परियोजना प्रस्तावक की ओर से प्रतिक्रिया प्रतिनिधि/कंसल्टेंट का कथन निम्नानुसार है:-

1. लोक क्षेत्र के सभी क्षेत्र अधिकारी की जाएगी। साथ ही 7.5 मीटर की परिधि एवं पट्टा मार्ग में कुशलता किया जायेगा। संयोजित स्वयं की निम्नानुसार रक-संयोजन किया जायेगा।

2. सदस्यों का रक-संयोजन किया जाएगा तथा जमा किशोरित किया जाएगा। जट्टा मार्ग के किनारे कुशलता की सुझाव की जाएगी।

3. भारतीय-संस्था को अकारणतानुसार रोजगार हेतु प्रशिक्षण दी जायेगी

23. साइनिंग अलोवर ध्वज- स्वयं बंद करने के पूर्व निश्चित स्वयं के नाम हेतु 10 मीटर की लंबाई तक 31.537 मीटर लंबाई रक से एवं 8 मीटर की लंबाई तक क्षेत्र बंद/अनपीएल निम्न की भाव पर 1,200 का कुशलता किया जाये प्रस्तावित है। उक्त हेतु जमा कर प्रस्तुत किया गया है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरान्त सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया—

1. सर्वोच्च कोर्ट (अपिलेशन बेंच), जिला-परिषद के द्वारा कर्मिक 87/18, लि./जस./नक./2020-21 परिषद, दिनांक 21/08/2021 के अनुसार आवंटित खदान से 600 मीटर की सीमा अतिरिक्त 44 खदानें खनन 34,281 हेक्टेयर हैं। आवंटित खदान (ग्राम-बल्नाडा) का खनन 0.88 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवंटित खदान (ग्राम-बल्नाडा) का मिलाकर कुल खनन 35,162 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 600 मीटर की परिधि में स्वीकृत/अव्यक्त खदानों का कुल क्षेत्रफल 8 हेक्टेयर या उससे अधिक होने से खनन यह खदान की-1 सीमा की सीमा नहीं।
2. माता सरस्वती, पर्यटन, वन और जलवायु परिवर्तन विभाग, नई दिल्ली द्वारा जारी ई-आर्देन अधिसूचना, 2008 (समा-संशोधित) के प्रावधानों एवं सनसिब एन.टी.टी. द्वारा जारी आदेश के अनुसार कोर्ट में जाने वाली खदानों की सम्बन्धन परिधि/सीमा से सर्वोत्तम खदानों का खनन करने सुधारकों की संख्याएं हेतु कोर्ट में जाने वाली खदानों की संख्याएं जारी हुईं, कोर्ट हेतु सीमा अतिरिक्त/अव्यक्त खनन क्षेत्र निर्धारित करने हेतु संसलक, संसलकालय, सीमांकन तथा अधिसूचना, इलाहाबाद खनन, गढ़ साखु अटल माता, जिला - साखु (उत्तरांचल) के माता से उपयुक्त खदानों को खनन हेतु निर्धारित किया जाय।
3. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरान्त सर्वसम्मति से आवंटक - मेसर्स बल्नाडा खनन स्टोन माईन (प्रा-बी सीमा) वगु, की ग्राम-बल्नाडा, तहसील-परिधि, जिला-परिषद के कर्मिक 80, 81 एवं 82 में विचार क्षेत्र स्टोन (सीमा अधिन) खदान, कुल क्षेत्रफल - 0.88 हेक्टेयर, खनन - 0.818 टन प्रतिवर्ष हेतु सर्वोत्तम स्वीकृति दिए जाने की अनुमति की गई।
4. संसलक खनन करने के पूर्व आवंटक द्वारा क्षेत्र में उपलब्ध मिट्टी 18,287 घनमीटर की सीमा पट्टी 3,447 वर्गमीटर एवं वन सड़कित क्षेत्र में आवश्यकतानुसार संसाधन करने के उपरान्त आवंटक मिट्टी के संसाधन हेतु खनन अधिनकारी से विधिगत अनुमति प्राप्त की जाय तथा अनुमति की अति एन.ई. आई.ए.ए., उत्तरांचल की प्रेषित की जाय।

प्रतिकल्प द्वारा बैठक में विचार - उपरोक्त प्रकल्प पर प्रतिकल्प की दिनांक 24/08/2021 को संसल 112वीं बैठक में विचार किया गया। प्रतिकल्प द्वारा नली का अवलोकन किया गया। विचार विमर्श उपरान्त प्रतिकल्प द्वारा सर्वसम्मति से समिति की अनुमति की सीमाएं जारी हुईं आवंटक - मेसर्स बल्नाडा खनन स्टोन माईन (प्रा-बी सीमा) वगु, की ग्राम-बल्नाडा, तहसील-परिधि, जिला-परिषद के कर्मिक 80, 81 एवं 82 में विचार क्षेत्र स्टोन (सीमा अधिन) खदान, कुल क्षेत्रफल - 0.88 हेक्टेयर, खनन - 0.818 टन प्रतिवर्ष हेतु निम्न अधिनकारी की अति अधिनकारी स्वीकृति जारी करने का निर्णय किया गया—

“खदान बंद होने के उपरान्त खदान के सभी उपर्युक्त प्रकल्प के साथ-साथ कुली की क्षेत्र में इतिहास व पास लगाया जाये, जिससे कुली को संसाधन/भूमि काल व मिट्टीकरण की सेवा हो सके।”

प्रतिकल्प संसलक को सर्वोत्तम स्वीकृति जारी किया जाय।

10. गैरवासीय वासीय फ्लैट गेटिंग गाईड (एच-बी फ्लैट गेटिंग), ग्राम-वासीय, लक्ष्मीक-वासीय, विद्या-परिवार (सविवालय का नक्का क्रमांक 221)

ऑनलाईन आवेदन - पूर्व में आवेदन क्रमांक - एचआईए/सीडी/एमआईए/ 40238/2018 दिनांक 28/10/2018 द्वारा टी.जे.एच. हेतु आवेदन किया गया था। वासीय में आवेदन क्रमांक - एचआईए/सीडी/एमआईए/ 40238/ 2018 दिनांक 12/08/2021 द्वारा पत्राचारणीय स्वीकृति प्राप्त करने हेतु ई.आई.ए. निवेदन प्रस्तुत की गई है।

प्रस्ताव का विवरण - यह प्रस्तावित गैरवासीय (गैर वासीय) खदान है। खदान ग्राम-वासीय, लक्ष्मीक-वासीय, विद्या-परिवार विद्या खदान क्रमांक 1482/1 एवं 1483 कुल क्षेत्रफल - 0.68 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदन संख्या क्रमांक - 24472 एवं प्रतिफल है।

एच.ई.ए.सी., प्रशासनिक के आदेश दिनांक 03/02/2022 द्वारा प्रकरण बी-1 क्षेत्रों का होने के कारण भारत सरकार, पारिवार, इन और असह्य परिस्थिति में खदान द्वारा अप्रैल, 2018 में प्रस्तावित गेटिंग टर्मों की शर्तों (टी.जे.एच. गैर ई.आई.ए./ई.एम.ए. निवेदन और प्रोजेक्ट/एच.आई.ए. विद्यापरिवार इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट अखिल ई.आई.ए. प्रतिनिधित्व 2008 में समिति के 170 का गेटिंग टी.जे.एच. (अधिक गेटिंग गेटिंग) गैर वासीय प्रोजेक्ट हेतु टी.जे.एच. जारी किया गया।

परिशिष्ट प्रस्तावक को एच.ई.ए.सी., प्रशासनिक के आदेश दिनांक 21/08/2021 द्वारा अनुमति हेतु सूचित किया गया।

बीडक का विवरण -

(अ) समिति की 273वीं बैठक दिनांक 21/08/2021

अनुमति हेतु बी फ्लैट गेटिंग प्रोजेक्ट एवं परिवार संरक्षण गैरवासीय गैरवासीय लक्ष्मीक प्रोजेक्ट, सुभद्रा की ओर से डॉ. सुनील जी सिन्हा अध्यक्ष के अध्यक्ष के अध्यक्ष हुए। समिति द्वारा नक्का, प्रस्ताव प्राप्तकर्ता का अद्यतन एवं अधिनियम करने पर निम्न स्थिति पाई गई-

1. पूर्व में जारी पत्राचारणीय स्वीकृति संबंधी विवरण - इस खदान को पूर्व में पत्राचारणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।
2. ग्राम संरक्षण का प्रस्तावित प्रमाण पत्र - संरक्षण के संघ में ग्राम संरक्षण वासीय का दिनांक 28/08/2018 का प्रस्तावित प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
3. परामर्श योजना - गाईडिंग ग्राम (जारी ग्राम, इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एन एच कंपनी अखिल ग्राम) प्रस्तुत किया गया है, जो एन संरक्षण (अधिग्रहण), संरक्षण, सीमेंट एवं अखिल, नया प्रस्ताव अटल नगर, अखिल प्रशासनिक क्रमांक 2204-08/अधि 02/स.प्र.अनुमोदन/न.क.03/2018 नया प्रस्ताव अटल नगर, दिनांक 14/10/2018 द्वारा अनुमति है।
4. 300 मीटर की परिधि में विद्या खदान - अखिल अखिल (अधिग्रहण), विद्या-परिवार के आदेश क्रमांक 06/अधि/अ.क./न.क./2020-21 परिवार, दिनांक 21/08/2021 के अनुसार आवेदन खदान में 300 मीटर की सीमा अधिनियम 44 खदान क्रमांक 24271 हेक्टेयर है।
5. 300 मीटर की परिधि में विद्या सार्वजनिक क्षेत्र/संरक्षण - अखिल अखिल (अधिग्रहण), विद्या-परिवार के आदेश क्रमांक 06/अधि/न.क.

Handwritten signature

Handwritten signature

/2018 परिषद, दिनांक 18/11/2018 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार जल संचयन से 200 पीएल की क्षमता में कोई भी कार्यालय क्षेत्र जैसे बरिद, परिषद, मंच, अनायास, स्नान, गुल, बंध, एनिसट एवं जल आपूर्ति जदि प्रतिबंधित क्षेत्र विहित नहीं है।

8. भूमि एवं प्लान,ओ.आई, संबंधी विवरण - भूमि अधिदाक की गत पर है, जिसमें प्लान,ओ.आई, कार्यालय कलेक्टर (अग्निज शाखा) जिला-परिषद के द्वारा क्रमांक 242/पनि./ई निविदा/2018-18 परिषद दिनांक 27/04/2018 द्वारा जारी की गई, जिसकी प्रकाश जारी दिनांक से 6 महीने की अवधि तक थी। प्लान,ओ.आई, की प्रकाश वृद्धि कायम पर्याय प्रकाशक संविधि तथा अधिदाक, गत प्रमाण पत्र के पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक 23/2020 द्वारा जारी प्रति दिनांक 04/11/2020 की प्रति प्रमाण पत्र की गई है जिसके अनुसार "विशेषता के आधार पर पुनरीक्षण प्रकरण संवीकृत करती हुई, जिला कार्यालय (अग्निज शाखा), परिषद के पत्र दिनांक 27/04/2018 द्वारा जारी आशय पत्र में विहित शर्तों का पालन पुनरीक्षणकर्ता की अर्पण पत्र, निवासी पत्र कलांक, जिला परिषद द्वारा कल जिये जाने की स्थिति में प्रतीक्षण प्रकरण, अग्निज शाखा विभाग द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक एच 6-42/2012/12, दिनांक 29/08/2020 के परिषद में प्रतीक्षणक नीम अधिनियम, 2015 के नियम 42(5) के तहत प्रकाश प्रकरण में निवधानुसार अधिनियम कार्यालय करने हेतु अधिदाक समयावधि प्रदान करती हुए प्रकरण करेक्टर, जिला परिषद को प्रकाशित किया जाता है।" होना बताया गया है।

9. डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट - वर्ष 2018 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रमाण पत्र की गई है।

10. वन विभाग का अनुमति प्रमाण पत्र - कार्यालय वनसंरक्षणविभाग, परिषद कलांक परिषद, जिला-परिषद के द्वारा क्रमांक /पनि./अनुमति/2018 परिषद दिनांक 20/11/2018 की जारी अनुमति प्रमाण पत्र अनुसार अधिदाक क्षेत्र वन भूमि की सीमा से 2.5 कि.मी. तथा कलांक अनुमति 50 कि.मी. की दूरी पर है।

11. महावृष्टि संरक्षणकर्ता की दूरी - निकतान आसपी राम-बासीन 0.4 कि.मी., स्नान राम-कलांक 0.80 कि.मी. एवं अनायास बासीन 1.5 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 11.4 कि.मी. एवं राजमार्ग 2.80 कि.मी. दूर है। गुला पट्टी 4.1 कि.मी. एवं साखन 0.48 कि.मी. दूर है।

12. पारिस्थितिकीय/जीववैविधता संवेदनशील क्षेत्र - परिषद प्रकाशक द्वारा 10 कि.मी. की क्षमता में अंतराक्षेत्रीय क्षेत्र, राष्ट्रीय राजमार्ग, अनायास क्षेत्रीय अनुमति नियंत्रण क्षेत्र द्वारा अधिनियमितीय क्षेत्रीय भूमि, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र का अधिनियमितीय क्षेत्र विहित नहीं होना अधिदाक प्रमाण पत्र है।

13. खनन प्रमाण एवं खनन का विवरण - विवेकीकरण दिनांक अनायास 21.12.2007 एवं मईवेका दिनांक 24.7.2007 एवं एवं विवेकीकरण दिनांक 23.08.2007 एवं है। सीमा की 7.5 मीटर चौकी सीमा पट्टी (अनायास की लिए अधिदाक क्षेत्र) का क्षेत्रफल 3.875 वर्गमीटर है। खनन कलांक सेकुलर विधि से अनुमति किया जाएगा। खनन की अधिदाक अधिदाक महावृष्टि 15 मीटर है। सीमा क्षेत्र में खनन स्थिति नहीं है एवं इसकी कलांक का प्रमाण नहीं किया गया है। अनायास



मिट्टी की मोटाई 4 मीटर है तथा कुल मात्रा 21,762 घनमीटर है। बीच की मोटाई 3 मीटर एवं मोटाई 3 मीटर है। खदान की संरचना जलु 10 वर्ष है। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:-

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	1420
द्वितीय	1182
तृतीय	1443
चतुर्थ	1187
पंचम	1388
छठी	1383
सातवीं	1440
आठवीं	1383
नौवीं	1479
दसवीं	2314

नोट: खनिकार ने उत्खनन के बाद के अवशेष का वास्तविकीय किया गया है।

12. **जल आपूर्ति** - परिशोधन हेतु अत्यावक जल की मात्रा 7.84 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति द्वारा पंचायत द्वारा टैंकर के माध्यम से की जाएगी। इस संबंध में पंचायत का समझौता एवं सहमति प्राप्त प्रस्तुत किया गया है।
13. **पुनर्वास्यता कार्य** - जीव क्षेत्र के सभी क्षेत्र 7.5 मीटर खुले क्षेत्र में 174 वर्ग पुनर्वास्यता जलम वर्ष में ही किया जाएगा।
14. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा चट्टी में उत्खनन** - जीव क्षेत्र के सभी क्षेत्र 7.5 मीटर की सीमा चट्टी में उत्खनन कार्य नहीं किया गया है।
15. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** - परिशोधन अत्यावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environmental Responsibility) हेतु समिति को समस्त विवरण से सभी उपरोक्त निम्नानुसार प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:-

Capital Investment (In Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (In Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (In Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (In Lakh Rupees)
21.78	2%	0.43	Following activities at Government Primary School Rawanbhata, Village - Basin	
			Rain Water Harvesting System	0.71
			Plantation	0.10
			Total	0.81

16. परिशोधन अत्यावक द्वारा अनुमीक्षण के द्वारा बताया गया है कि कुल अवशेष मिट्टी 21,762 घनमीटर प्रतिदिन होगा। अत्यावकानुसार अवशेष मिट्टी की 7.5 मीटर (साईन वाटरपूरी) में 1,000 घनमीटर अवशेष मिट्टी को एकत्र कर पुनर्वास्यता किया जाना आवश्यक है तथा बीच अवशेष मिट्टी को सहमति प्राप्त सभी पर संशोधित करने हेतु समस्त अधिकारी से अनुमति अवगत करावित किया जाएगा।

Handwritten signature

Handwritten signature

17. बजट हेतु कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर फेजमेंट प्लान- परिशोधन आयोग द्वारा बताया गया कि बजट में कुल 88 खर्चों का है। परिसर में 8 खर्चों को प्राथमिकता दी जा रही है, जिसके द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति को प्राप्त करने के लिए खर्च किया गया है। बाकी 80 खर्चों को पूरे से ही पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त होने के कारण खर्चों द्वारा कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर फेजमेंट प्लान के तहत खर्च करने हेतु सवि नहीं की जा रही है। अब बजट में शामिल पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवंटित 8 खर्चों द्वारा कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर फेजमेंट प्लान प्रस्तुत किया गया है। कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर फेजमेंट प्लान के तहत निम्न कार्य प्रस्तावित हैं:-

- I. प्रदूषण नियंत्रण हेतु परिवहन के दौरान सड़कों/एटोप रोड में प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए प्रदूषण नियंत्रण 4 किमी तक चौड़ाई वाली हेतु अनुमानित राशि 2,40,000/- प्रति वर्ष खर्च किया जाएगा।
- II. गाड़ों को चौड़ा करने के दौरान सड़क 4 किमी तक चौड़ाई के साथ ही प्रदूषण को नियंत्रित हेतु अनुमानित राशि 12,84,750/- प्रत्येक वर्ष में खर्च किया जाएगा। इसके अतिरिक्त आगामी चार वर्षों तक सड़क-संभार हेतु अनुमानित राशि 4,14,880/- खर्च किया जाएगा।
- III. इन्फ्रास्ट्रक्चर फेजमेंट हेतु अनुमानित राशि 80,000/- प्रति वर्ष खर्च किया जाएगा।
- IV. सड़कों का संभार (Road Maintenance) हेतु अनुमानित राशि 2,00,000/- प्रति वर्ष खर्च किया जाएगा।
- V. पर्यावरणीय प्रदूषण नियंत्रण हेतु प्रदूषण नियंत्रण के अंतर्गत हेतु आवंटित राशि के तहत प्रदूषण नियंत्रण हेतु अनुमानित राशि 52,08,480/- खर्च किया जाएगा। प्रदूषण हेतु प्रदूषण को नियंत्रित हेतु अनुमानित राशि 52,08,480/- खर्च किया जाएगा। प्रदूषण हेतु प्रदूषण को नियंत्रित हेतु अनुमानित राशि 52,08,480/- खर्च किया जाएगा। प्रदूषण हेतु प्रदूषण को नियंत्रित हेतु अनुमानित राशि 52,08,480/- खर्च किया जाएगा।
- VI. पर्यावरणीय प्रदूषण नियंत्रण हेतु प्रदूषण नियंत्रण के अंतर्गत हेतु आवंटित राशि के तहत प्रदूषण नियंत्रण हेतु अनुमानित राशि 52,08,480/- खर्च किया जाएगा। प्रदूषण हेतु प्रदूषण को नियंत्रित हेतु अनुमानित राशि 52,08,480/- खर्च किया जाएगा। प्रदूषण हेतु प्रदूषण को नियंत्रित हेतु अनुमानित राशि 52,08,480/- खर्च किया जाएगा। प्रदूषण हेतु प्रदूषण को नियंत्रित हेतु अनुमानित राशि 52,08,480/- खर्च किया जाएगा।
- VII. पर्यावरणीय प्रदूषण नियंत्रण हेतु प्रदूषण नियंत्रण के अंतर्गत हेतु आवंटित राशि के तहत प्रदूषण नियंत्रण हेतु अनुमानित राशि 52,08,480/- खर्च किया जाएगा। प्रदूषण हेतु प्रदूषण को नियंत्रित हेतु अनुमानित राशि 52,08,480/- खर्च किया जाएगा। प्रदूषण हेतु प्रदूषण को नियंत्रित हेतु अनुमानित राशि 52,08,480/- खर्च किया जाएगा। प्रदूषण हेतु प्रदूषण को नियंत्रित हेतु अनुमानित राशि 52,08,480/- खर्च किया जाएगा।

18. भारत सरकार, पर्यावरण, जल और जलवायु परिवर्तन विभाग, नई दिल्ली द्वारा जारी ई.आई.ए. अधिसूचना, 2008 (एन.सी.ए.ए.) के अंतर्गत प्रदूषण नियंत्रण हेतु कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर फेजमेंट प्लान के तहत खर्च किया जा रहा है।

परिसर का यह है कि बजट में शामिल सभी खर्चों द्वारा प्रदूषण को पर्यावरणीय प्रदूषणों को नियंत्रित हेतु खर्चों को वित्तीय एवं वार्षिक प्रस्तुतियां सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है।

परिसर का यह है कि बजट में खर्च करने वाले खर्चों को वित्तीय परिसरों से पर्यावरणीय प्रदूषणों को नियंत्रित हेतु खर्चों को वित्तीय एवं वार्षिक प्रस्तुतियां सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है।



19. ई.आई.ए. रिपोर्ट का विश्लेषण—

- i. आज एवं कलु जल संदर्भ गुणवत्ता संबंधी जानकारी — प्रतिदिन जल विभाग 18/12/2019 से दिनांक 18/03/2020 के मध्य किया गया है। 10 बिजलीघर के अंतर्गत 8 स्थानों पर परिवेशीय जल गुणवत्ता मापन, 4 स्थानों पर सू-जल गुणवत्ता मापन, 4 स्थानों पर ध्वनि स्तर मापन, 3 स्थानों पर सतही जल गुणवत्ता तथा 3 स्थानों पर मिट्टी के जल से एकत्रित कर विश्लेषण किया गया है।
- ii. प्रतिदिन परिवर्तन के अनुसार पी.एच.₂₅ 18.1 से 22.4 हाईड्रोक्ल/फ्लोराई पी.एच.₂₅ 82.2 से 87.3 हाईड्रोक्ल/फ्लोराई एमपी, 8.2 से 9.4 हाईड्रोक्ल/फ्लोराई तथा एमपी₂₅ 10.1 से 18.4 हाईड्रोक्ल/फ्लोराई पाई पाई है। जो निर्दिष्ट मानक के अनुसंग है।
- iii. प्रतिदिन आज के आवाजस जल स्वीची की गुणवत्ता भारतीय मानक के अनुसार है।
- iv. परिवेशीय ध्वनि स्तर (Day time) 41.8 डीबीए से 51.8 डीबीए एवं रात्रि स्तर (Night time) 30.2 डीबीए से 33.2 डीबीए प्राप्त गया; जो जल शोध के निर्दिष्ट मानक के अनुसंग है।

20. लोक नुस्वाई दिनांक 18/03/2021 प्रातः 12:00 बजे स्थान पर संशुद्ध मूल्य बंधपत्र, सतही-सतही, जिला-परिवाहक में संलग्न हुई। लोक नुस्वाई प्रशासक सदस्य जल, सतही-सतही परिसर संरक्षण मंडल, तथा सतही जल सार, जिला-सतही के पर-दिनांक 24/03/2021 द्वारा वेरिफा किया गया है।

21. जलसुप्लाय की वीथान सुदृढ रूप से निम्न सुदृढ/विभाग प्रस्तुत किये गये हैं—

- i. सतही-सतही में कार्यालय कार्यालय तकनीक 22 वर्षों से संशुद्ध होकर ब्याक प्राप्त किन्तु इन दिनों में सतही संरक्षण की बात पर शोध का प्रारंभ किया जाता रहा है। लोक में जो सतही 50-55 मिटर या उससे भी अधिक गहराई में जल सत से संबंधित हो गये हैं, उन पर सतही कार्यवाही किए जाने तथा उन सतही को सतही द्वारा जल सत जल सतों को सतही सतही या उन सतही को सतही उन पर सुदृढीकरण के लिए प्रयास किया जाए। सतही संरक्षण के द्वारा सतही की सुदृढ के लिए प्रयास करना जल सत सतों के लिए। सर्वोत्तम कार्यवाही में सतही हुए सतही कार्य किया जाये एवं प्रयास से अनुसंग है कि जल सत सत पर लोक सतही।
- ii. सतही सतही द्वारा कार्यालय के सतही के लिए सतही में सतही जल सत सतों का सतही-सतही किया जाए।
- iii. सतही सतों को सतही हेतु प्रयास करा दी जाए।

लोक नुस्वाई की वीथान सतही गये विभिन्न सुदृढों की विवरण की दिशा में परिवर्तन प्रस्तावक की सतही से सतही प्रयास/करासतों के सतही विवरणानुसार है—

- i. लोक सतही के सतही सतही की जाएगी। सतही ही 1.5 मीटर की सतही हुए सतही सतों में सुदृढीकरण किया जायेगा। सतही सतही को सतही सतही सतही-सतही किया जायेगा।

4. खण्डों का एक-संख्य किया जाएगा तथा जल विद्युतगत किया जाएगा।
पट्टन धारों के विनाशे पुनर्स्थापना की व्यवस्था की जाएगी।

5. खानों में जलों की व्यवस्थाानुसार खननाई हेतु व्यवस्था की जाएगी।

23. **भाईनिंग बलोजर प्लान**— खदान बंद करने की पूर्ण विधिगत खदान की लंबाई हेतु 10 मीटर की गहराई तक 18.218 वर्गमीटर लंबाई पैदा हो एवं 3 मीटर की गहराई तक डॉक्टर बरौन/खली मिट्टी से खदान का 1,200 मी. पुनर्स्थापन किया जाना आवश्यक है। तथा हेतु खदान पर प्रस्तुत किया गया है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपर्युक्त सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय किया गया—

1. अखिल भारतीय डॉक्टर (इंजिनियरिंग) विभाग-गणेशपुर के द्वारा जमांक 44/ज.सि./ज.सि./न.सि./2020-21 गणेशपुर विभाग 31/08/2021 को अनुसार आवेदित खदान की 300 मीटर की सीमा अवस्थित 44 खदानों का कुल क्षेत्रफल 34.271 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (खान-बारीन) का क्षेत्रफल 2.88 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (खान-बारीन) की कुल क्षेत्रफल कुल क्षेत्रफल 37.152 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 300 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संयोजित खदानों का कुल क्षेत्रफल 9 हेक्टेयर का पचास अधिक होने को कारण यह खदान की-1 खली की गयी।

2. भारत सरकार, पंचायत, एन और जलवायु परिवर्तन निकाय, नई दिल्ली द्वारा जारी ईआईए, अधिसूचना, 2008 (एन एनओ) के प्रावधानों एवं भारतीय एन.पी.टी. द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार खानों में खाने वाली खदानों की पर्याप्त नतिविधि की सर्वोत्तम परीक्षा का करने वाले पृथक्पृथक् की परीक्षा हेतु खानों में खाने वाली खानों को शामिल करके हुए, खानों हेतु जीएम इन्फार्मेशन मैनेजमेंट प्लान तैयार किया जाने हेतु अधिसूचना, सचिवनालय, सीमाई तथा खनिज, इलाहाबाद, भारत, नया रायपुर जटिल नगर, जिला - रायपुर (छत्तीसगढ़) को एन से उपयुक्त कार्यवाही किये जाने हेतु निर्दिष्ट किया जाए।

3. समिति द्वारा विचार विमर्श उपर्युक्त सर्वसम्मति से आवेदक - मेसर्स इण्डियन स्टोन एंड ग्रेन (पै- की कर्नाट राहु) की खान-बारीन, इलाहाबाद-गणेशपुर, जिला-गणेशपुर के द्वारा जमांक 1882/1 एवं 1883 में किया गये स्टोन (ग्रेन खनिज) खदान, कुल क्षेत्रफल - 2.88 हेक्टेयर, खान - 3,474 टन प्रतिवर्ष हेतु सर्वोत्तम स्वीकृति दिए जाने की अनुमति की गई।

4. पर्याप्त ध्यान देने की पूर्ण आवेदक द्वारा क्षेत्र में उपलब्ध मिट्टी 21,782 घनमीटर की सीमा पट्टी 2.88 वर्गमीटर एवं गैर स्वीकृत क्षेत्र में व्यवस्थाानुसार भण्डारण करने की उपर्युक्त खली मिट्टी की व्यवस्था हेतु खान आवेदक से विधिगत अनुमति प्राप्त की जाए तथा अनुमति की प्रति एन.ई. ईआईए, छत्तीसगढ़ को प्रेषित की जाए।

अधिसूचना द्वारा बंदक में विचार - उपरोक्त खदान का आवेदक की दिनांक 24/08/2021 को संख्या 112वीं बंदक में विचार किया गया। अधिसूचना द्वारा नतीजा का अवलोकन किया गया। विचार विमर्श उपर्युक्त अधिसूचना द्वारा सर्वसम्मति से समिति की अनुमति की स्वीकार करके हुए आवेदक - मेसर्स इण्डियन स्टोन एंड ग्रेन (पै- की कर्नाट राहु) की खान-बारीन, इलाहाबाद-गणेशपुर, जिला-गणेशपुर के द्वारा जमांक 1882/1 एवं 1883 में किया गये स्टोन (ग्रेन खनिज) खदान, कुल



क्षेत्रफल - 0.88 हेक्टेयर, बनवा - 3474 टन प्रतिवर्ष हेतु निम्न अधिविज्ञान कार्य को
अंतिम पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने का निर्णय लिया गया-

"सदरान बंध होने को अन्ततः सदरान को पूर्णतः समाप्त करारोपण को साथ-साथ पूर्ण को
बीच में अधिविज्ञान व पर्यावरण जांच, विज्ञान-सुदर अन्ततः/भूमि कर्म व सिस्टम
को सेवा का सबे"

परिचालन प्रस्तावक को पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किया जाए।

11. मेसर्स भारतीय फार्म स्टोन कार्बन (प्री.- श्री प्रमोद सिंह बटवाल), धाम-बासीन,
सहरील-राजिप, जिला-राजिपूर (संविधान का नमूना क्रमांक 883)

अनुमति प्राप्त आवेदन - पूर्ण में प्रस्तुत नमूना - एमआर/ सीसी/ एमआर/ 43272/2018 दिनांक 28/10/2018 द्वारा टीओआर हेतु आवेदन किया गया था।
समान में प्रस्तुत नमूना - एमआर/ सीसी/ एमआर/ 43347/ 2020,
दिनांक 07/08/2020 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने हेतु ई.आई.ए. रिपोर्ट
अनुमति की गई है।

अनुमति का विवरण - यह प्रस्तावित फार्म स्टोन (ग्रीन खनिज) अन्ततः है। अन्ततः
धाम-बासीन, सहरील-राजिप, जिला-राजिपूर जिला अन्ततः क्रमांक 1328/2 सुदर
क्षेत्रफल - 0.40 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। अन्ततः की अधिविज्ञान अन्ततः -
3,032.4 टन प्रतिवर्ष है।

एमआर/सी, पर्यावरण को अन्ततः दिनांक 02/02/2020 द्वारा प्रस्ताव की-1 अन्ततः
का होने को अन्ततः अन्ततः अन्ततः, यह अन्ततः अधिविज्ञान अन्ततः द्वारा
अन्ततः 2018 में अधिविज्ञान अन्ततः अन्ततः अन्ततः (टीओआर) अन्ततः एमआर/ई
एमसी. रिपोर्ट अन्ततः अन्ततः/अन्ततः अन्ततः अन्ततः अन्ततः अन्ततः
ई.आई.ए. अधिविज्ञान, 2020 में अन्ततः अन्ततः 100 का अन्ततः अन्ततः (अन्ततः
सुदर अन्ततः) अन्ततः अन्ततः अन्ततः हेतु अन्ततः अन्ततः

परिचालन प्रस्तावक को एमआर/सी, पर्यावरण को अन्ततः दिनांक 21/08/2021
द्वारा अनुमति हेतु अन्ततः किया गया।

बीतक का विवरण -

(अ) समिति की अन्ततः बीतक दिनांक 31/05/2021-

अनुमति हेतु श्री प्रमोद सिंह बटवाल, एमआर/सी तथा अधिविज्ञान अन्ततः अन्ततः
अन्ततः अधिविज्ञान अन्ततः अधिविज्ञान, अधिविज्ञान को अन्ततः अधिविज्ञान अधिविज्ञान
अन्ततः अधिविज्ञान को अधिविज्ञान अन्ततः अधिविज्ञान अन्ततः अधिविज्ञान अन्ततः
अन्ततः अधिविज्ञान अन्ततः अधिविज्ञान अन्ततः अधिविज्ञान अन्ततः अधिविज्ञान अन्ततः

1. पूर्ण में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति अन्ततः अधिविज्ञान- इस अन्ततः को पूर्ण में
अन्ततः अधिविज्ञान अन्ततः अधिविज्ञान अन्ततः अधिविज्ञान अन्ततः अधिविज्ञान अन्ततः

2. अन्ततः अधिविज्ञान अन्ततः अधिविज्ञान अन्ततः अधिविज्ञान अन्ततः अधिविज्ञान अन्ततः
अन्ततः अधिविज्ञान अन्ततः अधिविज्ञान अन्ततः अधिविज्ञान अन्ततः अधिविज्ञान अन्ततः

3. अधिविज्ञान अधिविज्ञान अन्ततः अधिविज्ञान अन्ततः अधिविज्ञान अन्ततः अधिविज्ञान अन्ततः
अन्ततः अधिविज्ञान अन्ततः अधिविज्ञान अन्ततः अधिविज्ञान अन्ततः अधिविज्ञान अन्ततः

ज्ञापन क्रमांक 8813-14/सन्निह/प्रा.प्रा.अनुसंधान/न.अ.03/2018 मंत्र. राज्य
स्तर, दिनांक 14/10/2018 द्वारा अनुमोदित है।

4. 800 मीटर की परिधि में निम्न खदान - कार्यलय कलेक्टर (अतिरिक्त राज्य), जिला-परिषद के ज्ञापन क्रमांक 77/सन्नि/अ.स./न.अ./2020-21 परिषद, दिनांक 31/05/2021 के अनुसार आवंटित खदान से 800 मीटर की सीमा अवस्थित 44 खदानें, क्षेत्रफल 24.751 हेक्टेयर है।
5. 200 मीटर की परिधि में निम्न सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं - कार्यलय कलेक्टर (अतिरिक्त राज्य), जिला-परिषद के ज्ञापन क्रमांक 107/सन्नि/न.अ./2018 परिषद, दिनांक 18/11/2018 द्वारा जारी उमाल पर अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, मठ, अस्पताल, स्कूल, पुस्तकालय, एम.एच.एल. एवं अन्य आवृत्ति अतिरिक्त क्षेत्र विहित नहीं है।
6. भूमि एवं एल.ओ.आई. संबंधी विवरण - भूमि आवंटन के रूप में है, जिसमें एल.ओ.आई. कार्यलय कलेक्टर (अतिरिक्त राज्य) जिला-परिषद के ज्ञापन क्रमांक 228/सन्नि/ई.मि.सि.स./2018-19 परिषद दिनांक 27/04/2018 द्वारा जारी की गई, जिसकी प्रकृत जारी दिनांक से 4 महीने की अवधि तक थी। एल.ओ.आई. की प्रकृत वृद्धि करके पंचायत समिति क्षेत्रों तथा सन्निह, मंत्र. राज्य स्तर के पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक 18/2020 द्वारा जारी पत्र दिनांक 04/11/2020 की प्रति प्रस्तुत की गई है जिसके अनुसार "विवेचना के आधार पर पुनरीक्षण प्रकरण स्वीकार करते हुए, जिला कार्यलय (अतिरिक्त राज्य), परिषद के पत्र दिनांक 27/04/2018 द्वारा जारी आलय पर में निर्दिष्ट सर्तों का पालन पुनरीक्षणकर्ता की उम्मीद किए बदेन, निवासी धाम बासीय, विकासखण्ड चिन्नेखर जिला परिषद द्वारा कर जितने जाने की स्थिति में अलीशरद शासन, सन्निह राज्य विभाग द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक एच. 8-42/2012/13, दिनांक 28/08/2020 के परिपेक्ष में छातीसखर पीपल अतिरिक्त निम्न, 2018 के निम्न 42(5) के तहत उक्त प्रकरण में निम्नानुसार अतिरिक्त कार्यवाही करने हेतु अतिरिक्त समयावधि प्रदान करती हुए प्रकरण कलेक्टर, जिला परिषद को प्रत्यावर्तित किया जाता है।" होने बताया गया है।
7. डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट - वर्ष 2018 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
8. वन विभाग का अनुमोदित उमाल पर - कार्यलय कलेक्टर (अतिरिक्त राज्य), परिषद कलेक्टर परिषद, जिला-परिषद के ज्ञापन क्रमांक/सन्नि/अ.प्रा.सि./2018 परिषद दिनांक 20/11/2018 को जारी अनुमोदित उमाल पर अनुसार आवंटित क्षेत्र वन भूमि की सीमा से 2.5 कि.मी. तथा आसपास अनुमोदित 80 कि.मी. की दूरी पर है।
9. महाकूर्म संरचनाओं की दूरी - निम्नलिखित आवासीय धाम-बासीय 0.8 कि.मी., स्कूल धाम-बासीय 0.8 कि.मी. एवं अस्पताल चिन्नेखर 0.4 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 1228 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 54 कि.मी. दूर है। नदी नदी 2.5 कि.मी. एवं कालाव 0.21 कि.मी. दूर है।
10. पर्यावरण/संरचना संबंधी विवरण - पर्यावरण प्रभाव द्वारा 12 कि.मी. की परिधि में संरक्षित क्षेत्र, राष्ट्रीय उद्यान, आसपास, संरक्षित





अपूर्ण निवेशन बोर्ड द्वारा घोषित वित्तिकारी प्रोजेक्ट्स एरियर, पर्यावरणीय और सामाजिक क्षेत्र या घोषित वित्तिकारी क्षेत्र किता नहीं होना अनिवार्य किया है।

11. **बचत खाता एवं बचत का विवरण** – वित्तिकारीकरण विवरण अनुसार 20,000 टन, माइनेशन विवरण अनुसार 21,700 टन एवं वित्तिकारीकरण विवरण अनुसार 20,000 टन हैं। लीड की 1.5 मीटर चौड़ी सीमा चूटी (अवकाश के लिए घोषित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 1,728 वर्गमीटर है। अयोग बान्ट सेकुलर विधि के अन्तर्गत किया जाएगा। अन्तर्गत की घोषित अधिकांश गहराई 10 मीटर है। लीड क्षेत्र में कक्षा आवृत्त नहीं है एवं इसकी कक्षाएं का प्रस्ताव नहीं किया गया है। ऊपरी मिट्टी की गहराई 8 मीटर है तथा कुल मात्र 10,000 वर्गमीटर है। क्षेत्र की गहराई 3 मीटर एवं चौड़ाई 3 मीटर है। अन्तर्गत की घोषित जांच 10 वर्ष है। वर्षिक अधिकांश अन्तर्गत का विवरण निम्नप्रकार है—

वर्ष	अन्तर्गत अन्तर्गत (टन)
अन्तर्गत	3,000
द्वितीय	2,911
तृतीय	2,794
चतुर्थ	2,674
पंचम	2,552
छठम	2,428
सातम	2,302
आठम	130
नौम	125
दशम	130

नोट: अन्तर्गत में अन्तर्गत के बाद के वर्षों का अनुमानित किया गया है।

12. **जल आपूर्ति** – परिशोधन हेतु आवश्यक जल की मात्रा 4.1 क्यूमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति द्वारा घोषित द्वारा क्षेत्र के माध्यम से की जाएगी। इस काम में घोषित का अन्तर्गत वर्ष अन्तर्गत वर्ष प्रस्तुत किया गया है।
13. **पुनरावृत्त कार्य** – लीड क्षेत्र के चारों ओर 1.5 मीटर चौड़े क्षेत्र में 345 मीटर पुनरावृत्त कार्य में की किया जाएगा।
14. **अनिवार्य पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परिशोधन अन्तर्गत द्वारा सी.ई. आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के द्वारा घोषित के वर्ष अन्तर्गत निम्नप्रकार अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया है—

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
14.45	2%	0.29	Following activities at Government Higher Secondary School, Village – Basin	
			Rain Water Harvesting System	1.19
			Total	1.18

15. परिशोधन प्रस्तावक द्वारा अनुसंधान के द्वारा बताया गया है कि कुल ऊर्जा मिट्टी 10,000 घनमीटर (जमीन द्वारा)। आसपासका भूभाग ऊर्जा मिट्टी की 7.5 मीटर (गहरे बागवानी) में 100 घनमीटर ऊर्जा मिट्टी को एकत्र कर, कुशासन किया जाना आवश्यक है तथा इन ऊर्जा मिट्टी को एकत्रित कर भूमि पर एकत्रित करने हेतु सख्त व्यवस्था को अनुमति प्रस्ताव भेजा गया है।

16. क्लस्टर हेतु न्यूनतम इन्फ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में प्लान- परिशोधन प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि क्लस्टर में कुल 40 खदानें जारी हैं। वर्तमान में 8 खदानों को एल.सी.आई. जारी की गई है, जिससे द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति को प्राप्त किया गया है। बाक 32 खदानों को पूर्ण से ही पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त होने के कारण इनकी द्वारा न्यूनतम इन्फ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में प्लान तैयार किया जाने हेतु सखि नहीं की जा रही है। इस क्लस्टर में शामिल पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन 8 खदानों द्वारा न्यूनतम इन्फ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में प्लान प्रस्तुत किया गया है। न्यूनतम इन्फ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में प्लान को तहत किम लागू प्रस्तावित है-

1. प्रदूषण नियंत्रण हेतु भविष्य में टीएम सड़कों/दुर्घम रोड से प्रदूषण को नियंत्रण के लिए प्रदूषण हेतु एक डिवाइस, 4 किमी. तक प्रदूषण नहीं हेतु अनुमति प्रति 2,40,000/- प्रतिवर्ष व्यय किया जाएगा।
2. सड़क की प्रदूषण को रोकने के लिए एक 4 किमी. तक सड़क से एक दो किलोमीटर में कुशासन हेतु अनुमति प्रति 12,00,750/- प्रत्येक वर्ष में व्यय किया जाएगा। इसके अतिरिक्त आगामी सड़क वर्ष तक सड़क-विकास हेतु अनुमति प्रति 4,14,850/- व्यय किया जाएगा।
3. इन्फ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में हेतु अनुमति प्रति 80,000/- प्रतिवर्ष व्यय किया जाएगा।
4. सड़कों का रखरखाव (Road Maintenance) हेतु अनुमति प्रति 2,00,000/- प्रतिवर्ष व्यय किया जाएगा।
5. पर्यावरणीय सड़क, जल, मिट्टी एवं अन्य गुणवत्ता के आकलन हेतु पर्यावरणीय सेक्टर में (Half Yearly Environment Monitoring) किया जाएगा।
6. इस कार्य हेतु प्रथम वर्ष वर्ष की विस्तृत कार्ययोजना की तैयारी करी 100 अनुमति प्रति सड़क 50,00,400/- व्यय करना प्रस्तावित किया गया है। इस हेतु सख्त मात भी प्रस्तुत किया गया है। न्यूनतम इन्फ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में प्लान के विकास हेतु सखि द्वारा सखि लागू की गई।
7. सेक्टर में 12 जमीनों को सेक्टर में सखि आ सखि करवा प्रस्तावित है।

17. सखि सखि, पर्यावरण, सखि और प्रदूषण सेक्टर में सखि, सखि द्वारा जारी ई.आई.ए. अक्टूबर 2008 (सखि सेक्टर) के प्रस्तावों एवं सामाजिक एवं जी.पी. द्वारा जारी सखि के अनुसार सखि क्लस्टर हेतु न्यूनतम इन्फ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में प्लान तैयार किया जाना आवश्यक है।

सखि का मत है कि क्लस्टर में शामिल सभी खदानों द्वारा सखि को पर्यावरणीय सखि की सखि हेतु सखि की विधीय एवं भौतिक सखि सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है।

सखि का मत है कि क्लस्टर में जाने वाले खदानों की सखि सेक्टर में जाने से पर्यावरणीय सखि पर सखि वाले सखि की सखि हेतु क्लस्टर में जाने

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

पानी सफाया खदानों को शामिल करने के लिए, कालका डेपू कोमल इन्फ्रास्ट्रक्चर्स लिमिटेड द्वारा तैयार किए जाने वाले डेपू संयोजक, संयोजकता, नीतिगत तथा तकनीकी, इंजीनियरिंग, नया उपयुक्त खदान खनन, जिला - राधपुर (उत्तरांचल) के साथ से उपयुक्त कार्यकारी किए जाने उचित होगा।

19. ई.आई.ए. रिपोर्ट का विश्लेषण-

i. जल एवं वायु आदि गुणवत्ता संबंधी जानकारी - नीतिगत कार्य दिनांक 18/02/2021 से दिनांक 18/02/2020 से प्राप्त किया गया है। 10 किमीघंटा के आगे 8 खानों पर पर्यावरणीय वायु गुणवत्ता खान, 4 खानों पर भू-जल गुणवत्ता खान, 8 खानों पर ध्वनि स्तर खान, 2 खानों पर जल की जल गुणवत्ता तथा 3 खानों पर मिट्टी के नमूने एकत्रित कर विश्लेषण किया गया है।

ii. नीतिगत परिणामों के अनुसार पीएम₁₀ 18.1 से 27.4 माईक्रोग्राम/घनमीटर, पीएम_{2.5} 43.2 से 87.3 माईक्रोग्राम/घनमीटर, एसओ₂ 8.2 से 8.4 माईक्रोग्राम/घनमीटर तथा एसओ₃ 82.1 से 18.4 माईक्रोग्राम/घनमीटर पाई गई है। जो निर्धारित मानक के अनुसार है।

iii. पर्यावरण तथा के आसपास जल स्रोतों की गुणवत्ता राष्ट्रीय मानक के अनुसार है।

iv. पर्यावरणीय ध्वनि स्तर (Day time) 41.8 डीबीए से 51.8 डीबीए एवं ध्वनि स्तर (Night time) 30.2 डीबीए से 33.2 डीबीए प्राप्त गया। जो उच्च स्तर के निर्धारित मानक के अनुसार है।

20. लोक सुनवाई दिनांक 10/02/2021 को 1200 बजे शाम 5:30 बजे का समय भवन काठार, तहसील-रामि, जिला-राधपुर में आयोजित हुई। लोक सुनवाई प्रमुखित सदस्य सचिव, उत्तरांचल पर्यावरण संरक्षण मंडल, नया राधपुर जल सभ, जिला-राधपुर के साथ दिनांक 21/02/2021 द्वारा उचित किया गया है।

20. जनसुनवाई के दौरान मुख्य रूप से निम्न मुद्दाएं/विचार प्रस्तुत किये गये हैं:-

- बायो-रिजर्व में पर्यावरण खदानों तकरीबन 80 वर्षों से संरक्षित होना बताया गया किन्तु इन दिनों में खदान संयोजक के नाम पर क्षेत्र का खंडन किया जा रहा है। क्षेत्र में जो खदानें 80-85 मिटर या उससे भी अधिक गहराई में अर्थ स्तर से संरक्षित हो गई हैं, उन पर खरीद कार्रवाई किए जाने तथा इन खदानों को खानों द्वारा खनन कर लोगों को खानों पर खनन कर इन खदानों को खंडन एवं जो खानों के लिए उपयोग किया जाए। खदान संयोजकों को इन खानों की सुरक्षा के लिए प्रतिबन्धन लगाव किए जाने चाहिए। राष्ट्रीय मानक से उच्च हद खनन कार्य किए जाने एवं खानों से अनुचित है कि अर्थ स्तर पर लोक खानों।
- खदानों संयोजकों द्वारा पर्यावरण के प्रदूषण के लिए खानों में जाते जाने वाले सड़कों का रख-रखाव किया जाए।
- स्थानीय लोगों को खानों डेपू सम्पत्तिका दी जाए।

लोक सुनवाई के दौरान खानों के विभिन्न मुद्दों के निराकरण को दिशा में पर्यावरण प्रशासक की ओर से उपस्थित प्रतिनिधि/कंसल्टेंट का कथन निम्नानुसार है:-

1. सीमा क्षेत्र को बाकी क्षेत्र बंदिम की जायेगी। स्वयं ही 1.5 मीटर की परिधि एवं पट्टन मार्ग में पुनःसंरचना किया जायेगा। अत्यधिक खदान को निम्नानुसार सख-सखान किया जायेगा।
 2. खदानों का सख-सखान किया जाएगा तथा जल नियंत्रण किया जाएगा। पट्टन मार्ग की किनारे पुनःसंरचना की व्यवस्था की जाएगी।
 3. स्थानीय लोगों को आवश्यकतानुसार सेवाएं हेतु प्राथमिकता दी जाएगी।
21. **साईनिंग बल्लोवर प्लान**— खदान बंद करने की पूर्ण परिधि एवं खदान को सख देतु 10 मीटर की गहराई तक 11.782 घनमीटर बल्लोवर देतु के एवं 8 मीटर की गहराई तक अक्षर बलीन/उपरी मिट्टी से सख कर 300 मग पुनःसंरचना किया जाना अस्थापित है। जसा हेतु सख एवं अखुत किया गया है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय किया गया—

1. **आर्थिक कलेक्टर (सुनिच सखत) विभा-परिषद के द्वारा अंक 17/का. सि./अ.स./न.क./2020-21 परिषद, दिनांक 21/08/2021 के अनुसार अस्थापित खदान से 300 मीटर की सीमा अस्थिता 44 खदानें, क्षेत्रफल 24.721 हेक्टेयर है। अस्थापित खदान (घाम-बलीन) का सख 0.40 हेक्टेयर है। इस खदान अस्थापित खदान (घाम-बलीन) की मिलाकर कुल क्षेत्रफल 25.121 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 300 मीटर की परिधि में स्वीकृत/अस्थापित खदानों का कुल क्षेत्रफल 6 हेक्टेयर या उससे अधिक होने के कारण यह खदान बी-1 श्रेणी की नहीं रही।**
2. **गारु सखार, परीवारण, वन और खानदानु परिषदीय सखतय, नई दिल्ली द्वारा जारी ई.अर्द्धतु अस्थितुकरण, 2000 (याता अस्थापित) के अस्थापित एवं स्थानीय एवं जी.टी. द्वारा जारी अस्थापित के अनुसार सखतय से जारी वाली खदानों की अस्थापित परिधिधियों से परीवारणीय धरती वर सखने वाले पुनःसंरचना की अस्थापित हेतु सखतय में जाने वाली सखतय खदानों को सखित करी हेतु, सखतय हेतु सखित पुनःसंरचनागत केनेअस्थापित प्लान वीरर किरी जाने हेतु सखतय, सखतयअस्थापित, अस्थितु तथा अस्थितु, अस्थापित सखतय, तथा सखतय अस्थापित सखतय, विभा - सखतय (अस्थापित) के सख से सखतय अस्थापित किरी जाने हेतु निर्दिष्ट किया जात।**
3. **समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से अस्थापित - केने अस्थित सखतय सखतय नई (जी-1 की अस्थापित विभा सखतय) की घाम-बलीन, सखतय-अस्थित, विभा-परिषद के अस्थापित अंक 1320/1 में किया सखतय सखतय (सीमा अस्थित) खदान, कुल क्षेत्रफल - 0.40 हेक्टेयर, सखतय - 1.000 एवं अस्थापित हेतु परीवारणीय अस्थापित दिर जाने की अनुमति की गई।**
4. **सखतय अस्थापित करने के पूर्ण अस्थापित द्वारा क्षेत्र में अस्थापित मिट्टी 10.230 घनमीटर को सीमा मिट्टी 1.728 घनमीटर एवं वीर साईनिंग क्षेत्र में अस्थापितअस्थापित सखतय करने के अस्थापित अस्थापित मिट्टी के सखतय हेतु सखतय अस्थापित से अस्थापित अनुमति अस्थापित की जात तथा अनुमति की अस्थापित एवं ई.अर्द्धतु, अस्थापित को अस्थापित की जात।**

अस्थापित द्वारा अस्थापित से विचार - अस्थापित अस्थापित वर अस्थापित जी विभा 24/08/2021 के सखतय 112वीं बैठक में विचार किया गया। अस्थापित द्वारा सखतय वर अस्थापित किया गया। विचार विमर्श अस्थापित अस्थापित द्वारा सर्वसम्मति से समिति की अनुमति को अस्थापित अस्थापित हेतु अस्थापित - केने अस्थित सखतय सखतय

(Handwritten signatures and marks at the bottom of the page)

3. **संरक्षणन क्षेत्रों का -** जारी पत्र, इन्फार्मेटिव मैगजिन पत्र एवं जारी आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है, जो एक संरक्षण (खनिज) संरक्षण, भूमि एवं खनिज, नया संपूर्ण अंश नगर, इन्फार्मेटिव के द्वारा अंशक 8/28-89/खनिज/संरक्षण/न.क.28/2019 नया संपूर्ण अंश नगर, दिनांक 14/10/2019 द्वारा अनुमोदित है।
4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान -** कार्यालय इन्फार्मेटिव (खनिज संरक्षण) जिला-परिचर के द्वारा अंशक 81/खनिज/अंश/न.क./2020-21 परिचर, दिनांक 31/08/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर की सीमा अंतर्गत 44 खदानें, सीमाएं 34.881 हेक्टेयर है।
5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरक्षण -** कार्यालय इन्फार्मेटिव (खनिज संरक्षण) जिला-परिचर के द्वारा अंशक 104/खनिज/न.क./2019 परिचर, दिनांक 18/11/2019 द्वारा जारी अंशक पर अनुसार वल खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे परिवार, परिवार, अस्पताल, स्कूल, पुस्तकालय, एच.एस.डी. एवं अन्य संपूर्ण अति प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।
6. **भूमि एवं एल.ओ.आई. संबंधी विवरण -** भूमि आवेदन के नाम पर है, जिसमें एल.ओ.आई. कार्यालय इन्फार्मेटिव (खनिज संरक्षण) जिला-परिचर के द्वारा अंशक 228/खनिज/ई निविदा/2018-19 परिचर, दिनांक 27/04/2019 द्वारा जारी की गई, जिसकी शर्तों जारी दिनांक से 8 महीने की अवधि तक की। एल.ओ.आई. की शर्तों वृद्धि का मत न्यायलय अंतर्गत भूमि एवं खनिज, नया संपूर्ण अंश नगर के पुनरीक्षण अंशक 21/2020 द्वारा जारी परिचर अंशक दिनांक 04/11/2020 की प्रति प्रस्तुत की गई है जिसके अनुसार "विशेषता के आधार पर पुनरीक्षण प्रकरण संचालित करने हेतु, जिला कार्यालय (खनिज संरक्षण) परिचर के पर दिनांक 27/04/2019 द्वारा जारी अंशक पर में निर्मित शर्तों का पालन पुनरीक्षणकर्ता की धारणाएं, वदु, निवासी, काम बलगत, जिला परिचर द्वारा कर लिये जाने की स्थिति में अंतर्गत शासन, खनिज संरक्षण विभाग द्वारा जारी अधिसूचना अंशक एक 8-42/2012/12, दिनांक 26/06/2020 के परिचर में अंतर्गत सार्वजनिक खनिज नियम, 2015 के नियम 42(3) के अंतर्गत वल प्रकरण में निम्नानुसार अधिन कार्यवाही करने हेतु अधिसूचित धारणाएं प्रदान करने हेतु प्रकरण इन्फार्मेटिव जिला परिचर को प्रेषित किया जाता है।" शेष शर्तों पर है।
7. **विशेषता सर्वे रिपोर्ट -** वर्ष 2018 की विश्वीय सर्वे रिपोर्ट (Global Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
8. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र -** कार्यालय इन्फार्मेटिव (खनिज संरक्षण) परिचर इन्फार्मेटिव जिला-परिचर के द्वारा अंशक /खनिज/अनापत्ति/4332 परिचर, दिनांक 20/11/2019 की जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र वन भूमि की सीमा से 2.5 कि.मी. तथा अनापत्ति अनापत्ति 81 कि.मी. की दूरी पर है।
9. **संरक्षण क्षेत्रों की दूरी -** निकटतम अंशक काम-बलगत 0.28 कि.मी., स्कूल काम-बलगत 0.8 कि.मी., एवं अनापत्ति निर्माण 0.3 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 118 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 27 कि.मी. दूर है। मुख्य नदी 3.7 कि.मी. एवं तालाब 0.7 कि.मी. दूर है।

[Signature]

अंशक

[Signature]

13.84	2%	0.25	Following activities at Government Primary School, Village - Barhata		
			Rain Water Harvesting	1.20	
			Total	1.20	

16. परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुवीक्षण के द्वारा बताया गया है कि कुल खोली मिट्टी 9,144 घनमीटर जमा होना। आसपास-भूखण्ड खोली मिट्टी को 7.5 मीटर (साईन बाउण्ड्री) में 1,400 घनमीटर खोली मिट्टी को एकत्र कर पुनर्स्थापन किया जाना उपाययोजित है तथा शेष खोली मिट्टी को खानसे प्राप्त भूमि पर संचित रखने हेतु खान प्रधिकारी को अनुचित उपायों संबंधित किया जाएगा।

16. खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा बंदूकी में प्रारम्भ - अनुवीक्षण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि खोली क्षेत्र के खोली को 7.5 मीटर की सीमा बंदूकी का कुल क्षेत्रफल 2,281 वर्गमीटर क्षेत्र है, जिसमें से 255 वर्गमीटर क्षेत्र 3 मीटर गहराई तक उपाययोजित है। उपरोक्त भूमि में उपाययोजित क्षेत्र को पुनर्स्थापन कर पुनर्स्थापन कर कार्य किया जाएगा। अतः उपरोक्त का संचयन खोली हुए अनुसूचित साईनिंग पराम प्रस्तुत किया गया है।

17. उपाययोजित है कि खान संचयन, पाईपरिंग, एवं एवं उपाययोजित परियोजना संचयन, नई दिल्ली द्वारा तीन कोल साईनिंग प्रोसेक्यूट हेतु मानक पाईपरिंग जारी जारी की गई है। यह खानक 1111.00 के अनुसार-

"The Project Proponent shall develop greenbelt in 7.5m wide safety zone all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. The whole green belt shall be developed within first 5 years starting from windward side of the active mining area. The development of greenbelt shall be governed as per the EC granted by the Ministry irrespective of the stipulation made in approved mine plan."

उक्त मानक जारी के अनुसार साईन खोली क्षेत्र के अंदर 7.5 मीटर चौड़े क्षेत्री क्षेत्र में पुनर्स्थापन किया जाना उपाययोजित है।

18. बसस्टॉप हेतु कोयला इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवेलपमेंट फंड- परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि बसस्टॉप में कुल 48 खदानें खोली हैं। कोयला में 8 खदानों को एस.ओ.आई. जारी की गई है, जिसके द्वारा पर्यावरणीय सौकरुति के लिए आवेदन किया गया है। क्षेत्र 27 खदानों को पूर्व से ही पर्यावरणीय सौकरुति प्राप्त होने की कारण उनको द्वारा कोयला इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवेलपमेंट फंडन विचार किये जाने हेतु सचि नहीं जा जा रही है। अतः बसस्टॉप में शामिल पर्यावरणीय सौकरुति हेतु आवेदन 8 खदानों द्वारा कोयला इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवेलपमेंट फंडन प्रस्तुत किया गया है। कोयला इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवेलपमेंट फंडन के लागू नियम कार्य उपाययोजित है-

1. अनुदान निषेधन हेतु परिसरन के दौरान सड़कों/एरोन रोड के उपायन भूखण्ड उपाययोजन के निषेधन हेतु जल विद्यमान, 4 कि.मी, तक पूर्व में जारी हेतु अनुसूचित राशि 2,40,000/- प्रतिवर्ष जब किया जाएगा।
2. रास को पूर्व में जारी कर 4 कि.मी. तक तक से कम हो खान में पुनर्स्थापन हेतु अनुसूचित राशि 12,94,732/- प्रथम वर्ष में जब किया जाएगा। इसको अतिरिक्त अगामी चार वर्षों तक 150-संवर्ष हेतु अनुसूचित राशि 4,14,880/- जब किया जाएगा।

20/11/2024

- 18. इन्फ्रास्ट्रक्चर मॉनिटरिंग हेतु अनुमानित खर्च 80,000/- इतिर्यं व्यय किया जाएगा।
- 19. सड़कों का रखरखाव (Road Maintenance) हेतु अनुमानित खर्च 2,00,000/- इतिर्यं व्यय किया जाएगा।
- 20. परिवेशीय वायु, जल, मिट्टी एवं ध्वनि गुणवत्ता के अंशकाल हेतु वार्षिक मॉनिटरिंग कार्य (Half Yearly Environment Monitoring) किया जाएगा।
- 21. उच्च कार्य हेतु उच्च पांच वर्षों की विस्तृत कार्ययोजना की योजना कार्य हेतु अनुमानित खर्च करीब 52,00,450/- व्यय करना प्रस्तावित किया गया है। उक्त हेतु राज्य पत्र में प्रकाश किया गया है। अगिल इन्फ्रास्ट्रक्चर मॉनिटरिंग प्रकल्प के क्रियान्वयन हेतु समिति द्वारा सहमति व्यक्त की गई।
- 22. मॉनिटरिंग हेतु 12 लोगों की मॉनिटरिंग समिति का गठन करना प्रस्तावित है।

19. भारत सरकार, पर्यावरण, जल और जलवायु परिवर्तन विभाग, नई दिल्ली द्वारा जारी ई.आई.ए. अधिसूचना 2008 (विद्युत संशोधन) के प्रावधानों एवं पर्यावरण एवं जल विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार सम्पूर्ण प्रस्ताव हेतु अगिल इन्फ्रास्ट्रक्चर मॉनिटरिंग प्रकल्प तैयार किया जाना आवश्यक है।

समिति का मत है कि प्रस्ताव में शामिल सभी खदानों द्वारा बनाने की पर्यावरणीय दुष्प्रभावों की रोकथाम हेतु खदानों की वितरीक एवं भौतिक संरक्षणात्मक सुविधियां किया जाना आवश्यक है।

समिति का मत है कि प्रस्ताव में आने वाले खदानों की रोकथाम सुविधियों से पर्यावरणीय प्रभावों का घटने वाले दुष्प्रभावों की रोकथाम हेतु प्रस्ताव में आने वाली समस्त खदानों को शामिल करते हुए, प्रस्ताव हेतु अगिल इन्फ्रास्ट्रक्चर मॉनिटरिंग प्रकल्प तैयार किया जाने हेतु संचालक, संचालनवादा, भूमिदाता तथा अगिल, इंडस्ट्रियल भवन, मध्य प्रकल्प अंशकाल, विद्युत - वायुमय (इंजिनियरिंग) की साथ में सम्पूर्ण कार्यवाही किया जाना उचित होगा।

20. ई.आई.ए. रिपोर्ट का विश्लेषण:-

- 1. जल एवं वायु आदि गुणवत्ता संबंधी जानकारी - मॉनिटरिंग कार्य दिनांक 18/12/2019 से दिनांक 13/03/2020 के मध्य किया गया है। 10 मिटरमीटर के अंतराल 8 स्थानों पर परिवेशीय वायु गुणवत्ता मापन, 4 स्थानों पर सू-जल गुणवत्ता मापन, 8 स्थानों पर ध्वनि स्तर मापन, 3 स्थानों पर सड़की जल गुणवत्ता तथा 3 स्थानों पर मिट्टी के लहरे एकत्रित कर विश्लेषण किया गया है।
- 2. मॉनिटरिंग परिणामों के अनुसार पी.एम₁₀ 18.1 से 27.4 माइक्रोग्राम/घनमीटर, पी.एम_{2.5} 42.3 से 67.3 माइक्रोग्राम/घनमीटर, एमपी, 8.2 से 9.4 माइक्रोग्राम/घनमीटर तथा एमपी₁₀ 10.1 से 18.4 माइक्रोग्राम/घनमीटर कई गई है। जो निर्धारित मानक के अल्पतम है।
- 3. परिशोधना प्रकल्प के अंशकाल जल स्रोतों की गुणवत्ता वार्षिक मापन के अनुसार है।

10. परिमितोच्च ज्वलित जाल (Day Zone) 41.8 सीमीए से 51.8 सीमीए तक ज्वलित जाल (Night Zone) 30.3 सीमीए से 33.3 सीमीए तक गया। जो जाल क्षेत्र को निर्धारित मानक को अनुसरण है।

21. लोक सुनवाई दिनांक 20/02/2021 को 1200 बजे शाम 4PM कोयला मजदूर अलाउद्दौल्लाह, तहसील-दरिया, जिला-परिषदबाद में आयोजन हुई। लोक सुनवाई दस्तावेज संशोधन सहित, अतीतकालीन कार्यवाही संशोधन संशोधन, तथा राजपुर अटल नगर, जिला-राजपुर के पत्र दिनांक 25/02/2021 द्वारा प्रेषित किया गया है।

22. जनसुनवाई के दौरान मुख्य रूप से निम्न मुद्दाएं/विषय प्रस्तुत किये गये हैं:-

1. राष्ट्रीय-संस्थाओं में कार्यरत खदानों तकरीबन 50 वर्षों से संयोजित जाल बंधन तथा किन्तु इतने दिनों में खदान संभालन को मात्र पर क्षेत्र का दोषण किया जाता रहा है। क्षेत्र में जो खदानें 30-50 फिट का तगरे से अधिक गहराई में जमीन सतह से संयोजित हो रही हैं, उन पर राष्ट्रीय कार्यवाही किन्तु जाने तथा उन खदानों को बालन द्वारा जमा उन लोगों को बाहरी खानन का उन खदानों को बालन उन पर सुधारोपन को सिद्ध उपरोक्त किया जाए। खदान संभालनों के द्वारा खानन की मुख्य के लिए देखभालगत तालम किन्तु जाने सहित। कार्यवाहीय संपन्नो में सतह से खानन कार्य किया जाने एवं प्रशासन को अनुदेश है कि जमीन बालन पर रोक लगाये।
2. खदानों संभालनों द्वारा कार्यवाहीय को परिचालन के लिए उपरोक्त से जाने जाने वाले सड़कों का रख-रखाव किया जाए।
3. स्थानीय लोगों को रोजगार हेतु प्रथमिकता दी जाए।

लोक सुनवाई के दौरान चतारों वर्षे विभिन्न मुद्दों के निराकरण की दिशा में परिशोधना प्रस्तावक की ओर से कार्यवाहीय प्रतिनिधि/अलाउद्दौल्लाह का कथन निम्नानुसार है:-

1. लोक क्षेत्र के सतह जाल भंडित की जाएगी। साथ ही 1.5 मीटर की परिधि एवं गहराई सतह से सुधारोपन किया जायेगा। अत्यन्त खदान को निषणानुसार रख-रखाव किया जायेगा।
2. सड़कों का रख-रखाव किया जाएगा तथा जाल विद्यमान किया जाएगा। पट्टन सतह के तिनारे सुधारोपन की व्यवस्था की जाएगी।
3. स्थानीय लोगों को अलाउद्दौल्लाहनुसार रोजगार हेतु प्रथमिकता दी जायेगी।

23. राष्ट्रीय कार्यवाहीय बंधन- खदान बंद करने के पूर्व निम्नलिखित खदानों में भंडार हेतु 10 मीटर की गहराई तक 12.5x9 फुटकीटर बंधाई पैस में एवं 5 मीटर की गहराई तक जोखर बंधन/उपरी सिटी में भंडार कर 800 तक सुधारोपन किया जाना प्रस्तावित है। उक्त हेतु साथ पर प्रस्तुत किया गया है।

कमिटी द्वारा विचार विमर्श उपरोक्त कार्यवाहीय से निम्नानुसार निर्णय किया गया-

1. कार्यवाहीय कार्यवाहीय (अतीत सतह), जिला-परिषदबाद के उपरोक्त अलाउद्दौल्लाह दि/अ.स./प.स./2020-21 परिषदबाद, दिनांक 21/02/2021 के अनुसार अतीत खदान में 500 मीटर से नीचे अत्यन्त 44 खदानों संभालन 34.821 हेक्टर है। अतीत खदान (राम-अलाउद्दौल्लाह) का क्षेत्रफल 0.48 हेक्टर है। उप



प्रमाण आवेदित खदान (घान-बन्धारा) की मितावन कुल गन्दा 35-151 हेक्टरमें है। खदान की सीमा में 500 मीटर की परिधि में लीकृत/संचयित खदानों का कुल क्षेत्रफल 3 हेक्टरमें या उससे अधिक होने के कारण यह खदान सी-1 श्रेणी की शर्तों पर है।

2. भारत सरकार, पर्यावरण, जल और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी ईआईए, अधिसूचना, 2008 (गंगा नदीबिंदु) की प्रावधानों एवं मानकीय एन.टी.टी. द्वारा जारी आदेशों के अनुसार कानून में आने वाली खदानों की उपखाने गतिविधियों से पर्यावरणीय प्रभावों पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों की रोकथाम हेतु कानून में आने वाली उपखाने खदानों की समितियाँ बननी होंगी, कानून हेतु निम्न इन्फोर्मेशन सेक्टर में पत्राचार किया जाने हेतु संवालय, संवालयलय, सीमित तथा अनिश्चित, इदासी गण, नया रायपुर अटल नगर, जिला - रायपुर (सिद्धीगढ़) के साथ ही अनुसूचित शर्तों पर किए जाने हेतु निर्दिष्ट किया जाए।
3. समिति द्वारा विचार किया गयात सर्वसम्मति से आवेदक - मेवाड़ बन्धारा फॉलेम स्टोन माईन (सी- सी रायपुर गढ़) की घान-बन्धारा, लखील-राजिम, जिला-राजसमंड की समता क्रमांक 4/3 में किया फॉलेम स्टोन (सीन लखिम) खदान, कुल क्षेत्रफल - 0.48 हेक्टर, गन्दा - 2,517 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुमति की गई।
4. उपखाने प्रारंभ करने की पूर्व आवेदक द्वारा क्षेत्र में उपलब्ध निदोटी 8,144 फ्लैट्टर की सीमा पदोटी 2,281 वर्गमीटर एवं पैर माईनित क्षेत्र में आवश्यकतानुसार सफाई करने के लक्ष्यत आवेदक निदोटी की सफाई हेतु खाने परीक्षणों से विविध अनुमति प्राप्त की जाए तथा अनुमति की शर्तें एआई, आईएए, एनटीगढ़ की शर्तों की जाए।
5. 1.5 मीटर की सीमा पदोटी में सफाईत क्षेत्र की 5 मीटर की सीमा सुसज्जत किया जाएगा।

पर्यावरण द्वारा बैठक में विचार - उपरोक्त प्रकरण पर पर्यावरण की दिनांक 24/08/2024 को समत 112वीं बैठक में विचार किया गया। पर्यावरण द्वारा भर्ती का अग्रणीकरण किया गया। विचार किया गयात पर्यावरण द्वारा सर्वसम्मति से समिति की अनुमति की शर्तों पर बननी होंगी आवेदक - मेवाड़ बन्धारा फॉलेम स्टोन माईन (सी- सी रायपुर गढ़) की घान-बन्धारा, लखील-राजिम, जिला-राजसमंड की समता क्रमांक 4/3 में किया फॉलेम स्टोन (सीन लखिम) खदान, कुल क्षेत्रफल - 0.48 हेक्टर, गन्दा - 2,517 टन प्रतिवर्ष हेतु निम्न निर्दिष्ट शर्तों से आवेदन पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने का निर्णय किया गया-

खदान बंद होने के लक्ष्यत खदान की शर्तों पर सुसज्जत के साथ-साथ कुली के क्षेत्र में आवेदक व खाने उपलब्ध करने, विचारों नया उपखाने/भूमि खाने व सिस्टम की सेवा का शर्तों

पर्यावरण अग्रणीकरण से पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किया जाए।

12. मेवाड़ बन्धारा फॉलेम स्टोन माईन (सी- सी रायपुर गढ़), घान-बन्धारा, लखील व जिला-बन्धारा (राजसमंड का समता क्रमांक 824)

पर्यावरणीय आवेदन - पूर्व में उपरोक्त गन्दा - एआईए/ सीडी/ एनआईए/ 2021/2018 दिनांक 19/07/2018 द्वारा टी.सी.आर. हेतु आवेदन किया गया था। समिति में उपरोक्त गन्दा - एआईए/ सीडी/ एनआईए/ 8287/ 2020

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

दिनांक 07/08/2021 द्वारा पर्यावरणीय सौकरुति प्राप्त करने हेतु ईआईए रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है।

प्रस्ताव का विवरण - यह प्रस्तावित क्षेत्र पट्टी (सीक 02) का हिस्सा है। इसका नाम-बनसपुर, तहसील बं विना-महासमुद्र स्थित जंगल अर्थात् 203, कुल क्षेत्र क्षेत्र 1 हेक्टर में प्रस्तावित है। इसका की आवधिक परम्पन क्षमता-5.100 टन प्रतिवर्ष है।

एनईएसी, फाटीलगाड़ के द्वारा दिनांक 03/08/2020 द्वारा प्रस्ताव की-1 कोटिंगी का क्षेत्र के कायम करार सार्वजनिक, पर्यावरण, वन और बनसपुर अधिदेशन संसलस द्वारा 07/08/2020 में प्रस्तावित क्षेत्रों की सभी कीमत रिपोर्ट (टीडीआर) की ईआईए/ईएनपी, रिपोर्ट की प्रोसेसिंग/एनईएसी/विश्ववर्षीय इन्टरनैशनल कॉन्वेंशन अर्थात् ईआईए पॉलिफिलोसफ, 2000 में वर्णित क्षेत्रों के प्रोसेसिंग टीडीआर (सीक सुनवाई सलित) की वीर क्षेत्र सड़किय प्रोसेसिंग हेतु टीडीआर जारी किया गया।

परिषदना प्रस्तावक की एनईएसी, फाटीलगाड़ के द्वारा दिनांक 21/08/2021 द्वारा प्रस्तुतकरण हेतु सुचित किया गया।

बैठक का विवरण -

(अ) सलिति की 373वीं बैठक दिनांक 31/08/2021

प्रस्तुतकरण हेतु की सलित सुनवाई, प्रोसेसिंग सलिति कायम की सलित में उपस्थित हुए। सलिति द्वारा सभी प्रस्तुत प्रस्तावों का अर्थवर्षीय रूप परीक्षण करने पर निम्न सलिति हुई गई-

1. प्रस्तुतकरण की टीडीआर परिषदना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि कोटिंगी की सलित की प्रस्तुत क्षेत्र-2 में सुचित परम्पन क्षमता-5.100 टन प्रतिवर्ष का प्रस्ताव है। जबकि सलित में सड़किय प्रदान अनुसूचित सड़क की अर्थवर्षीय परम्पन क्षमता-5.570 टन प्रतिवर्ष है। इस पर्यावरणीय सौकरुति का आवधिक परम्पन क्षमता-5.570 टन प्रतिवर्ष हेतु मान्य करने हुए पर्यावरणीय सौकरुति प्राप्त करना हेतु जारी रिपोर्ट करने का अनुदेश किया गया। सलिति द्वारा परिषदना प्रस्तावक को अनुदेश की सलित किया गया।
2. पूर्व में जारी पर्यावरणीय सौकरुति संबंधी विवरण- इस प्रस्ताव की पूर्व में पर्यावरणीय सौकरुति जारी नहीं की गई है।
3. प्राक प्रस्ताव का अर्थवर्षीय प्रमाण पत्र - परम्पन की संख्या में प्राक प्रस्ताव बनसपुर का दिनांक 11/08/2018 का अर्थवर्षीय प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
4. परम्पन सौकरुति - जारी प्रदान इन्टरनैशनल कॉन्वेंशन प्राक रूपक जारी सलित प्रदान प्रस्तुत किया गया है जो प्राक प्रस्तावक (अभि प्रदा), विना-महासमुद्र के द्वारा अर्थात् 2/सलिति/तीन-8/2018 बनसपुर दिनांक 12/08/2018 द्वारा अनुदेशित है।
5. 500 मीटर की सलिति में स्थित प्रस्ताव - सार्वजनिक सलित (अभि प्रदा), विना-महासमुद्र के द्वारा अर्थात् 2040/क/ई-सलिति/सलिति/न.क./2018 महासमुद्र, दिनांक 10/12/2018 में अनुसूचित आवधिक प्रदान में 500 मीटर की सलित अर्थवर्षीय 24 प्रदान, सलित 12.15 हेक्टर है।
6. 200 मीटर की सलिति में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं - सार्वजनिक सलित (अभि प्रदा), विना-महासमुद्र के द्वारा अर्थात्

[Handwritten signature]

संख्या

[Handwritten signature]

2020 / क / ई-मिडिया / स.सि. / 4288 / 2018 म्हासमुद दिनांक 10/12/2018 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान में 200 मीटर की परिधि में खोई की सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, मस्जिद, अस्पताल, स्कूल, पुस्तकालय, एन.एच. एवं जल संपूर्ण आदि अधिभूत क्षेत्र निर्मित नहीं है।

7. भूमि एवं एल.ओ.आई. संबंधी विवरण - भूमि आवेदन के साथ ही जिसमें एल.ओ.आई. कार्यालय कार्यालय (सूचिका संख्या), जिला-महाराष्ट्र के ज्ञान क्रमांक 227 / क / ई-मिडिया / स.सि. / 4288 / 2018 म्हासमुद दिनांक 05/02/2018 द्वारा जारी की गई, जिसकी फाईल जारी दिनांक में 8 महीने की अवधि तक थी। एल.ओ.आई. की फाईल मुद्रित बाबत म्यापजय संवालय भौतिकी तथा सविधान, मंत्र सचिव अटल कर्ण के पुनरीक्षण क्रमांक 17/2020 द्वारा जारी पत्रिका क्रमांक दिनांक 04/11/2020 की प्रति प्रस्तुत की गई है जिसकी अनुसार 'निवेदना के आधार पर पुनरीक्षण प्रकरण स्वीकार करते हुये, जिला कार्यालय (सूचिका संख्या), महाराष्ट्र के पत्र दिनांक 05/02/2018 द्वारा जारी आदेश पत्र में निहित शर्तों का पालन पुनरीक्षणकर्ता श्री राजेश चूना, निवासी सखि, जिला परिषद द्वारा कर लिये जाने की स्थिति में अतीतमद संशोधन, सूचिका संख्या द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक एन 8-42/2012/13, दिनांक 26/08/2012 के परिपत्र में अतीतमद श्रीमत् सूचिका संख्या 2018 की नियम 42(5) के तहत उक्त प्रकरण में निम्नानुसार अधिनियम कार्यावाही करने हेतु अधिसूचित समयावधि प्रदान करती हुए प्रकरण कार्यालय, जिला महाराष्ट्र की प्राथमिकता किताब जाता है।' ऐसा बताया गया है।
8. डिक्टेटेड सर्वे रिपोर्ट - वर्ष 2018 की डिक्टेटेड सर्वे रिपोर्ट (Detailed Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
9. वन विभाग का अनुमति प्रमाण पत्र - कार्यालय वनसंरक्षणकर्ता, सामान्य वनसंरक्षण, जिला-महाराष्ट्र के ज्ञान क्रमांक / स.सि. / 4288 म्हासमुद दिनांक 01/07/2018 से जारी अनुमति प्रमाण पत्र अनुसार अधिभूत क्षेत्र वन भूमि की सीमा से 8 कि.मी. की दूरी पर है।
10. महाराष्ट्र संरक्षणार्थी की दूरी - सिविलियन आवासीय धाम-बाधसपुर 0.88 कि.मी., सिविलियन संस्था धाम-बाधसपुर 1 कि.मी. एवं आवासीय धाम-विशाली 2.3 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 2 कि.मी. एवं राजमार्ग 239 कि.मी. दूर है। महानदी 3.7 कि.मी., तालाब 0.81 कि.मी. एवं मौसमी नाल 0.87 कि.मी. दूर है।
11. परिसरभित्तीय/परिसरभित्तीय सर्वेक्षणार्थी क्षेत्र - परिसरभित्तीय प्रमाणिक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अतीतमद सीमा राष्ट्रीय राजमार्ग, अन्तर्गत, सेंट्रील प्रमुख निराकरण बोर्ड द्वारा घोषित डिक्टेटेड सीमासूचक एनिस, परिसरभित्तीय सर्वेक्षणार्थी क्षेत्र या अधिभूत परिसरभित्तीय क्षेत्र स्थित नहीं होगा अधिसूचित किताब है।
12. खनन संपदा एवं खनन का विवरण - डिक्टेटेड/सिद्ध रिपोर्ट अनुसार 1,44,000 टन, साईनेस रिपोर्ट अनुसार 10,184 टन एवं डिक्टेटेड रिपोर्ट अनुसार 88,000 टन है। खनन की 23 मीटर चौकी चौकी गहरी (खनन के लिए अधिसूचित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 2,340 वर्गमीटर है। खनन अन्तर्गत सिद्ध किताब के तहत किताब जाता है। खनन की अनुमति अधिसूचना महाराष्ट्र 8 मीटर है। खनन सिद्ध की सीमा से 3 मीटर है तथा कुल मात्रा 18,000 टनमीटर है। खनन

की संशोधित लागू 12 वर्ष है। वेग की दरलाई 3 मीटर एवं चौड़ाई 3 मीटर है। जीव क्षेत्र में प्रवेश आवधिक नहीं है एवं इसकी व्यवस्था का प्रस्ताव नहीं किया गया है। डिजिटल एवं ऑटोमैट आडिटिंग नहीं किया जाएगा। सर्वजन प्रसारित आकलन का विवरण निम्नानुसार है-

वर्ष	प्रस्तावित व्यय-मूल्य (रुप)
प्रथम	8,308
द्वितीय	8,184
तृतीय	8,070
चतुर्थ	8,411
पंचम	8,314
छठमे	8,473
सातमे	8,381
आठमे	8,443
नौसे	8,182
दसमे	8,873

नोट: उपरिलिख में वसूलाव्यय के बाद के वर्षों की सार्वजनिक किया गया है।

13. **पत्र आवृत्ति** - परिधीयता हेतु आवश्यक जल की मात्रा 8.85 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आवृत्ति राम नदीकाट द्वारा टीका के माध्यम से की जाएगी। इस संबंध में नदीकाट का सहायता एवं सहायता एवं प्रस्तुत किया गया है।
14. **कुसारीपत्र कार्य** - जीव क्षेत्र की चारों ओर 1.5 मीटर सुले क्षेत्र में 888 वर्ग एवं खदान के चारों ओर की चारों ओर में अतिरिक्त 250 वर्ग चौड़े प्रथम वर्ष में अगस्त जमा प्रस्तावित है।
15. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में आकलन** - जीव क्षेत्र की चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में आकलन कार्य नहीं किया गया है।
16. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** - परिधीयता प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विचार में सर्वोत्तम उपयुक्त निम्नानुसार प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है-

Capital Investment (In Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (In Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (In Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (In Lakh Rupees)
20.01	2%	0.40	Following activities at Government Primary School, Village - Barbapur	
			Run Water Handling System	1.01
			Running water facility for Toilets	0.10
			Plantation	0.05
			Total	1.16

17. परिचोदन प्रस्तावक द्वारा अनुमोदन के द्वारा बताया गया है कि कुल ऊपरी मिट्टी 19,880 घनमीटर जमित होगा। आसपासका अनुसार ऊपरी मिट्टी की 1.5 मीटर (साईन बाउण्डरी) में 1,900 घनमीटर ऊपरी मिट्टी को एकाव कर कुशासन किया जाना प्रस्तावित है, बीच ऊपरी मिट्टी को गहराई की 1,300 घनमीटर बीच मुनि एवं 2,000 घनमीटर बीच सहायी प्राय मुनि पर संशोधन करने हेतु खान खोदवानी के अनुमति प्राप्त संशोधन किया जाएगा।

18. ई.आई.ए. रिपोर्ट का विश्लेषण-

1. जल एवं वायु आदि गुणवत्ता संबंधी जानकारी - परिशिष्ट तालिका दिनांक 12/12/2019 से दिनांक 15/03/2020 के मध्य किया गया है। 10 किलोमीटर की अंतर्गम्य 8 सड़कों पर परिशिष्ट वायु गुणवत्ता मान, 4 सड़कों पर सू-जल गुणवत्ता मान, 8 सड़कों पर ध्वनि स्तर मान, 2 सड़कों पर तापी जल गुणवत्ता तथा 4 सड़कों पर मिट्टी के नमूने एकत्रित कर विश्लेषण किया गया है।
2. परिशिष्ट परिणामों के अनुसार पीएम₁₀ 18.7 से 25.4 माईक्रोग्राम/घनमीटर, पीएम_{2.5} 25.4 से 47.2 माईक्रोग्राम/घनमीटर, एसओ₂ 5.1 से 8.4 माईक्रोग्राम/घनमीटर तथा एनओ_x 9.9 से 18.3 माईक्रोग्राम/घनमीटर पाई गई है। जो निर्धारित मानक के अनुक्रम है।
3. परिचोदन प्रस्ताव के आसपास जल स्रोतों की गुणवत्ता आंशिक रूपक के अनुसार है।
4. परिशिष्ट ध्वनि स्तर (Day time) 41.5 डीबीए से 52.9 डीबीए एवं ध्वनि स्तर (Night time) 37.4 डीबीए से 45 डीबीए पाया गया। जो निर्धारित मानक के अनुक्रम है।
19. लोक सुनवाई दिनांक 23/01/2021 को 13:00 बजे खान परिसर जल सहायता, तहसील व जिला-महाबलपुर में आयोज हुई। लोक सुनवाई प्रस्तावक सदस्य सहित, जमीनदाता परिसर संरक्षण मंडल, महा तहसील अंतर्गम्य, जिला-रायपुर के पत्र दिनांक 21/03/2021 द्वारा जमित किया गया है।
20. जनसुनवाई के दौरान उपस्थित व्यक्तियों द्वारा खदान के संरक्षण हेतु सार्वजनिक करती होने स्थानीय लोगों को संरक्षण में प्रतिक्रिया देने का विचार प्रस्तुत किया गया। परिचोदन प्रस्तावक द्वारा स्थानीय लोगों को आसपासका अनुसार संरक्षण हेतु प्रतिक्रिया देने जाने की प्रतिबद्धता प्रस्तुत की गई।
21. माईनिंग क्लीयरेंस प्लान- खदान बंद करने के पूर्व विधिगत सुदहन के साथ ही 8 मीटर की गहराई तक 18,000 घनमीटर पत्थर ईंधन को एवं जलको जल 3 मीटर की गहराई तक अंधार करीब/ऊपरी मिट्टी में भरण कर 1,888 वर्ग कुशासन किया जाना प्रस्तावित है। प्रस्ताव हेतु सत्य एवं प्रस्तुत किया गया है।
22. कास्टर हेतु कृषिगत इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान - कृषिगत इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान प्रस्तुत नहीं किया गया है। परिचोदन प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि कास्टर में कुल 26 खदानें जाती है। कृषिगत में प्रस्तावित सुदहन को एच.ओ. आई. जारी की गई है, जिस हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए आवेदन किया गया है। बीच 24 खदानों को पूर्व से ही पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त होने के कारण एकाव द्वारा कृषिगत इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान तैयार करने हेतु सवि नहीं की जा रही है। जो कृषिगत इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान प्रस्तुत करने के लिए

दिया किता जात समय नहीं है। आवेदन द्वारा खदान से प्राप्त इलेक्ट्रिक डेन में लगे हुए इन्फार्मेशन टेक्नोलॉजी मॉनिटरिंग प्लान की लागत निम्न कार्य प्रस्तुत है-

- i. खदान निरीक्षण हेतु परिवहन के दौरान सड़कों/राज्य रोड से वाहन चलाकर खदान के निरीक्षण हेतु एक सिस्टम 2 कि.मी. तक पहुँच करने हेतु अनुमानित राशि 2,40,000/- अंतिम रूप दिया जाएगा।
- ii. रात के पहुँच करने के दौरान एक 2 कि.मी. तक एक से कम दो खदान में सुरक्षा हेतु अनुमानित राशि 7,70,000/- प्रदान करने में दिया गया जाएगा। इसके अतिरिक्त आगामी एक वर्ष तक रात-रात हेतु अनुमानित राशि 1,00,000/- एक दिया जाएगा।
- iii. इन्फार्मेशन मॉनिटरिंग हेतु अनुमानित राशि 80,000/- अंतिम रूप दिया जाएगा।
- iv. सड़कों का रखरखाव (Road Maintenance) हेतु अनुमानित राशि 1,00,000/- अंतिम रूप दिया जाएगा।
- v. प्रतिवर्षीय रात, रात, निंदी एवं अन्य दुर्घटना के अध्ययन हेतु अंतर्गत मॉनिटरिंग कार्य (Half Yearly Environmental Monitoring) किया जाएगा।
- vi. एक वर्ष हेतु प्रदान करने वाले की विस्तृत कार्यवाही की प्रस्ताव करती हुए अनुमानित राशि रुपये 29,50,000/- का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। एक हेतु प्रस्ताव पर भी प्रस्तुत किया गया है। इन्फार्मेशन टेक्नोलॉजी मॉनिटरिंग प्लान के क्रियान्वयन हेतु समिति द्वारा सम्मति प्रस्ताव की गई।

23. भारत सरकार, नवीकरण, जन शक्ति प्रकल्प परियोजना संरक्षण, नई दिल्ली द्वारा जारी ई.आई.ए. अंतिमकरण, 2008 (एन.ए.ए.ए.) के प्रावधानों एवं भारतीय दूर, जी.टी. द्वारा जारी आदेश के अनुसार समूह कास्ट हेतु सीमा इन्फार्मेशन टेक्नोलॉजी मॉनिटरिंग प्लान दिया किता जात आवश्यक है।

समिति का मत है कि कास्ट में शामिल सभी खदानों द्वारा खदान के पर्यावरणीय दुर्घटनाओं की निवारण हेतु खदानों की विलीन एवं वार्षिक पर्यवेक्षण सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है।

समिति का मत है कि कास्ट में आने वाले खदानों की पर्यवेक्षण सुनिश्चित करने पर्यावरणीय घटनाओं का घटने वाले दुर्घटनाओं की निवारण हेतु कास्ट में आने वाले खदानों को शामिल करने हेतु, कास्ट हेतु सीमा इन्फार्मेशन टेक्नोलॉजी मॉनिटरिंग प्लान तैयार करने हेतु संसाधन, संसाधन, वार्षिक एवं वार्षिक, इलाकी नाम, नाम समूह अटल नाम, जिला - समूह (अंतर्गत) के साथ में उपयुक्त कार्यवाही किया जाना उचित होगा।

समिति द्वारा किता किता उपरोक्त कार्यवाही के निम्नानुसार निर्दिष्ट किया गया-

1. भारतीय सरकार (अंतर्गत समूह), जिला-बाराक के प्रदान प्रस्ताव 2040/क/ई-निर्दिष्ट/राशि/नक./2018 महासमुद्र, दिनांक 10/12/2018 के अनुसार आवेदन खदान में 600 मीटर की सीमा आवेदन 24 खदानों, क्षेत्रफल 12.13 हेक्टेयर है। आवेदन खदान (बारा-बारासमुद्र) का क्षेत्रफल 9 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदन खदान (बारा-बारासमुद्र) की विलीन कुल क्षेत्रफल 12.13 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 600 मीटर की पर्यवेक्षण में उपयुक्त/संगठित




सचिव



प्रस्ताव का विवरण — यह प्रस्तावित नया खेत (जीन खनिज) खदान है। खदान नाम—बीबीएनडी, तहसील—खदान, जिला—दुर्ग जिला जमात क्रमांक 47 पार्स, 68/1 पार्स, 63 पार्स, 64, 65 पार्स, 66, 68 पार्स, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79/1, 79/2, 80, 81, 107 एवं 158, कुल क्षेत्रफल—4.81 हेक्टर में प्रस्तावित है। खदान की अपेक्षित उत्खनन क्षमता—1,00,000 टन प्रतिवर्ष है।

परिचालन प्रस्तावक को एन.ई.ए.सी, कारीखण्ड के द्वारा दिनांक 22/08/2021 द्वारा अनुमोदन हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण —

(अ) सभिति की 274वीं बैठक दिनांक 01/08/2021:

अनुमोदन हेतु की संज्ञा प्राप्त, कोरपोरेट सिविल इंजीनियरिंग के खदान के सम्बन्धित हुए। सभिति द्वारा जारी प्रस्तुत जानकारी का आलोचन एवं परीक्षण करने का निम्न सिद्धि प्राप्त हुई—

1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण— इस खदान की पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।
2. खान संसाधन का अनापेक्षित प्रमाण पत्र — अनुमन की संकेत में खान संसाधन बीबीएनडी का दिनांक 13/02/2021 का अनापेक्षित प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
3. परास्त्रम योजना — जारी पत्र प्रस्तुत किया गया है, जो संयुक्त संघातक (68/80, संघातकालय, सीमिटी 058 अमिडम, नया खानुस खदान नया खान क्रमांक 1884/अमिड/अपन.अनुमोदन/न.क.08/2020(2) नया खानपुर, दिनांक 24/03/2021 द्वारा अनुमोदित है।
4. 500 मीटर की परिधि में स्थित खदान — कार्यलय कोरपोरेट (खनिज सारंग), जिला—दुर्ग के द्वारा क्रमांक/258/अमिडि.02/अमिड/2021 दुर्ग, दिनांक 01/08/2021 अनुसार अपेक्षित खदान में 500 मीटर की सीमा अवस्थित 19 खदानें, क्षेत्रफल 35.302 हेक्टर होने बताया गया है। जिसमें केवल विद्यमान खदान की सीमा सीमा से 500 मीटर की परिधि में अवस्थित खदानों का विवरण दिया गया है। क्या प्रमाण पत्र में यह स्पष्ट नहीं हो रहा है कि उक्त खदानों की 500 मीटर की सीमा अन्य खदान हैं अथवा नहीं? ई.आई.ए. नॉटिफिकेशन, 2008 (नया संशोधित) में परिभाषित खदान अनुमन 'कोई खदान उस समय बनाया जाएगा, जब एक सीमा की परिधि की सीमा पूरी उस खदान खनिज क्षेत्र में अन्य खदानों की परिधि से 500 मीटर से कम है।' अर्थात् खदान हेतु होमोडिनिशंस विमल क्षेत्र में विद्यमान खदान की सीमा सीमा से 500 मीटर की सीमा होने वाले सभी खदानों को शामिल करने हुए तथा इस प्रकार खनिज खदानों की सीमा सीमा से 500 मीटर की सीमा होने वाले अन्य सभी खदानों को (खदान में खदानों को वही तक शामिल किया जाए, जहाँ तक 500 मीटर की दूरी में कोई खदान अवस्थित न हो) शामिल किया जाना चाहिए।
5. 200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं — कार्यलय कोरपोरेट (खनिज सारंग), जिला—दुर्ग के द्वारा क्रमांक/4231/अमि.सि. 02/अमिड/2021 दुर्ग, दिनांक 25/03/2021 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान में 200 मीटर की परिधि में अथवा उससे स्थित है, इससे अतिरिक्त कोई नॉटिफ. सारंग, अस्पाय, खदान, कुल, पुरीफाई, राष्ट्रीय राजमार्ग एवं राज्यमार्ग अदि इतिहासित क्षेत्र स्थित नहीं है।



6. एल.जी.आई, संशोधी विवरण - एल.जी.आई, कर्मावधि कार्यवाही (अभिनव शाखा), विद्या-दुर्ग के आयन अन्वयक / 4204 / अभिनव / पाप / 2021 दुर्ग, दिनांक 22/03/2021 द्वारा जारी की गई, विद्यार्थी विद्या प्राप्ति दिनांक से 4 वर्ष की अवधि तक है।
7. मू-स्वामित्व - मूनि संशोधी पूर्ण दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये हैं।
8. डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट - वर्ष 2018 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
9. जल विभाग का अनायति प्रस्ताव पत्र - भारतीय जनसम्बन्धिकाएँ, दुर्ग जनसम्बन्ध, विद्या-दुर्ग के आयन अन्वयक / एल.जी.आई / 2021 / 1288 दुर्ग, दिनांक 18/03/2021 के जारी अनायति प्रस्ताव पत्र अनुसार अनायति क्षेत्र की सीमा जल क्षेत्र से 25 कि.मी. की दूरी पर है।
10. नद्यावपूर्ण संरचनाएँ की दूरी - निकलान आबादी घाट-पौडोपट्टी 1 कि.मी., खुल घाट-पौडोपट्टी 1 कि.मी., एवं अस्वाहाल सेतु 3 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 11 कि.मी. एवं राजमार्ग 0.88 कि.मी. दूर है। विद्यमान नदी 21 कि.मी. दूर है।
11. पर्यावरणविहीन / जीवविहिनता संवेदनशील क्षेत्र - पर्यावरण प्रदूषण द्वारा 10 कि.मी. की दूरी में आवासीय क्षेत्र, राष्ट्रीय उद्यान, जनसम्बन्ध, राष्ट्रीय प्रदूषण निरोधक क्षेत्र द्वारा घोषित जलविहीनता पौडोपट्टी एरिया, पर्यावरणविहीन संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जीवविहिनता क्षेत्र स्थित नहीं होने अतिरिक्त स्थित है।
12. खनन संयोज एवं खनन का विवरण - डिस्ट्रीक्टिवाल सिविल 29,88,000 टन, माईनेबल सिविल 14,88,004 टन एवं निकलबिल सिविल 12,38,764 टन है। जीव की 7.5 मीटर लंबी सीमा पट्टी (खनन के लिए अतिरिक्त क्षेत्र) का क्षेत्रफल 8.137 वर्गमीटर है। खनन क्लॉट सेमी सेमीमाईपब सिविल के पालखन स्थित जाएगा। खनन की परमिटर अधिकतम गहराई 24 मीटर है। जीव क्षेत्र में जारी मिट्टी की गहराई 1 मीटर है तथा कुल गहराई 42,317 वर्गमीटर है। बीच की अन्वय 3 मीटर एवं चौड़ाई 3 मीटर है। खनन की अनुमानित आयु 10 वर्ष है। जीव क्षेत्र में खनन स्थगित है, जिसका क्षेत्रफल 0.88 हेक्टेयर है। जीव क्षेत्र से डिस्ट्रीक्ट एवं राष्ट्रीय अन्वयित किया जाएगा। खनन में कच्चा प्रदूषण निरोधक सेतु जल का सिद्धांत किया जाएगा। खनन प्रस्तावित पालखन का विवरण निम्नप्रकार है:-

वर्ष	प्रस्तावित खनन (टन)	वर्ष	प्रस्तावित खनन (टन)
2021	1,42,500	2022	1,12,200
2023	1,38,875	2023	1,12,200
2024	1,38,875	2024	1,12,200
2025	1,38,875	2025	1,12,200
2026	1,34,385	2026	1,12,200

13. जल आपूर्ति - पर्यावरण सेतु अन्वयक द्वारा की गयी 8 वर्गमीटर अतिरिक्त क्षेत्र, जल की आपूर्ति रीकर द्वारा घाट संयोज से मध्यम से किया जाएगा। इस संबंध में संयोज का अनायति प्रस्ताव पत्र प्रस्तुत किया जाएगा।

14. सुधारोपम कार्य – लीज क्षेत्र की सीमा में खरी और 7.5 मीटर की गहरी में कुल 2,054 वन सुधारोपम किया जाएगा।
15. खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा गहरी में परखनन – लीज क्षेत्र की खरी और 7.5 मीटर की सीमा गहरी में परखनन कार्य नहीं किया गया है।
16. प्रस्तुतिकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि परखनन की दौरान निकालने वाली जमीन मिट्टी 42,217 घनमीटर में से 18,274 घनमीटर खारी मिट्टी को 7.5 मीटर (खड़ीन बाउण्ड्री) क्षेत्र में तथा शेष 23,943 घनमीटर खारी मिट्टी को गैर-खड़ीन क्षेत्र (3,390 घनमीटर) में उत्तर अक्षांश एवं पूर्व दिशा निर्देश में सख्त अधिष्ठा की अनुमति उपलब्ध कराया गया है।
17. सार्वजनिक सुनौती, डिजिटल मैप, नई दिल्ली द्वारा सर्वेक्षित बाउंड्री विवरण सार्वजनिक पर्यवेक्षण, वन और जलवायु परिवर्तन संरक्षण, नई दिल्ली एवं अन्य (अतिरिक्त सुनिश्चान नं. 188 और 2018 एवं अन्य) में दिनांक 13/08/2018 को प्रेषित आदेश में कुल रूप से विभाजनार निर्दिष्ट किया गया है-

- a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEAA as well as for cluster situation where over 5 ha not provided
- b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha, EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance

समिति द्वारा विचार विचार उपरोक्त सर्वसम्पत्ति से विभाजनार निर्देश किया गया-

1. सार्वजनिक पर्यवेक्षण (सर्वेक्षण) किया-पूर्व की खदान अंशक/200/खनि, जि.22/खनिज/2021 एवं, दिनांक-01/08/2021 अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर की सीमा आवेदित 18 खदानें, क्षेत्रफल 28,262 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (खान-सीडिंग) का क्षेत्रफल 4.21 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (खान-सीडिंग) को विभाजन कुल क्षेत्रफल 40,262 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की दूरी में संयुक्त/संयोजित खदानों का कुल क्षेत्रफल 8 हेक्टेयर से अधिक का अनुमान निर्मित होने के कारण यह खदान 'बी' श्रेणी की खरी नहीं।
2. समिति द्वारा विचार विचार उपरोक्त सर्वसम्पत्ति से खदान 'बी' श्रेणी का होने के कारण सार्वजनिक पर्यवेक्षण, वन और जलवायु परिवर्तन संरक्षण द्वारा दिनांक 2018 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड एम्प और रिजिस्ट्रार (टीओआर) और ईआईए/ईएमपी, रिपोर्ट और प्रोजेक्ट्स/एक्टिविटीज निवृत्तार्थक इन्फार्मेशन सर्वेक्षण अंशक ईआईए-नोटिफिकेशन, 2008 में प्रेषित श्रेणी 1(2) का स्टैण्डर्ड टीओआर (पूर्व अनुसूची संशोधित) नीचे लीज खड़ीन प्रोजेक्ट्स हेतु निम्न अधिविषय टीओआर को सख्त जारी किया जाने की अनुशंसा की गई-

- i. Project proponent shall inform S.E.A.C, Chhatagadh before start of monitoring work for preparation of EIA Study Report.
- ii. Project proponent shall submit the Common Environment Management Plan.
- iii. Project proponent shall submit the land document for all lease numbers.



- iv. Project proponent shall submit top soil management & incorporate the details in the EIA report.
- v. Project proponent shall submit blasting permission from DGMS.
- vi. Project proponent shall submit NOC from gram Panchayat for uses of water.
- vii. Project proponent shall submit the copy of pamphlets and photographs of every monitoring stations.
- viii. Project proponent shall submit revised certificate regarding cluster of mines as defined in EIA notification from mining department and accordingly EIA study shall be carried out incorporating the mines included in cluster.
- ix. Project proponent shall complete the restoration of 7.5 meter width of mine lease periphery if there is any previous mining & do-plantation during the current year and incorporate the details alongwith photographs in the EIA report (if any).
- x. Project proponent shall submit CER proposals with details of works alongwith their estimates including land cost.

प्रतिकल्प द्वारा बैठक में विचार - उपरोक्त प्रस्ताव पर प्रतिकल्प की दिनांक 24/08/2021 को संलग्न 142वीं बैठक में विचार किया गया। प्रतिकल्प द्वारा सभी का अवलोकन किया गया। विचार किया उपरोक्त प्रतिकल्प द्वारा सर्वसम्मति से समिति की अनुमति को स्वीकार करते हुए उपरोक्तप्रस्ताव सभी लोक सभेशन (टी.जे.आर.) (लोक सुधारई समिति) जारी करने का निर्णय किया गया।

सर्वसम्मति प्रस्तावक को सभी लोक सभेशन (टी.जे.आर.) जारी किया जाय।

18. मेसर्स डॉन लाईन एटोन ज्वारी (पि.- बीमारी जमीन कुमावत), नाम-डीर, तारवील-वाटन, जिला-दुर्ग (प्रतिकल्प का जारी क्रमांक 1817)

ऑनलाईन आवेदन - प्रयोगक संख्या - एमआईए /सीसी /एम्बआईएन /204079/2021, दिनांक 17/08/2021। सर्वसम्मति प्रस्तावक द्वारा अनुमति ऑनलाईन आवेदन में समिती होने से प्रमाण दिनांक 21/08/2021 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्दिष्ट किया गया। सर्वसम्मति प्रस्तावक द्वारा समिति जानकारी दिनांक 18/08/2021 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

प्रस्तावक का विवरण - यह प्रस्तावित कुल भूभाग (लोक सभिति) खदान है। खदान नाम-डीर, तारवील-वाटन, जिला-दुर्ग जिला कलस क्रमांक 520, 524, 526/1, 528, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 547, 548 एवं 554, कुल क्षेत्रफल-4 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित प्रस्तावक संख्या-3,00,000 टन प्रतिवर्ष है।

सर्वसम्मति प्रस्तावक को एमआईएसी, सर्वसम्मति से प्रमाण दिनांक 22/08/2021 द्वारा अनुमतिकरण हेतु सुचित किया गया।

बैठक का विवरण -

(अ) समिति की 374वीं बैठक दिनांक 01/08/2021:

आनुवंशिकता हेतु की आरंभिक सुधार सुलभ अधिकृत प्रतिनिधि विदेशी आनुवंशिक को भारत में उपस्थित करें। प्रतिदिन द्वारा जारी प्रस्तुत जानकारी का अद्यतन एवं परिष्कार करने का निम्न विधि कई गई—

1. पूर्ण से छोटी पर्यावरणीय शीतकृति संशोधी विवरण— इस विवरण की पूर्ण से पर्यावरणीय शीतकृति जारी नहीं की गई है।
2. धान संसाधन का अनापत्ति प्रमाण पत्र — आरक्षण की संकेत से धान संसाधन और का दिनांक 08/11/2019 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
3. आरक्षण योजना — छोटी धान प्रस्तुत किया गया है, जो संयुक्त संसदीय (किस, संसदीय, सीमित तथा अनिश्चित, का प्रस्तुत अद्यतन प्राप्त प्रमाण क्रमांक 1718/अनिश्चित/संसदीय/संसदीय/संसदीय/2021 का प्रस्तुत दिनांक 15/03/2021 द्वारा अनुमोदित है।
4. 500 मीटर की परिधि में स्थित खदान — आरक्षण करेक्टर (अनिश्चित खान), जिला-दुर्ग के प्रमाण क्रमांक/100/अनिश्चित/अनिश्चित/2021 दुर्ग, दिनांक 28/08/2021 के अनुसार अनापत्ति प्रमाण से 500 मीटर की सीमा अनापत्ति प्राप्त खदानों की संख्या प्राप्त है।
5. 200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं — आरक्षण करेक्टर (अनिश्चित खान), जिला-दुर्ग के प्रमाण क्रमांक/4000/अनिश्चित/00/अनिश्चित/2021 दुर्ग, दिनांक 08/03/2021 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार प्राप्त प्रमाण से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे सड़क, नहर, नाला, जलसंधारण, खेत, कुएँ एवं एनईएड जदि परिभाषित क्षेत्र स्थित नहीं है।
6. एल.जी.आई. संशोधी विवरण — एल.जी.आई. आरक्षण करेक्टर (अनिश्चित खान), जिला-दुर्ग के प्रमाण क्रमांक/4000/अनिश्चित/00/अनिश्चित/2021 दुर्ग, दिनांक 08/03/2021 द्वारा जारी की गई, जिसकी प्रमाण पत्र दिनांक से 1 वर्ष की अवधि प्राप्त है।
7. गू-सामान्य — गूि संख्या क्रमांक 528, 529, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 540, 541, 542, 544 की बहोदिया, संसदीय क्रमांक 528/1, 531, 531, की संख्या प्राप्त प्रमाण क्रमांक 532 की दया प्राप्त, संसदीय क्रमांक 533, 535, 537, 538, 541, 543 सीमित प्रमाण, प्रमाण क्रमांक 540, 542, 543 की सीमाएं एवं प्रमाण क्रमांक 544 की अनापत्ति प्रमाण पत्र के नाम पर है। आरक्षण हेतु गूि संशोधी का प्रमाण पत्र की प्रति प्रस्तुत की गई है।
8. डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट — वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
9. वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र — आरक्षण प्रमाणपत्र/अनापत्ति, दुर्ग प्रमाणपत्र जिला-दुर्ग के प्रमाण क्रमांक /100/अनिश्चित/2021/1122 दुर्ग, दिनांक 03/03/2021 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
10. महासूच्य संरचनाओं की दूरी — निम्नलिखित आरंभिक धान-औष 1.2 कि.मी. प्रमाण पत्र-औष 1 कि.मी. एवं अनापत्ति धान-औष 1.2 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 17 कि.मी. एवं राजमार्ग 1 कि.मी. दूर है।
11. पारिस्थितिकीय/जीववैविध्य संवेदनशील क्षेत्र — अनापत्ति प्रमाणपत्र द्वारा 20 कि.मी. की परिधि में अनापत्ति क्षेत्र, राष्ट्रीय प्रमाण, अनापत्ति, अनापत्ति

(Signature)

उत्पन्न निर्वाह्य क्षेत्र द्वारा प्रेषित क्लिष्टकारी पॉल्यूटेड एरियर, कार्टिकुलरिटीय प्रदूषणकारी क्षेत्र या प्रेषित क्लिष्टकारीय क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिबंधित किया है।

12. **खदान खनन एवं खनन का विवरण** - क्लिष्टकारीय क्षेत्र में 22,50,000 टन, साइनिंगल रिजर्व 11,47,287 टन एवं रिक्वायर्ड रिजर्व 10,90,588 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा चट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 8,268 वर्गमीटर है। खदान खनन की मैग्नाईजियम लीज से उत्खनन किया जाएगा। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 22.5 मीटर है। लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मोटाई 1.5 मीटर है तथा कुल मात्रा 40,800 घनमीटर है। आवश्यकतानुसार इस मिट्टी को सीमा चट्टी (7.5 मीटर) में पीछाकर पुनर्स्थापन के लिए उपयुक्त किया जाएगा एवं क्षेत्र ऊपरी मिट्टी को फिर साइनिंग क्षेत्र में स्थानित किया जाएगा। क्षेत्र की चौड़ाई 1.5 मीटर एवं मोटाई 1.5 मीटर है। खदान की प्रस्तावित आयु 3 वर्ष है। लीज क्षेत्र में खदान स्थानित किया जाना प्रस्तावित नहीं है। लीज क्षेत्र से ड्रिलिंग एवं सटोप क्लिष्टकारीय किया जाएगा। खदान में आयु उत्पन्न निर्वाह्य क्षेत्र खनन का सिद्धांत किया जाएगा। लीज प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:-

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	1,50,000
द्वितीय	3,00,000
तृतीय	3,00,000
चतुर्थ	1,51,188
कुल	96,112

13. **जल आपूर्ति** - क्लिष्टकारीय क्षेत्र आवश्यक जल की मात्रा 4.8 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति द्वारा पर्याप्त मात्रा टैक्स के माध्यम से की जाएगी। इस क्षेत्र पर्याप्त मात्रा पर्याप्त का आवश्यक प्रमाण प्रस्तुत किया जाये।
14. **पुनर्स्थापन कार्य** - लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की चट्टी एवं फिर साइनिंग क्षेत्र में कुल 2,578 म³ पुनर्स्थापन किया जाएगा।
15. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा चट्टी में उत्खनन** - लीज क्षेत्र की चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा चट्टी में उत्खनन कार्य नहीं किया गया है।
16. **पैर साइनिंग क्षेत्र** - उत्पत्तिकाल के दौरान बताया गया है कि साइनिंग प्लान अनुसार लीज क्षेत्र के मध्य से क्लिष्टकारीय साइनिंग गुरुत्व से कारण 50 मीटर चौड़े क्षेत्र, क्षेत्रफल 0.248 हेक्टेयर को पैर साइनिंग क्षेत्र बना जाएगा। इसी प्रकार लीज क्षेत्र की चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा चट्टी खनन से कारण उत्खनन किया जाना संभव नहीं है। जहाँ इन क्षेत्रों को, जिसका क्षेत्रफल क्रमशः 0.3884 हेक्टेयर, 0.3318 हेक्टेयर एवं 0.4178 हेक्टेयर है, को पैर साइनिंग क्षेत्र (डम्प क्षेत्र) से रूप में बना जाएगा। इस प्रकार पैर साइनिंग क्षेत्र का कुल क्षेत्रफल 1.258 हेक्टेयर है।
17. उत्पत्तिकाल के दौरान क्लिष्टकारीय प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि उत्खनन के दौरान निकलने वाली ऊपरी मिट्टी 40,800 घनमीटर में से आवश्यकतानुसार ऊपरी मिट्टी को 7.5 मीटर (साइनिंग क्षेत्र) क्षेत्र में तथा क्षेत्र ऊपरी मिट्टी को फिर साइनिंग क्षेत्र रूप क्षेत्र-1 (क्षेत्रफल 3,584 वर्गमीटर), क्षेत्र क्षेत्र-2 (क्षेत्रफल

10/11

2.2.18 वर्गबिंदुओं का एक समूह बी-2 (कुलका 4,128 वर्गमीटर) एवं हाईडिलेन जड़ों के नीचे के गैर-संरक्षित क्षेत्र 0.248 हेक्टेयर में संरक्षित किया जाएगा।

18. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environmental Responsibility) हेतु समिति के द्वारा निर्धारित की गई उपरोक्त निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
50.00	2%	1.00	Following activities at Government Primary and Middle School, Village - Dhaur	
			Rain Water Harvesting System	0.70
			Portable Drinking Water Facility	0.30
			Plantation	0.20
Total			1.20	

19. सामयिक एम.जी.टी., डिमिशन क्षेत्र, नई दिल्ली द्वारा सर्वोच्च पर्यावरण विभाग भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलसंधु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ऑपरेशनल एडिशन/रूल नं. 188 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/08/2018 को पारित आदेश में सुझाव एवं से निम्नानुसार निर्दिष्टित किया गया है:-

- a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.
- b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरोक्त सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय किया गया:-

1. कार्यलय बालोवा (अनियत बालवा), जिला-दुर्ग के अलग अलग / 4000 / वर्ग मि.मी. / वर्गमी. / 2021 दुर्ग, दिनांक 08/03/2021 के अनुसार आवेदित खदान की 500 मीटर की सीमा 500 मीटर की सीमा आवेदित अन्य खदानों की सीमा निकल है। आवेदित खदान (बाल-डी) का सतह 4 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में आवेदित/अन्य खदानों का कुल क्षेत्रफल 8 हेक्टेयर या उससे कम होने के कारण यह खदान बी-2 श्रेणी की नहीं पड़े।
2. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरोक्त सर्वसम्मति से आवेदक - मेसर्स डीए जॉइंट वेंचर कंपनी (प्रा.) - सीमा की सीमा (कुलका) की नाम-डीए, राजनील-खदान, जिला-दुर्ग के अलग अलग 520, 524, 528/1, 528, 528, 530, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 538, 540, 541, 542, 543, 544, 550, 551, 552





883 एवं 884 में किया गया पक्का (सील सम्पिड) खदान, कुल क्षेत्रफल-4 हेक्टेयर, अर्थात - 2,00,000 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुमति की गई।

प्रतिकल्प द्वारा बैंक में विचार - उपरोक्त प्रकरण पर प्रतिकल्प की दिनांक 28/08/2021 को संज्ञा 112वीं बैठक में विचार किया गया। प्रतिकल्प द्वारा नतीजा का अवलोकन किया गया। विचार किया उपरोक्त प्रतिकल्प द्वारा पर्यावरणीय संस्थिति की अनुमति को स्वीकार करती हुई आवेदन - मेसर्स डीन लार्जिंग एंड कंपनी प्राई- सीमेंट कंपनी (गुजरात) की राय-डीन लार्जिंग-एंड-कंपनी, बिला-दुर्ग के अर्थात क्रमांक 522, 524, 525/1, 526, 528, 530, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539 540, 541, 542, 543, 544, 545 का। 882 883 एवं 884 में किया गया पक्का (सील सम्पिड) खदान, कुल क्षेत्रफल-4 हेक्टेयर, अर्थात - 2,00,000 टन प्रतिवर्ष हेतु निम्न अतिरिक्त शर्तों को अंशतः पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने का निर्णय लिया गया-

"खदान पर होने के कारण खदान की चारों तरफ पुष्करीयन के साथ-साथ कुत्तों की शोर में अडिगा व धारा जमावा जारी, जिससे मृदा अपखन/धुनि बाला व मिस्टेशन को रोक हो सके"

परिचालन प्रस्तावक को पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किया जाए।

18. मेसर्स ए.सी. स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड, राजा औद्योगिक क्षेत्र, तारनील व बिला-राजपुर (सविद्यालय का नतीजा क्रमांक 1858)

ऑन-साईट आवेदन - प्रस्तावक नम्बर - एम्पाईए/ सीडी/ आईएसी/ 18584 / 2021, दिनांक 28/02/2021।

प्रस्तावक का विवरण - पर्यावरण प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित कार्यप्रकार के अन्तर्गत सी. राजा औद्योगिक क्षेत्र, तारनील व बिला-राजपुर बिला परीट नंबर 11/72, कुल क्षेत्रफल - 6.800 हेक्टेयर में प्रिन्स पी-डिस्टिग कंपनी बेल्ट से-डीस्टिग मिल (सील नैसीय प्रकार अस्थापित) - 30,000 टन प्रतिवर्ष से बढ़कर 50,000 टन प्रतिवर्ष करने के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है। प्रस्तावित कार्यप्रकार के अन्तर्गत विनियोग का कुल लागत - 4.93 करोड़ होता।

बैंकों का विवरण -

(अ) समिति की 38वीं बैठक दिनांक 01/02/2021:

समिति द्वारा प्रस्ताव की जाती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा परामर्श सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय किया गया था-

1. आवेदन में स्थापित हुआ हेतु पर्यावरण पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा जारी सन्धि शर्तों को प्रस्ताव में जो गई कार्यकारी की विनियोग जानकारी प्रस्तुत की जाए।

2. भूमि स्वामित्व / भूमि आवेदन संबंधी प्रस्तावित प्रस्तुत की जाए।

3. स्थापित डीस्टिग मिल में पी-डीस्टिग कंपनी की स्थापना किया गया है अथवा नहीं? अथवा बिला के अन्तर्गत डीस्टिग मिल में पी-डीस्टिग कंपनी की स्थापना किया गया प्रस्तावित है अथवा नहीं? पी-डीस्टिग कंपनी स्थापित है तो पी-डीस्टिग कंपनी को बेल्ट, अथवा डीस्टिग का अन्तर्गत एवं मात्र, प्रस्ताव डीस्टिग को अन्तर्गत का निर्णय की

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

1. जल एवं वायु प्रदूषण –

- सीमांत कारखाना, असीमगढ़ कारखाना संयोजन संयंत्र, रायपुर में सी-टीएच डीजल जनरेटर क्षमता – 30,000 पीएचए टन प्रतिवर्ष हेतु जल एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण विभाग 08/12/2018 को जारी की गई है, जो कि दिनांक 31/01/2019 तक वैध है।
- असीमगढ़ में स्थापित डुआईटी हेतु असीमगढ़ कारखाना संयोजन संयंत्र द्वारा जारी प्रदूषण नियंत्रण विभाग में की गई कार्रवाई की विस्तृत जानकारी रायपुर की गई है।

2. निकटवर्ती स्थित किसानों संबंधी जानकारी –

- निकटवर्ती जलवाही-घाट-सरोवर 0.5 कि.मी. एवं रायपुर रायपुर 4.5 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। निकटवर्ती जल सरोवर असीमगढ़ 3.2 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। जल सरोवर असीमगढ़ असीमगढ़, रायपुर 18 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 28 कि.मी. एवं राजमार्ग नदी 2.0 कि.मी. दूर है।
- सीमांत कारखाना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की सीमा में अंतर्देशीय क्षेत्र, राष्ट्रीय राजमार्ग, असीमगढ़, असीमगढ़ असीमगढ़ असीमगढ़ क्षेत्र या सीमांत असीमगढ़ क्षेत्र स्थित सभी क्षेत्र प्रभावित स्थित है।

3. जमीन प्रयोग स्टैटमेंट –

S.No.	Land use	Area (in SQM)	Area (%)
1	Rolling Mill	2,000	21
2	Final Product Area	1,000	10.46
3	Raw Material Yard	1,100	11.4
4	Road Area	1,000	10.5
5	Coal Gasifier Area	100	1.05
6	Greenbelt	3,825	40
7	Other Area	135	1.41
Total		9,560	100

4. सी-मटेरियल –

S. No.	Raw Material	Quantity (TPA)	Source	Mode
For Rolling Mill				
1.	Slabs/Ingots	01,500	Open Market	Road

5. स्थापित एवं प्रस्तावित डुआईटी संबंधी जानकारी –

Existing Capacity	Capacity After Expansion
Reheating Furnace based Rolling Mill of Capacity - 30,000 TPA (Coal Gasifier Based)	Reheating Furnace based Rolling Mill of Capacity - 59,500 TPA (Coal Gasifier Based)

Note:- No Additional Plant and Machinery will be installed for capacity expansion. Expansion will be achieved through increasing working hours i.e. Single Shift -10 Hrs to Double Shift-16 Hrs.

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

6. **वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था** - वातावरण में सि-डीटीयु कनेस अकार्बोसिड वाहिका मिल में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु सायबरीन एवं 25 फीटन ऊंची चिमनी स्थापित है। उपरोक्त व्यवस्था से पार्टिकुलेट मैटर का संततार्थन 32 मिलीग्राम/घण्टायाम घण्टीदार से कम रहा गया है। अर्थात् विस्तार हेतु अतिरिक्त सि-डीटीयु कनेस की स्थापना प्रस्तावित नहीं है। अर्थात् विस्तार से उत्पन्न वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु वेग फिल्टर की स्थापना कर, चिमनी से पार्टिकुलेट मैटर का संततार्थन 25 मिलीग्राम/घण्टायाम घण्टीदार से कम रहा जाना प्रस्तावित किया गया है। फर्जुडिटीव ब्रस्ट संततार्थन नियंत्रण हेतु जल टिकावकाय किया जाता है। यही व्यवस्था प्रस्तावित कार्यकारणम हेतु अंगरवाई जायगी।
7. **वाहक अघोषित अवरुधन व्यवस्था** - प्रस्तावित कार्यकारणम के उपरोक्त वाहिका मिल से मिल सवेल- 1499 टन प्रतिवर्ष एवं मिल अटिंगस- 850 टन प्रतिवर्ष जैस अघोषित को कम में उतारना होना। मिल सवेल को घंसे एनर्जीजक पराट्टम को एवं मिल अटिंगस को वाहिक पराट्टम को टिकाव किया जायगा। यही व्यवस्था वातावरण में अंगरवाई जाई है।
8. **जल प्रबंधन व्यवस्था** -

- **जल अरुधत एवं कमीत** - प्रस्तावित कार्यकारणम उतारना परिशेठयना हेतु कुल 30 घण्टीदार प्रतिदिन (कुलिन हेतु 10 घण्टीदार प्रतिदिन, ब्रस्ट अरुधतन हेतु 8 घण्टीदार प्रतिदिन, परेडु अरुधतन हेतु 2 घण्टीदार प्रतिदिन एवं जीन वेसल हेतु 8 घण्टीदार प्रतिदिन) का उपयोग किया जाना प्रस्तावित है। अरुधतका जल को अरुधती नू-जल से की जाय है। अरुधतका जल को अरुधती हेतु सेंट्रल वायुमंडल वीटर अरुधती से अरुधती वाका अरुधतन किया गया है।

- **जल प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था** - औद्योगिक अरुधत से दूषित जल वातावरण नहीं होना। कुलिन वायुमंडल अरुधत दूषित जल को अरुधत कर पुन, कुलिन हेतु वायुमंडल में लका जायगा। परेडु दूषित जल को माक 2 घण्टीदार प्रतिदिन है। वातावरण में परेडु दूषित जल को वायुमंडल हेतु वेनिक टैक एवं अघोषित नियंत्रण किया गया है। परेडु दूषित जल को उतारना हेतु वेनिक ट्रीटमेंट पराट्टम अरुधत प्रस्तावित है। सुत्य निवारणम की विधि यही जायगी। वातावरण में की वायुमंडल व्यवस्था अंगरवाई जाई है।

- **नू-जल वायुमंडल प्रबंधन** - उद्योग सवेल सेंट्रल वायुमंडल वाहन बोर्ड की अनुमतता से की अटिकल जेन में अरुधत है। निम्नके अनुसार-

(अ) पुनव एवं अरुधत अरुधती को कम से कम 30 प्रतिशत दूषित जल का पुनवाकन एवं पुनवायुमंडल किया जाना है।

(ब) वायुमंडल वाहन निवारण हेतु अंगरवाई जाई अरुधतका पुन वायुमंडल अरुधती / अघोषित अरुधत जल निवारण के अरुधत न नू-जल निवारण जल की अनुमति सेंट्रल वायुमंडल वाहन बोर्ड द्वारा दिये जाने का प्रस्तावन कर। उद्योग को पुनवाकन अरुधती अरुधत किया जाना अरुधतका है।

- **वेन वीटर अरुधती अरुधत व्यवस्था** - उद्योग परिसर में यही की घंसे का कुल अरुधतका 8,130 घण्टीदार प्रतिवर्ष है। वेन वीटर अरुधती व्यवस्था के अरुधत 9 नू निवारण मिल (अंगरवाई 2.5 मीटर, चौड़ाई 2.5 मीटर, गहराई 2.5 मीटर) निर्मित किया जाना प्रस्तावित है। प्रस्तावित वेन वीटर अरुधती व्यवस्था अरुधत परिसर की पुन अरुधतका को निवारण किया जा सकेगा। यही निवारण







प्रदूषकों द्वारा प्रस्ताव निर्दिष्ट किया जाएगा कि इनमें सामान साज में क्या क्या का बचाव हो सके।

9. **प्रदूषण भार संबंधी जानकारी** - समष्टि द्वारा कथित रूप से उपयोग की वस्तु में एक समान विस्तार उपरोक्त उपयोग की वस्तु में कुल प्रदूषण भार की गणना कर (जल उपयोग की मात्रा, दूषित जल की मात्रा, गुणवत्ता, प्रदूषकों की मात्राओं की मात्रा एवं सामान बोम अर्थात् की मात्रा) प्रस्तुत किया गया है। इनकी अनुमानित मात्रा में अष्ट राज्यों की मात्रा 7,328 कि.घा. प्रतिवर्ष है। प्रस्तावित वेग किल्टर एवं पिस्की से पार्टिकुलेट मैटर का उत्पादन 25 मिलीग्राम/सामान्य सामग्री से कम सुनिश्चित किया जाने से अष्ट राज्यों की मात्रा 7,128 कि.घा. प्रतिवर्ष होगी। औद्योगिक प्रक्रिया से उत्पन्न दूषित जल को पुनःउपयोग किया जाएगा तथा दूध निस्स्रावण की स्थिति बची जागी। प्रस्तावित कार्यालयों के माध्यम कुल 1,368 टन प्रतिवर्ष टोक अर्थात् के का में उत्पन्न होगा। प्रारम्भ सभी टोक अर्थात् का उपयोग कार्यालय/उद्योग किया जाएगा। इसे अंतर समान विचार उपरोक्त (1) प्रतिवर्ष प्रस्तावित होने वाले पार्टिकुलेट मैटर की मात्रा में कमी, (2) उत्पन्न होने वाले टोक अर्थात् की मात्रा में वृद्धि होगी जिस पुनःउपयोग किया जाएगा तथा (3) जल उपयोग की मात्रा में वृद्धि होगी सम्बन्धित है।
10. **विद्युत आपूर्ति स्रोत** - परिवहन हेतु 4 मेगावॉट विद्युत की आवश्यकता होगी। विद्युत की आपूर्ति राष्ट्रीय राजमार्ग राज्य विद्युत निगम कंपनी लिमिटेड से किया जाएगा। वार्षिक व्यय हेतु 200 बी.पी.ए. समान का डी.जी. सेट को एनर्जिटिक इंफ्रस्ट्रक्चर में सम्मिलित किया जाएगा।
11. **पुनरावेषण संबंधी जानकारी** - प्रारम्भ में प्रतिवर्ष अर्थात् की मात्रा हेतु कुल क्षेत्रफल से 0.88 एकड़ क्षेत्र में 421 गां पीछे रीति किया गया है। प्रस्तावित कार्यालयों के माध्यम 0.88 एकड़ (40 प्रतिशत) क्षेत्र में 421 गां पीछे रीति किया जाना प्रस्तावित है।
12. **ऑर्गेनिक कार्बन/सीक वॉशिन (C.E.R.)** - परिवहन प्रस्तावक द्वारा समिति को समझ विस्तार से सभी प्रकार निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
75	1%	0.75	Following activities at Neerby Government School, Village-Uphara	
			Rain Water Harvesting System	1.13
			Potable Drinking Water Facility	0.25
			Plantation	0.15
			Total	1.53

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

13. स्थापित उद्योग में प्रस्तावित क्षमता विस्तार हेतु अधिविस्तार नूनि अधिचलन किंचित जांच प्रस्तावित नहीं है। अतः किसी भी प्रकार के पुनर्वसन एवं पुनःस्थापना की स्थिति निर्मित नहीं होगी है।
14. स्वतः प्रचलित औद्योगिक क्षेत्र में स्थापित एवं संस्थापित है। स्वतः की अवस्था में कोई उद्योग स्थापित एवं संस्थापित है।
15. क्षमता विस्तार हेतु अधिविस्तार सि-डिटिंग कर्मिक की स्थापना प्रस्तावित नहीं है। वर्तमान में स्थापित शील वैसीक भावर अध्यापित सि-डिटिंग कर्मिक में कार्य वृद्धि (मिनिमल शिफ्ट से अजल शिफ्ट) का प्रस्ताव विस्तार किंचित जांचा। क्षमता विस्तार से अधिविस्तार प्रस्तावित होने वाले परियोजनाएं मेंटर की भाषा में जारी जांचा होने वाले शील अधिविस्तार की भाषा में वृद्धि होगी। जिससे अन्य उद्योगों हेतु पुनःउपयोग किंचित जांचा। अजल उपयोग की भाषा में वृद्धि होगी जिसकी अधिविस्तार नूनि उद्योग क्षेत्र की क्षमता पर्याप्त की लेन सीटर अधिविस्तार द्वारा संभव करने में होगी। इस प्रकार पर्यावरणीय घटाओं पर विचारित प्रस्ताव करने की संभावना बहुत कम है।
16. भारत सरकार, पर्यावरण, जल और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की ओर एन. नं. J-10002/2020-21-14-100 दिनांक 24/12/2023 के अनुसार की कंपनी की परियोजनाओं को पर्यावरणीय परीक्षण जांचे करने हेतु बीए अथवा बीए-कॉटेगरी में किंचित जांचे वाली परियोजनाओं जांचे किंचित गए है। जिसके अनुसार मेंटर अधिविस्तार प्रस्तावित (किंचित एनए सीटर सीटर) हेतु निम्नानुसार परियोजनाओं जांचे किंचित गए है-

"Category B2 - All non-iron secondary metallurgical processing industries involving operation of furnaces only, such as induction and electric arc furnaces, submerged arc furnaces, and cupolas with capacity > 30,000 TPA but < 80,000 TPA provided that such projects are located within the notified industrial estates."
17. ईआईए नोटिफिकेशन, 2008 (जल संशोधित) की पैर 7(1)(b) के अनुसार State Level Expert Appraisal Committee will decide on the diligence necessary including preparation of Environment Impact Assessment and Public consultations and the application shall be appraised accordingly for grant of environmental clearance
18. संशोधित का सर्वेक्षणों से यह भाव जा कि प्रस्तावित क्षमता विस्तार से अधिविस्तार प्रस्तावित होने वाले परियोजनाएं मेंटर की भाषा में जारी अधिविस्तार होगी है। उद्योग में कुल 10,800 घनमीटर अधिविस्तार अजल की अवस्था में होगी। उद्योग द्वारा जारी शील में कुल 8,300 घनमीटर अजल, सि-सीटर अधिविस्तार द्वारा जांचा किंचित जांचा। समस्त शील से अधिविस्तार एवं प्रस्तावित अधिविस्तार अधिविस्तार अधिविस्तार, शील अधिविस्तार बनाये रखने, अधिविस्तार होने वाले परियोजनाएं मेंटर की भाषा में जारी जांचा होने वाले शील अधिविस्तार की भाषा में वृद्धि (जिससे कुल भाषा में वृद्धि होगी जिससे अन्य उद्योगों हेतु पुनःउपयोग किंचित जांचा। तथा इसके पर्याप्त एवं वैज्ञानिक विधि से अधिविस्तार करने, अजल उपयोग की भाषा में कुल वृद्धि होने तथा क्षमता विस्तार हेतु अधिविस्तार नूनि अधिचलन नहीं किंचित जांचे की जांचा किसी प्रकार के पुनर्वसन एवं पुनःस्थापना की स्थिति निर्मित नहीं होने से पर्यावरणीय घटाओं पर जांचा प्रस्ताव (insignificant impact on environment) करने की संभावना है। अतः प्रस्तावित परियोजनाओं को "बीए" कंपनी की अधिविस्तार वाली हेतु ईआईए नोटिफिकेशन, 2008 (जल संशोधित) की पैर 7(1)(b) के अधिविस्तार की जांचा, संशोधित द्वारा किंचित किंचित जांचा अधिविस्तार की जांचा निर्मित




 दिनांक



विद्यमान कि जलसिंचन कृषि विभाग हेतु ई.आई.ए. सिवर्ट एवं जीक सुधाराई की कार्यप्रणाली प्रविष्टिजित नहीं होती है।

उपरोक्त तथ्यों से अभाव या कमिडि द्वारा विभाग विभागीय कार्यों में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि कृषि विभाग के तहत मेसर्स ए.पी. स्ट्रील्स प्रोडक्ट लिमिटेड, सेक्टर-सी, जल्ला औद्योगिक क्षेत्र, तहसील व जिला-रायपुर विभाग फॉर्म नंबर 71/72, कुल क्षेत्रफल - 0.888 हेक्टर में विलेट से-डिटेंड करीत वेसल से-डोसिंग मिन (ओल पीसीय कालर अथॉरिटी) - 30,000 टन प्रतिवर्ष से बढ़ाकर 88,800 टन प्रतिवर्ष करने हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति विद्यमान होने की अनुमति की गई।

अधिकारण द्वारा ई.आई.ए. में विचार - उपरोक्त प्रकल्प का अधिकारण की दिनांक 24/03/2021 को संलग्न 113वीं बैठक में विचार किया गया। अधिकारण द्वारा नली का आयोजन किया गया। विचार विभागीय कार्यों में सर्वसम्मति से पर्यावरण की अनुमति की स्वीकार करने हेतु कृषि विभाग के तहत मेसर्स ए.पी. स्ट्रील्स प्रोडक्ट लिमिटेड, सेक्टर-सी, जल्ला औद्योगिक क्षेत्र, तहसील व जिला-रायपुर विभाग फॉर्म नंबर 71/72, कुल क्षेत्रफल - 0.888 हेक्टर में विलेट से-डिटेंड करीत वेसल से-डोसिंग मिन (ओल पीसीय कालर अथॉरिटी) - 30,000 टन प्रतिवर्ष से बढ़ाकर 88,800 टन प्रतिवर्ष करने हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने का निर्णय लिया गया।

पर्यावरण प्रस्तावक को पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किया गया।

17. मेसर्स मुडपुसरी ऑर्डिनेरी स्टोन क्वारी (पी- सी प्रवीण बीतलवाणी), राय-मुडपुसरी, तहसील-बीकान, जिला-कबीरपूर (सविवालय का नली क्रमांक 1583)

ऑनलाईन आवेदन - प्रयोजन नंबर - एनआईए /सीसी /एनआईएन /202107/2021, दिनांक 08/03/2021।

कार्य का विवरण - यह पूर्ण से संयोजित संपादन प्रकल्प (पीय एनिल) अद्यतन है। अद्यतन राय-मुडपुसरी, तहसील-बीकान, जिला-कबीरपूर विभाग अद्यतन क्रमांक 88, कुल क्षेत्रफल-1.7 हेक्टर में है। अद्यतन की आवेदित संपादन क्रमांक-15,883.44 टन प्रतिवर्ष है।

बैठकों का विवरण -

(अ) समिति की 883वीं बैठक दिनांक 24/03/2021।

समिति द्वारा प्रकल्प की नली एवं प्रस्ताव जानकारी का परीक्षण तथा पर्यावरण सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था-

1. भूमि नली पर्यावरण प्रस्ताव किया जाये।
2. पूर्ण से आवेदित स्थल पर अद्यतन हेतु राज्य स्तर पर्यावरण संपादन निर्देशन अधिकारण (एन.ई.आई.ए.ए.) अद्यतनपत्र अथवा जिला स्तरीय पर्यावरण संपादन निर्देशन अधिकारण (पी.ई.आई.ए.ए.) अद्यतनपत्र द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दी गई की पूर्ण से जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं अधिवेदित नली के अद्यतन से की गई आवेदक की जानकारी को अद्यतनपत्र अथवा जिला स्तरीय पर्यावरण संपादन निर्देशन अधिकारण की अद्यतन स्थिति की जानकारी को अद्यतनपत्र अथवा जिला स्तरीय पर्यावरण संपादन निर्देशन अधिकारण को जारी किया जाये।

1. वित्त वर्षों में किए गए कार्रवायों की वार्षिक राशियाँ (वित्तीय वर्षों की जानकारी समिती विभाग से अनुरोधित करा कर प्रस्तुत की जाए।
2. सीईआर (Corporate Environment Responsibility) हेतु वित्तगत प्रस्ताव पूर्ण विवरण के साथ प्रस्तुत किया जाए।
3. परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरण सहाय पूर्ण जानकारी / परामर्श (अनुदान संवीक्षण) के साथ प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

अनुसार परियोजना प्रस्तावक को एनईएसी, उत्तीर्णपत्र के पत्र एवं ई-मेल द्वारा दिनांक 08/08/2021 एवं 21/08/2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(द) समिती की 327वीं बैठक दिनांक 08/08/2021:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 08/08/2021 द्वारा सूचना दी गयी है कि अनिश्चित कालों से समिती के समस्त बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित होना संभव नहीं है। अतः आगामी बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

समिती द्वारा तत्काल सर्वसम्मति से निर्णय किया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में जारी हुई अधित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / परामर्श सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

अनुसार परियोजना प्रस्तावक को एनईएसी, उत्तीर्णपत्र के पत्र दिनांक 21/08/2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ख) समिती की 328वीं बैठक दिनांक 21/08/2021:

प्रस्तुतीकरण हेतु की प्रयोग कोलकाता, होपस्ट्रैटर डिजिटल इन्फोर्मेशन के माध्यम से उपस्थित हुए। समिती द्वारा जारी, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं तीव्रता करने का निम्न विधिति हुई गई—

1. पूर्व में जारी पत्राचारणीय स्वीकृति संबंधी विवरण—

- a. पूर्व में साधारण पत्राचार प्रदान करने के अन्तर्गत 08/2. कुल व्यय—1.7 करोड़ रु. अन्तर्गत—18,388.44 रु. प्रतिवर्ष हेतु पत्राचारणीय स्वीकृति जिसे राष्ट्रीय पत्राचार अनापत्त निर्देशन अधिनियम, 2017-करीबतम द्वारा दिनांक 18/01/2017 को जारी की गई। यह स्वीकृति जारी दिनांक से 5 वर्ष तक की अवधि हेतु जारी की गई।
- b. पूर्व में जारी पत्राचारणीय स्वीकृति के जारी के माध्यम से की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत की गई है।
- c. निर्दिष्ट कार्यगुण सुधारने नहीं किया गया है।
- d. कार्यलय कलेक्टर (अति साधार) जिसे-करीबतम के द्वारा अन्तर्गत 08/1/2017/अति/पत्र/2021 करीबतम, दिनांक 11/12/2021 द्वारा विगत वर्ष में किये गये कार्रवायों की जानकारी निम्नानुसार है—

वर्ष	अध्यायन (रु.)
2016-17	शुद्ध
2017-18	213.11
2018-19	14,324.58
2019-20	13,140.66

De

De

De

2. **डाम पर्यावरण का अनापत्ति प्रमाण पत्र** - उत्तराखण्ड की संख्या में डाम पर्यावरण अधिनियम का दिनांक 23/01/2014 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
3. **सुरक्षण योजना** - जल संयंत्र, इन्फ्रार्स्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड एवं जल संयंत्र सुरक्षण योजना प्रस्तुत किया गया है, जो अनापत्तिक (अनुप्राणन), जिला-कलीवासाजार्-सादापला डाम अर्थात् 228/स.सि./समिति/प.पट्टा/2021 कलीवासाजार्, दिनांक 28/08/2018 द्वारा अनुमोदित है।
4. **800 मीटर की परिधि में स्थित खदान** - जल संयंत्र कलीवासा (अभिन्न सादा), जिला-कलीवासा में डाम अर्थात्/228/स.सि./समिति/प.पट्टा/2021 कलीवासा, दिनांक 02/02/2021 से अनुमोदित अनापत्ति खदान में 800 मीटर की सीमा अनापत्ति अन्य खदानों की संख्या किया है।
5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं** - जल संयंत्र कलीवासा (अभिन्न सादा), जिला-कलीवासा में डाम अर्थात्/228/स.सि./समिति/प.पट्टा/2021 कलीवासा, दिनांक 02/02/2021 द्वारा जारी डाम पत्र अनुसार जल खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे धार्मिक स्थल, मंदिर, मस्जिद, अस्पताल, स्कूल, पुल एवं एनोडल जडि घोषित क्षेत्र किया नहीं है।
6. **भूमि एवं सीमा का विवरण** - यह सार्वजनिक भूमि है, जिसमें सीमा की प्रतीक संरचनाओं के नाम पर जारी की गई है। पूर्व में सीमा क्षेत्र 08 वर्षी अर्थात् दिनांक 23/09/2008 से 22/09/2008 तक की अवधि सेटु किया थी। उत्तराखण्ड सीमा क्षेत्र में 05 वर्षी की, दिनांक 23/09/2008 से 22/09/2014 तक की अवधि वृद्धि की गई थी। उत्तराखण्ड पुल सीमा क्षेत्र में 20 वर्षी की, दिनांक 23/09/2014 से 22/09/2008 तक की अवधि वृद्धि की गई है।
7. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** - वर्ष 2018 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
8. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** - जल संयंत्र कलीवासा/कलीवासा, जल संयंत्र कलीवासा, जल संयंत्र के डाम अर्थात्/स.सि./2021 कलीवासा, दिनांक 18/04/2021 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार अनापत्ति क्षेत्र की सीमा वन क्षेत्र से 250 मीटर एवं सीमा क्षेत्र अनापत्ति कलीवासा से 15 कि.मी. की दूरी पर है।
9. **पहाड़पूर्ण संरचनाओं की दूरी** - निकटतम जल संयंत्र-मुजपुरी 0.4 कि.मी, स्कूल डाम-मुजपुरी 1.3 कि.मी, एवं अनापत्ति पहाड़गाई 12.5 कि.मी की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 12 कि.मी, एवं राज्यमार्ग 12.1 कि.मी दूर है।
10. **परिस्थितिकीय/जैववैविधता संबंधित क्षेत्र** - परिस्थितिकीय प्रभावक द्वारा 10 कि.मी की परिधि में अंतर्राष्ट्रीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अनापत्ति, अंतर्राष्ट्रीय प्रमुख निरक्षण क्षेत्र द्वारा घोषित जल संयंत्र सीमा, परिस्थितिकीय संबंधित क्षेत्र का घोषित जैववैविधता क्षेत्र स्थित नहीं है।
11. **खनिज संयंत्र एवं खनिज का विवरण** - अनुमोदित खनिज फंड अनुसार सिस्टीमेटिकल रिजर्व 3,30,883 टन, माइनेबल रिजर्व 2,85,488 टन एवं निकलॉबल रिजर्व 2,58,681 टन है। वर्तमान में सिस्टीमेटिकल रिजर्व 6,88,017 टन एवं निकलॉबल रिजर्व 2,28,773 टन बंध है। सीमा की 1.5 मीटर सीमा

Handwritten signature

Handwritten signature

सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए परिभाषित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 4.818 वर्गमीटर है। जोरन जल संयंत्र में प्रस्तावित विधि से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 1.3 मीटर है। सीमा क्षेत्र में जमीन मिट्टी की गहराई 4 मीटर है तथा कुल मात्रा 11.818 घनमीटर है। जमीन मिट्टी 800 घनमीटर की 2.5 मीटर (मार्गिंग कार्टर) क्षेत्र में पुनारोपण के लिए तथा शेष जमीन मिट्टी को सड़क किनारे जल भूमि पर संरक्षित रखने हेतु स्वयं प्रयोजनों से अनुचित उपयोग से रोकित किया जाएगा। क्षेत्र की गहराई 1.3 मीटर एवं चौड़ाई 1.3 मीटर है। खदान की संरक्षित ऊंचाई 17 वर्ष है। सीमा क्षेत्र में जल संचयित किया जाना प्रस्तावित नहीं है। जल संचयन से डिजिटल एवं मोड्यूल संचयित की जाती है। खदान में जल प्रदूषण निरोधक हेतु जल का उपचारण किया जाता है। सर्वोच्च प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:-

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	18,321
द्वितीय	18,388
तृतीय	18,388
चतुर्थ	18,382
पंचम	18,384
छठम	18,383

नोट: सड़क किनारे जल की अनुसार जल से सतह वर्ष तक उत्खनन कार्य कर लिया गया है। सड़क किनारे उत्खनन के बाद की जमीन को पर्यावरणीय क्षति मर्यादा है।

12. **जल आपूर्ति** - परिशोधन हेतु आवश्यक जल की मात्रा 1.28 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति दाल संघाया द्वारा टैंकर से संचयन की की जाएगी। इस कार्य दाल संघाया का अनपेक्षित प्रभाव मंत्र अस्तु किया गया है।
13. **पुनारोपण कार्य** - सीमा क्षेत्र की सीमा में घाटी क्षेत्र 2.5 मीटर की गहराई में 800 वर्ग पुनारोपण किया जाएगा।
14. **खदान की 2.5 मीटर की सीमा सीमा पट्टी में उत्खनन** - अनुसंधान के दौरान परिशोधन प्रभावक द्वारा बताया गया कि सीमा क्षेत्र की घाटी क्षेत्र 2.5 मीटर की सीमा पट्टी का कुल क्षेत्रफल 4.818 वर्गमीटर क्षेत्र होता है, जिसमें से कुछ भाग घाटी में उत्खनित या विस्थापित पुनरुत्पादन पूर्ण किया गया है। पुनरुत्पादन कार्य पूर्ण किया जाने के लक्ष्य में सीमा क्षेत्र अनुसंधान किया गया है।
15. **कोर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** - परिशोधन प्रभावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environmental Responsibility) हेतु समिति की सलाह अनुसार से कार्य प्रस्ताव निम्नानुसार विस्तृत प्रभाव प्रस्तुत किया गया है:-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
17.50	2%	0.35	Following activities of Government Middle School Village - Mulghusan	

			Main Water Harvesting System	0.49
			Plantation	0.09
			Total	0.58

18. कृषिमंत्री एवं जी.टी. विधिलाल शर्मा, नई दिल्ली द्वारा सर्वोच्च न्यायोपेक्ष विवेक प्राप्त करवाए, भारतीय एवं अन्य जल संसाधन परिचालन विभाग, नई दिल्ली एवं अन्य (अधिकृत एम.डी.ओ. नं. 188 डी.क. 2018 एवं अन्य) में दिनांक 13/08/2018 को जारी आदेश में सुझाव एवं विचारानुसार निर्दिष्ट किया गया है-

- Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.
- If a cluster or an individual lease area exceed 5 ha, EIA/ EMP to made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरोक्त सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्भव किया गया-

- कार्यालय कारोवटा (अनिज गांव), जिला-कबीरपूर के द्वारा अनांक / 208 / अ.सि. / अनिज / व.पट्टा / 2021 कबीरपूर, दिनांक 02/02/2021 के अनुसार आवेदन खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की संख्या निर्भव है। आवेदन खदान (दान-मुजपुसरी) का एकांक 1.7 हेक्टर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की समिति में सीकुर/संघारित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टर या उससे कम होने से कारण यह खदान सी-2 श्रेणी की शरी गयी।
- समिति द्वारा विचार विमर्श उपरोक्त सर्वसम्मति से आदेशक - केसरी मुजपुसरी अधिनीय नोन कारी (जे- सी अदीन खेसखानी) की दान-मुजपुसरी, तारसील-बीकान, जिला-कबीरपूर के अनांक अनांक 88 में जिला सहायक पथर (पीन अनिज) खदान, कुल क्षेत्रफल-1.7 हेक्टर, अनांक - 10,385 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय सीकुरि टिा जाने की अनुमति की गयी।

प्रतिकरण द्वारा बीकान में विचार - उपरोक्त खदान पर प्रतिकरण की दिनांक 24/08/2021 को अनांक 11371 बीकान में दिखन किया गया। प्रतिकरण द्वारा कली का आवेदन किया गया। विचार विमर्श उपरोक्त प्रतिकरण द्वारा सर्वसम्मति से समिति की अनुमति की सीकार जारी हुए आदेशक - केसरी मुजपुसरी अधिनीय नोन कारी (जे- सी अदीन खेसखानी) की दान-मुजपुसरी, तारसील-बीकान, जिला-कबीरपूर के अनांक अनांक 88 में जिला सहायक पथर (पीन अनिज) खदान, कुल क्षेत्रफल-1.7 हेक्टर, अनांक - 10,385 टन प्रतिवर्ष हेतु निम्न अधिविभा शरी के अदीन पर्यावरणीय सीकुरि टिा जाने का निर्भव किया गया -

खदान बंद होने से उपरोक्त खदान से जारी एक कुसरीयन से साध-साध कुरी की सीक में अधिविभा व दान अनांक जाये, जिससे मुदा अनांक/धुमि अनांक व विवेकान को सीक जा गये

प्रतिकरण अनांक की पर्यावरणीय सीकुरि जारी किया 2021।

(Signature)

(Signature)

(Signature)

18. मेसर्स एच.एन. स्टील एंड वॉल्व, दाम-वाडी, जलगील व विला-रावणद (सविभाग्य की नवीन इकाईक 058)

अनिवाइन क्लोडन - पूर्व में प्रयोजन नम्बर - एचआईए/ वाडी/ आईएनसी/ 38827/ 2018, दिनांक 08/06/2018 द्वारा टी.जी.आर हेतु आवेदन किया गया था। सर्वेक्षण में दिनांक 18/06/2021 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने के लिए आईएन ईआईए रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया।

प्रस्ताव का विवरण - परियोजना प्रस्तावक द्वारा दाम-वाडी, जलगील व विला-रावणद स्थित खसरा क्रमांक 22/12, 22/13 एवं 22/14, कुल क्षेत्रफल - 4.21 हेक्टेयर में प्रस्तावित कार्यप्रस्ताव के तहत इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपनी (10 एन गुग 1 गग) (एनएन, इंगल) क्षमता - 20,000 टन प्रतिवर्ष से बढ़ाकर इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपनी लिमिटेड (10 एन गुग 2 गग) (एनएन, इंगल/विलेज) क्षमता - 1,41,700 टन प्रतिवर्ष करने, प्रस्तावित डी-ड्रेज स्टील डोबकटा क्षमता - 1,48,700 टन प्रतिवर्ष (यू डी कर्न), प्रस्तावित एचडी पीप (ग्रेन ड्राईन युनिट) का एनएन चार्ज (ग्राईन मिल) क्षमता - 1,41,328 टन प्रतिवर्ष के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने हेतु आवेदन किया गया है। प्रस्तावित कार्यप्रस्ताव हेतु परियोजना का विनिर्देश क्रम 26 जारी है।

पूर्व में एचआईएसी, जलगील व दाम-वाडी दिनांक 27/07/2018 द्वारा प्रस्ताव की-1 कोटेशन का होने के कारण नया सरकार के पर्यवेक्षण, वन और जलवायु परिवर्तन संश्लेषण द्वारा जारी, 2018 में प्रस्तावित स्टीपडर्ड टर्नर और सिविल (टीजीआर) धीरे ईआईए/ ईएचए रिपोर्ट और प्रोजेक्ट/एस्टीमेटेड रिजर्वेशन इन्फ्रास्ट्रक्चर क्लोडन एचआईए गैटेकिडेशन, 2020 में जर्मिड कर्न 3(ए) का स्टीपडर्ड टीजीआर (लोक सुगर्भ कर्न) गैटेकिडेशन इन्फ्रास्ट्रक्चर (ग्रेन एंड वॉल-कंपन) हेतु जारी किया गया। जलानुसार परियोजना प्रस्तावक द्वारा आईएन ईआईए रिपोर्ट दिनांक 18/06/2021 को प्रस्तुत किया गया है।

परियोजना प्रस्तावक को एचआईएसी, जलगील व दाम-वाडी दिनांक 24/08/2021 द्वारा अनुमोदन हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण -

(अ) समिति की 374वीं बैठक दिनांक 04/08/2021।

अनुमोदन हेतु श्री ज्योति कश्यप, चार्टेड एंड मेसर्स एचएचएन लिमिटेड प्रोडक्ट डिपार्टमेंट की ओर से श्री श्रीकांत बी. कावेरकर, चरित संश्लेषण वैज्ञानिक डिपार्टमेंट कोटेशन के माध्यम से उपस्थित हुए। समिति द्वारा नवी, प्रस्तुत जानकारी का आलोचना एवं परीक्षण करने पर निम्न सिद्धि पाई गई-

1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति - उद्योग को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।
2. जल एवं वायु सम्बन्धि - क्षेत्रीय कार्यप्रस्ताव, जलगील व दाम-वाडी संश्लेषण प्रस्ताव, रावणद से एन.एच.इ.नाएन/विलेज (यू इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपनी) क्षमता - 20,000 मेट्रिक टन प्रतिवर्ष हेतु जल एवं वायु सम्बन्धि दिनांक 04/02/2018 को जारी की गई है।
3. समीक्षण स्थित विनाशकारी संबंधी जानकारी -

- समीक्षण जलवादी दाम-विलेज 0.8 किलोमीटर, वाडी 0.7 किलोमीटर एवं रावणद 11.7 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। निकटतम रेलवे स्टेशन

  05/08/21



किलोमीटर 0.8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 08 किलोमीटर एवं राजमार्ग 07 किलोमीटर है। सेलो गरी 3 किलोमीटर एवं सेलो सिवार्डन 3 किलोमीटर की दूरी पर है।

- वर्तमान आवधिक धन 1.7 किलोमीटर, लघु आवधिक धन 2.1 किलोमीटर, बालकवाण आवधिक धन 3 किलोमीटर, सर्वोच्च आवधिक धन 4 किलोमीटर एवं एकाग्रित आवधिक धन 2.1 किलोमीटर है।
- परिवहन प्रस्तावक द्वारा 10 किलोमीटर की पर्यटन में अंतर्राष्ट्रीय सीमा, राष्ट्रीय राजमार्ग, अणुवाण, क्षेत्रीय प्रमुख निबंधन बोर्ड द्वारा घोषित किराचली सीमांत एरिया, भारतीयराष्ट्रीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैववैविध्यता क्षेत्र स्थित नहीं होने अधिसूचित किया है।
- 4. **संभव प्रतिष्ठा स्टैटमेंट** – कुल क्षेत्रफल – 4.21 हेक्टेयर है, जिसमें से सड़क एवं बन्दरगाह का क्षेत्रफल 1 हेक्टेयर, सड़क एवं पैदल का क्षेत्रफल 0.41 हेक्टेयर, कुल क्षेत्रफल 1.22 हेक्टेयर तथा इतिहासिक संरक्षित क्षेत्रफल – 1.47 हेक्टेयर (36 प्रतिशत) होगा। प्रस्तावित कार्यकरण हेतु अधिसूचित भूमि अधिसूचित किया गया प्रस्तावित नहीं है।
- 5. **स्थलित एवं प्रस्तावित इकाईयों संबंधी जानकारी** –

S. No.	Product	Existing	Proposed
1.	MS Ingots / Slabs	10 T X 1 No. Induction Furnace (30,000 TPA)	10 T X 5 Nos. Induction Furnace along with CCM (1,01,700 TPA)
2.	Recoiled Steel products	—	Hot Charging Rolling Mill (1,48,794 TPA)
3.	(a) MS Wire	—	Wire Drawing Facility (about 428 TPD) (1,41,328 TPA)
	AND / OR		
	(b) MS Pipe	—	Pipe Mill (1,41,328 TPA)

- 6. **सी-मटेरियल** –

S. No.	Units	Raw Material	Quantity (In TPA)	Mode of Transport
1.	Induction Furnace	Scrap Iron	1,33,466	By Road (through Covered Trucks)
		CrPig Iron / Heavy Scrap	31,847	
		Ferro Alloys & Aluminium	1,693	
		Hammering Mass and Refractory Lining	242	

2.	Rolling Mill	Hot Billet (for Hot Charging)	1,81,700	Internal transfer through conveyors
3.	Wire Drawing Unit	MS Wire	1,48,754	
	AND FOR			
	Pipe Mill	MS strip	1,48,754	Internal transfer through conveyors

2. **घन्य प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था** - सभी प्रकार इन्फ्रारक्त फर्नीचर में घन्य प्रदूषण नियंत्रण हेतु कुलित, स्लैक चूरा के साथ जस्ट कालेक्टर तथा वेन फिल्टर एवं 23 मीटर लंबी चिमनी स्थापित है। इलायित कारखाना हेतु कर्टीकुलेट वेदर का प्रत्येक 30 मिनिट्स/घण्टा परफॉर्मर कम करने की इच्छा की इन्फ्रारक्त फर्नीचर में घन्य प्रदूषण नियंत्रण हेतु गेट्स जस्ट कालेक्टर फिल्टर के साथ वेन फिल्टर स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। हीट एन्जिन इलायित रोलिंग मिल में ईंधन का उपयोग नहीं करने के कारण रोलिंग मिल में घन्य प्रदूषण नियंत्रण लागू एवं किसी भी स्थापना किया जाना इलायित नहीं है। पर्यावरणीय जस्ट प्रत्येक नियंत्रण हेतु जल सिंचन की व्यवस्था प्रस्तावित है।

3. **टीस अपशिष्ट उपचयन व्यवस्था** - इलायित कारखाना के पर्यावरण इन्फ्रारक्त फर्नीचर के डिसेल्टींग सिस्टम - 3,300 टन प्रतिदिन, स्लैग - 18,311 टन प्रतिदिन एवं सी-वेस्टी वेस्ट - 121 टन प्रतिदिन टीस अपशिष्ट के रूप में उत्पन्न होगा। रोलिंग मिल से मिल स्लैग - 4,883 टन प्रतिदिन एवं मिल रोल/रुफ कटिंग 8,083 टन प्रतिदिन टीस अपशिष्ट के रूप में उत्पन्न होगा। सींग ड्राईंग इकाई से एमएस स्लैग 7,438 टन प्रतिदिन एवं पर्येन मिल से एम.एस. स्लैग 7,438 टन प्रतिदिन टीस अपशिष्ट के रूप में उत्पन्न होगा। डिसेल्टींग सिस्टम को स्लैग की इन्फ्रारक्त फर्नीचर में सी-वेस्टिंग के रूप में उपयोग किया जाएगा/छोटे इकाईयों को विकस किया जाएगा। स्लैग को गेटल क्लेयरिंग इकाईयों को विकस किया जाएगा। सी-वेस्टी वेस्ट को कर्टीकुलेट क्लेयरिंग/वेदर मिल को उपयोग बनाया जाएगा। मिल स्लैग को सींग फ्लोइंग/डिसेल्टींग फाउंडर इकाईयों को विकस किया जाएगा। मिल रोल/रुफ कटिंग, एमएस, स्लैग (पार्येन मिल से) एवं एमएस स्लैग (सींग ड्राईंग युनिट से) को गुरु इन्फ्रारक्त फर्नीचर के रूप में उपयोग किया जाएगा।

4. **जल प्रबंधन व्यवस्था** -

- **जल संचय एवं बर्बाद** - इलायित कारखाना के पर्यावरण इन्फ्रारक्त फर्नीचर कुल 127 घनमीटर प्रतिदिन (मिले इकाईयों हेतु 10 घनमीटर प्रतिदिन एवं कुलित हेतु 127 घनमीटर प्रतिदिन) का उपयोग किया जाना इलायित है। कारखाना जल को जलपूरी न्यू-जल से जो जाती। इलायित कारखाना के पर्यावरण न्यू-जल की उपयोगिता हेतु अनुसंधान सेन्ट्रल इलायित वाटर अथॉरिटी में आवेदन किया गया है जो कि स्थापित है।

- **जल प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था** - औद्योगिक प्रक्रिया से युक्त जल उत्पन्न नहीं होता है। कुलित पर्यावरण जल युक्त जल को ठंडा कर पुरा कुलित हेतु उपयोग में लाया जाता है। इलायित कारखाना के पर्यावरण इन्फ्रारक्त व्यवस्था अपनाई जाती। पर्यावरण युक्त जल को मात्र 8 घनमीटर प्रतिदिन होती।

(Handwritten signatures and marks at the bottom of the page)

परिधान में छोटी दूधिया जल की उपस्थिति हेतु सेटिंग टैक एवं सोलरिड निर्माण किया गया है। परिसर दूधिया जल की उपस्थिति हेतु सीपेल ट्रीटमेंट प्लांट अपना कार्य प्रभावित है। दूधिया निष्काशन की स्थिति नहीं आई। परिधान में भी उपरोक्त व्यवस्था अपनाई गई है।

- **पू-जल उपयोक्त प्रबंधन** - परिधीयता स्तर सीटल बायपास प्लांट बोर्ड की अनुमति लेना जिन में जाता है। जिसके अनुसार-

(अ) कुल एवं समय उपयोक्तों को कम से कम 48 घण्टियां दूधिया जल का पुनःसंचयन एवं पुनःउपयोग किया जाता है।

(ब) बायपास प्लांट विद्यार्थी हेतु अपनाई गई तकनीक तथा सेक्टर इन्वेंटिंग / ऑटोमैटिजेशन जल विद्यार्थी की उपस्थिति पर पू-जल निर्यात करने की अनुमति सीटल बायपास प्लांट बोर्ड द्वारा विद्यार्थी को देना प्रत्याशित है। अतः इन्वेंटिंग की सेक्टर इन्वेंटिंग व्यवस्था किया जाना आवश्यक है।

- **रेन वॉटर इन्वेंटिंग व्यवस्था** - विद्यार्थी परिधान में वर्षा की पानी का कुल संचयन 10,000 घनमीटर है। कुल 8 मग रेन वॉटर इन्वेंटिंग सिस्टम निर्माण किया जाना प्रत्याशित है। परिधान में स्वयंसेवक विद्यार्थी अंतर्गत 4 मग रेन वॉटर इन्वेंटिंग सिस्टम निर्माण किया गया है। अतः निम्नलिखित उपरोक्त रेन वॉटर इन्वेंटिंग व्यवस्था की उपरोक्त 4 मग विद्यार्थी स्ट्रक्चर निर्माण किया जाना प्रत्याशित है। प्रत्याशित रेन वॉटर इन्वेंटिंग व्यवस्था परिसर में कुल संचयन को विद्यार्थी द्वारा जल संचयन, सभी विद्यार्थी स्ट्रक्चरों द्वारा जल निर्माण किए जाने कि इनमें संचयन मात्रा में वर्षा जल का संचयन हो सके।

10. **विद्युत आपूर्ति वहील** - प्रत्याशित कार्यप्रणालय की परिसर परिधीयता हेतु 10 किलोवाट विद्युत की आवश्यकता होगी, जिसकी आपूर्ति प्रत्येकवार 7 घण्टे विद्युत विद्यार्थी कंपनी लिमिटेड द्वारा की जाएगी। वित्तियत व्यवस्था हेतु 800 से.सी.ए. की 2 मग डी.जी. रीट लगाने जायेंगे।

11. **पुनःसंचयन संबंधी जानकारी** - प्रत्याशित कार्यप्रणालय की तालु इन्वेंटिंग सिस्टम की विद्यार्थी (10 मीटर से 15 मीटर लंबी लम्बाई) हेतु कुल लंबाई की 1.27 इंचोका (35 घण्टियां) क्षेत्र में क्षेत्र सेटिंग किया जाना प्रत्याशित है।

12. **ई.आई.ए. सिस्टम का विस्तारण-**

1. **जल एवं वायु आदि पुनःसंचयन संबंधी जानकारी** - सॉलरिड कार्य 15 मार्च 2018 से 12 जून 2018 तक किया गया है। 10 किलोमीटर की अंतर्गत 8 स्थानों पर सॉलरिड वायु पुनःसंचयन, 8 स्थानों पर पू-जल पुनःसंचयन, 8 स्थानों पर जल संचयन, 4 स्थानों पर जल की कुल पुनःसंचयन तथा 8 स्थानों पर सिट्टी की मसूने प्रयुक्त कर विस्तारण किया गया है।

2. सॉलरिड परिसरों की अनुमान घनत्व, 18 से 30.1 आई.सी.एम./घनमीटर, घनत्व, 30.1 से 14.4 आई.सी.एम./घनमीटर, एकाई, 37 से 18 आई.सी.एम./घनमीटर तथा एकाई, 13.1 से 24.4 आई.सी.एम./घनमीटर आई गई है, जो निर्धारित मानक की अनुमति है।

3. परिधीयता स्तर की आवश्यक जल संचयन की पुनःसंचयन संचयन मात्रा से अनुमति है।

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

iv. परिशिष्टित खनि सार (Dry Mass) 40.3 टॉन्स से 54.8 टॉन्स एवं खनि सार (Moisture Mass) 28.7 टॉन्स से 41.8 टॉन्स प्राप्त गया। जो प्राप्त क्षेत्र को निर्धारित मानक के अनुकूल है।

v. 10 किलोमीटर की दूरी में इकाई का आवरणन द्वारा चढ़े जाने की कारण आरेख संख्या द्वारा क्षेत्र की वन्य प्राणी संरक्षण योजना तैयार कर, विभिन्न स्थान परियोजना (प्रधान मुद्रा वन संरक्षण(प.प्र.) एवं मुद्रा परियोजना) के समत विभाग 20/05/2021 को आवरण प्रस्तुत किया गया है। जो कि विचारणीय है।

vi. सभी चराने / चरानेवाले सभी चरानों को संरक्षित करने हेतु इकाई आवरण रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है, जिसके अनुसार समस्त विस्तार के उपरोक्त वी वी-एरियाट / प्रोजेक्ट के परिचालन हेतु सख्त चराने की लंबे समय समत निर्धारित मानक के भीतर है।

vii. लोक सुनवाई विभाग 24/05/2021 द्वारा 1100 वर्ग किलो चराने भेदित प्रमाण, राम-लगाईकर, जलपेज-रामनगर, जिला-रायपुर में संपन्न हुई। लोक सुनवाई प्रस्तावित सदन सचिव, जलपेज चराने संरक्षण मंडल, नया रायपुर जिला नगर, जिला-रायपुर के एक विभाग 17/05/2021 द्वारा भेदित किया गया है।

viii. जनसुनवाई के दौरान कुछ सख्त वी विभिन्न मुद्दा/विचार प्रस्तुत किये गये हैं:-

- a. राम संरक्षण संरक्षण, चराने, सारणकारी में अनुकूल वी लंबे अवधि है। चराने द्वारा अनुकूल नियंत्रण वन का संरक्षण नहीं किया जा रहा है।
- b. कोटिड-19 चराने के कारण क्षेत्र 100 व्यक्तियों को ही अपना विचार प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान है, जबकि जनसुनवाई हेतु सभी को अपना प्रदान किया जाना चाहिए।
- c. सभी को व्यवस्था नहीं है। चराने के क्षेत्रों हेतु चराने नहीं की जा रही है।
- d. प्रत्यक्षता के अंतर पर संरक्षित चराने के क्षेत्रों को ही संरक्षण दिया जाना चाहिए।

लोक सुनवाई के दौरान चराने वी विभिन्न मुद्दों के निराकरण की दिशा में परिशोधन प्रस्तावक की ओर से उपस्थित प्रतिनिधि/कंसल्टेंट का अधन निम्नानुसार है:-

- a. प्रस्तावित परिशोधन वी अनुकूल की संरक्षण हेतु इकाईवाले सभी इकाईओं में अनुकूल चराने की वन मिलकर आयोजित किया जाएगा। अनुकूल वन चराने नियंत्रण हेतु वन विभाग की व्यवस्था की जाएगी। चराने के चराने और इकाई परीक्षा का विचार किया जाएगा। सख्त ही आवरणन चराने वी सुधारणन किया जाएगा।
- b. भारत सरकार द्वारा कोटिड-19 में लोक सुनवाई हेतु दिशा निर्देशानुसार चराने का नहीं है। समत द्वारा दिशा निर्देश के अनुकूलन में एक सख्त पर 100 व्यक्तियों से अधिक लोक समित वी तथा उपस्थिति 100 व्यक्तियों से



अधिक होने की वजह से समुचित दृष्टि पर दो पुष्क-पुष्क समझाने जगहों को दो, जिससे सभी को अपना अधिकार रखने का अवसर मिल सके।

- अ. राम-पानी स्थित जलाशय का जीर्णोद्धार किया जाएगा एवं जल-पसा को स्कुली में उपयोग की व्यवस्था की जाएगी।
- ब. विभिन्न क्षेत्र/खण्डों को संपन्न की जगह पर जलाशय खोदने की व्यवस्था/सुधार योजना हेतु प्रस्ताविका की जाएगी।

19. कॉर्पोरेट कार्यकारी अधिकार (C.E.R.) —परिपोषण प्रस्तावक द्वारा सी.ए.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति को ताल विचार से कई उपरोक्त निम्नवृत्त विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए हैं—

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
3500	1%	35	1. Following activities at 10 near by Government Schools	
			Rain Water Harvesting System	8.00
			Potable Drinking water Facility	5.00
			Running water facility for Toilets	5.00
			Partition with fencing	3.00
			2. Deepening and Maintenance of Pond at Village-Pali	15.00
Total			36.00	

समाहित वर्गों सामाजिक अधिकार वाले राम-पानी, सामाजिक अधिकार वाले राम-सागा, सामाजिक अधिकार वाले राम-विराईपानी, सामाजिक अधिकार वाले राम-देवादी, सामाजिक अधिकार वाले राम-हरादीह, सामाजिक अधिकार वाले राम-मुईहुरी, सामाजिक अधिकार वाले राम-बनवारी, सामाजिक अधिकार वाले राम-जयवारी, सामाजिक अधिकार वाले राम-विजपुरी एवं नवीन अधिकार वाले राम-विस्तरीह में किया जाएगा।

उपरोक्त सभी के अलावा नए समिति द्वारा विचार विचार उपरोक्त सर्वसम्मति से निम्नवृत्त निर्णय किया गया—

- 1. मैंग्रोव टुन-टुन, स्ट्रीज टुन-टीर, राम-पानी, लखीपुर व विना-बालक स्थित खाना भण्डार 22/12, 23/13 एवं 23/14, कुल क्षेत्रफल - 4.21 हेक्टर पर पर्याप्त कार्यवाही की जाए, इनका नाम करीब (30 टन गुण 1 मर) (एम.एस. टुन-टुन) अथवा - 20,000 टन प्रतिदिन से बढ़कर इनका नाम करीब 30 टन प्रतिदिन (30 टन गुण 2 मर) (एम.एस. टुन-टुन/मिस्ट) अथवा - 1.00, 200 टन प्रतिदिन

Handwritten signature

Handwritten signature

कान्हे, प्रस्तावित सी-रीज सीड प्रोडक्शन अमाउंट - 1,48,764 टन प्रतिवर्ष (100 बीट बार्स), प्रस्तावित एचबी सीड (सीड ड्राईंग यूनिट) का एमएच, माईन (माईन मिल) अमाउंट - 1,41,328 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुमति की गई।

2. उपरोक्त मुद्दे का संबंधक(एचबी) का मुद्दा एचबी अधिकांक को द्वारा अनुमोदित एचबी संबंधक (एचबी) का निराकरण किया जाएगा।

प्रतिक्रिया द्वारा बैठक में विचार - उपरोक्त प्रस्ताव का प्रतिक्रिया की दिनांक 28/08/2021 को संलग्न 112वीं बैठक में विचार किया गया। प्रतिक्रिया द्वारा नसी की अपीलका किया गया। विचार किन्हीं कारणों प्रतिक्रिया द्वारा सर्वोच्चतम से समिति की अनुमति की स्वीकार करने पूर्व मेसर्स एमएच, सीड एचबी सीड, एचबी-एचबी, एचबी-एचबी व डिजा-एचबी-एचबी अमाउंट 22/12, 22/13 एच 22/15, कुल प्रोडक्शन - 421 हेक्टर में प्रस्तावित कार्यवाही की हेतु प्रस्तावित कार्य (10 टन गुआ 2 नम) (एमएच, गुआ) अमाउंट - 30,000 टन प्रतिवर्ष से बढ़ाकर प्रस्तावित कार्य विलीफ (10 टन गुआ 2 नम) (एमएच, गुआ) अमाउंट/मिलेड) अमाउंट - 1,48,764 टन प्रतिवर्ष कान्हे, प्रस्तावित सी-रीज सीड प्रोडक्शन अमाउंट - 1,48,764 टन प्रतिवर्ष (100 बीट बार्स), प्रस्तावित एचबी सीड (सीड ड्राईंग यूनिट) का एमएच, माईन (माईन मिल) अमाउंट - 1,41,328 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने का निर्णय किया गया।

परिचालन अमाउंट की पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किया जाए।

19. मेसर्स सीसी न्यू इण्डिया (देवीपुर जॉर्जिनरी सीड माईन), एचबी-देवीपुर, एचबी-एचबी व डिजा-एचबी (समिति का नसी अमाउंट 1238)

ऑनलाईन आवेदन - आवेदन नंबर - एमएच/सीडी/एमएच/एमएच/14788/2020, दिनांक 08/03/2020।

प्रस्ताव का विवरण - यह प्रस्ताव अचानक से प्रस्ताव अमाउंट की विस्तारित करने का है। यह पूर्व से संबंधित प्रस्ताव नंबर (सीडी अचानक) अचानक है। अचानक एचबी-देवीपुर, एचबी-एचबी व डिजा-एचबी अमाउंट 1528, कुल प्रोडक्शन-0.408 हेक्टर में है। अचानक की आवेदन प्रस्ताव अमाउंट - 1238 टन प्रतिवर्ष है।

बैठकों का विवरण -

(अ) समिति की 123वीं बैठक दिनांक 18/09/2020

समिति द्वारा प्रस्ताव की नसी एवं प्रस्ताव जानकारी का परीक्षण एवं परामर्श सर्वोच्चतम से निम्नानुसार निर्णय किया गया था-

1. यदि पूर्व में आवेदन अचानक से अचानक हेतु अचानक पर्यावरण अमाउंट निर्धारित प्रतिक्रिया (एम.ई.आई.ए.ए.) अचानक अचानक डिजा-एचबी पर्यावरण अमाउंट निर्धारित प्रतिक्रिया (सी.ई.आई.ए.ए.), अचानक द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दी गई की, तो पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं अधिमोदित नसी के अचानक में की गई अचानक की अचानक अचानक अचानक अचानक की जाए। अचानक ही अचानक की अचानक अचानक की अचानक अचानक अचानक अचानक की जाए।

2. यदि खदान पूर्ण से संचालित है, तो विगत वर्ष में किए गए उत्खनन की कार्यात्मक मंडल की जानकारी खनिज विभाग से प्राप्तित कर कर प्रस्तुत की जाए।
3. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन विभाग, नई दिल्ली के सी.एच. दिनांक 01/08/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रमाण प्रस्तुत किया जाए।
4. पर्यावरण प्रभावक को प्रभावी रूप से जानकारी / दस्तावेज (खदान खोलेखान) के साथ जानकारी पत्र की आवेदित वेबसाइट में प्रस्तुतकरण किए जाने हेतु निर्दिष्ट किया जाए।

समानुसार पर्यावरण प्रभावक को एन.ई.ए.सी. कार्यालय के द्वारा दिनांक 29/08/2020 द्वारा प्रस्तुतकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 328वीं बैठक दिनांक 01/08/2020

प्रस्तुतकरण हेतु की सर्वोच्च सुनार द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा सभी प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षा करने पर निम्न स्थिति आई थी-

1. धारा पंचायत का अनामति प्रमाण पत्र - उत्खनन के संबंध में धारा पंचायत संविदा का दिनांक 11/10/2008 का अनामति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. पर्यवेक्षण सौचक - खानी खान एवं खानी खोलेखान खान विद्युत इन्फ्रास्ट्रक्चर निगम लि. द्वारा प्रस्तुत किया गया है, जो खानि अधिकारी (खनिज खान), जिला-सुरजपुर के द्वारा क्रमांक 3439/खनिज/2019 सुरजपुर, दिनांक 22/12/2019 द्वारा अनुप्रेषित है। खानी खोलेख पत्र, सहीकरण खान के संदर्भ में।
3. 500 मीटर की परिधि में स्थित खदान - खानीख खोलेख (खनिज खान), जिला-सुरजपुर के द्वारा क्रमांक 2084/खनिज/2020 सुरजपुर, दिनांक 30/01/2020 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर की सीमा अवधिगत 3 खदानें, क्षेत्रफल 3.888 हेक्टेयर है। खानीख खोलेख (खनिज खान), जिला-सुरजपुर के द्वारा क्रमांक 2084/खनिज/2020 सुरजपुर, दिनांक 30/01/2020 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर की सीमा अवधिगत 3 खदानें, क्षेत्रफल 3.888 हेक्टेयर होने बताया गया है। जिसमें क्षेत्र विभागीय खदान के सीमा सीमा से 500 मीटर की परिधि में अवधिगत खदानों का विवरण दिया गया है। क्या प्रमाण पत्र से यह स्पष्ट नहीं हो रहा है कि क्या खदानों के 500 मीटर के सीमा अन्य खदान है अथवा नहीं? ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2008 (सर्वे आवेदित) में परिभाषित खदान अनुसार "सर्वे खदान इस समय खोलेख खदान, जब एक सीमा के परिधि से सीमा दूरी इस खदान खनिज क्षेत्र में अन्य खदानों के परिधि से 500 मीटर से कम है।" खानीख खोलेख हेतु खोलेखनिगम निगरान क्षेत्र में विभागीय खदान के सीमा सीमा से 500 मीटर की सीमा जाने वाले सभी खदानों को शामिल करने हुए तथा इस प्रकार खनिज खदानों के सीमा सीमा के 500 मीटर की सीमा जाने वाले अन्य सभी खदानों को (खोलेख से खदानों को नहीं तक शामिल किया जाए, जहाँ तक 500 मीटर की दूरी में कोई खदान अवधिगत न हो) शामिल किया जाना चाहिए। अतः खोलेखानुसार प्रमाण पत्र संसाधन खान अवधारक है।

4. 200 मीटर की परिधि में विद्यमान सर्वेजनिक क्षेत्र/संरचनाएं - कार्यालय कारागार (दक्षिण बंगाल, जिला-सुतजपुर की इमारत क्रमांक 2005/दक्षिण/2020 सुतजपुर, दिनांक 20/01/2020 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार प्राप्त ज्ञापन से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सर्वेजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, मठ, अस्पताल, स्कूल, पुल, बांध, एनोकाट विल लाईन, नाल एवं अन्य अशुद्धि जदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।
5. जीव का विवरण - कुंभ एवं जीव बीमारी मरु अस्पताल की नाम यह है, जिसकी अवधि 10 वर्ष अवधि दिनांक 12/02/2008 से 12/02/2018 की अवधि तक थी। तत्पश्चात् जीव क्षेत्र में दिनांक 12/03/2018 से 12/02/2020 तक की अवधि हेतु वृद्धि की गई है।
6. विस्तृत सभी रिपोर्ट - वर्ष 2018 की विस्तृत सभी रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
7. वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र - कार्यालय इन्फ्रामास्ट्रक्चर, दक्षिण बंगाल राज्य सरकार, अम्बिकापुर की इमारत क्रमांक /दक्षिण/01/2008 अम्बिकापुर, दिनांक 28/01/2008 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
8. महासमुद्र संरचनाओं की दूरी - निकटतम आवादी घाट-देवीपुर 0.93 कि.मी., स्कूल घाट-देवीपुर 2.4 कि.मी., अस्पताल घाट-सुतजपुर 2.8 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 338 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 18.2 कि.मी. दूर है। बिल मटी 8.45 कि.मी., नाल 1.4 कि.मी. एवं तालाब 0.22 कि.मी. दूर है।
9. पारिस्थितिकीय/जीवविविधता संवेदनशील क्षेत्र - परिचालन प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, केंद्रीय प्रमुख सिंचन क्षेत्र द्वारा घोषित कृषिकारी पोस्टुटेज एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र का घोषित जीवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होने प्रतिबंधित किया है।
10. खनन संघटा एवं खनन का विवरण - जियोलाजिकल रिजर्व अक्षय 19,001 टन, स्ट्रैटेजिक रिजर्व 21,712 टन एवं रिजर्वेशन रिजर्व 28,541 टन है। जीव क्षेत्र की सारी जोर 7.5 मीटर (2.468 सेक्टर) क्षेत्र होता है। जोरन जॉन्ट सभी मटेरियल विधि से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 4.5 मीटर है। अपनी मिट्टी की गहरा 220 घनमीटर है। क्षेत्र की ऊंचाई 1.5 मीटर एवं चौड़ाई 1.5 मीटर है। खदान की संभावित आयु 10 वर्ष है। जीव क्षेत्र से डिजिटल एवं अन्वेषण सम्पत्ति किया जाता है। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है-

वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन योजना

वर्ष	क्षेत्रफल (वर्गमीटर)	गहराई (मीटर)	आयतन (घनमीटर)	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम वर्ष प्रथम क्षेत्र	177	1.5	265.5 + 320	2084.4
प्रथम वर्ष द्वितीय क्षेत्र	138	1.5	207.0	
द्वितीय वर्ष प्रथम क्षेत्र	209	1.5	313.5	1501.8
द्वितीय वर्ष द्वितीय क्षेत्र	176	1.5	264	
तृतीय वर्ष प्रथम क्षेत्र	203	1.5	304.5	1723.8
तृतीय वर्ष द्वितीय क्षेत्र	188	1.5	282.0	

वर्षा में प्रथम क्षेत्र	281	1.5	281.5	1751.1
वर्षा में द्वितीय क्षेत्र	188	1.5	282	
प्रथम वर्ष प्रथम क्षेत्र	280	1.5	280	1752.8
प्रथम वर्ष द्वितीय क्षेत्र	182	1.5	280	

आगामी वर्षों का आकलन योजना

वर्ष	क्षेत्रफल (वर्गमीटर)	गहराई (मीटर)	आकलन (घनमीटर)	प्रस्तावित आकलन (घन)
प्रथम वर्ष प्रथम क्षेत्र	288	1.5	234.24+148.8	1803.88
प्रथम वर्ष द्वितीय क्षेत्र	238	1.5	358.5	
द्वितीय वर्ष प्रथम क्षेत्र	340	1.5	258.75+172.8	2148.88
द्वितीय वर्ष द्वितीय क्षेत्र	282	1.5	384.3	
तृतीय वर्ष प्रथम क्षेत्र	358	1.5	538.5	2379
तृतीय वर्ष द्वितीय क्षेत्र	251	1.5	378.3	
चौथे वर्ष प्रथम क्षेत्र	337	1.5	505.5	2382.8
चौथे वर्ष द्वितीय क्षेत्र	274	1.5	411	
पांचवें वर्ष प्रथम क्षेत्र	282	1.5	423	2883.8
पांचवें वर्ष द्वितीय क्षेत्र	274	1.5	321	
पांचवें वर्ष तृतीय क्षेत्र	348	1.5	518	

11. **जल आपूर्ति** – परिवहन हेतु आवश्यक जल की मात्रा 4.48 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति राम मठवाल से वाहन से किया जाता है। इस कार्य राम मठवाल का अनधिकृत प्रयोग पर प्रस्तुत किया गया है। खदान में जल प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का चिह्नकार किया जाता है।
12. **वृक्षारोपण कार्य** – जीव क्षेत्र की सीमा में जहाँ क्षेत्र 7.5 मीटर की गहराई में 415 मल वृक्षारोपण किया जाएगा। खानदान में 115 मल वृक्षारोपण किया गया है। क्षेत्र वृक्षारोपण सम्पन्न की पूर्ण किया जाया प्रस्तावित है।
13. **प्रतिबंधित क्षेत्र में आकलन** – प्रस्तुतीकरण की दौरान परिवहन प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि जीव क्षेत्र की 7.5 मीटर (आकलन की लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) क्षेत्र की 625 मीटर क्षेत्र में आकलन का कार्य किया गया है। परिवहन प्रस्तावक द्वारा प्रतिबंधित क्षेत्र की 400 मीटर क्षेत्र में जोखर बर्डन का गहराई 80 मल वृक्षारोपण किया जाएगा। इस कार्य कार्य पर प्रस्तुत किया गया है।
14. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण-**
 - a. पूर्व में प्रथम खदान खानदान संख्या 1009, कुल क्षेत्रफल – 0.408 हेक्टेयर, क्षमता – 1.047 घनमीटर (2722.2 घन) प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति किया जातीय पर्यावरण संरक्षण निधीय अधिकरण, विशा-सुपुलु दिनांक 03/02/2017 को जारी की गई है। यह स्वीकृति दिनांक 12/02/2020 तक की अवधि हेतु जारी की गई थी।
 - b. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही को अनकार्य प्रस्तुत की गई है।
 - c. निर्दिष्ट कार्यनुसार वृक्षारोपण किया गया है।

14. कार्पोरेट जवाबदार (सी. ई. आर.), जिला-सुजानपुर के जल विभाग 18/08/2020 द्वारा विगत वर्ष में किए गये प्रयोजन की जानकारी निम्नानुसार है-

वर्ष	आपादन (पनमीटर)
दिनांक 13/02/2009 से 31/12/2009	-
दिनांक 01/01/2010 से 31/12/2010	1,647
दिनांक 01/01/2011 से 31/12/2011	848
दिनांक 01/01/2012 से 31/12/2012	1,293
दिनांक 01/01/2013 से 31/12/2013	2,864
दिनांक 01/01/2014 से 31/12/2014	873
दिनांक 01/01/2015 से 31/12/2015	1,283
दिनांक 01/01/2016 से 31/12/2016	1,178
दिनांक 13/02/2017 से 31/12/2017	216
दिनांक 01/01/2018 से 31/12/2018	378
दिनांक 01/01/2019 से 31/12/2020	819
दिनांक 01/01/2020 से 12/08/2020	212

15. कार्पोरेट पर्यावरणीय जवाब (C.E.R.) - भारत सरकार, पर्यावरण, जल और प्रदूषण नियंत्रण मंत्रालय, नई दिल्ली के अधीन दिनांक 01/08/2018 की अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के माध्यम से वर्ष 2020 पर्यंत निम्नानुसार विस्तृत आंकड़े प्रस्तुत किया गया है-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
34.08	2%	0.68	Following activities at Govt Primary School Rawanpara Village-Dewnar	
			Rain Water Harvesting System	0.62
			Running Water Arrangement	0.14
			Plantation	0.05
			Books Distribution related to Environment Conservation	0.05
Total			0.87	

16. पर्यावरण के दोहन समिति के सदस्य ने यह स्पष्ट किया कि प्रस्ताव द्वारा विचार जा है। जब भारत सरकार, पर्यावरण, जल और प्रदूषण नियंत्रण मंत्रालय के सी.ई.आर. के पूर्ण में जारी पर्यावरणीय सक्रियता का प्रत्यक्ष प्रतिकारण किया जा रहा है।

समिति द्वारा राजस्व पर्यावरण से निम्नानुसार निर्णय किया गया है-

(Signature)

1. सर्वोच्च विभाग से प्रस्ताव क्रम में 500 पीएम के नीचे अवशिष्ट अन्य खदानों की जानकारी पूर्ण में दिने हुए विभाग अनुसार प्रस्तुत किये जाने के लिए निर्दिष्ट किया जाए।
2. पूर्ण में सभी पर्यावरणीय स्वीकृति की कमी के कारणों की गई कार्यवाही की जानकारी भारत सरकार, पर्यावरण, एवं पूर्व जलवायु परिवर्तन संशोधन के क्षेत्रीय कार्यालय, जगपुर द्वारा प्रस्तुत किया जाए।
3. परियोजना प्रस्तावक को जानकारी समस्त पूर्ण जानकारी / प्रस्तावित प्रस्तुत किये जाने समस्त जानकारी कार्यवाही की जाएगी।

तदनुसार एआईएसी, अतीरान्त के द्वारा दिनांक 08/03/2021 के परिपत्र में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 28/03/2021 को आवेदन निस्त करने हेतु अनुरोध पत्र प्रस्तुत किया गया है।

(ग) समिति की 314वीं बैठक दिनांक 01/08/2021:

समिति द्वारा सभी प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर, परियोजना प्रस्तावक को पत्र दिनांक 28/03/2021 द्वारा आवेदन को वापस लिया जाने का लेख किया गया है।

समिति द्वारा विचार विमर्श अर्थात् सर्वसम्मति से परियोजना प्रस्तावक को अनुरोध को स्वीकार करती हुई आवेदित प्रस्ताव को डि-लिस्ट/निस्त किये जाने की अनुमति की गई।

प्रतिक्रमा द्वारा बैठक में विचार - उपरोक्त प्रस्ताव पर प्रतिक्रमा की दिनांक 24/08/2021 को संलग्न 112वीं बैठक में विचार किया गया। प्रतिक्रमा द्वारा सभी का अवलोकन किया गया। विचार विमर्श अर्थात् प्रतिक्रमा द्वारा सर्वसम्मति से समिति की अनुमति को स्वीकार करते हुए आवेदन को डि-लिस्ट / निस्त करने का निर्णय किया गया।

परियोजना प्रस्तावक को तदनुसार सूचित किया जाए।

20. मेघराज एनर्जि एनर्जी एनर्जि एनर्जि एनर्जि लिमिटेड (यूनिट-3), धान-बारा, पहासील व जिला-राजपुर (सर्वोच्च का नक्का क्रमांक 1587)

ऑनलाईन आवेदन - प्रोजेक्ट नम्बर - एआईए/ सीडी/ आईएसी/ 202025/ 2021, दिनांक 08/03/2021।

प्रस्ताव का विवरण - परियोजना प्रस्तावक द्वारा संस्था विभाग के पत्र धान-बारा, पहासील व जिला-राजपुर स्थित समस्त क्रमांक 13/4, 13/7, 84/1, 84/2, 80/1, 80/2, 84/2, 88/2, 88, 82/1, 82/4, 82/5, 88 एवं 84/3, क्षेत्रफल - 5.788 एकड़ में प्रस्तावित कुलकुल कर्मक मिलेट क्षमता - 88,400 टन प्रतिवर्ष 02 युवा 18 टीपीएच कर्मक विश्व क्षेत्रीय एवं मिडिलिग कर्मक अवशिष्ट स्थिति मिल क्षमता- 88,000 टन प्रतिवर्ष से बढ़कर 88,800 टन प्रतिवर्ष करने के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने हेतु आवेदन किया गया है। समस्त विभाग की उक्त परियोजना का विनिर्देश लम्बे 27.25 करोड़ रुपया।

बैठकों का विवरण -

(अ) समिति की 363वीं बैठक दिनांक 24/03/2021:

समिति द्वारा आदेश की मजदूरी एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा आसन्नक सर्वसाधारण की निम्नानुसार निर्धारित किया गया था:-

1. भूमि अधिग्रहण / भूमि आसन्नक संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत की जाए।
2. अधिग्रहण लेखन मिल में से सी-डीटिंग कर्नेल की स्थापना किया गया है अथवा नहीं? समस्त विस्तार के तहत लेखन मिल में से सी-डीटिंग कर्नेल की स्थापना किया जाना प्रस्तावित है अथवा नहीं? सी-डीटिंग कर्नेल स्थापित है तो सी-डीटिंग कर्नेल की संख्या, समय, ईमान का प्रकार एवं मात्रा, प्रयुक्त ईमान के आधार का चिहनी की संख्या, गणना एवं वर्गीकरण के प्रयुक्त निबंधन व्यवस्था की जानकारी। समस्त विस्तार के तहत लेखन मिल में से सी-डीटिंग कर्नेल की स्थापना किया जाना प्रस्तावित है तो सी-डीटिंग कर्नेल की संख्या, समय, ईमान का प्रकार एवं मात्रा, प्रयुक्त ईमान के आधार का चिहनी की संख्या, गणना सहित जानकारी एवं प्रस्तावित वास्तु प्रयुक्त निबंधन व्यवस्था की जानकारी प्रस्तुत की जाए।
3. समिति द्वारा स्थापित समस्त के परामर्श की दशा में एवं समस्त विस्तार उपरान्त परामर्श की दशा में कुल प्रयुक्त भूज की गणना कर (जल उपयोग की मात्रा, दूषित जल की मात्रा / गुणवत्ता, प्रयुक्तों के उपयोग की मात्रा एवं उपरान्त जल उपलब्धता की मात्रा) प्रस्तुत की जाए।
4. सेंट्रल आदेशक बोर्ड अधिसूचना द्वारा जारी गाइडलाइन अनुसार परियोजना आदेश बोर्ड अधिसूचना अथवा अधिसूचना अथवा सेवा बोर्ड के अंतर्गत जाने वाला जानकारी प्रस्तुत की जाए। आदेशक बोर्ड उपयोग करने हेतु सेंट्रल आदेशक बोर्ड अधिसूचना से अनुमति की प्रति प्रस्तुत की जाए।
5. प्रस्तावित आदेशक बोर्ड विचार्य व्यवस्थाओं एवं इन वहां अधिसूचना व्यवस्थाओं का विवरण (संख्या एवं संख्या सहित) प्रस्तुत की जाए।
6. सी-आउट में प्रस्तावित कुलभूज की दशा में एवं कुलभूज की संख्या तथा क्षेत्रफल का विवरण प्रस्तुत की जाए। कुलभूज हेतु कार्यवाही प्रस्तुत की जाए।
7. सी.ई.आर. (Corporate Environmental Responsibility) हेतु विस्तृत प्रस्ताव पूर्ण विवरण के साथ प्रस्तुत किया जाए।
8. परियोजना प्रस्तावक की उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज (आदेशक बोर्ड अधिसूचना) के साथ प्रस्तुतीकरण दिने जाने हेतु निर्दिष्ट किया जाए।

समानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., अधिसूचना के साथ एवं ई-मेल अथवा दिनांक 08/04/2021 एवं 27/04/2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 307वीं बैठक दिनांक 04/05/2021।

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री विद्यालय स्टेट, अधिसूचना अधिसूचना अधिसूचना के माध्यम से उपलब्धता हेतु समिति द्वारा मजदूरी, प्रस्तुत जानकारी का आवेदन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति आई गई:-

1. जल एवं वायु समिति -

- सेंट्रल आदेशक, अधिसूचना परियोजना संस्थापक संस्था, सागरु के सी-डीटिंग मिल समस्त - 30,000 मीट्रिक टन प्रतिवर्ष हेतु जल एवं वायु समिति



परिशीलन दिनांक 31/11/2020 को जारी की गई है, जो कि दिनांक 30/09/2023 तक वैध है।

- परिधान में उल्लिखित इकाईयों हेतु उल्लिखित पर्यवेक्षण संस्थान मंत्रालय द्वारा जारी संपत्ति खाते के माध्यम से की गई जानकारी की किस्तुमान जानकारी प्रस्तुत की गई है।

2. निकटवर्त स्थित किसानजायगी संबंधी जानकारी –

- निकटवर्त जायगी राम-बन 0.7 कि.मी. एवं लहर रामपुर 7.5 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। निकटवर्त रेलवे स्टेशन सरोला 3.5 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय विद्युत्कर्मचारी विमानचालन, भना, रामपुर 24 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। जलम नदी 3.55 कि.मी. दूर है।
- परिशीलन प्रस्तावक द्वारा 50 कि.मी. की सीमा में अंतरराष्ट्रीय सीमा, राष्ट्रीय राजमार्ग, जलवायु, पर्यावरणमित्रता संबंधित क्षेत्र या स्थित जलविद्युत क्षेत्र स्थित नहीं होगा उल्लिखित किए हैं।

3. क्षेत्र स्तर पर स्टैटमेंट –

S.No.	Land use	Area (in SQM)	Area (%)
1	Induction Furnace	1,300	6.18
2	Rolling Mill	2,100	9.98
3	Finished Good storage	2,987	14.31
4	Raw Material Yard	1,800	8.56
5	Parking Area	1,200	5.7
6	Road Area	4,050	19.37
7	Greenbelt	7,590.48	36.1
	Total	21,027.48	100

4. सी-मटेरियल –

S. No.	Raw Material	Quantity (TPA)	Source	Mode
For Billets				
1.	Sponge Iron	48,543	Open Market	By Road (through covered trucks)
2.	Scrap	15,004	Open Market	By Road (through covered trucks)
3.	Alloys	553	Open Market	By Road (through covered trucks)
For Rolling Mill				
1.	Billets	58,400	In-house billets	Conveyor

5. उल्लिखित एवं प्रस्तावित इकाईयों संबंधी जानकारी –

S. No.	Existing Capacity	Capacity After Expansion
1.	Reheating Furnace based Rolling Mill of Capacity - 30,000 TPA	Re-rolling Mill of Capacity - 58,400 TPA (Reheating Furnace)
2.	-	Induction Furnace with CCM of capacity - 58,400 TPA

6. **वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था** - प्रस्तावित कारखाना में प्रस्तावित उपकरण प्रयोग में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु कम मिस्टा एवं 30 मीटर ऊंची चिमनी स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। उपरोक्त व्यवस्था में पार्टिकुलेट मैटर का प्रसारण 30 मिलीग्राम/घण्टा में घटे तक जाय प्रस्तावित है। नि-डीस्टिन प्रयोग प्रस्तावित रोलिंग मिल में स्थान एवं 30 मीटर ऊंची चिमनी स्थापित है। उक्त स्थापित नि-डीस्टिन कनेक्ट को डिस्कनेक्ट किया जाना प्रस्तावित है। प्रस्तावित कारखाना में प्रस्तावित ड्राई चार्जिंग प्रस्तावित रोलिंग मिल को स्थानगत किया जाना प्रस्तावित है। ड्राई चार्जिंग प्रस्तावित रोलिंग मिल में ट्रेडिंग का उपयोग नहीं करने के कारण रोलिंग मिल में वायु प्रदूषण नियंत्रण सर्वत्र एवं चिमनी की स्थापना किया जाना प्रस्तावित नहीं है। फ्लुइडिजिड बन्ट प्रस्तावित नियंत्रण हेतु उक्त डिस्कनेक्ट किया जाय है। यही व्यवस्था प्रस्तावित कारखाना हेतु अपनाई जायेगी।

7. **शोर अपशिष्ट अपवहन व्यवस्था** - वर्तमान में नि-डीस्टिन मिल से मिल स्कील 830 टन प्रतिवर्ष, मिस्टा बन्ट 200 टन प्रतिवर्ष एवं एच 280 टन प्रतिवर्ष शोर अपशिष्ट को बच में अलग होता है। प्रस्तावित कारखाना प्रस्ताव उपकरण प्रयोग के शोर - 4.072 टन प्रतिवर्ष एवं नि-डीस्टिन मिल से मिल स्कील 800 टन प्रतिवर्ष, मिस्टा बन्ट 2.8 टन प्रतिवर्ष एवं एच 280 टन प्रतिवर्ष शोर अपशिष्ट को बच में अलग होगा। शोर को शोर अपशिष्ट इकाईयों को उपयुक्त ढांचा जायेगा। मिल स्कील एवं मिस्टा बन्ट को शोर को उपकरण प्रयोग में पुनःप्रयोग किया जायेगा। एच 280 को अधिकृत कनेक्ट इकाईयों को उपयुक्त ढांचा जायेगा। यही व्यवस्था वर्तमान में अपनाई गई है। वर्तमान में प्रयोग एच को ड्राई चार्जिंग इकाईयों को उपयुक्त ढांचा जाय है। प्रस्तावित कारखाना प्रस्ताव एच प्रयोग नहीं होगा।

8. **जल प्रयोग व्यवस्था** -

- **जल आपत एवं नदीय** - वर्तमान में परिवोजना हेतु कुल 18 घण्टीय प्रतिदिन का उपयोग किया जा रहा है। अना विभाग प्रस्ताव परिवोजना हेतु कुल 36 घण्टीय प्रतिदिन (शुक्रदिन हेतु 18 घण्टीय प्रतिदिन, उक्त सर्वेक्षण हेतु 8 घण्टीय प्रतिदिन, फर्निचर उपयोग हेतु 4 घण्टीय प्रतिदिन एवं हीन बन्ट हेतु 10 घण्टीय प्रतिदिन) का उपयोग किया जाना प्रस्तावित है। अपर्याप्त जल की आपूर्ति न्यू-जल से की जाती है। अपर्याप्त जल की आपूर्ति हेतु सेन्ट्रल वाटरवर्क वीटर अथॉरिटी से अनुमति प्राप्त करके जल प्राप्त करा है।

- **जल प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था** - औद्योगिक प्रक्रिया से दूषित जल अलग नहीं होगा। दूषित प्रस्ताव जल दूषित जल को ठंडा कर पुनः दूषित हेतु उपयोग में आया जायेगा। फर्निचर दूषित जल को मात्र 3 घण्टीय प्रतिदिन है। वर्तमान में फर्निचर दूषित जल को उपयुक्त हेतु सेन्ट्रल वीक एवं सोलरिड निर्माण किया गया है। फर्निचर दूषित जल के उपयुक्त हेतु सीमेंट ट्रीटमेंट प्लांट लगाया जाना प्रस्तावित है। एच निष्कारण की स्थिति नहीं जायेगी। वर्तमान में भी उपरोक्त व्यवस्था अपनाई गई है।

- **न्यू-जल उपयोग प्रबंधन** - वर्तमान जल सेन्ट्रल वाटरवर्क जल वीर से अनुसार सीमा निर्दिष्टता जोन में आया है। जिससे अनुसार-



(ख) कुल एवं समान परतों को कम से कम 30 प्रतिशत दूधित जल का पुनःसंग्रह एवं पुनःप्रयोग किया जाना है।

(ग) वायुमय वाहन विभागों हेतु कमराई एवं लकड़ीय तथा रेनवाटर हावीलिंग / ऑटोमोबाइल जल विभागों को अलग से न्यू-जल मिश्रण करने की अनुमति सीटल वायुमय वाहन बोर्ड द्वारा दीये जाने का प्रावधान था। परतों को रेनवाटर हावीलिंग व्यवस्था किया जाना आवश्यक है।

• **रेन वॉटर हावीलिंग व्यवस्था** - परतों परिसर में वर्षों को पानी का कुल संयोजक 12,857 घनमीटर प्रतिवर्ष है। रेन वॉटर हावीलिंग व्यवस्था को अत्यंत 8 लक्ष लिटर पिट (गहराई 2.5 मीटर, चौड़ाई 2.5 मीटर, गहराई 2.5 मीटर) निर्मित किया जाना प्रस्तावित है। प्रस्तावित रेन वॉटर हावीलिंग व्यवस्था परतों परिसर को पूर्ण संयोजक को विभाजित किया जा सकेगा। सभी विभागों स्ट्रक्चर्स इस प्रकार निर्मित किए जाएंगे कि इनसे समान मात्रा में वर्षा जल का संग्रह हो सके।

8. **कोयले की मात्रा** - परिशोधन प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि वर्तमान स्थायित्व सी-डीटिंग असायित रेलिंग मिल में प्रति टन ग्रेज्ड प्रोडक्ट्स की निर्माण हेतु 12,000 किलोघाम प्रतिदिन कोयले की आवश्यकता होती है। प्रस्तावित कार्यालयों को उचित उच्च स्थायित्व सी-डीटिंग कर्नेल को डिस्पेंशन कर हीट वर्जिन असायित रेलिंग मिल असायित किया जाएगा।

10. **प्रदूषण मान संबंधी आवश्यकता** - समस्त प्रान्त स्थायित्व अमरा में असायित की दशा में एवं अमरा विभाग परतों असायित की दशा में कुल प्रदूषण मान की गणना कर उचित असायित की मात्रा दूधित जल की मात्रा / पुनःसंग्रह, प्रदूषणों को असायित की मात्रा एवं असायित होना असायित की मात्रा प्रस्तावित किया गया है। इससे अनुसार वर्तमान में असायित असायित की मात्रा 18,100 कि.घा. प्रतिवर्ष है। प्रस्तावित वेग मिस्टर एवं विभागों से परतोंकेट केटर का असायित 30 किलोघाम/घान्ना घनमीटर से कम सुनिश्चित किया जाने को असायित असायित की मात्रा 11,800.8 कि.घा. प्रतिवर्ष होती। औद्योगिक असायित से असायित दूधित जल को पुनःसंग्रहण किया जाएगा तथा शुच निस्सालन की क्षमता नहीं जाएगी। वर्तमान में इकाई से कुल 2,852 टन प्रतिवर्ष ग्रेज्ड असायित की मात्रा में असायित होता है एवं प्रस्तावित कार्यालयों के परतों कुल 2,852.8 टन प्रतिवर्ष ग्रेज्ड असायित की मात्रा में असायित होगा। असायित सभी ग्रेज्ड असायितों का असायित परतोंकेटनुसार किया जाएगा। इस असायित असायित विभाग असायित (1) असायित असायित होने वाले परतोंकेट केटर की मात्रा में कमी, (2) असायित होने वाले ग्रेज्ड असायित की मात्रा में वृद्धि जिसे पुनःसंग्रहण किया जाएगा तथा (3) असायित असायित की मात्रा में वृद्धि होने संबंधित है।

11. **विद्युत आपूर्ति सजीव** - परिशोधन हेतु 8 मेगावॉट विद्युत की आवश्यकता होगी। विद्युत की आपूर्ति भारतीय राज्य विद्युत निगम कंपनी लिमिटेड को किया जाएगा। वैकल्पिक व्यवस्था हेतु 250 की.वी.ए. अमरा का डी.जी. सेट असायित किया जाएगा। डी.जी. सेट को एसायितकारी इकाईयों में असायित किया जाएगा।

12. **पुनःसंग्रहण संबंधी आवश्यकता** - वर्तमान में असायित असायित की विभाग हेतु 817 लक्ष लीट्रे रोजित किया गया है। प्रस्तावित कार्यालयों के असायित 1.88 एकर (26.1 प्रतिशत) क्षेत्र में 1,280 लक्ष लीट्रे रोजित किया जाना असायित है।

13. कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.) – परियोजना प्रस्ताव द्वारा समिति को समझ विचार से कार्य करता निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:-

Capital Investment (In Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (In Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (In Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (In Lakh Rupees)
1000	1%	10.0	Following activities at 4 Nearby Government Schools and Panchayat Shewari	
			Rain Water Harvesting System	5.34
			Portable Drinking Water Facility	2.10
			Running Water Facility	1.40
			Plantation	1.10
Total			10.04	

प्रस्तावित कार्य शासकीय प्राथमिक स्कूल राम-गुप्त, प्राथमिक स्कूल राम-कांत, प्राथमिक स्कूल राम-खारी, प्राथमिक स्कूल राम-बेराज एवं राम पंचायत खरम राम-कांत में किया जाएगा।

14. प्रस्तुत ले-आउट प्लान में कुलारोपण क्षेत्र 38 प्रतिशत होना बताया गया है। समिति के संज्ञान में यह स्पष्ट किया कि क्षेत्र जियोक्वॉली पॉइन्टुड एरिया को संदर्भित करता है। भारत सरकार, पर्यावरण, एवं जल व्यवसाय विभाग, नई दिल्ली द्वारा जियोक्वॉली पॉइन्टुड एरिया में किया उद्योगों को कुल क्षेत्रफल का कम से कम 40 प्रतिशत क्षेत्र पर कुलारोपण किये जाने का प्रावधान किया गया है। जब उद्योग को कुल क्षेत्रफल का कम से कम 40 प्रतिशत क्षेत्र पर कुलारोपण किये जाने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा तत्समर्थ सहसंमति से निम्नानुसार निर्णय किया गया था:-

1. कॉन्सोल में किया उद्योग तथा अपना विचार प्रस्ताव भूमि उपयुक्तता तथा निर्मित क्षेत्र का क्षेत्रफल, स्टीरिड कम, इतिहास पट्टी व अन्य को सुधर-सुधर ले-आउट में प्रदर्शित कर जानकारी प्रस्तुत की जाए।
2. उद्योग को कुल क्षेत्रफल का कम से कम 40 प्रतिशत क्षेत्र पर कुलारोपण किये जाने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
3. परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरण प्रस्ताव पूर्ण जानकारी / पर्यावरण प्रस्तुत किये जाने प्रस्ताव आगामी कार्यवाही की जाएगी।

समानुसार एस.ई.ए.सी., अलीगढ़ की 307वीं बैठक दिनांक 04/08/2021 में संविधान में परिशोधन प्रस्तावक द्वारा जानकारी/पर्यावरण विवरण 28/08/2021 को प्रस्तुत किया गया है।

08/08/21

(स) समिति की 37वीं बैठक दिनांक 01/06/2021

समिति द्वारा मशीन, उपयुक्त जानकारी का अद्यतन एवं परोक्ष करने पर निम्न स्थिति पाई गई-

1. लैंड यूज स्टडी -

S.No.	Land use	Area (in SQM)	Area (%)
1	Induction Furnace	1,300	6.18
2	Rolling Mill	2,050	9.70
3	Finished Good storage	2,600	12.37
4	Raw Material Yard	1,800	8.56
5	Parking Area	1,550	7.38
6	Road Area	3,227	15.35
7	Green belt	8,500.48	40.4
Total		21,027.48	100

2. प्रस्तावित आईकलाप के तहत 2.1 एकड़ (40.4 प्रतिशत) क्षेत्र में जीव संवर्धन किया जाना प्रस्तावित है।

3. स्वयंसेवा समूह ने प्रस्तावित अन्तः विस्तार हेतु अधिसूचित भूमि अधिग्रहण किया जाना प्रस्तावित नहीं है। इस विषय की प्रस्ताव को पुनर्जांच एवं पुनर्स्थापना की स्थिति निर्धारित नहीं होती है।

4. साइट के आसपास कई परियोजनाएँ प्रस्तावित एवं संचालित हैं।

5. अन्तः विस्तार परंपरा सीट परिसर अधिसूचित परिसर में ही सीट परिसर का उपखंडन किया जाना प्रस्तावित है। सीट परिसर अधिसूचित क्षेत्र परिसर का उपखंडन जारी एवं आधुनिक संरचनाओं के संस्थापन की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। अन्तः विस्तार को प्रतिबंधित प्रस्तावित होने वाले परिसरों में ही सीट परिसर के सीट परिसर उपखंडन से प्रस्तावित होने वाले सीट परिसर अधिसूचित क्षेत्र में वृद्धि होती है। अन्तः विस्तार हेतु पुनर्जांच/संशोधन किया जाएगा तथा इस परिसर की सीट परिसर वृद्धि होने से पर्यावरणीय घटकों पर विचारित अन्तः विस्तार की संभावना साम्य है।

6. भारत सरकार, सर्वोच्च न्यायिक न्यायालय, नई दिल्ली की ओर से 1-10/01/2013-2013-14-24 दिनांक 24/12/2013 के अनुसार 'डी' श्रेणी की परिसरों/उपखंडों को परिसरों/उपखंडों में बदलने हेतु 'डी' श्रेणी परिसरों/उपखंडों में किए जाने संबंधी गाइडलाइन्स जारी किए गए हैं, जिसके अनुसार परिसरों/उपखंडों को परिसरों/उपखंडों में बदलने हेतु निम्नानुसार गाइडलाइन्स जारी किए गए हैं-

'Category B2 - All non-iron secondary metallurgical processing industries involving operation of furnaces only, such as induction and electric arc furnaces, submerged arc furnaces, and cupola with capacity > 50,000 TPA but < 80,000 TPA provided that such projects are located within the notified Industrial Estates.'

7. ईआईए परिसरों/उपखंडों, 2006 (अन्तः विस्तार) की पैरामेटरों की अनुसंधान (State Level Expert Appraisal Committee) will decide on the eligibility necessary including preparation of Environment Impact Assessment and Public consultation and the application shall be approved accordingly for grant of environmental clearance.

६. समिति का सर्वसम्मति से यह मत था कि प्रस्तावित समस्त विभाग अर्थात् पुनर्वसन कर्मियों से होटल गैराल कैंपस एवं सी.बी.एस. के आसपास से सीटिंग मिल में आवंटित (अनुसूचित प्रक्रिया होटल कर्मियों विधि से) कर सीटिंग कार्यवाही करने एवं सीटिंग गैराल प्रोबेशन परामर्श हेतु प्रस्ताव इतिहास (कोचर्स) की बचत होने की प्रतिफल प्रस्तुत होने वाले पार्टिकुलर गैराल की भाषा में सभी परिचित होनी है। समस्त विभाग प्रबंधक कर्मियों में कुल ११,२२० मजदूरों पर प्रतिफल जल की आवश्यकता होगी। गैराल द्वारा अपने क्षेत्र में कुल १३,७७४ मजदूरों पर जल देने की आवश्यकता है। समस्त क्षेत्र में आवंटित एवं प्रस्तावित प्रस्ताव नियंत्रण व्यवस्थाओं, सुनिश्चितताएं बनाये रखने, प्रस्तुत होने वाले पार्टिकुलर गैराल की भाषा में सभी, उपलब्ध होने वाले जल आवंटितों की भाषा में वृद्धि (मजदूरों कुल भाषा में वृद्धि होगी जिसे अन्य आवंटितों हेतु पुनर्वसन कैंपस (अर्थात्) तथा इनके कुशल एवं वैधानिक विधि से व्यवहार करने, जल उपलब्ध की भाषा में कुल वृद्धि होने तथा समस्त विस्तार हेतु अतिरिक्त सुनिश्चितताएं नहीं किसे अपने से बचाने किसे प्रसारण के पुनर्वसन एवं पुनर्वसन की स्थिति निर्मित नहीं होने से पर्यावरणीय चोटों पर भयानक प्रभाव (environmental impact on environment) पड़ने की संभावना है। जल प्रस्तावित कार्यवाही को "सी" श्रेणी के अंतर्गत मानते हुए ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, २००६ (जिस संशोधित) के पैरा १०(क) के प्रावधान के तहत, समिति द्वारा विचार विमर्श उपरोक्त सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि प्रस्तावित कार्यवाही हेतु ई.आई.ए. निर्धारण एवं लोक सुनवाई की आवश्यकता प्रतिरहित नहीं होती है।

उपरोक्त तथ्यों के अलावा यह समिति द्वारा विचार विमर्श उपरोक्त सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि समस्त विस्तार के तहत मेसर्स भवन सुनवाई एवं सीटिंग प्रोबेशन लिमिटेड (यूनिट-३), धाम-बाना, तहसील न विहार-राजपुर स्थित कर्मियों कुल १३/४, १३/१, १४/१, १४/२, १०/१, १०/२, १४/२, १०/२, १०/३, १०/४, १०/५, १० एवं १४/३ सीटिंग - ३,१०० एकड़ में प्रस्तावित पुनर्वसन कर्मियों विस्तार समस्त - ३३,४०० टन प्रतिफल (३ सुना १० सीटिंग कर्मियों विस्तार) एवं सी-सीटिंग कर्मियों अर्थात् सीटिंग मिल समस्त-३०,००० टन प्रतिफल को बहाल होटल कार्यवाही अर्थात् सीटिंग मिल में प्रतिरहित कर सी-सीटिंग सीटिंग प्रोबेशन समस्त ३३,४०० टन प्रतिफल करने हेतु पर्यावरणीय सीटिंग दिष्ट करने की अनुमति दी गई।

आधिकारण द्वारा बैठक में विचार - उपरोक्त प्रस्ताव यह आधिकारण की दिनांक ३४/०६/२०२१ को संयुक्त ११३वीं बैठक में विचार किया गया। आधिकारण द्वारा सभी का अवलोकन किया गया। विचार विमर्श उपरोक्त आधिकारण द्वारा सर्वसम्मति से समिति की अनुमति को स्वीकार करते हुए समस्त विस्तार के तहत मेसर्स भवन सुनवाई एवं सीटिंग प्रोबेशन लिमिटेड (यूनिट-३), धाम-बाना, तहसील न विहार-राजपुर स्थित कर्मियों कुल १३/४, १३/१, १४/१, १४/२, १०/१, १०/२, १४/२, १०/२, १०/३, १०/४, १०/५, १० एवं १४/३ सीटिंग - ३,१०० एकड़ में प्रस्तावित पुनर्वसन कर्मियों विस्तार समस्त - ३३,४०० टन प्रतिफल (३ सुना १० सीटिंग कर्मियों विस्तार) एवं सी-सीटिंग कर्मियों अर्थात् सीटिंग मिल समस्त-३०,००० टन प्रतिफल को बहाल होटल कार्यवाही अर्थात् सीटिंग मिल में प्रतिरहित कर सी-सीटिंग सीटिंग प्रोबेशन समस्त ३३,४०० टन प्रतिफल करने हेतु पर्यावरणीय सीटिंग जारी करने का निर्णय लिया गया।

परिचालन प्रस्तावों की पर्यावरणीय सीटिंग जारी किया जाए।



21. मैसूर की कस्तूरी बाटू (जदेकोला वीरभद्र बाईन्, ग्राम-जदेकोला, तहसील-तामनार, जिला-शमनगर), ग्राम-तामनार, तहसील-तामनार, जिला-शमनगर (सविवाह्य का नतीजा क्रमांक 1387)

अभिजाईव आवेदन - प्रयोजन नाम - एमएडईए/ सीडी/ एमएडईए/ गडनगर / 2020, दिनांक 11 / 08 / 2020।

प्रस्ताव का विवरण - यह प्लॉट से संबंधित वेत खदान (प्लेन खनिज) है। यह खदान ग्राम-जदेकोला, तहसील-तामनार, जिला-शमनगर स्थित खनन क्रमांक 808, कुल जीव क्षेत्र 4 हेक्टेयर में है। प्रस्तावित खदान नदी से किंचित आगे है। खदान की आवेदित प्रस्तावित क्रमांक-12,800 अनुवीक्षा प्रमाण है।

बीटाओं का विवरण -

(अ) समिति की 382वीं बैठक दिनांक 08 / 10 / 2020

समिति द्वारा खदान की नतीजा एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा उत्तराधिकार सर्वसम्पत्ति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था-

1. प्रस्तावित खनन क्षेत्र की लंबाई एवं चौड़ाई तथा नदी के घाट की चौड़ाई की जानकारी प्रस्तुत की जाए।
2. वेत खदान हेतु प्रस्तावित खदान एवं प्रस्तावित खदान की आसटीन तथा आसटीन में 100 मीटर की दूरी तथा 25 मीटर गूदा 25 मीटर का डिग संरक्षक, खनिज में वेत खदान की लंबाई Level संरक्षक डिग में प्रदर्शित कर प्रस्तुत किया जाये। इसके अतिरिक्त खनन क्षेत्र की लंबाई / चौड़ी तथा (प्लेन क्षेत्र) से 100 मीटर तक की क्षेत्र में गूदा खदान की गूदा (Level) का भी उचित किया जाये। तथा लंबाई Level हेतु कम से कम 2 टेम्परी वेत बार्ड (Concrete TBM structure) निर्माण किया जाये। टेम्परी वेत बार्ड (TBM) में आर.एल. सी-अडिगेशन (Co-ordination) अंकित किया जाये। डिग में टेम्परी वेत बार्ड (TBM) को भी दाहिना, उन्नी खनिज विभाग से अनुवीक्षण प्राप्त भीतीवत्तम सही जानकारी / प्रस्तावित प्रस्तुत किया जाये।
3. नदीघाट से खदान की सीमा की दूरी न्यूनतम 7.5 मीटर या नदी के घाट की चौड़ाई का 10 प्रतिशत (जो भी अधिक हो) रखी जाये है। यदि इसके अनुसार खदान की कुछ क्षेत्र में खदान किया जाना संभव न हो तो उसकी लंबाई कर लकी पर प्रदर्शित, इसका उल्लेख माइनिंग प्लान में अतिरिक्त रूप से करवा जाये। खदान की खनन क्षेत्र एवं अतिरिक्त क्षेत्र की सीमा पर खनिज विभाग से सीमांकन करवाकर, प्रस्ताव तक प्राप्त किया जाए।
4. प्रस्तावित खदान से निकलता कुल बंध, एनीकट एवं जल आपूर्ति बंधों की दूरी बंधों जानकारी प्रस्तुत की जाए। कुल / एनीकट की दूरी खदान की आसटीन में न्यूनतम 800 मीटर तथा आसटीन में न्यूनतम 250 मीटर रखा जाना आवश्यक है। यदि जीव क्षेत्र अनुवीक्षणपूर्वक दूरी से अंतर किया हो, तो उपरोक्त अंतर पर खनन हेतु अतिरिक्त क्षेत्र को अनुवीक्षणपूर्वक नतीजा पर विहित कर उसका सीमा पर सीमांकन तथा माइनिंग प्लान में इस संबंध उल्लेख किया जाए।
5. वेत खदान हेतु प्रस्तावित खदान पर खनिज में प्रस्तावित वेत की चौड़ाई खनन की डिग, प्रति हेक्टेयर में कम से कम एक मूक (मूक) सीमांकन करवाकर प्रस्तावित नतीजा प्रस्तुत की जाए। वेत की आसटीन नतीजा हेतु प्रस्तावित की प्रस्तुत किया जाये।

Handwritten signature

Handwritten signatures

7. डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट - वर्ष 2019 की डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
8. महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी - निम्नलिखित आंशिकी घाट-जंघोला 0.5 कि.मी., स्कूल घाट-जंघोला 0.8 कि.मी. एवं अन्नासाह तम्भार 3.3 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राजमार्ग 6 कि.मी. दूर है। पूरा खदान क्षेत्र को बीस में विभाजित है।
9. पारिस्थितिकीय/जैववैविध्यता संवेदनशील क्षेत्र - परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिसर में आवासीय क्षेत्र, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, वन्यजीव प्रदूषण नियंत्रण क्षेत्र द्वारा परिमित जिरिफाली पेंसिल्टेटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र का परिमित जैववैविध्यता क्षेत्र स्थित नहीं होने प्रमाणित किया है।
10. खदान स्थल पर नदी के घाट की चौड़ाई एवं खदान की नदी तट से दूरी - आश्रयन अनुसार खदान स्थल पर नदी के घाट की चौड़ाई - अधिकतम 30 मीटर तथा खदान स्थल की चौड़ाई - अधिकतम 2000 मीटर एवं चौड़ाई - औसत 20 मीटर चौड़ाई गई है। खदान की नदी तट से दूरी 5 मीटर है, जबकि इसकी नदी तट से न्यूनतम दूरी 7.5 मीटर जबकि नदी के घाट की चौड़ाई का 10 प्रतिशत होना चाहिए।
11. खदान स्थल पर रेत की मोटाई - आश्रयन अनुसार खदान पर रेत की मोटाई - 1.2 मीटर तथा रेत खदान की प्रस्तावित मोटाई - 1.8 मीटर चौड़ाई गई है। अनुशोधित राष्ट्रीय मानक अनुसार खदान में माईनेसिल रेत की मात्रा - 12,000 घनमीटर है। रेत कायमण हेतु प्रस्तावित खदान पर वर्तमान में उपलब्ध रेत स्रोत की मोटाई जमाने के लिए प्रस्तावित स्थल पर 4 गड्डे 0.500 चौड़ाका इसकी वार्षिक मोटाई का मानक कर, अनिश्चित विभाग से प्रस्तावित जानकारी प्रस्तुत की गई है। इससे अनुसार रेत की उपलब्ध औसत मोटाई 1.40 मीटर है। रेत की वार्षिक मोटाई हेतु प्रस्तावना भी प्रस्तुत किया गया है।
12. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण-
 1. पूर्व में सारथ, घाट संयोजक जंघोला के घाट की रेत खदान कासाह अर्थात् 800, संयोजक 4 जंघोला, अन्नासाह - 4,400,420 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु जिला सारथ पर्यावरण सहायता निरीक्षण अधिकरण, जिला-राजमार्ग की पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 18/08/2018 के द्वारा जारी किया गया है।
 2. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत की गई है। राट आश्रयन रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई।
 3. कर्नाटक कलेक्टर (अनियंत्रित खान), जिला-राजमार्ग के द्वारा अर्थात् 4204/अलि-1/रेट/2020 राजमार्ग, दिनांक 18/08/2020 के अनुसार वर्ष 2018-19 में 7,500 घनमीटर कायमण किया गया है।
 4. निर्धारित बर्तानुसार कुलकायम नहीं किया गया है।
13. खदान क्षेत्र में रेत स्रोत के लेबलिंग - रेत कायमण हेतु प्रस्तावित खदान एवं प्रस्तावित स्थल के घाटों कायम में 100 मीटर की दूरी तक, 25 मीटर गुंफा 25 मीटर के चिह्न सिन्दुओं पर दिनांक 19/08/2020 को रेत स्रोत के वर्तमान विवरण (Labels) लेकर, उन्हें अनिश्चित विभाग से प्रस्तावित अन्नासाह पौटीकरण सारथ जानकारी/प्रस्तावित प्रस्तुत किया गया है।

14. कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.A.) – परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति के माध्यम से सभी उचित गिनतुआय विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है-

Capital Investment (In Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (In Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (In Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (In Lakh Rupees)
44.52	2%	0.89	Following activities at Nearby Government Primary School Village-Jarekole	
			Rain Water Harvesting System	0.60
			Possible Drinking water Facility	0.15
			Plantation	0.15
Total			0.90	

15. प्रस्तुतिकरण के दौरान समिति के सदस्य ने यह स्पष्ट जांच कि प्रस्तावित खदान क्षेत्र की लंबाई लगभग 2000 मीटर है, जिसमें पूरा खदान क्षेत्र के क्षेत्र में स्थित है। कार्यकारी सॉल्यूट (प्रतिबंधन योजना) दिनांक-20/08/2020 के अंतर्गत अनुबंध 1000/स.वि.-1/2020 संपन्न दिनांक 08/08/2020 द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव यह अनुबंध नदी के घाट की औसत चौड़ाई 30 मीटर, खदान क्षेत्र की औसत लंबाई लगभग 2000 मीटर एवं औसत चौड़ाई 20 मीटर बताई गई है तथा खदान की पर्याप्तता सीमा से नदी के तट की न्यूनतम दूरी 5 मीटर होना बताया गया है। खदान खदान की लंबाई अधिक होने के कारण नदी के घाट की चौड़ाई तथा खदान की स्वीचिंग सीमा से नदी के तट की न्यूनतम दूरी विभिन्न जगहों पर भिन्न-भिन्न है। जब प्रस्तावित खदान क्षेत्र की लंबाई, चौड़ाई तथा नदी के घाट की चौड़ाई की वास्तविक दूरी एवं खदान की नदी तट से वास्तविक दूरी की जांचकारी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

16. नये माईकलस्टोन अनुमान किसी भी बुनियादी स्ट्रक्चर, बंध, एन्रीकट, अल प्रदाय वास्तविक एवं अन्य स्थायी संरचनाओं से खदान की अगस्टीन में न्यूनतम 500 मीटर तथा अगस्टीन में न्यूनतम 250 मीटर सुरक्षित क्षेत्र छोड़ा जाना अनिवार्य है। प्रस्तुत माईकलस्टोन प्रस्ताव अनुसार पूरा की अगस्टीन में 250 मीटर एवं अगस्टीन में 500 मीटर छोड़कर संरक्षण किया जाना प्रस्तावित किया गया है, जिससे संरक्षण क्षेत्र का विनाशकल कर संरक्षण किया जाना संभव नहीं होता है।

17. वेत संरक्षण हेतु प्रस्तावित खदान एवं प्रस्तावित खदान की अगस्टीन तथा अगस्टीन में 100 मीटर की दूरी तथा 25 मीटर गुप्त 25 मीटर का विड बनाकर, परीक्षण में वेत सहाय की लंबाई (Length) लेकर विड वेत में प्रदर्शित कर प्रस्तुत किया गया है। नदी के घाट की औसत चौड़ाई 30 मीटर बताई गयी है। जब 25 मीटर गुप्त 25 मीटर की विड पर वेत सहाय की लंबाई (Length) की उपयुक्त जांच अलग नहीं हो रही है। जब खदान नदी 5 मीटर गुप्त 5 मीटर का विड बनाकर किया जाना उचित होगा।







समिति द्वारा संसदाय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था—

1. प्रस्तावित खनन क्षेत्र की लंबाई, चौड़ाई तथा नदी के घाट की चौड़ाई की वार्षिक दूरी एवं खदान की नदी तट से वार्षिक दूरी की अवधिक जानकारी प्रस्तुत किया जाए। उपर्युक्त गैर माइनिंग क्षेत्र एवं माइनिंग क्षेत्र को स्पष्ट विभाजन करते हुए परिष्कृत माइनिंग प्लान प्रस्तुत किया जाए।
2. गैर खनन क्षेत्र प्रस्तावित खनन एवं प्रस्तावित खनन के अवधिक तथा वार्षिक दूरी 100 मीटर की दूरी तक, 5 मीटर गुना 5 मीटर का विंग सहायक, परिष्कृत गैर खनन क्षेत्र के लंबाई (Length) तथा विंग गैर में परिष्कृत पत्र प्रस्तुत किया जाये। इसके अतिरिक्त खनन क्षेत्र के बाह्य / नदी तट (टोपी बॉट) से 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी तट से गार्ड (Guard) का भी गार्ड किया जाये।
3. गुन/एरील की दूरी खदान के अवधिक से न्यूनतम 500 मीटर तथा वार्षिक दूरी से न्यूनतम 250 मीटर तथा खनन अवधिक है। यदि क्षेत्र क्षेत्र प्रस्तावितानुसार दूरी के अंदर किया हो तो उपर्युक्त अवधिक पर खनन हेतु परिष्कृत क्षेत्र को अवधिकानुसार नहीं पर विहित कर, परंतु क्षेत्र पर वीमांकन तथा माइनिंग प्लान में इस बाबत परलेख किया जाय।
4. परिष्कृत प्रस्तावक को उपर्युक्त संमत पूर्ण जानकारी / प्रस्तावित प्रस्तुत किया जाने परंतु जानकारी अवधिक की जाएगी।

उपर्युक्त परिष्कृत प्रस्तावक को एनईएसी, जलसंधारण के द्वारा दिनांक 07/12/2020 के परिष्कृत से परिष्कृत प्रस्तावक द्वारा जानकारी / प्रस्तावित दिनांक 02/01/2021 प्रस्तुत की गई है।

(स) समिति की 35वीं बैठक दिनांक 02/01/2021

समिति द्वारा नदी, प्रस्तुत जानकारी का अवधिक एवं वीमांकन करने पर निम्न निर्णय किया गया—

1. खनन क्षेत्र पर नदी के घाट की चौड़ाई एवं खदान की नदी तट से दूरी — अवधिक अनुसार खनन क्षेत्र पर नदी के घाट की औसत चौड़ाई — 20 मीटर तथा खनन क्षेत्र की औसत लंबाई — 2,000 मीटर एवं औसत चौड़ाई — 20 मीटर दर्शाई गई है। खदान नदी तट से 5 मीटर की दूरी पर है।
2. खदान क्षेत्र में गैर खनन क्षेत्र के अवधिक — गैर खनन क्षेत्र प्रस्तावित खनन एवं प्रस्तावित खनन के गार्ड तथा से 100 मीटर की दूरी तक, 5 मीटर गुना 5 मीटर के विंग किन्तु पर दिनांक 10/11/2020 को गैर खनन क्षेत्र के लंबाई (Length) तथा, उन्हें अतिरिक्त विंग से अवधिकानुसार प्रस्तावित वीमांकन वीमांकन जानकारी / प्रस्तावित प्रस्तुत किया गया है।
3. गैर माइनिंग क्षेत्र —
 4. नदी के घाट की औसत चौड़ाई 20 मीटर है, जबकि खदान नदी तट से 5 मीटर की दूरी पर है। गैर विंग निर्देशों के अनुसार नदी तट से न्यूनतम 7.5 मीटर अवधिक नदी के घाट की चौड़ाई का 10 प्रतिशत दूरी तक के क्षेत्र में खनन नहीं किया जा सकता। माइनिंग प्लान के अनुसार नदी तट के किनारे से खनन क्षेत्र की दूरी न्यूनतम 7.5 मीटर अवधिक प्रस्तावित किया जाया प्रस्तावित है, जिसमें 7,500 वर्गमीटर गैर माइनिंग क्षेत्र तथा गया है।

Handwritten signature

Handwritten signatures

- क. पुल खदान डोंग की सीमा में स्थित है। यह खदानवादी अनुमान पुल की पूरी खदान की अवस्टीम में न्यूनतम 300 मीटर तथा खदानवादी में न्यूनतम 200 मीटर रखा जाना आवश्यक है। इस पुल की तरफ की अवस्टीम में न्यूनतम 200 मीटर तथा खदानवादी में न्यूनतम 300 मीटर लंबाई का खनन डोंग की खनन को लिए प्रतिबंधित किया गया है। निर्दिष्ट खनन अनुमान 2.00 इंच/टोन पर निर्दिष्ट रखा गया है।
- ख. खदानवादी अनुमान निर्दिष्ट खनन में कुल पर निर्दिष्ट डोंग 2.12 इंच/टोन प्रस्तावित किया गया है। इस रेट खदान का कार्य खदान की अवस्टीम 0.88 इंच/टोन डोंग में किया जाना प्रस्तावित है।
- ग. परिवर्तन प्रस्तावक द्वारा रेट की कार्यात्मक गहराई हेतु प्रस्तावित खनन की अनुमान प्रस्तावित खनन पर वर्तमान में रेट की उपलब्ध लंबाई 1.40 मीटर है। इस खनन से यह स्पष्ट नहीं हो पाता है कि 1.40 मीटर गहराई की रेट रेट की उपलब्धता है अथवा नहीं? इस संबंध में स्थिति स्पष्ट किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा आवश्यक सर्वेक्षणों को निर्दिष्ट किया गया था कि परिवर्तन प्रस्तावक को प्रस्तावित खनन पर वर्तमान में रेट रोक (Red Rock) की उपर अतिरिक्त रेट की गहराई संबंधी जानकारी (खनन की गहराई) प्रस्तुत करने हेतु निर्दिष्ट किया जाए।

समानुसार एन.ई.ए.सी., जलसंधारण की द्वारा दिनांक 24/02/2021 को परिवर्तन में परिवर्तन प्रस्तावक द्वारा जलसंधारण/खदानवादी दिनांक 01/06/2021 को प्रस्तुत किया गया है।

(द) समिति की 27वीं बैठक दिनांक 01/06/2021:

समिति द्वारा मसौदा प्रस्तुत खानवादी का अवलोकन एवं परीक्षण करने का निम्न निर्देश पड़े गये-

- 1. रेट खदान हेतु प्रस्तावित खनन पर वर्तमान में उपलब्ध रेट खनन की गहराई खनन को लिए प्रस्तावित खनन पर 4 मटर (4m) खोदकर इसकी कार्यात्मक गहराई का मापन कर, खनन सहित स्थिति खनन दिनांक से प्रस्तावित खानवादी प्रस्तुत की गई है। इसके अनुसार रेट की गहराई 2.5 मीटर है।
- 2. रेट खदान में कुल रेट को एवं गहराई का कार्य खदान द्वारा कराया जाना प्रस्तावित है।
- 3. परिवर्तन प्रस्तावक द्वारा 1.5 मीटर की गहराई तक खानवादी की अनुमति पायी है। अनुमति खानवादी खानवादी में खानवादी लिए जाने वाले डोंग की वर्तमान रेट खनन संबंधी अवधान कार्य एवं खानवादी खानवादी का संशोधन नहीं किया गया है। खानवादी नहीं छोटी नहीं है तथा इसमें वर्तमान में खानवादी 1 मीटर गहराई को खानवादी रेट का खानवादी होने की संभावना है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्दिष्ट किया गया-

- 1. खानवादी खदान (खान-खानवादी) का गहरा 4 इंच/टोन है। खदान की रेट को 300 मीटर की परिधि में सीमित/संशोधित खदानों पर कुल खानवादी 5 इंच/टोन का इसकी खनन होने की खानवादी गहराई खदान की-2 मीटर की पायी गयी।



2. **पुनर्वासन कार्य** - उपर्युक्त क्षेत्र के अन्तर्गत पर नदी तट का कुल 1,000 मी. परिसर - 500 मी. लंबाई के बीच तथा बीच 500 मी. (अनुम, कटौत, बांध, जल आवरण) परिसर आवरण। इससे अधिकतम मूल्य पर 500 मी. बीच अन्तर्गत आवरण।

3. **परिचालन अन्तर्गत परिसर क्षेत्र में आगामी 1.5 वर्ष में विद्युत परिसर अन्तर्गत (Infrastructure Study) अन्तर्गत, ताकि परिसर के पुनर्वासन (Rehabilitation) कार्य सही प्रकार से परिसर अन्तर्गत पर नदी, नदीतट, स्थानीय अन्तर्गत, बीच एवं कुल बीच पर अन्तर्गत परिसर नदी के क्षेत्र की पुनर्वासन पर परिसर अन्तर्गत के अन्तर्गत की सही जानकारी प्राप्त हो सके।**

4. बीच क्षेत्र की साहजिक बेसलाइन कार्य -

i. परिसर अन्तर्गत अन्तर्गत के पूर्व (पूर्व) साहजिक बेसलाइन/कुल के अन्तर्गत अन्तर्गत) इसी दिशा में निर्धारित बीच क्षेत्र तथा बीच क्षेत्र के अन्तर्गत एवं अन्तर्गत में 100 मीटर तक तथा अन्तर्गत बीच के अन्तर्गत / नदी तट (बीच क्षेत्र) से 100 मीटर तक के बीच में नदी साहजिक की सही (Levels) का सर्वे पूर्व निर्धारित दिशा में किया जाएगा।

ii. इसी अन्तर्गत अन्तर्गत के बाद (अन्तर्गत/अन्तर्गत) में परिसर अन्तर्गत अन्तर्गत करने के पूर्व) इसी दिशा में निर्धारित परिसर साहजिक की सही (Levels) का सर्वे किया जाएगा।

iii. परिसर साहजिक के पूर्व निर्धारित दिशा में निर्धारित परिसर साहजिक की सही (Levels) के सर्वे का कार्य आगामी 3 वर्ष तक निर्धारित किया जाएगा। बीच-अन्तर्गत के अन्तर्गत दिशा में 2021, 2022, 2023 एवं बीच-अन्तर्गत के अन्तर्गत अन्तर्गत 2021, 2022, 2023 तक अन्तर्गत का सर्वे एन.ई.आई.ए. अन्तर्गत का अन्तर्गत किया जाएगा।

4. समिति द्वारा निर्धारित अन्तर्गत अन्तर्गत से भी अन्तर्गत साहजिक अन्तर्गत बीच साहजिक अन्तर्गत अन्तर्गत 500, बीच-अन्तर्गत, अन्तर्गत-अन्तर्गत, बीच-अन्तर्गत, कुल बीच अन्तर्गत & अन्तर्गत में से बीच निर्धारित बीच 31,200 वर्गमीटर बीच अन्तर्गत 0.50 हेक्टर बीच में, परिसर अन्तर्गत 0.5 मीटर की गहराई तक सीमित नहीं हुए, कुल 2,400 वर्गमीटर अन्तर्गत परिसर अन्तर्गत अन्तर्गत अन्तर्गत, अन्तर्गत दिशा में 02 वर्ष तक की अन्तर्गत अन्तर्गत अन्तर्गत की अन्तर्गत की गई। परिसर की अन्तर्गत अन्तर्गत (Manually) की जाएगी। बीच क्षेत्र (River Bed) में नदी अन्तर्गत का अन्तर्गत अन्तर्गत अन्तर्गत। बीच क्षेत्र में अन्तर्गत परिसर अन्तर्गत अन्तर्गत (Excavation Job) से अन्तर्गत अन्तर्गत परिसर का अन्तर्गत अन्तर्गत अन्तर्गत किया जाएगा।

4. बीच निर्धारित बीच एवं अन्तर्गत बीच का बीच पर अन्तर्गत अन्तर्गत से अन्तर्गत अन्तर्गत अन्तर्गत के अन्तर्गत की अन्तर्गत अन्तर्गत अन्तर्गत अन्तर्गत की अन्तर्गत की जाएगी।

परिसर अन्तर्गत द्वारा अन्तर्गत में अन्तर्गत - उपर्युक्त अन्तर्गत पर अन्तर्गत की दिशा में 04/06/2021 को अन्तर्गत 1:2000 स्केल में अन्तर्गत किया गया। अन्तर्गत द्वारा अन्तर्गत का अन्तर्गत किया गया। अन्तर्गत अन्तर्गत अन्तर्गत अन्तर्गत द्वारा अन्तर्गत से समिति की अन्तर्गत की अन्तर्गत अन्तर्गत अन्तर्गत बीच साहजिक अन्तर्गत, अन्तर्गत अन्तर्गत 500, बीच-अन्तर्गत, अन्तर्गत-अन्तर्गत, बीच-अन्तर्गत, कुल बीच अन्तर्गत & अन्तर्गत में से बीच निर्धारित बीच 31,200 वर्गमीटर बीच अन्तर्गत 0.50 हेक्टर बीच में, परिसर अन्तर्गत 0.5 मीटर की गहराई तक सीमित नहीं हुए।

Handwritten signature

Handwritten signature

कुल 4,400 घनमीटर प्रतिवर्ष से ताबानन हेतु पर्यावरणीय परीक्षित, जारी दिनांक से 02 वर्ष तक की अवधि हेतु विदे जाने का निर्णय लिया गया।
परिशीलना प्रस्तावक को पर्यावरणीय परीक्षित जारी किया जाय।

22. बंसली भी बबलू साहू (कनखोल बंध नाईन्, घाम-कनखोल, तहसील-उमनार, जिला-रायगढ़), घाम-उमनार, तहसील-उमनार, जिला-रायगढ़ (सविद्यालय का नसी जमांक 1388)

ऑन-साईट आरिदन - अतिरिक्त मन्दा - एमआईए/ सीडी/ एमआईए/ 17204 / 2020, दिनांक 11 / 08 / 2020।

प्रस्ताव का विवरण - यह पूरे से संबंधित से खदान (सीन खनिज) है। यह खदान घाम-कनखोल, तहसील-उमनार, जिला-रायगढ़ स्थित खदान जमांक 48, कुल सीन क्षेत्र 3.5 हेक्टेयर में है। ताबानन खदान नदी से किया जाता है। खदान की अनुमानित ताबानन क्षमता-18,000 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

बीडकी का विवरण -

(अ) समिति की 347वीं बैठक दिनांक 08 / 10 / 2020

समिति द्वारा प्रस्ताव की नसी एवं अनुमत जानकारी का परीक्षण एवं आवश्यक सर्वेक्षणों से निम्नानुसार निर्णय किया गया था:-

1. प्रस्तावित खान क्षेत्र की नसी एवं बीडकी तथा नदी के घट की बीडकी की जानकारी अनुमत की जाय।
2. से ताबानन हेतु प्रस्तावित खान एवं प्रस्तावित खान के अगस्टीन तथा अगस्टीन में 100 मीटर की दूरी तक, 25 मीटर गुल 25 मीटर का डिग बनाकर, अगस्टीन में से खान के लेवल्स (Levels) लेकर डिग से से प्रदर्शित कर प्रस्तुत किए जायें। इनके अतिरिक्त खान सीन के बहार / नदी तट (सीन ओर) से 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी बहार के नसी (Levels) का भी नसी किया जायें। तथा लेवल्स (Levels) हेतु कम से कम 2 टेम्परी बंध मार्क (Concrete TBM structure) निर्धारित किए जायें। टेम्परी बंध मार्क (TBM) में अगस्ट, को-ऑर्डिनेट्स (Co-ordinates) अंकित किये जायें। डिग से से टेम्परी बंध मार्क (TBM) को भी परीक्षण, एवं खनिज विभाग से पर्यावरणीय परीक्षण बीडकी/अगस्टीन अनुमत किये जायें।
3. नदीतट के खदान की सीन की दूरी न्यूनतम 7.5 मीटर या नदी के घट की बीडकी का 10 प्रतिशत (एसे भी अधिक हो) लकी जानी है। यदि इसके अनुसार खदान की कुछ क्षेत्र में ताबानन किया जाना संभव न हो तो उसकी गणना कर, नसी एवं परीक्षण, इतका आवश्यक स्ट्रक्चर खान में अतिरिक्त खान से कराया जायें। खदान के खान क्षेत्र एवं प्रतिबंधित क्षेत्र को भीके एवं खनिज विभाग से सीमांकन कराकर, अनुमत एवं अनुमत किया जाय।
4. प्रस्तावित खान से निकलने वाल, बंध, एगस्ट एवं खान अगस्टीन सीन की दूरी बाबत जानकारी अनुमत की जाय। गुल / एगस्ट की दूरी खदान के अगस्टीन में न्यूनतम 200 मीटर तथा अगस्टीन में न्यूनतम 250 मीटर रखा जाना आवश्यक है। यदि सीन क्षेत्र उपरोक्तानुसार दूरी के अंतर किया हो, तो उपरोक्त अंतर एवं खान हेतु प्रतिबंधित क्षेत्र से अंतरांतरानुसार नसी पर विनिश्चित कर, इतका भीके एवं सीमांकन तथा स्ट्रक्चर खान में इस बाबत आवश्यक किया जाय।

सं.सि-1/सि/सि/2020 राणप्र. दिनांक 28/04/2020 द्वारा जारी की गई, जिसकी प्रतिलिपि 2 वर्षों हेतु वैध है।

7. डिम्ट्रीकट सर्वे रिपोर्ट - वर्ष 2018 की डिम्ट्रीकट सर्वे रिपोर्ट (Detailed Survey Report) की प्रतिलिपि प्रस्तुत की गई है।
8. महाकपूर्ण बांधकामों की दूरी - निम्नलिखित बांधकाम-कलाहोल 1.2 कि.मी, सतुल बांधकाम-कलाहोल 1.3 कि.मी, एवं अमरनाथ जलप्रपात 5 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राज्यघरने 8 कि.मी. दूर है। पूरा बांधकाम से 250 मीटर की दूरी पर स्थित नहीं पर स्थित है।
9. पारिस्थितिकीय/पारिस्थितिक संवेदनशील क्षेत्र - परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में जलवायुसंवेदनशील क्षेत्र, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, जैववैविध्य प्रदूषण नियंत्रण क्षेत्र द्वारा परिमित जलवायुसंवेदनशील क्षेत्र, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या परिमित पारिस्थितिक क्षेत्र स्थित नहीं होने परियोजना किया है।
10. खनन स्थल पर नदी की घाट की चौड़ाई एवं खनन की नदी घाट से दूरी - खनन अनुसार खनन स्थल पर नदी की घाट की चौड़ाई - 50 मीटर तथा खनन स्थल की चौड़ाई - 100 मीटर एवं चौड़ाई - 50 मीटर चौड़ाई-गई है। खनन नदी घाट से जारी हुई है, जबकि इसकी नदी घाट से खनन दूरी 1.8 मीटर अथवा नदी की घाट की चौड़ाई का 10 प्रतिशत होना चाहिए।
11. खनन स्थल पर रेत की चौड़ाई - खनन अनुसार खनन पर रेत की चौड़ाई - 1.5 मीटर तथा रेत खनन की प्रस्तावित चौड़ाई - 1 मीटर चौड़ाई गई है। अनुसंधान मंडलित खनन अनुसार खनन में मंडलित रेत की मात्रा - 10,000 घनमीटर है। रेत खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर परियोजना में उपलब्ध रेत सारक की चौड़ाई खनन के लिए प्रस्तावित स्थल पर 4 मीटर (13ft) चौड़ाई इसकी प्रस्तावित चौड़ाई का सतत कर, सन्निहत स्थल से प्रस्तावित खननकारी प्रस्तुत की गई है। इसकी अनुसार रेत की उपलब्ध प्रस्तावित चौड़ाई 1.4 मीटर है। रेत की प्रस्तावित चौड़ाई हेतु पंचनाथ से प्रस्तुत किया गया है।

12. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:-

1. पूर्व में राधिका बांधकाम-कलाहोल के नाम से रेत खनन खनन अर्थात् 40 हेक्टेयर 1.5 हेक्टेयर, अर्थात् - 10,000 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु जिला स्तरीय पर्यावरण संसाधन निर्धारण परियोजना, जिला-राणप्र. की पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 28/10/2017 को जारी की गई।
2. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के अन्तर्गत में जारी हुई कार्यकारी की ध्यानकारी प्रस्तुत की गई है। यह अध्ययन रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई।
3. पर्यावरण परीक्षण (सन्निहत बांधकाम), जिला-राणप्र. की अर्थात् अ.सि-1/सि/सि/2020 राणप्र. दिनांक 18/06/2020 से अनुसंधान रिपोर्ट वर्षों में किसे नये खनन का स्थल निर्धारण है-

वर्ष	अनुसंधान (घनमीटर)
2017-18	4,500
2018-19	3,000

14. निर्धारित अनुसंधान पूरा नहीं किया गया है।

(Handwritten signatures and marks at the bottom of the page)

13. **खदान क्षेत्र में रेत संचयन की व्यवस्था** – रेत संचयन हेतु प्रस्तावित खदान एवं प्रस्तावित खदान के चारों तरफ में 100 मीटर की दूरी तक, 25 मीटर गुण्डा 25 मीटर के चिख सिन्दुली पर दिनांक 15/08/2020 की रेत संचयन की संरचना लेआउट (Layout) लेकर, सभी अधिकृत विभाग से प्राप्तीयकृत उपरोक्त प्रोटोकॉल सहित आवेदन/प्रस्तावित प्रस्तुत किये गये हैं।

14. **परिचालन प्रस्तावक द्वारा समिति के साथ विचार से सभी उपरोक्त निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है-**

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
38.58	2%	0.79	Following activities at Nearby Government Primary School Village- Kandel	
			Rain Water Harvesting System	0.50
			Potable Drinking water Facility	0.15
			Plantation with fencing	0.15
Total			0.80	

15. **रेत संचयन क्षेत्र** – नदी के तट की चौड़ाई 50 मीटर है, जबकि खदान नदी तट से लगी हुई है। नदी चिख सिन्दुली के अनुसार नदी तट से न्यूनतम 1.3 मीटर अथवा नदी के तट की चौड़ाई का 10 प्रतिशत दूरी तक के क्षेत्र में खनन नहीं किया जा सकता। संचयन खनन के अनुसार नदी तट से किनारे से 10 प्रतिशत अतिरिक्त खनन किया जाना प्रस्तावित है। संशोधित संचयन खनन के अनुसार नदी तट से नदी के तट की चौड़ाई का 10 प्रतिशत की दूरी तक का क्षेत्र खनन के लिए प्रस्तावित किया गया है, जिसमें 1.3 हेक्टेयर रेत संचयन क्षेत्र रखा गया है।

16. रेत संचयन मैनुअल विधि से एवं संचयन का सर्वे जोखर द्वारा करना ज्ञान प्रस्तावित है।

17. परिचालन प्रस्तावक द्वारा 5 मीटर की गहराई तक खनन की अनुमति नहीं है। अनुशोधित खनन योजना में खनन किए जाने वाले क्षेत्र की वार्षिक रेत पुनर्भरण संबंधी अध्ययन कार्य एवं संचयनी जोखरी का संचयन नहीं किया गया है। खनन नदी छोटी नदी है तथा इसमें वर्षाकाल में साधारणतः 5 मीटर गहराई से अधिक रेत का पुनर्भरण होने की संभावना है।

समिति द्वारा सारजन्य सर्वसाधक की निम्नानुसार निर्णय लिया गया था-

1. **अनुशोधित खदान (खन-कार्यक्रम) का तलक 3.3 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीडन, संशोधित खदानों का कुल क्षेत्रफल 3 हेक्टेयर का उससे कम होने की कारण यह खदान सी-2 श्रेणी की गयी।**

Lakh

[Signature]

[Signature]

2. बुझाईपन कार्य - प्रत्येकका के अन्तर्गत एक नदी 800 मी. कुल 1,200 मी. चौड़े - 800 मी. अर्धवृत्त के चौड़े तथा तीन 800 मी. (बायलु, कनौज, बाँस, जल काँटे) चौड़े जगाए जायेंगे। इसकी अधिकतम गहराई नदी पर 300 मी. चौड़े जगाए जायेंगे।

3. परिदोषना प्रत्येकका रेल बरदान बीच में अगामी 1.5 कि. मी. में विलुप्त पाए जायेंगे (Disposal Study) करायेंगे, ताकि रेल के पुनर्गठन (Reconstruction) करके नदी आसपास, रेल जंक्शन का नदी, नदीतट, स्थानीय जनसंख्या, वीथ एवं पुल आदी पर प्रभाव तथा नदी के घाटी की पुनर्गठन पर रेल जंक्शन के प्रभाव को गहरी जानकारी प्राप्त हो सके।

4. वीथ बीच की सतह का बैसलाईन काटा -

1. बायलु के बीच (अकटुन / नवम्बर गड) में रेल जंक्शन प्रारंभ करने के पूर्व, इसी स्थिति में नदीकिन वीथ बीच तथा वीथ बीच के अर्धवृत्त एवं बायलुकिन में 100 मीटर तक तथा कनौज वीथ के बाहर / नदी 800 (दोनों ओर) में 100 मीटर तक की बीच में नदी सतह को गहरी (Levels) का सर्वे पूर्व निर्धारित स्थिति में विलुप्त कर दिया जायेंगे।

2. इसी प्रकार रेल जंक्शन प्रारंभ बायलु के पूर्व (पूर्व गड के अर्धवृत्त बायलु / पुल के प्रारंभ करवाए) इसी स्थिति में विलुप्त कर रेल सतह को जंक्शन (Levels) का सर्वे किया जायेंगे।

3. रेल सतह को पूर्व निर्धारित स्थिति में विलुप्त कर रेल सतह को जंक्शन (Levels) के सर्वे का कार्य अगामी 3 कि. मी. तक विस्तार किया जायेंगे। फीट-बायलु के अर्धवृत्त दिनांक 2021, 2022, 2023 एवं डी-बायलु के अर्धवृत्त अगामी 2021, 2022, 2023 तक अर्धवृत्त का सर्वे एम.ई.आई.ए.ए. कार्यालय को प्रस्तुत किए जायेंगे।

4. समिति द्वारा विचार किया जायेंगे प्रत्येकका सर्वेक्षण की भी बरतु बायु, कनौज वीथ सतह, कनौज अगामी 40, बाय-कनौज, लखीम-कनौज, किला-कनौज, कुल वीथ क्षेत्रफल 3.8 हेक्टेयर में से पूर्व निर्धारित क्षेत्र 10,000 वर्गमीटर क्षेत्र का सर्वे पर 1.8 हेक्टेयर क्षेत्र में रेल जंक्शन अधिकतम 1 मीटर की गहराई तक निर्धारित गहरी पूर्व, कुल 10,000 वर्गमीटर अधिकतम रेल जंक्शन क्षेत्र पर्याप्ततः सर्वेक्षण, जल विभाग से 20 वर्ष तक की अवधि हेतु दिये जाने की अनुमति की गई। रेल की गहराई अर्धवृत्त द्वारा (March) की जायेंगी। रेल रेल (Rail Bed) में नदी बरतु का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। वीथ बीच में किला रेल गहराई गहरी (Excavation work) की अधिकतम गहरी तक रेल का परिवहन हेतु हीन हीन द्वारा किया जायेंगे।

5. पूर्व निर्धारित क्षेत्र एवं अर्धवृत्त सतहिन क्षेत्र का बीच पर स्थित विभाग से सर्वेक्षण करवाने के अन्तर्गत ही स्थित विभाग द्वारा सर्वेक्षण की अनुमति दी जायेंगी।

6. रेल जंक्शन प्रारंभ करने के पूर्व एम.ई.आई.ए.ए. निर्धारित स्थिति में विलुप्त कर नदी सतह को गहरी (Levels) का सर्वे कर (फीट-बायलु), कनौज अर्धवृत्त तथा बायलु एम.ई.आई.ए.ए. कार्यालय को प्रस्तुत किए जायेंगे।

प्रतिक्रमा द्वारा बैठक में विचार - प्रत्येकका प्रारंभ का अधिकतम भी दिनांक 17/12/2020 को सफल पत्रों के माध्यम से किया गया। अधिकतम द्वारा नदी का अर्धवृत्त किया एवं कहा गया कि प्रस्तुत अनुमोदित निर्धारित प्रारंभ में अन्तर्गत रेल की गहराई - 1.8 मीटर तथा रेल जंक्शन की अगामी गहराई - 1 मीटर होगी।



गई है तथा कार्यवाही कार्यवाही (प्रतिष्ठित गणना) दिनांक-संलग्न की द्वारा प्रस्तुत किया गया/किसी-1/दिनांक/2020 संलग्न दिनांक 08/08/2020 के अनुसार प्रदान क्षेत्र में सेत की उपलब्ध जीवात मोटाई 1.48 मीटर है। सेत उपलब्ध 1 मीटर मोटाई तक किये जाने से प्रस्तावित स्तर पर सेत की मोटाई 2.48 मीटर हो सेत गैर होगी। कार्यवाही दृष्टिकोण से गैर पर मोटाई 2.48 मीटर सेत की मोटाई कम प्रतिष्ठित होगी है। इस प्रकार की परिस्थिति में कार्यवाही दृष्टिकोण से सेत उपलब्ध की प्रस्तावित प्रतिकारण मोटाई को निर्धारित किये जाने हेतु सुनिश्चित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

उपरोक्त की परिस्थिति में प्रतिकारण द्वारा संतुल्य कार्यवाही से निर्णय किया गया था कि उपरोक्त स्थलों के उपलब्ध पर कार्यवाही कर, उपयुक्त अनुसंधान किये जाने हेतु प्रस्ताव एम.ई.ए.सी., प्रकीर्णन के संकाय प्रस्तुत किये जाने का निर्णय किया गया।

(घ) समिति की 352वीं बैठक दिनांक 08/08/2021

समिति द्वारा जारी प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई-

प्रकीर्णन प्रस्तावक द्वारा सेत की वास्तविक मोटाई हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव के अनुसार प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में सेत की उपलब्ध जीवात मोटाई 1.4 मीटर है। प्रस्ताव प्रस्ताव से यह स्पष्ट नहीं हो रहा है कि 1.4 मीटर मोटाई को नीचे सेत की उपलब्धता है अथवा नहीं? इस संकाय में स्थिति स्पष्ट किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा संतुल्य कार्यवाही से निर्णय किया गया था कि प्रकीर्णन प्रस्तावक को प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में सेत की मोटाई (Soil Stock) के उपर अवलोकन सेत की मोटाई संबंधी जानकारी (संयोजन सहित) प्रस्तुत किये जाने हेतु निर्धारित किया गया।

संयुक्त एम.ई.ए.सी., प्रकीर्णन के द्वारा दिनांक 21/02/2021 की परिस्थिति में प्रकीर्णन प्रस्तावक द्वारा जानकारी/प्रस्तावित दिनांक 21/08/2021 को प्रस्तुत किया गया है।

(घ) समिति की 354वीं बैठक दिनांक 21/08/2021

समिति द्वारा जारी प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई-

1. सेत उपलब्ध हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध सेत मोटाई की मोटाई करने से कि प्रस्तावित स्थल पर 2 मीटर (2m) मोटाई प्रस्तावित प्रस्तावित मोटाई का भाग कर, उपलब्ध सहित प्रतिष्ठित स्थल से प्रस्तावित जानकारी प्रस्तुत की गई है। इसके अनुसार सेत की मोटाई 2.7 मीटर है।
2. सेत उपलब्ध हेतु प्रस्तावित स्थिति से यह पता चला कि वर्तमान मोटाई द्वारा प्रदान जाना प्रस्तावित है।
3. प्रकीर्णन प्रस्तावक द्वारा 1 मीटर की मोटाई तक उपलब्ध की अनुमति नहीं है। अनुमोदित उपलब्ध योजना में उपलब्ध किये जाने वाले क्षेत्र की वर्तमान सेत मोटाई संबंधी अवलोकन कार्य एवं जानकारी संबंधी का संयोजन नहीं किया गया है। प्रस्ताव नहीं छोटी नहीं है तथा इसमें वर्तमान में उपलब्ध 1 मीटर मोटाई से अधिक सेत का प्रस्ताव करने की आवश्यकता है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरोक्त सर्वसम्पत्ति से निम्नानुसार निर्देश दिया गया-

1. अधिष्ठित खदान (डाम-कमंडील) का गहरा 1.5 हेक्टर है। खदान की लंबाई से 300 मीटर की परिधि में लीडर/सहायक खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टर का करना काम होने से खदान पर खदान की-2 खेती की जाती रही।
2. **पुनर्जीवन कार्य** - इसपरिचाल के अन्तर्गत पर लगी गट पर कुल 1,200 गम पैसे - 800 गम अर्जुन के पीछे तथा बांध 400 गम (जामुन, कटहल, बंस, आम आदि) पीछे लगाए जाएंगे। इनके अधिष्ठित श्रुत मार्ग पर 500 गम पीछे लगाए जाएंगे।
3. पनीरोजक प्रस्तावक से खदान क्षेत्र में आगामी 1.5 वर्ष में विस्तृत गट अन्वयन (Detailed Study) करायेगा, ताकि सेत के पुनर्जीवन (Rejuvenation) बाधू लगी जायगी, सेत अन्वयन का लगी, लगीतक, स्थानीय इलाक़ी, जीव एवं श्रुत लगी का प्रभाव लगत लगी के लगी की गुणवत्ता पर सेत अन्वयन के प्रभाव की लगी जायकारी प्राप्त की जाये।
4. **लीड क्षेत्र की सतह का रेसलार्डिंग कार्य** -
 1. सेत अन्वयन उपरोक्त मानचित्र के पूर्व (पूर्व) गट के अधिष्ठित सतह/श्रुत के प्रभाव (बाध) इन्हीं विच विन्दुओं में सतृप्ति लीड क्षेत्र तथा लीड क्षेत्र की रेसलार्डिंग एवं इन्वन्स्ट्री में 100 मीटर तक तथा अन्वयन-लीड की बाहर / लगी तक (दोनों ओर) से 100 मीटर तक के क्षेत्र में लगी सतह के लगी (Levels) का सर्वे पूर्व निर्धारित विच विन्दुओं पर किया जायेगा।
 2. इन्हीं प्रकार मानचित्र के बाध (अर्जुन/लम्बाय) गट में सेत अन्वयन प्रारंभ करने के पूर्व इन्हीं विच विन्दुओं पर सेत सतह के लेवल (Levels) का सर्वे किया जायेगा।
 3. सेत सतह के पूर्व निर्धारित विच विन्दुओं पर सेत सतह के लेवल (Levels) से सर्वे कर कार्य आगामी 3 वर्ष तक विस्तार किया जायेगा। पीर-मानचित्र के अन्वयन दिनांक 2021, 2022, 2023 एवं पी-मानचित्र के अन्वयन अन्वयन 2021, 2022, 2023 तक अधिष्ठित काम से एनर्ई/आर्ई/ए, एनर्ई/आर्ई/ए को प्रस्तुत किए जायेंगे।
5. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरोक्त सर्वसम्पत्ति से की बाधू गट, कमंडील सेत सतृप्ति, सतृप्ति अन्वयन 40, डाम-कमंडील, लम्बाय-लम्बाय, विच-लम्बाय, कुल लीड क्षेत्रफल 3.5 हेक्टर में से सेत सतृप्ति क्षेत्र 18,000 वर्गमीटर क्षेत्र काम करने 1.5 हेक्टर क्षेत्र में, सेत अन्वयन अधिष्ठित 0.7 मीटर की गहराई तक सीमित रखी हूए, कुल 11,200 वर्गमीटर अधिष्ठित सेत अन्वयन सेत उपरोक्त लीड लीड, लगी दिनांक से 02 वर्ष तक की अधिष्ठित सेत विच जाने की अनुमति की गई। सेत की गहराई भूमिगत द्वारा (Manually) की जायेगी। गिरा सेत (River Bed) में खरी लाने का प्रवेश अधिष्ठित रहेगा। लीड क्षेत्र में विच सेत गहराई गहराई (Excavation upto) से अधिष्ठित गहराई तक सेत का परिवहन हेतु लगी द्वारा किया जायेगा।
6. सेत सतृप्ति क्षेत्र एवं अधिष्ठित सतृप्ति क्षेत्र का लगी का अधिष्ठित विच से सतृप्ति लीड/अन्वयन करने से अन्वयन से अधिष्ठित विच द्वारा अन्वयन की अनुमति दी जायेगी।





जाने। खदान के खनन क्षेत्र एवं प्रतिबंधित क्षेत्र को सीके पर अग्निज विभाग से सीमांकन कराकर, खनन पर धारा विद्यत जाए।

6. प्रस्तावित खान से निकलता धूल, बालू, एनैकटा एवं गले जल जलपुत्री क्रीक की दूरी बाधक जानकारी प्रस्तुत की जाए। धूल / एनैकटा की दूरी खदान के आसपास में न्यूनतम 500 मीटर तथा आसपास में न्यूनतम 200 मीटर तथा जाना आसपास ही। यदि सीके क्षेत्र जलपुत्रीकानुसार दूरी के अंदर स्थित हो, तो उपरोक्त खान पर खनन हेतु प्रतिबंधित क्षेत्र को आवश्यकतानुसार नया पर विनियत कर, उसका सीके पर सीमांकन तथा सड़कियाँ पथान में इस बाधक उपरोक्त विद्यत जाए।
7. यह आवश्यक है कि प्रस्तावित खान पर खनन में उपरोक्त क्षेत्र की पीछाई खानों के लिए प्रति क्षेत्रों में कम से कम एक मद्दत (PM) खोदकर जलपुत्रीकानुसार नया सीके का खनन कर, अग्निज विभाग से उपस्थित जानकारी प्रस्तुत की जाए। यह की आवश्यक मद्दत हेतु पथानान भी प्रस्तुत विद्यत जाये।
8. यदि पूर्व में अग्निज खान पर खनन हेतु राज्य स्तर पर खनन समाधान निर्देशन प्रविधान (एम.ई.आई.ए.ए.), जलपुत्रीकानुसार अथवा जिला स्तरीय पर खनन समाधान निर्देशन प्रविधान (डी.ई.आई.ए.ए.), जलपुत्रीकानुसार द्वारा परखीरणीय सीके की गई हो, तो पूर्व में जारी परखीरणीय सीके की प्रति एवं अग्निज विभाग से खनन में की गई खानपुत्री की जानकारी खोदीखान सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही खानपुत्री की खानपुत्री की जानकारी खोदीखान सहित प्रस्तुत की जाए।
9. यदि खदान पूर्व से संबंधित है, तो जिला स्तर में लिए गए खानपुत्री की जानकारी नया (विशेष नया) की जानकारी अग्निज विभाग से उपस्थित कर का प्रस्तुत की जाए।
10. सी.ई.आर. (Corporate Environmental Responsibility) हेतु विस्तृत पथान पूर्व विभाग से प्राप्त प्रस्तुत विद्यत जाए।
11. यदि निर्देशन एवं परखीरणीय प्रस्तावक को खदान में वेत की खानपुत्री (Lands) के नया नया (Surveyor) के साथ खानपुत्री नया खानपुत्री खानपुत्री / खानपुत्री (खानपुत्री खानपुत्री) सहित प्रस्तुतीकरण विद्यत जानें हेतु निर्देशन विद्यत जाए।

खानपुत्री परखीरणीय प्रस्तावक को एम.ई.ए.ए., जलपुत्रीकानुसार से पर एवं ई-मेल अथवा विनांक 08/04/2021 एवं 27/04/2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सुचित विनांक नया।

(4) समिति की 365वीं बैठक दिनांक 01/08/2021:

प्रस्तुतीकरण हेतु की खानपुत्री नया, अग्निज अग्निज विद्यत खानपुत्री नया खानपुत्री से खानपुत्री नया। समिति द्वारा नया, प्रस्तुत खानपुत्री का खानपुत्री एवं परखीरणीय नया पर विनांक विद्यत नया नया।

1. खानपुत्री नया का खानपुत्री प्रस्ताव नया — यह खानपुत्री की नया में खानपुत्री खानपुत्री का विनांक 13/02/2018 का खानपुत्री प्रस्ताव नया प्रस्तुत विद्यत नया है।
2. विनांकित/सीकेकित — खानपुत्री खानपुत्री, अग्निज खानपुत्री से खानपुत्री प्रस्ताव नया प्रस्तुत नया खानपुत्री विनांकित/सीकेकित नया खानपुत्री है।



3. **संरक्षण योजना** - राष्ट्रीय प्लान प्रकृत निष्पत्ति पर है, जो सभी अधिकांश जिला-राज्य के प्रान्त क्रमांक/523/सति-3/रा/2021 राज्य, दिनांक 12/02/2021 द्वारा अनुमोदित है।
4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** - कार्बोनास कार्बोनाट (खनिज बाधा), जिला-राज्य के प्रान्त क्रमांक/523/सति/न.क./2021 राज्य, दिनांक 12/02/2021 से अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर की गैर आवेदित अन्य गैर खदानों की संख्या निरूपित है।
5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरक्षण - कार्बोनास कार्बोनाट (खनिज बाधा), जिला-राज्य के प्रान्त क्रमांक/523/सति/न.क./2021 राज्य, दिनांक 12/02/2021 द्वारा जारी प्रान्त पर अनुसार प्रान्त प्रान्त से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे गुरु, बांध, एनिकाट, मंदिर, मस्जिद, मस्जिद, राष्ट्रीय राजमार्ग एन एन हाइवे जारी आवेदित क्षेत्र निर्मित नहीं है।**
6. **एल.ओ.आई. का विवरण** - एल.ओ.आई. की मुद्रांकित किताब के नाम पर है, जो कार्बोनास कार्बोनाट (खनिज बाधा), जिला-राज्य के प्रान्त क्रमांक/5148/सति-3/रा नीलामी/2020 राज्य, दिनांक 22/12/2020 द्वारा जारी की गई, जिसकी आवेदित 8 पृष्ठ हेतु है।
7. **डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट** - वर्ष 2019 की डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रती प्रस्तुत की गई है।
8. **सर्वेक्षण संरचनाओं की दूरी** - निकटतम आवासीय घास-औसतता 1 कि.मी., खान घास-औसतता 1 कि.मी., एवं औसतता राज्य 2.5 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 15 कि.मी. एवं राजमार्ग 15 कि.मी. दूर है। कुल खदान से 500 मीटर की दूरी पर आवेदित क्षेत्र स्थित है। स्वीकृत गैर खदान से 1 कि.मी. की दूरी तक एनिकाट स्थित नहीं है।
9. **पारिस्थितिकीय/जैववैविधता संवेदनशील क्षेत्र** - पारिस्थितिकीय प्रभावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में आवासीय क्षेत्र, राष्ट्रीय प्रान्त, अन्वयण, केन्द्रीय प्रकृत विभाग क्षेत्र द्वारा पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या पारिस्थितिकीय क्षेत्र स्थित नहीं होगा आवेदित क्षेत्र है।
10. **खान स्थल पर नदी के घाट की चौड़ाई एवं खदान की नदी तट से दूरी** - आवेदन अनुसार खान स्थल पर नदी के घाट की चौड़ाई - अधिकतम 423 मीटर, न्यूनतम 387 मीटर तथा खान स्थल की चौड़ाई - अधिकतम 388 मीटर, न्यूनतम 387 मीटर एवं चौड़ाई - अधिकतम 128 मीटर, न्यूनतम 118 मीटर बताई गई है। खदान की नदी तट से किनारे से दूरी अधिकतम 17 मीटर, न्यूनतम 81 मीटर है।
11. **खदान स्थल पर गैर की चौड़ाई** - आवेदन अनुसार खान पर गैर की चौड़ाई- 3 मीटर एवं गैर खान की अवशिष्ट चौड़ाई - 3 मीटर बताई गई है। अनुमोदित राष्ट्रीय प्लान अनुसार खदान में राष्ट्रीय गैर की चौड़ाई - 88,800 वर्गमीटर है। गैर आवेदन हेतु अवशिष्ट खान पर वर्तमान में उपलब्ध गैर खान की चौड़ाई खान के लिए अवशिष्ट खान पर गैर 888 वर्गमीटर आवेदित आवेदित गैर की चौड़ाई का नाम पर, आवेदित प्रकृत की गई है। इसके अनुसार गैर की उपलब्ध अवशिष्ट चौड़ाई 3 मीटर है। गैर की आवेदित गैर

Handwritten signature in purple ink.

Handwritten signatures in blue and black ink.

हेतु प्रस्तुत योजनाएं की अनुसार प्रस्तावित खाल एवं वर्कआउट में फेद की उपलब्धता कीवश योजनाई 2 मीटर है। क्या प्रयोजना से यह स्पष्ट नहीं हो रहा है कि उपलब्ध क्षेत्र में 2 मीटर गहराई के नीचे फेद की उपलब्धता है-क्या नहीं? क्या इस संबंध में स्थिति स्पष्ट किया जाना आवश्यक है।

12. पूर्ण में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण—

- पूर्ण में समस्त साम प्रयाग कोटवाड़ा के नाम से फेद खदान सर्वे ऑफ इण्डिया जर्नल 01, बीकानेर 88 इन्स्टीट्यूट, अन्वय- 88,000 परमिटर वर्गित हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति राज्य स्तरीय पर्यावरण संरक्षण विधीन प्रतिक्रमा, पर्यावरण द्वारा दिनांक 10/02/2018 को जारी की गई। यह स्वीकृति 2 वर्ष तक की अवधि हेतु जारी की गई।
- पूर्ण में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के जारी के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत की गई है। यह अद्यतन रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई।
- कार्यालय पर्यावरण (अग्निज संरक्षण), गिरा-समवाह के प्रत्यक्ष अर्पण/191/अग्नि-8/गिरा/2021 समवाह, दिनांक 12/04/2021 को अनुसार विगत वर्ष विवेक एवं सख्तान का विवरण निम्नानुसार है—

वर्ष	खर्च (अर्पण)
2017-18	41,400
2018-19	निर्णय
2019-20	निर्णय

- विधीन अर्पण 1,000 रुपे पुनर्निर्माण किया जाना अधिविधित किया गया है। प्रस्तुतिकरण के दौरान बताया गया कि अधिविध में कोई अधिविध नहीं है।

13. खदान क्षेत्र में फेद सतह की खोज — फेद उपलब्ध हेतु प्रस्तावित खाल एवं प्रस्तावित खाल के जारी तक में 100 मीटर की दूरी तक, 25 मीटर गुण 25 मीटर के चिह्न बिन्दुओं पर दिनांक 22/02/2021 को फेद सतह की खोज लेवल (Level) लेना, उन्हें अधिविध विभाग से प्रमाणिकरण प्राप्त कोटवाड़ा सखि जानकारी/प्राप्तके प्रस्तुत किया गया है।

14. कोर्पोरेट पर्यावरणीय अधिनियम (C.E.A.) — अधिविधना अभावाक द्वारा अधिनियम के अन्तर्गत जारी खाल निम्नानुसार प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है—

Capital Investment (In Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (In Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (In Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (In Lakh Rupees)
81	2%	1.02	Following activities at Nearby Government Primary School Village- Aunahata	
			Rain Water Harvesting System	0.70
			Running water facility for Toilets	0.32
			Total	1.02

Handwritten signatures and marks are present at the bottom of the page, including a large signature on the left and a smaller one on the right.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरोक्त सर्वसाध्यता से निम्नानुसार निर्णय किया गया—

1. परियोजना प्रस्तावक को अस्तित्व खाल पर वर्तमान में रैड रॉक (Red Rock) से ऊपर अस्तित्व रैड की गैटवाइं संसदी जानकारी (संपत्तियां सहित) प्रस्तुत किये जाने हेतु निर्दिष्ट किया जाय।
2. सीईआर (Corporate Environmental Responsibility) हेतु विस्तृत प्रभाव पूर्ण विवरण के साथ प्रस्तुत किया जाय।
3. परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने हेतु निर्दिष्ट किया जाय।

सदस्यमान एस.ई.ए.सी., भारतीय संघ 314वीं बैठक दिनांक 01/08/2021 को परियोजना में परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी / दस्तावेज दिनांक 01/08/2021 को प्रस्तुत किया गया है।

(स) समिति की 314वीं बैठक दिनांक 01/08/2021

समिति द्वारा नहीं, प्रस्तुत जानकारी का अपरोक्षण एवं परीक्षण करने का विचार किये जाय—

1. रैड खदान हेतु अस्तित्व खाल पर वर्तमान में उपरोक्त रैड खाल की गैटवाइं जानकारी के लिए प्रस्तावित खाल पर 8 गड़दे (Pillar) कोषक उपरोक्त जानकारी गड़दे का नाम वर, संख्या सहित समित्त किया से अस्तित्व जानकारी प्रस्तुत की गई है। इसके अनुसार रैड की गैटवाइं 2.4 मीटर है।
2. सीईआर (Corporate Environmental Responsibility) हेतु विस्तृत प्रभाव पूर्ण विवरण के साथ प्रस्तुत किया गया है।
3. रैड खदान में गड़दे विधि के एवं गड़दे का कठोर जीवन द्वारा कठोर खाल प्रस्तावित है।
4. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 2 मीटर की गड़दे तक खदान की क्षमता घटी है। अनुसंधित खदान खोज में खदान किए जाने वाले क्षेत्र की वर्तमान में पुनर्गठन संबंधी अस्तित्व कठोर एवं जानकारी खोजों का अस्तित्व नहीं किया गया है। खाल गड़दे छोटी नहीं है जब इसमें उपरोक्त में सामान्यतः 1 मीटर गड़दे से अस्तित्व रैड का पुनर्गठन होने की संभावना है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरोक्त सर्वसाध्यता से निम्नानुसार निर्णय किया गया—

1. अस्तित्व खदान (घास-जोखाना) का सखत 4.48 हेक्टर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की दूरी में अस्तित्व/अस्तित्व खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टर का प्रस्तावित करने के कारण यह खदान की-2 क्षेत्रों की नहीं गयी।
2. वृक्षारोपण कार्य — अस्तित्व के अस्तित्व पर नहीं ताक पर कुल 2,500 वृक्ष रोपे — 1,250 वृक्ष अस्तित्व के क्षेत्रों तथा 1,250 वृक्ष (जामुन, बनारस, बंस, अन्य अदि) क्षेत्रों अस्तित्व अस्तित्व। इसके अस्तित्व कुल कार्य पर 1,200 वृक्ष अस्तित्व अस्तित्व।
3. परियोजना प्रस्तावक रैड खदान क्षेत्र में अस्तित्व 1.5 वर्ष में विस्तृत गड़दे अस्तित्व (Situation Study) अस्तित्व, ताकि रैड के पुनर्गठन (Replenishment) संभव नहीं अस्तित्व, रैड खदान का नहीं, अस्तित्व, अस्तित्व अस्तित्व, रैड एवं पुनर्गठन अस्तित्व

का प्रभाव तथा नदी के पानी की गुणवत्ता पर इस प्राकल्पन से प्रभाव की सही जानकारी प्राप्त हो सके।

4. जीव शोध की खण्ड का रेकॉर्डाईंग कार्य -

i. इस खण्ड अर्थात नगरपालिका की पूर्ण (गुई) नदी की अंतिम संचालन/दुर्ग की प्रथम संचालन वाली विद्युत सिन्धुओं में नदीनिर्गत जीव शोध तथा जीव शोध की अग्रगण्य एवं अग्रगण्य में 500 मीटर तक तथा खण्ड जीव शोध / नदी तट (रिवर बैंड) से 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी खण्ड के सभी (Levels) का सही पूर्ण निर्धारित विद्युत सिन्धुओं पर किया जाएगा।

ii. इसी प्रकार नगरपालिका की खण्ड (अग्रगण्य/नगरपालिका) में इस प्राकल्पन अंतर्गत करने के पूर्ण इसी विद्युत सिन्धुओं पर इस खण्ड की लेवलिंग (Levels) का प्रथम किया जाएगा।

iii. इस खण्ड के पूर्ण निर्धारित विद्युत सिन्धुओं पर इस खण्ड की लेवलिंग (Levels) की प्रथम का कार्य अगामी 3 वर्ष तक निर्धारित किया जाएगा। प्रोटेक्ट-नगरपालिका की अगामी दिनांक 2021, 2022, 2023 एवं डी-नगरपालिका की अगामी अगस्त 2021, 2022, 2023 तक अतिरिक्त रूप से एनईआईएए, अग्रगण्य को प्रस्तुत किए जाएंगे।

iv. समिति द्वारा विचार विमर्त अर्थात सर्वसम्मति से श्री गुरुजीन सिंह, अग्रगण्य वीरगढ़ गाईंग, पार्ले जीव शोध अग्रगण्य 01, ग्राम-अग्रगण्य, गुरुजीन व विला-नगरपालिका, कुल जीव शोधफल 4.48 हेक्टेयर क्षेत्र में, इस प्राकल्पन अंतर्गत 0.4 मीटर की गहराई तक सीमित नदी तट, कुल 17,800 घनमीटर प्रतिवर्ष इस प्राकल्पन हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति, जारी दिनांक से 02 वर्ष तक की अवधि हेतु विद्युत जाने की अनुमति की गई। इस की सुदृढ़ समिति द्वारा (Monthly) की जाएगी। निरंतर बैंड (Stream Bank) में नदी पानी का प्रवेश प्रतिबंधित होगा। जीव शोध में किया इस सुदृढ़ गहराई (Excavation work) से अतिरिक्त नदी तट का परिसर सुरक्षित तरीके द्वारा किया जाएगा।

प्रतिकल्पन द्वारा बैंड में विचार - अग्रगण्य प्रथम पर प्रतिकल्पन की दिनांक 24/08/2021 को संश्लेष 112वीं बैठक में विचार किया गया। प्रतिकल्पन द्वारा नदी का अग्रगण्य किया गया। विचार विमर्त अर्थात प्रतिकल्पन द्वारा सर्वसम्मति से समिति की अनुमति को स्वीकार करते हुए श्री गुरुजीन सिंह, अग्रगण्य वीरगढ़ गाईंग, पार्ले जीव शोध अग्रगण्य 01, ग्राम-अग्रगण्य, गुरुजीन व विला-नगरपालिका, कुल जीव शोधफल 4.48 हेक्टेयर क्षेत्र में, इस प्राकल्पन अंतर्गत 0.4 मीटर की गहराई तक सीमित नदी तट, कुल 17,800 घनमीटर प्रतिवर्ष इस प्राकल्पन हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति, जारी दिनांक से 02 वर्ष तक की अवधि हेतु विद्युत जाने का निर्णय किया गया।

परिचालन प्रत्येक की पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किया जाए।

24. नदी की सार्वजनिक बाध (श्रीकल्याणपुरा वीरगढ़ गाईंग), ग्राम-श्रीकल्याणपुरा, गुरुजीन व विला-नगरपालिका (संविधानिक क्रम नदी अग्रगण्य 01)

रैकॉर्डाईंग कार्य-प्रथम - प्रथम संख्या - एनईआईए/ वीरगढ़/ एनईआईए/ एनईआईए/ 1988030/2021, दिनांक 22/02/2021।

प्रस्ताव का विवरण - यह पूर्ण से संघटित इस खण्ड (सीन अग्रगण्य) है। यह खण्ड ग्राम-श्रीकल्याणपुरा, गुरुजीन व विला-नगरपालिका, कुल अग्रगण्य अग्रगण्य 01, कुल



खंडावन-4324 इस्टेशन में प्रस्तावित है। खंडावन-मुण्ड नदी से सिंचाई द्वारा प्रस्तावित है। खंडावन की अवधिगत खंडावन अक्षा - 35.480 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

बैठकों का विवरण -

(अ) सचिवालय की 360वीं बैठक दिनांक 01/03/2021

सचिवालय द्वारा प्रस्तावित की गयी एवं अनुमत जानकारी का परीक्षण तथा सार्वजनिक सूचनाओं से निम्नानुसार निर्णय किया गया था:-

1. जीव जीव से निकटतम एक क्षेत्र की अवधिगत दूरी सबसे खाली क्षेत्र से एक क्षेत्र से जारी अवधिगत प्रदान पर की अवधिगत प्रति अनुमत किया जाय।
2. प्रस्तावित खान क्षेत्र की लंबाई एवं चौड़ाई तथा नदी के फाट की चौड़ाई की जानकारी अनुमत की जाय।
3. वेत खंडावन हेतु प्रस्तावित खाल एवं प्रस्तावित खाल के अवधिगत तथा खालखाल में 100 मीटर की दूरी तथा 25 मीटर गुण 25 मीटर का विद्युत बंधन, खान में वेत खाल के लेवल (Levels) लेवल विद्युत में प्रस्तावित कर अनुमत किया जाये। इसके अवधिगत खान क्षेत्र के बाहर / नदी तट (टोपी क्षेत्र) में 100 मीटर एक के क्षेत्र में नदी खाल के तटी (Levels) का भी उक्त विद्युत जाये। उक्त लेवल (Levels) हेतु कम से कम 3 टेम्पेरी बेंच मार्क (Concreteed TBM structure) निर्धारित किया जाये। टेम्पेरी बेंच मार्क (TBM) में आरएन, को-ऑर्डिनेशन (Co-ordinates) अंकित किया जाये। विद्युत में टेम्पेरी बेंच मार्क (TBM) को भी दर्शाकर, उन्हें अवधिगत विभाग से उपरीक्षण करवाये जाये/प्रमाणित अनुमत किया जाये।
4. नदीतट से खान की सीमा की दूरी न्यूनतम 7.5 मीटर या नदी के फाट की चौड़ाई का 10 प्रतिशत (जो भी अधिक हो) नहीं जानी है। यदि इसकी अनुमत खान से कुछ क्षेत्र में खंडावन किया जाये तो नदी की तटी पर नदी पर दर्शाकर, इसका प्रमाणित निर्धारित खान में अवधिगत रूप से करवाये जाये। खान के खान क्षेत्र एवं अवधिगत क्षेत्र की सीमा पर खनिज विभाग से सीमांकन कराकर, खान पर प्राप्त किया जाय।
5. प्रस्तावित खाल के निकटतम पूर क्षेत्र, एनीकट एवं जल अनुमति क्षेत्र की दूरी खान खानकारी अनुमत की जाय। पूर / एनीकट की दूरी खान के अवधिगत में न्यूनतम 200 मीटर तथा खालखाल में न्यूनतम 250 मीटर तथा खान खान खान है। यदि जीव क्षेत्र उपरीक्षणानुसार दूरी के अंतर स्थित हो, तो उपरीक्षण खान पर खान हेतु अवधिगत क्षेत्र की उपरीक्षणानुसार नदी पर निर्धारित कर, खान की सीमा पर सीमांकन तथा निर्धारित खान में इस खान प्रमाणित किया जाय।
6. वेत खंडावन हेतु प्रस्तावित खाल पर खान में खान वेत की चौड़ाई खान के लिए प्रति इस्टीमेट में कम से कम एक पाइप (मि) इस्टीमेट खान के अवधिगत खान का खान कर, खनिज विभाग से उपरीक्षण खानकारी अनुमत की जाय। वेत की अवधिगत खान हेतु खान की अनुमत किया जाये।
7. यदि पूर्व में अवधिगत खान पर खान हेतु खान का परीक्षण खानकार निर्धारित प्रमाणित (साई-आई-ए-ए), उपरीक्षण खान किया जाये परीक्षण खानकार निर्धारित प्रमाणित (साई-आई-ए-ए), उपरीक्षण द्वारा परीक्षण खानकारी की गई है, तो पूर्व में जारी परीक्षण खानकारी की प्रति एवं अवधिगत खान के खान

Leah

Handwritten signatures

ने की गई कार्यवाही की जानकारी पत्रोपचारम सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही
प्रमाणपत्र की अद्यतन स्थिति की जानकारी पत्रोपचारम सहित प्रस्तुत की जाए।

8. यदि खदान पूर्ण हो संभावित है, तो विवाद जमीं में विद्युत् गद्द उपकरण की
कार्यावधि मात्रा (विलीयत जमीं) की जानकारी खनिज विभाग को प्रेषित करत कर
प्रस्तुत की जाए।
9. सीईआर (Corporate Environmental Responsibility) हेतु विस्तृत प्रमाण, पूर्ण
विवरण को साथ प्रस्तुत किया जाए।
10. खनि निरीक्षण एवं परीक्षण प्रमाणपत्र को खदान में वेद के लेवल (Levels)
लेने वाले सर्वेयर (Surveyor) के साथ उपरोक्त समस्त सुसंगत जानकारी /
दस्तावेज (खदान पत्रोपचारम सहित प्रस्तुतिकरण दिने) खाने हेतु निर्देशित किया
जाए।

सदरनुसार परीक्षण प्रमाणपत्र को एच.ई.ए.सी., जलेश्वरगढ़ को धरत एवं ई-वेद प्रमाण
विनांक 09/04/2021 एवं 27/04/2021 द्वारा प्रस्तुतिकरण हेतु सुचित किया
गया।

(ब) समिति की 365वीं बैठक दिनांक 01/05/2021

प्रस्तुतिकरण हेतु श्री सचिव जलेश्वर, अतिरिक्त प्रतिनिधि विधिवत सम्बन्धित न के मामले में
कार्यविधत हुए। समिति द्वारा सभी प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने
का निम्न विधित चर्चे हुई गई—

1. धान पत्रोपचार का अपाठित प्रमाण पत्र — वेद उपकरण की संख्या में धान
पत्रोपचार अधिनियम का दिनांक 12/02/2018 का अपाठित प्रमाण पत्र प्रस्तुत
किया गया है।
2. विन्यासित/सीमांकित — कार्यालय सलेक्टर, खनिज विभाग को धान प्रमाण
पत्र अनुसार वेद खदान विन्यासित/सीमांकित का घोषित है।
3. परीक्षण योजना — साईमिंग प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधीकार, जिला-राजगढ़ के द्वारा प्रमाणपत्र/2020/खनि-3/01/2021 राजगढ़,
दिनांक 12/02/2021 द्वारा अनुमोदित है।
4. 500 मीटर की परिधि में निम्न खदान — कार्यालय सलेक्टर (खनिज विभाग),
जिला-राजगढ़ के द्वारा प्रमाणपत्र/200/खनि/रा.क./2021 राजगढ़, दिनांक
12/02/2021 के अनुसार आवेदित खदान में 500 मीटर की परिधि अन्तर्गत
अन्य वेद खदानों की संख्या निम्न है।
5. 200 मीटर की परिधि में निम्न कार्यालयिक क्षेत्र/संरचनाएं — कार्यालय
सलेक्टर (खनिज विभाग), जिला-राजगढ़ के द्वारा प्रमाणपत्र/200/खनि/रा.क./
2021 राजगढ़, दिनांक 12/02/2021 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार वेद
खदान की 200 मीटर की परिधि में कोई भी कार्यालयिक क्षेत्र जैसे पुल, बंध,
सुरीकर, भंडार, मसिखर, मसखर, राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अन्य बाधों की खनि
अधीनस्थित क्षेत्र निर्दिष्ट नहीं है।
6. एल.जे.आई. का विवरण — एल.जे.आई. की सत्य मासिकता सधु के नाम पर
है जो कार्यालय सलेक्टर (खनिज विभाग), जिला-राजगढ़ के द्वारा प्रमाणपत्र
/2017/खनि-3/वेद सीलामी/2020 राजगढ़, दिनांक 23/12/2020 द्वारा
जारी की गई, जिसकी अवधि 6 महीने हेतु है।



7. डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट - वर्ष 2019 की डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
8. सार्वजनिक संरचनाओं की दूरी - निम्नलिखित आबादी घनत्व-क्षेत्रफल 2 कि.मी. स्क्वैर घनत्व-क्षेत्रफल 2 कि.मी. एवं अक्षांश घनत्व 2.3 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 18 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 15 कि.मी. दूर है। पूरा खदान से 500 मीटर की दूरी पर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। स्वीकृत क्षेत्र खदान की 1 कि.मी. की दूरी तक एक्सटेंड किया नहीं है।
9. पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र - परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में जलवायु-क्षेत्र, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, वन्यजीव अभयारण्य, जल संयंत्र, जलविद्युत परियोजना, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र का परिधि जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होने प्रमाणित किया है।
10. खदान स्थल पर नदी के घाट की चौड़ाई एवं खदान की नदी तट से दूरी - वर्तमान अनुसार खदान स्थल पर नदी के घाट की चौड़ाई - अधिकतम 200 मीटर, न्यूनतम 500 मीटर तथा खदान स्थल की लंबाई - अधिकतम 324 मीटर, न्यूनतम 327 मीटर एवं चौड़ाई - अधिकतम 140 मीटर, न्यूनतम 140 मीटर दर्शाई गई है। खदान की नदी तट से दूरी अधिकतम 82 मीटर, न्यूनतम 88 मीटर है।
11. खदान स्थल पर पेड़ की चौड़ाई - वर्तमान अनुसार खदान पर पेड़ की चौड़ाई- 3 मीटर तथा पेड़ खदान की प्रस्तावित चौड़ाई - 2 मीटर दर्शाई गई है। अनुशंसित माइनिंग प्लान अनुसार खदान में माइनिंग क्षेत्र की चौड़ाई - 38,400 चतुर्गुण है। पेड़ प्रस्तावित खदान पर वर्तमान में प्रस्तावित क्षेत्र की चौड़ाई खदान के लिए प्रस्तावित खदान पर माइनिंग (384) चौड़ाई खदान की प्रस्तावित चौड़ाई का खदान पर खदान की प्रस्तावित चौड़ाई है। इसके अनुसार पेड़ की प्रस्तावित चौड़ाई 2 मीटर है। पेड़ की प्रस्तावित चौड़ाई हेतु प्रस्तावित खदान के अनुसार प्रस्तावित खदान पर वर्तमान में पेड़ की प्रस्तावित चौड़ाई 2 मीटर है। खदान प्रस्तावित से यह स्पष्ट नहीं हो रहा है कि प्रस्तावित क्षेत्र में 2 मीटर चौड़ाई के पेड़ों पेड़ की प्रस्तावित है अथवा नहीं? क्या इस संबंध में विधि स्पष्ट किया जाना आवश्यक है।

12. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण-

- a. पूर्व में जारी, हाल खदान प्रस्तावित (वीआरएनए) के नाम से 100 खदान खदान क्रमांक 242, क्षेत्रफल 8,804 हेक्टेयर, क्षमता- 38,000 चतुर्गुण प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रस्तावित पर्यावरण प्रस्तावित, प्रस्तावित द्वारा दिनांक 10/02/2018 को जारी की गई। यह स्वीकृति 2 वर्ष तक की अवधि हेतु जारी की गई।
- b. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के खदान में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत की गई है। यह खदान रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई।
- c. कार्यलय बरकेंडर (अधिकार प्राप्त), जिला-राजमार्ग के खदान क्रमांक/752/खानि-3/रा/2021 खदान, दिनांक 12/04/2021 के अनुसार विवरण जारी किया गये खदान का विवरण निम्नप्रकार है-

वर्ष	क्षमता (चतुर्गुण)
2017-18	44,100

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

4. सीधे बीच की सड़क का बेसलाइन सटा -

- अ. इस खण्डन उपखण्ड मानसून की पूर्ण (नई सड़क की अंतिम सड़क/खण्ड) की प्रथम सड़क। इसी विद्युत सिन्धुओं में माइनिंग सीज क्षेत्र तथा सीज क्षेत्र की अपस्ट्रीम एवं डाउनस्ट्रीम में 100 मीटर तक तथा खण्डन सीज की बाहर / बाड़ी सड़क (टोपी सीज) में 100 मीटर तक की सीज में नदी सड़क की सली (Leveels) का सही पूर्व निर्धारित विद्युत सिन्धुओं पर किया जाएगा।
- ब. इसी प्रथम मानसून की सड़क (अवसृत/नवम्बर सड़क) में सेतु प्रत्यक्षन द्वारा बनाने की पूर्ण इसी विद्युत सिन्धुओं पर सेतु सड़क की संयोजन (Leveels) का स्थान किया जाएगा।
- क. सेतु सड़क की पूर्ण निर्धारित विद्युत सिन्धुओं पर सेतु सड़क की संयोजन (Leveels) को स्थान का कार्य अगामी 3 वर्ष तक निरंतर किया जाएगा। सिन्धु-मानसून की अंतिम दिनांक 2021, 2022, 2023 एवं डी-मानसून की अंतिम अगस्त 2021, 2022, 2023 तक अनिवार्य रूप से एच.ई.आई.ए.ए., भारतीयता की प्रस्तुत किए जाएंगे।

5. समिति द्वारा विचार विमर्श उपखण्ड कार्यसमिति की भी साथ परामर्श सड़क, बीरकटमुड़ा रोडक माईन्स, खण्डन अंशक 541, दाम-बीरकटमुड़ा, तहसील व जिला-समथूर, कुल सीज क्षेत्रफल 4,824 हेक्टेयर क्षेत्र में, सेतु प्रत्यक्षन अविशाल 0.3 मीटर की गहराई तक सीमित सड़कें हुए, कुल 14,400 घनमीटर प्रतिवर्ष सेतु प्रत्यक्षन हेतु पर्याप्ततया स्वीकृति, जारी दिनांक से 02 वर्ष तक की अवधि हेतु दिने जाने की अनुमति की गई। सेतु की खुदाई स्मिथी द्वारा (Machinery) की जाएगी। गिर क्षेत्र (Main Road) में सही सड़कें का प्रथम अतिरिक्त रहेगा। सीज क्षेत्र में किया सेतु खुदाई सड़कें (Embankment) तथा में स्वीडिंग सड़कें तक सेतु का परिवहन ट्रैक्टर ट्रेलर द्वारा किया जाएगा।

प्रतिकल्प द्वारा बेटक में विचार - उपरोक्त प्रत्यक्षन पर प्रतिकल्प की दिनांक 24/08/2021 को संलग्न 112वीं बेटक में विचार किया गया। प्रतिकल्प द्वारा नदी का अवलोकन किया गया। विचार विमर्श उपखण्ड प्रतिकल्प द्वारा सर्वेसमिति की समिति की अनुमति की स्वीकृत जारी हुई की साथ परामर्श सड़क, बीरकटमुड़ा रोडक माईन्स, खण्डन अंशक 541, दाम-बीरकटमुड़ा, तहसील व जिला-समथूर, कुल सीज क्षेत्रफल 4,824 हेक्टेयर क्षेत्र में, सेतु प्रत्यक्षन अविशाल 0.3 मीटर की गहराई तक सीमित सड़कें हुए, कुल 14,400 घनमीटर प्रतिवर्ष सेतु प्रत्यक्षन हेतु पर्याप्ततया स्वीकृति, जारी दिनांक से 02 वर्ष तक की अवधि हेतु दिने जाने का निर्णय किया गया।

परिचालन प्रस्तावक को पर्याप्ततया स्वीकृति जारी किया जाए।

25. बेसली की अंशक सिद्धिकी (एन-1, नवद्विती रोडक माईन्स), दाम-समथुरी, तहसील व जिला-सुरजपुर (समिकल्प का नदी अंशक 1500)

अंशकईन आवेदन - उपखण्ड नम्बर - एच.आई.ए. / सीज / एच.आई.ए. / 1500/2021, दिनांक 25/08/2021।

प्रस्ताव का विवरण - यह प्रस्तावित सेतु खण्डन (सीज अविशाल) है। यह खण्डन दाम-समथुरी, तहसील व जिला-सुरजपुर सिन्धु खण्डन अंशक 529, कुल क्षेत्रफल-4 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। प्रत्यक्षन सेतु नदी से किया जाना प्रस्तावित है। खण्डन की आवेदित प्रत्यक्षन अगस्त - 15,540 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

_____ 25/08/21 _____

बीचों का विवरण -

(क) समिति की आठवीं बैठक दिनांक 01/03/2021

समिति द्वारा प्रस्ताव की गयी एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा आवश्यक सर्वेक्षणों से निम्नानुसार निर्णय किया गया था-

1. प्रस्तावित खनन क्षेत्र की लंबाई एवं चौड़ाई तथा नदी के घाट की चौड़ाई की जानकारी प्रस्तुत की जाए।
2. प्लॉट आकारण हेतु प्रस्तावित स्थल एवं प्रस्तावित स्थल की अपस्ट्रीम तथा डाउनस्ट्रीम में 100 मीटर की दूरी तक, 25 मीटर गुण 25 मीटर का विंड बन्डल, वर्गभाग में प्लॉट साइज की लेवलिंग (Levels) लेकर विंड मैप में प्रदर्शित करा प्रस्तुत किये जाये। इसके अतिरिक्त खनन जीज के बाहर / नदी तट (रॉन्डी बॉर्डर) से 100 मीटर तक की क्षेत्र में नदी साइज की गार्ड (Levels) का भी सर्वे किया जाये। उक्त लेवलिंग (Levels) हेतु कम से कम 2 टेम्परीरी बेंच मार्क (Concrete TBM structures) निर्धारित किये जाये। टेम्परीरी बेंच मार्क (TBM) में आयरन, को-ऑर्डिनेशन (Co-ordinates) शामिल किये जाये। विंड मैप में टेम्परीरी बेंच मार्क (TBM) को भी दर्शाकर, उन्हे स्थितिज विवरण से उपरोक्तान्त उक्तान्त फोटोग्राफ सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये जाये।
3. नदीतट से खदान की सीमा की दूरी न्यूनतम 7.5 मीटर का नदी के घाट की चौड़ाई का 10 प्रतिशत (जो भी अधिक हो) गयी जानी है। यदि इसके अनुसंग खदान की कुछ क्षेत्र में सम्बन्धन किया जाना संभव न हो तो उपरोक्त गणना कर, नदी पर दर्शाकर, इसका उल्लेख सर्वेक्षण प्लान में अनिवार्य रूप से कराया जाये। खदान की खनन क्षेत्र एवं प्रतिबंधित क्षेत्र को सीके पर स्थितिज विवरण से सीमांकन कराकर, प्लान पर प्राप्त किया जाए।
4. प्रस्तावित स्थल की निकटतम पुल, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति नली की दूरी बाधक जानकारी प्रस्तुत की जाए। पुल / एनीकट की दूरी खदान की अपस्ट्रीम में न्यूनतम 500 मीटर तथा डाउनस्ट्रीम में न्यूनतम 200 मीटर तथा जल आवरणक है। यदि क्षेत्र क्षेत्र उपरोक्तानुसार दूरी के अंतर किया हो, तो उपरोक्त खदान पर खनन हेतु प्रतिबंधित क्षेत्र को उपरोक्तानुसार नदी पर विन्डिल कर, उल्लेख सीके पर सीमांकन तथा सर्वेक्षण प्लान में इस बाधक उल्लेख किया जाए।
5. प्लॉट आकारण हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्गभाग में उपलब्ध प्लॉट की नोटाई खनने की लिए, प्रति टेम्परीरी में कम से कम एक गड्ढा (Pit) उल्लेखित उपरोक्तानुसार नोटाई का साधन कर, स्थितिज विवरण में उपरोक्त जानकारी प्रस्तुत की जाए। प्लॉट की उपरोक्तानुसार गड्ढा हेतु उल्लेखनीय भी प्रस्तुत किया जाये।
6. यदि प्लॉट में अतिरिक्त स्थल पर खनन हेतु बाधक कर सर्वेक्षण उपरोक्तानुसार निर्धारित प्रतिबंधित (एन.ई.आई.ए.ए.) उपरोक्तानुसार खनन विरल करके प्रतिबंधित उपरोक्तानुसार निर्धारित प्रतिबंधित (डी.ई.आई.ए.ए.) उपरोक्तानुसार द्वारा सर्वेक्षणनीय सीमांत की गई हो, तो प्लॉट में उक्तानुसार प्रतिबंधित सीमांत की प्रति एवं अतिरिक्त बाधक के साधन में भी सर्वेक्षणनीय की जानकारी फोटोग्राफ सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही उपरोक्तानुसार की खदान निर्देश की जानकारी फोटोग्राफ सहित प्रस्तुत की जाए।

1. यदि जमान पूर्व से संबंधित है, तो विगत वर्षों में किए गए कार्रवायों की वार्षिक राशियाँ (वित्तीय वर्ष) की जानकारी वार्षिक विवरण से उपलब्ध करा कर प्रस्तुत की जाए।
2. सी.ई.ओ. (Corporate Environmental Responsibility) हेतु विस्तृत जमान पूर्व विवरण को साथ प्रस्तुत किया जाए।
3. यदि निरीक्षण एवं परियोजना कार्यालय को जमान में वेतन की (वेतन लेआउट) लेने वाले कर्मियों (Employees) की राशियाँ उपरोक्त समस्त सुसंघत जानकारी / दस्तावेज (जमान कोटेशन) सहित प्रस्तुतकरण दिने जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

उपरोक्त परियोजना कार्यालय को एन.ई.ए.सी., कलकत्ता के एक एवं ई-वेतन जमान विवरण 09/04/2021 एवं 27/04/2021 द्वारा प्रस्तुतकरण हेतु सूचित किया गया।

(ख) समिति की 2021वीं बैठक दिनांक 01/05/2021

प्रस्तुतकरण हेतु भी सहित जारी, अधिलेख परिशिष्ट विविध सामंजसिक को जमान से उपलब्ध हुए। समिति द्वारा जारी, प्रस्तुत जानकारी का उपयोग एवं परीक्षण करने का निम्न विधि चर्चा हुई—

1. धान पंचायत का अनाजित प्रथम वर्ष — वेतन जमान से संबंध में धान पंचायत समिति का दिनांक 22/08/2019 का अनाजित प्रथम वर्ष प्रस्तुत किया गया है।
2. विन्यासित/सीमांकित — कार्यलय कलेक्टर, वार्षिक राशियाँ से जमान जमान वर्ष अनुसार यह जमान विन्यासित/सीमांकित कर प्रेषित है।
3. पर्यवेक्षण योजना — राष्ट्रीय पंचायत प्रस्तुत किया गया है, जो वार्षिक अधिकांश, जिला-वैशेषिक से जमान जमान/208/वर्षिक/2021, जिला-वैशेषिक दिनांक 11/02/2021 द्वारा अनुमोदित है।
4. 500 बीटर की परिधि में स्थित जमान — कार्यलय कलेक्टर (वार्षिक राशियाँ), जिला-वैशेषिक से जमान जमान/207/वर्षिक/न.क.10/2021, वैशेषिक दिनांक 08/02/2021 को अनुसार अधिलेख जमान से 500 बीटर की परिधि अधिलेख अन्य वेतन जमानों की राशियाँ निकल है।
5. 200 बीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं — कार्यलय कलेक्टर (वार्षिक राशियाँ), जिला-वैशेषिक से जमान जमान/205/वर्षिक/न.क.10/2021, वैशेषिक दिनांक 08/02/2021 द्वारा जारी जमान वर्ष अनुसार प्रथम जमान की 200 बीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे पुल, बांध, एन.ई.ए.सी., नदी, नहर, नहर, राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अन्य जमानों की अधिलेखित क्षेत्र निर्दिष्ट नहीं है।
6. एन.ई.ए.सी. का विवरण — एन.ई.ए.सी. की जमान विविधों को जमान वा है, जो कार्यलय कलेक्टर (वार्षिक राशियाँ), जिला-वैशेषिक से जमान जमान/1000/बी.ए.सी./दि.जी./न.क.10/2020, वैशेषिक दिनांक 28/11/2020 द्वारा जारी की गई, विवरण अधिलेख 6 पत्र हेतु वा है।
7. सिस्टीमट सर्वे रिपोर्ट — वर्ष 2019 की सिस्टीमट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

18/01/21





8. वन विभाग का आवंटित प्रमाण पत्र - कार्यालय जलसंधारणविभागी, सुरजपुर जलप्रपात, जिला-सुरजपुर से प्रमाण प्रमाण/संधि/सू332 सुरजपुर, दिनांक 08/12/2018 से जारी आवंटित प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
9. महासूत्र संरचनाओं की दूरी - निचरतम आवादी घाट-सेना 4 कि.मी, सहाय घाट-सेना 1 कि.मी एवं अग्रतम सुरजपुर 4.8 कि.मी की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 58 कि.मी, एवं राज्यमार्ग 13 कि.मी दूर है। खीड़त से खदान की 1 कि.मी की दूरी एक एंजिनट स्थित नहीं है। एक पूरा खदान से 300 मीटर की दूरी पर आरमस्टीम से स्थित है।
10. पारिस्थितिकीय/जीववैविध्यता संवेदनशील क्षेत्र - परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी की सीमा में आंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय खदान, अन्तर्राज्य, केन्द्रीय प्रमुख निर्माण क्षेत्र द्वारा स्थित जिल्लाकी खीड़तुटेय सुरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र का स्थित जीववैविध्यता क्षेत्र स्थित नहीं होने प्रमाणित किया है।
11. खदान स्थल पर नदी के घाट की चौड़ाई एवं खदान की नदी तट की दूरी - आरेख अनुसार खदान स्थल पर नदी के घाट की चौड़ाई - अतिरिक्त 188 मीटर, न्यूनतम 135 मीटर तथा खदान स्थल की चौड़ाई - अतिरिक्त 890 मीटर, न्यूनतम 582 मीटर एवं चौड़ाई - अतिरिक्त 70 मीटर, न्यूनतम 50 मीटर चौड़ाई गई है। खदान की नदी तट के किनारे से दूरी अतिरिक्त 28 मीटर, न्यूनतम 8 मीटर है, जबकि इसकी नदी तट से न्यूनतम दूरी 2.5 मीटर अन्त नदी के घाट की चौड़ाई का 10 प्रतिशत होता चाहिए।
12. खदान स्थल पर रेत की चौड़ाई - आरेख अनुसार खदान पर रेत की चौड़ाई- 2 मीटर तथा रेत खदान की अन्तर्गत चौड़ाई - 2 मीटर चौड़ाई नहीं है। अनुसंधित भूमिगत स्थान अनुसार खदान में सड़नेवाला रेत की मात्रा - 25,800 घनमीटर है। रेत प्रत्येक हेतु प्रस्तावित खदान का खनिज में प्रस्तावित रेत स्थल की चौड़ाई खानने के लिए अन्तर्गत खदान पर 4 मीटर 2500 खनिज प्रस्तावित प्रस्तावित चौड़ाई का प्रमाण एवं खनिज विभाग से प्रमाणित प्रमाणकारी प्रस्ताव की गई है। इसके अनुसार रेत की प्रस्तावित खदान चौड़ाई 2.38 मीटर है। रेत की प्रस्तावित चौड़ाई हेतु प्रस्तावित खदान की अनुसार अन्तर्गत खदान का खनिज में रेत की प्रस्तावित खदान चौड़ाई 2.38 मीटर है। प्रस्तावित खदान से यह स्पष्ट नहीं हो रहा है कि प्रस्तावित खदान में 2.38 मीटर चौड़ाई के रेत रेत की प्रस्तावित है अन्तर्गत खदान इस संख्या में स्थिति स्पष्ट किया जाना आवश्यक है।
13. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण- इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।
14. खदान क्षेत्र में रेत संचयन के लेखांक - रेत प्रस्तावित हेतु प्रस्तावित खदान एवं अन्तर्गत खदान के जारी राज्य में 100 मीटर की दूरी तक, 28 मीटर मुखा 28 मीटर की विधि सिन्धुजी का दिनांक 22/02/2021 को रेत संचयन के खनिज प्रमाण 2,80,000 टन, एवं खनिज विभाग से अन्तर्गत खदान प्रस्तावित खनिज प्रमाणकारी/प्रस्तावित प्रस्तावित किया गया है।
15. औपचारिक पर्यावरणीय जांचिका (E.I.A.) - परियोजना प्रस्तावक द्वारा अन्तर्गत खदान स्थल से सभी प्रस्तावित खदान प्रस्ताव प्रस्तावित किया गया है-

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
42.1	2%	0.84	Following activities at Nearby Government Primary School Village- Namadgiri	
			Rain Water Harvesting System	0.40
			Running water facility for Toilets	0.20
			Plantation	0.24
Total			0.84	

18. **बैंग नहराईनिंग क्षेत्र** - नदी के घाट की लंबाई करिबतः 100 मीटर, गूथान 120 मीटर है। जबकि खदान नदी घाट के किनारे से दूरी करिबतः 25 मीटर, गूथान 30 मीटर है। नदी किनारे निर्देशों के अनुसार नदी घाट के गूथान 1.8 मीटर ऊपर नदी के घाट की लंबाई का 10 प्रतिशत दूरी तक के क्षेत्र में खदान नहराई किया जा सकता है। नहराईनिंग गूथान की अनुसार नदी घाट के किनारे से खदान क्षेत्र की दूरी नदी के घाट की लंबाई का 10 प्रतिशत दूरी लंबाई तक खदान किया जाना प्रस्तावित है, जिसमें 2.174 वर्गमीटर बैंग नहराईनिंग क्षेत्र तथा 0.67 है। खान से खदान का कार्य खदान की क्षमता 3.78 टन/दिन क्षेत्र में किया जाना प्रस्तावित है।

समिति द्वारा खदान कार्यसमाप्ति से निम्नानुसार निर्णय किया गया था:-

1. खनिजोत्पन्न प्रस्तावक को प्रस्तावित खदान पर खनिज में बैंग रोक (Belt Rock) को खान उपस्थित बैंग की लंबाई सेकी जानकारी (समस्या खनिज) प्रस्तुत किया जाने हेतु निर्देशित किया जाय।
2. सीईआर, (Corporate Environment Responsibility) हेतु विस्तृत प्रस्ताव पूर्ण विवरण के साथ प्रस्तुत किया जाय।
3. खनिजोत्पन्न प्रस्तावक को खनिज जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत किया जाने हेतु निर्देशित किया जाय।

सदस्यता एम.ई.ए.सी. कार्यसमाप्त 30वीं बैठक दिनांक 01/06/2021 को सचिव में खनिजोत्पन्न प्रस्तावक द्वारा जानकारी / दस्तावेज दिनांक 01/06/2021 को प्रस्तुत किया गया है।

[स] समिति की 37वीं बैठक दिनांक 01/06/2021

समिति द्वारा सारी, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने का निम्न निर्णय किया गया है:-

1. बैंग खदान हेतु प्रस्तावित खदान पर खनिज में प्रस्तावक बैंग लाना की लंबाई खानने के लिए प्रस्तावित खदान पर 4 मीटर (1300) खनिज लाना की क्षमता लंबाई का गूथान एवं खदानमा खनिज खनिज विवरण से प्रस्तावित जानकारी प्रस्तुत की गई है। इसकी अनुसार बैंग की लंबाई 2.8 मीटर है।







2. **सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) की विस्तृत प्रस्ताव पूर्ण विवरण के साथ प्रस्तुत किया गया है।**

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
43.14	2%	0.86	Following activities at Nearby Government Primary School, Village- Namadgin	
			Rain Water Harvesting System	0.40
			Flushing water facility for Toilets	0.25
			Purification	0.21
Total			0.86	

1. यह व्यवधान मैग्नेट रिटि की पूर्व खाई का खाई लीजल द्वारा कलसा जला प्रदायित है।
4. परियोजना प्रभावक द्वारा 2 मीटर की गहराई तक व्यवधान की अनुमति नहीं है। अनुमोदित व्यवधान योजना में व्यवधान किए जाने वाले क्षेत्र की सर्वाधिक वेग पुनर्भरण संबंधी अध्ययन कार्य एवं तात्काली आवासी का समायोजन नहीं किया गया है। वेग नहीं छोटी गयी है तथा इससे वर्षाकाल में सास-व्यास 1 मीटर गहराई में अधिक वेग का पुनर्भरण होने की संभावना है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरान्त सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया-

1. सर्वोदित खदान (ग्राम-नमदगिन) का लम्बा 4 हेक्टेयर है। खदान की सीमा के 300 मीटर की दूरी में सीढ़ल/संयोजित खदानों का कुल क्षेत्रफल 8 हेक्टेयर का उससे कम होने के कारण यह खदान की-2 क्षेत्रों की समीचीनी।
2. **पुनरावीकरण कार्य** - प्रामाणिकता से खदान का गयी लट पर कुल 2,000 मग पानी - 1,000 मग अनुभूत से पानी तथा शेष 1,000 मग (जायतु, कलाह, बाल, जाम जदि) पानी जमाए जायेगे। इसके अतिरिक्त पट्टेब कार्य पर 1,000 मग पानी जमाए जायेगे।
3. परियोजना प्रभावक को खदान क्षेत्र में आवासी 1.5 वर्ष में विस्तृत गाय अध्ययन (Mitigation Study) करायेंगे, ताकि वेग की पुनर्भरण (Replenishment) यथा गयी आवासी, वेग व्यवधान का गयी, नदीकाल, सर्वोदित व्यवधान, लीजल एवं कुल लीजल पर प्रभाव तथा गयी की दायी की गुणवत्ता पर वेग व्यवधान के प्रभाव की गयी जायसकरी द्वारा हो गयी।
4. **लीजल क्षेत्र की सास का मैसलरईन जाल** -
 1. वेग खनन उपरान्त यानतून की पूर्व (गुई) मरु की अतिम सासल/जून की प्रथम जालतु) इसके विरुद्वि विरुद्वि लीजल क्षेत्र तथा लीजल क्षेत्र के अन्तर्गत एवं अन्तर्गत में 100 मीटर तक तथा यानतु लीजल की सास /

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

सभी तट (टॉपी अंदरू) में 100 मीटर तक की क्षेत्र में सभी बालू की सतह (Levels) का सर्वे पूर्ण निर्धारित विच विन्दुओं पर किया जाएगा।

ii. इसी प्रकार मालखुन की बाय (असदूर/बायका) तट में तट उत्खनन कार्य करने की पूर्ण इसी विच विन्दुओं पर तट बालू की लेवल्स (Levels) का सर्वे किया जाएगा।

iii. तट बालू की पूर्ण निर्धारित विच विन्दुओं पर तट बालू की लेवल्स (Levels) की सर्वे का कार्य आगामी 3 वर्ष तक निर्धार किया जाएगा। पीएच-मालखुन की आगामी दिनांक 2021, 2022, 2023 एवं पी-मालखुन की आगामी आगामी 2021, 2022, 2023 तक अनिवार्य रूप से एमईआइएए, समीक्षण की प्रस्तुत किए जाएंगे।

5. समिति द्वारा विचार किये गए प्रस्ताव सर्वसम्मति से श्री ज्योतिर सिद्धिकी, एल-1, नमदगिरी, रोपड़ गाईन, कार्या क्रमांक 529, ग्राम-नमदगिरी, तहसील व जिला-सुरजपुर, कुल लीज क्षेत्रफल 4 हेक्टेयर में से गैर माइनिंग क्षेत्र 2.124 वर्गमीटर क्षेत्र कम करने 1.78 हेक्टेयर क्षेत्र में, तट उत्खनन अधिकतम 0.8 मीटर की गहराई तक सीमित रखते हुए, कुल 22,800 घनमीटर प्रतिवर्ष तट उत्खनन हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जारी दिनांक से 02 वर्ष तक की अवधि हेतु दिये जाने की अनुमति की गई। तट की खुदाई बचियाँ द्वारा (Manually) की जाएगी। विना बेट (River Bed) में भारी यंत्रों का प्रयोग प्रतिबंधित होगा। लीज क्षेत्र में किया गया खुदाई गड़हें (Excavations) में अतिरिक्त पाईट तक तट का परिवहन ट्रैक्टर द्वारा किया जाएगा।

6. गैर माइनिंग क्षेत्र एवं आवाँच माइनिंग क्षेत्र का सीमा एवं खनिज विभाग से सशुभ समझौता करने की प्रस्ताव ही खनिज विभाग द्वारा उत्खनन की अनुमति दी जाएगी।


प्रतिक्रमण द्वारा बैठक में विचार - उपरोक्त प्रस्ताव पर प्रतिक्रमण की दिनांक 24/08/2021 को संपन्न 11वीं बैठक में विचार किया गया। प्रतिक्रमण द्वारा माली का अवरोधन किया गया। विचार किये गए प्रस्ताव प्रतिक्रमण द्वारा सर्वसम्मति से समिति की अनुमति की स्वीकार करते हुए श्री ज्योतिर सिद्धिकी, एल-1, नमदगिरी रोपड़ गाईन, कार्या क्रमांक 529, ग्राम-नमदगिरी, तहसील व जिला-सुरजपुर, कुल लीज क्षेत्रफल 4 हेक्टेयर में से गैर माइनिंग क्षेत्र 2.124 वर्गमीटर क्षेत्र कम करने 1.78 हेक्टेयर क्षेत्र में, तट उत्खनन अधिकतम 0.8 मीटर की गहराई तक सीमित रखते हुए, कुल 22,800 घनमीटर प्रतिवर्ष तट उत्खनन हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति, जारी दिनांक से 02 वर्ष तक की अवधि हेतु दिये जाने का निर्णय लिया गया।

परिष्कारणा प्रस्तावक को पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किया जाए।

28. पंचायत की ज्योतिर सिद्धिकी (एल-2, नमदगिरी रोपड़ गाईन), ग्राम-नमदगिरी, तहसील व जिला-सुरजपुर (संविधान संख्या 1587)

अनिवार्य आवेदन - प्रपोजल नम्बर - एमआईए / पीसी / एमआईएन / 158437 / 2021, दिनांक 28/02/2021।

प्रस्ताव का विवरण - यह प्रस्तावित तट उत्खनन (गैर खनिज) है। यह उत्खनन ग्राम-नमदगिरी, तहसील व जिला-सुरजपुर जिला कार्या क्रमांक 529, कुल क्षेत्रफल 4 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। उत्खनन गहराई 0.8 मीटर तक सीमित रहेगी। उत्खनन की अधिकतम अवधि - 22,800 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

बैठकों का विवरण -

(अ) समिति की 36वीं बैठक दिनांक 01/03/2021

समिति द्वारा प्रचलन की गयी एवं अनुसूचित जात/जाति का परीक्षण तथा वास्तविक कार्यक्षमता से निष्पत्तिसार निर्णय किया गया था:-

1. प्रस्तावित खनन क्षेत्र की चौड़ाई एवं गौराई तथा नदी के किनारे की चौड़ाई की जानकारी अनुसूचित की जाए।
2. वेतन व्यवस्था हेतु प्रस्तावित स्थल एवं प्रस्तावित स्थल की अपस्ट्रीम तथा डाउनस्ट्रीम में 100 मीटर की दूरी तक, 25 मीटर गुला 25 मीटर का सिंचन बन्दबान, बरिसाल में वेतन बंधन के तहत (Levee) सिंचन सिंचन में प्रस्तावित कर अनुसूचित किन्हीं जातों। इसके अतिरिक्त खनन क्षेत्र को बाहर / नदी तट (टांगी ओर) से 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी किनारे के छतरी (Levee) का भी सर्वे किया जाये। उक्त लेवल (Levee) हेतु कम से कम 2 टेंपलरी वेतन मार्ग (Contracted TBM structure) निर्धारित किन्हीं जातों। टेंपलरी वेतन मार्ग (TBM) में आयुष्म, को-ऑर्डिनेट (Co-ordinates) अंकित किन्हीं जातों। सिंचन में से टेंपलरी वेतन मार्ग (TBM) को भी टर्नाकर, उन्हें समित्त विभाग से अनुसूचित जातों परीक्षात्मक सही जानकारी/दस्तावेज अनुसूचित किन्हीं जातों।
3. मरिदात से खदान की सीमा की दूरी न्यूनतम 1.5 मीटर या नदी के किनारे की चौड़ाई का 50 प्रतिशत (तो भी अधिक हो) रखी जानी है। यदि इसके अनुसार खदान से कुछ क्षेत्र में खदान किया जाया संभव न हो तो उसकी गणना कर, नदी पर टर्नाकर, इसका उचित भाट्टीनिम प्लान में अंकित कर लेना जाये। खदान के खनन क्षेत्र एवं प्रतिबंधित क्षेत्र की सीमा पर समित्त विभाग से सीमांकन कराकर, प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाए।
4. प्रस्तावित स्थल से निकलाना पुल, बांध, एनीकट एवं जल संचयन नदी की दूरी बांध/खान/प्रस्तावित की जाए। पुल / एनीकट की दूरी खदान से अपस्ट्रीम में न्यूनतम 500 मीटर तथा डाउनस्ट्रीम में न्यूनतम 250 मीटर तथा जला संचयन है। यदि सीमा क्षेत्र उपरोक्तानुसार दूरी से खान निकल हो, तो उपरोक्त अंतर पर खान हेतु प्रतिबंधित क्षेत्र को उपरोक्तानुसार नदी पर निर्मित कर, प्रस्ताव पत्रों पर सीमांकन तथा भाट्टीनिम प्लान में इस बांध/उत्प्रेषण किया जाए।
5. वेतन व्यवस्था हेतु प्रस्तावित स्थल पर बरिसाल में उपलब्ध वेत की चौड़ाई जानने के लिए, प्रति टेंपलरी में कम से कम एक गहरा (गुला) खोदकर उसकी वास्तविक गहराई का मापन कर, समित्त विभाग से उपरिक्त जानकारी प्रस्तुत की जाए। वेत की वास्तविक गहराई हेतु पंचगणना से अनुसूचित किया जाये।
6. यदि पूर्व में आवेदिता स्थल पर खनन हेतु राज्य सरकार पर्यवेक्षण समित्तगत निर्देश अतिरिक्त (एन.ई.आई.ए.ए.), जलीयगढ़ अथवा किता नदी पर पर्यवेक्षण समित्तगत निर्देश प्रतीक्षण (सी.ई.आई.ए.ए.), जलीयगढ़ द्वारा पर्यवेक्षण समित्तगत की गई हो, तो पूर्व में जारी पर्यवेक्षण समित्तगत की प्रति एवं अतिरिक्त जारी के प्रमाण में जो गई कार्रवाही की जानकारी परीक्षात्मक सही अनुसूचित की जाए। साथ ही पंचगणना की अंतरात्त सिद्धि की जानकारी परीक्षात्मक सही अनुसूचित की जाए।
7. यदि खदान पूर्व से संचालित है, तो सिमात् वर्ष में सिंचन पर प्रचलन की वास्तविक गहरा (सिंचन गहरा) की जानकारी समित्त विभाग से उपरिक्त करा कर अनुसूचित की जाए।
8. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु सिंचन प्रस्ताव पूर्व विभाग से लेना अनुसूचित किया जाए।

6. ध्वनि विहितक एवं परिचालन प्रस्तावक को खदान में रेत की लेवल्स (Levels) लेने वाले सर्वेयर (Surveyor) को काम कारवाही अथवा सुसंगत जानकारी / दस्तावेज (अथवा अन्य दस्तावेज) सहित प्रस्तुत करना दिखे जाने हेतु निर्दिष्ट किया जाए।

अनुसूचित परिचालन प्रस्तावक को एच.ई.ए.सी., असीएमए के पत्र एवं ई-मेल अथवा दिनांक 08/04/2021 एवं 27/04/2021 द्वारा प्रस्तुत करना हेतु सुनिश्चित किया गया।

(ब) समिति की 365वीं बैठक दिनांक 01/05/2021:

प्रस्तुत प्रस्तावक को संबंधित सभी आवश्यक प्रतिक्रिया दिखाने का निर्देशन के तहत ही उपस्थित हुए। समिति द्वारा सभी प्रस्ताव जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने का निम्न स्थिति पाई गई—

1. धान पंचायत का अनापीठ प्रमाण पत्र — धान पंचायत को खदान में धान पंचायत समिति का दिनांक 30/07/2019 का अनापीठ प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. विन्यासित/सीमांकित — कार्यलय असेक्टर, धनियल बाजार से धान प्रमाण पत्र अनुसार धान खदान विन्यासित/सीमांकित कर भीषित है।
3. उपखनन योजना — धनियल खान प्रस्तुत किया गया है, जो धनि अतिवारी, जिला-सीमा से धान अनांक/230/धनियल/2021, धनियल बसुनपुर, दिनांक 11/02/2021 द्वारा अनुमोदित है।
4. 600 मीटर की परिधि में निम्न खदान — कार्यलय असेक्टर (धनियल बाजार), जिला-सुरजपुर से धान अनांक/234/धनि/प.क.11/2021 सुरजपुर, दिनांक 08/02/2021 से अनुमोदित अथवा खदान से 600 मीटर की परिधि अथवा अन्य भीषण की संख्या निकल है।
5. 200 मीटर की परिधि में निम्न सार्वजनिक क्षेत्र/भंडारणा — कार्यलय असेक्टर (धनियल बाजार), जिला-सुरजपुर से धान अनांक/202/धनि/प.क.11/2021 सुरजपुर, दिनांक 08/02/2021 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार धान खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे दुग्ध, बाघ, एरिक्टर, मंदिर, अतिवारी, मत्त, राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अन्य अतृप्त अति प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।
6. एच.ई.ए.सी. का विवरण — एच.ई.ए.सी. की असीएमए रिपोर्ट की तम पर है, जो कार्यलय असेक्टर (धनियल बाजार), जिला-सुरजपुर से धान अनांक/1087/सी.सी./दि.सी./प.क.11/2020 सुरजपुर, दिनांक 28/11/2020 द्वारा जारी की गई, जिसकी अति 8 पत्र हेतु किया है।
7. डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट — वर्ष 2018 की डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
8. धान विभाग का अनापीठ प्रमाण पत्र — कार्यलय असेक्टर/धनियल बाजार, सुरजपुर असेक्टर, जिला-सुरजपुर से धान अनांक/धनि/2011 सुरजपुर, दिनांक 23/11/2018 से जारी अनापीठ प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
9. पहाड़पूर्ण भंडारणा की दूरी — निम्न खान अथवा धान-सीमा 1 कि.मी. अनुमोदित धान-सीमा 1 कि.मी. एवं अनापीठ सुरजपुर 4.5 कि.मी. की दूरी पर स्थित



है। राष्ट्रीय राजमार्ग 18 कि.मी. एवं राजमार्ग 13 कि.मी. दूर है। सीकुरा से सड़क से 1 कि.मी. की दूरी तक पुल/परीवहन स्थल नहीं है।

10. **परिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परिशोधन प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की दूरी में अंतर्राष्ट्रीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, संरक्षित प्रकृत्य विरासत क्षेत्र द्वारा शामिल किए गए सभी पॉन्गुटेड एरिया, परिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या संरक्षित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होने परिलक्षित किया है।
11. **खनिज स्थल या नदी की घाट की सीढ़ाई एवं खदान की नदी तट से दूरी** – आवेदन अनुसार खनिज स्थल या नदी की घाट की सीढ़ाई – अधिकतम 200 मीटर, न्यूनतम 100 मीटर तथा खनिज स्थल की सीढ़ाई – अधिकतम 470 मीटर, न्यूनतम 200 मीटर एवं सीढ़ाई – अधिकतम 33 मीटर, न्यूनतम 00 मीटर दर्शाई गई है। खदान की नदी तट से किनारे से दूरी अधिकतम 33 मीटर, न्यूनतम 00 मीटर है, जबकि इसकी नदी तट से न्यूनतम दूरी 7.5 मीटर अथवा नदी के घाट की सीढ़ाई का 10 प्रतिशत होना चाहिए।
12. **खदान स्थल पर सेत की सीढ़ाई** – आवेदन अनुसार खनिज पर सेत की महत्त्व – 3 मीटर तथा सेत खनिज पर स्थापित महत्त्व – 2 मीटर दर्शाई गई है। अनुशंसित पर्यावरण मान अनुसार खदान में मॉडरेट सेत की मात्रा – 77.528 घनमीटर है। सेत उपखनन हेतु स्थापित खनिज पर वर्तमान में उपलब्ध सेत खनिज की सीढ़ाई जानने के लिए स्थापित खनिज पर 4 महत्त्व (500) अधिकतम इसकी वार्षिक महत्त्व का मापन कर, खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की गई है। इसकी अनुसार सेत की उपलब्ध जीवन सीढ़ाई 2.52 घनमीटर है। सेत की वार्षिक महत्त्व हेतु प्रस्ताव उपखनन के अनुसार स्थापित खनिज पर वर्तमान में सेत की उपलब्ध जीवन सीढ़ाई 2.52 घनमीटर है। उक्त उपखनन से यह स्पष्ट नहीं हो रहा है कि उपखनन क्षेत्र में 2.52 घनमीटर महत्त्व की सीढ़ाई सेत की उपलब्धता है अथवा नहीं? अतः इस संबंध में विधि स्पष्ट किया जाना आवश्यक है।
13. **दूरी में जमीन सार्वजनिक स्वीकृति संबंधी विवरण** – इस खदान की दूरी में सार्वजनिक स्वीकृति जमीन नहीं की गई है।
14. **खदान क्षेत्र में सेत सतह की संरक्षण** – सेत उपखनन हेतु स्थापित खनिज एवं स्थापित खनिज के घाटो क्षेत्र में 100 मीटर की दूरी तक, 20 मीटर गुना 20 मीटर की छिद्र किण्वुड़ी पर दिनांक 22/02/2021 की सेत सतह के संरक्षण योजना (Scheme) लेकर, जमीन खनिज विभाग से स्वीकृत/अनुमति प्राप्त होना चाहिए जानकारी/संरक्षण प्रस्तुत किया जाने है।
15. **सीपीएड सार्वजनिक मामलों (C.P.A.D.)** – परिशोधन प्रस्तावक द्वारा समिति के सार्वजनिक से सभी उपरोक्त किण्वुण्डल प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है –

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

42.14	2%	0.88	Following activities at Nearby Government Middle School Village- Nemaigin	
			Rain Water Harvesting System	0.70
			Running water facility for Toilets	0.18
			Total	0.88

18. **गैर सड़किय क्षेत्र** - नदी के घाट की चौड़ाई अप्रिमियम 200 मीटर, गूनाम 100 मीटर है, जबकि खदान नदी तट के किनारे से पूरी अप्रिमियम 50 मीटर, गूनाम 10 मीटर है। नदी किना निदेशों के अनुसार नदी तट से गूनाम 2.5 मीटर जम्मा नदी के घाट की चौड़ाई का 10 अप्रिमियम पूरी एक के क्षेत्र में खनन नहीं किया जा सकता। सड़किय क्षेत्र के अनुसार नदी तट के किनारे से खनन क्षेत्र की पूरी नदी के घाट की चौड़ाई का 10 अप्रिमियम पूरी खोजकर खनन किया जाना प्रस्तावित है, जिसने 1,000 वर्गमीटर गैर सड़किय क्षेत्र रखा गया है। अब गैर खनन का कार्य खदान के असीम 3.00 हेक्टेयर क्षेत्र में किया जाना प्रस्तावित है।

समिति द्वारा तात्काल्य सर्वसम्पत्ति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:-

- परिचालन प्रस्तावक को प्रस्तावित खान पर वाणिज्य में बंध रोक (Bed Rock) को खनन अप्रिमियम गैर की मोटाई सबसे जम्मा (खनन सहित) अनुमत किया जाने हेतु निर्दिष्ट किया जाय।
- सीईआर (Corporate Environment Responsibility) हेतु सिंगल अगार पूर्ण विवरण को साथ अनुमत किया जाय।
- परिचालन प्रस्तावक को उपरोक्त जानकारी / प्रस्तावित अनुमत किया जाने हेतु निर्दिष्ट किया जाय।

तदनुसार एम.ई.ए.सी., एन.ए.ए.सी. 300वीं बैठक दिनांक 01/08/2021 को परिषद में परिचालन प्रस्तावक द्वारा जानकारी / प्रस्तावित दिनांक 01/08/2021 को अनुमत किया गया है।

(ग) समिति की 324वीं बैठक दिनांक 01/08/2021:-

समिति द्वारा नदी, अनुमत जानकारी का अप्रिमियम एवं परीक्षण करने का निम्न स्थिति पाई गई:-

- गैर खनन हेतु प्रस्तावित खान पर वाणिज्य में उपरोक्त गैर खान की मोटाई खनने के लिए प्रस्तावित खान पर 4 मीटर (100) एन.ए.सी. 300वीं बैठक दिनांक 01/08/2021 को खनन कर खनन सहित खनित विवरण को उपरोक्त जानकारी अनुमत की गई है। इसकी अनुसार गैर की मोटाई 2.5 मीटर है।
- सीईआर (Corporate Environment Responsibility) हेतु सिंगल अगार पूर्ण विवरण को साथ अनुमत किया गया है।

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)

43.14	2%	0.68	Following activities at Nearby Government Middle School Village- Namadgi	
			Rain Water Harvesting System	0.70
			Running water facility for Toilets	0.20
			Total	0.90

3. किंतु पर्यावरण मैनुअल विधि से एवं मसई का कार्य जीवन द्वारा कराया जाना प्रस्तावित है।
4. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 2 मीटर की गहराई तक पर्यावरण की अनुमति पायी है। अनुमोदित पर्यावरण योजना में पर्यावरण विज्ञान जाने वाले क्षेत्र की वर्तित किंतु पुनर्वास संबंधी अपराधन कार्य एवं सम्बंधी जानकारी का समावेश नहीं किया गया है। किंतु नदी छोटी नहीं है तथा इसमें वर्षाकाल में सामान्यतः 1 मीटर गहराई से अधिक गैर का पुनर्वास होने की संभावना है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपर्युक्त सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया—

1. आवेदित खदान (घाट-नामदगी) का एकमात्र 4 हेक्टर है। खदान की सीमा से 100 मीटर की दूरी में सटीकृत/समावित खदानों का कुल क्षेत्रफल 3 हेक्टर का जलसे कम होने के कारण यह खदान की-2 क्षेत्रों की मानी गयी।
2. **पुनरावीक्षण कार्य** — पर्यावरण की अज्ञान पर नदी तट पर कुल 2,000 म² क्षेत्रों - 1,000 म² जलसे के क्षेत्र तथा क्षेत्र 1,000 म² (जामुन, कपूर, बंस, आम आदि) क्षेत्रों अज्ञान जायेगे। इसके अतिरिक्त पट्टे पर 1,000 म² क्षेत्रों अज्ञान जायेगे।
3. परियोजना प्रस्तावक कि खदान क्षेत्र में आगामी 1.5 वर्ष में विस्तृत गहरे अज्ञान (Detailed Study) करायेगा, ताकि गैर की पुनर्वास (Regeneration) कार्य नहीं आये, किंतु पर्यावरण का नदी, नदीतट, सत-नीच सम्बंधी, जीव एवं कुल क्षेत्रों पर प्रभाव तथा नदी के क्षेत्रों की पुनर्वास पर किंतु पर्यावरण की अज्ञान की सभी जानकारी प्राप्त हो सके।
4. **जीव क्षेत्र की सतह का रेकार्डिंग कार्य** —
 - i. किंतु खदान उपर्युक्त नामदुन के पूर्व (पूर्व) भाग के अतिरिक्त सतह/खदान की अज्ञान सतह/इसी किंतु किंतु में रेकार्डिंग जीव क्षेत्र तथा जीव क्षेत्र के अज्ञान एवं अज्ञानमें 100 मीटर तक तथा खदान जीव क्षेत्र / नदी तट (दीर्घ क्षेत्र) से 100 मीटर तक किंतु क्षेत्र में नदी सतह की सतह (Levels) का सभी पूर्व निर्धारित किंतु किंतु पर किंतु जायेगा।
 - ii. इसी अज्ञान नामदुन के अज्ञान (अज्ञान/अज्ञान) भाग में किंतु पर्यावरण अज्ञान करने के पूर्व) इसी किंतु किंतु पर किंतु सतह की सतह (Levels) का अज्ञान किंतु जायेगा।
 - iii. किंतु सतह की पूर्व निर्धारित किंतु किंतु पर किंतु सतह की सतह (Levels) के अज्ञान का कार्य आगामी 3 वर्ष तक विस्तृत किंतु जायेगा। जीव-नामदुन के अज्ञान विस्तार 2021, 2022, 2023 एवं जी-नामदुन के अज्ञान अज्ञान 2021, 2022, 2023 तक अज्ञान किंतु किंतु किंतु एन.डी.आई.ए.ए. पर्यावरण की अज्ञान किंतु जायेगे।

3. समिति द्वारा विचार किया गया कि सर्वसम्मति से श्री जमील सिद्दिकी, एल-2, नमदगिरी रोड गाईन, खसरा क्रमांक 728, ग्राम-नमदगिरी, तहसील व जिला-सुरजपुर, कुल लीज क्षेत्रफल 4 हेक्टेयर में से गैर सड़किये क्षेत्र 1.037 हेक्टेयर क्षेत्र कम करने 3.88 हेक्टेयर क्षेत्र में, गैर आवासीय अधिकतम 5.8 मीटर की गहराई तक सीमित गहरी कुएँ, कुल 18,400 घनमीटर प्रतिवर्ष गैर आवासीय हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति, जारी दिनांक से 62 वर्ष तक की अवधि हेतु दिने जाने की अनुमति की गई। गैर की कुहराई समिति द्वारा (Mansabiy) की जाएगी। रिक्त पैड (River Bed) में गहरी गहराई का अवकाश प्रतिबंधित होगा। लीज क्षेत्र में निम्न गैर कुहराई गहराई (Excavation depth) में लॉडिंग प्लॉट तक गैर का परिवहन ट्रेक्टर द्वारा किया जाएगा।
4. गैर सड़किये क्षेत्र एवं अवकाश सड़किये क्षेत्र का लीज पर खनिज विभाग से सफ्ट सीमेंटकम बनाने की अवकाश की खनिज विभाग द्वारा आवासीय की अनुमति दी जाएगी।

प्रतिकूलता द्वारा बैठक में विचार - पर्याप्त प्रस्ताव पर प्रतिकूलता की दिनांक 24/08/2021 को खसरा 1127वीं बैठक में विचार किया गया। प्रतिकूलता द्वारा नसी की अनुमति का अस्वीकार किया गया। विचार किया गया कि प्रतिकूलता द्वारा सर्वसम्मति से समिति की अनुमति की स्वीकार करती हुई श्री जमील सिद्दिकी, एल-2, नमदगिरी रोड गाईन, खसरा क्रमांक 728, ग्राम-नमदगिरी, तहसील व जिला-सुरजपुर, कुल लीज क्षेत्रफल 4 हेक्टेयर में से गैर सड़किये क्षेत्र 1.037 हेक्टेयर क्षेत्र कम करने 3.88 हेक्टेयर क्षेत्र में, गैर आवासीय अधिकतम 5.8 मीटर की गहराई तक सीमित गहरी कुएँ, कुल 18,400 घनमीटर प्रतिवर्ष गैर आवासीय हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति, जारी दिनांक से 62 वर्ष तक की अवधि हेतु दिने जाने का निर्णय लिया गया।

परिपोषण प्रस्तावक को पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किया जाए।

27. नसी श्री जमील सिद्दिकी (एल-2, नमदगिरी रोड गाईन), ग्राम-नमदगिरी, तहसील व जिला-सुरजपुर (सचिवालय का नसी क्रमांक 1588)

ऑनलाइन आवेदन - आवेदन क्रमांक - एमआईए / नसी / एमआईए / 188452 / 2021, दिनांक 23/08/2021।

प्रस्ताव का विवरण - यह प्रस्तावित गैर खसरा (गैर खनिज) है। यह खसरा ग्राम-नमदगिरी, तहसील व जिला-सुरजपुर निम्न खसरा क्रमांक 1202, कुल क्षेत्रफल-3 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। आवासीय गैर नसी से किया गया प्रस्तावित है। खसरा की आवेदन आवासीय क्रमांक - 38,382 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

बैठकों का विवरण -

(अ) समिति की 380वीं बैठक दिनांक 01/03/2021

समिति द्वारा प्रस्ताव की नसी एवं प्रस्तावित खसरा का परीक्षण तथा आवासीय सर्वेक्षण की निम्नानुसार निर्णय किया गया था-

1. प्रस्तावित खसरा क्षेत्र की गहराई एवं सीमाई तक नदी से सड़ की सीमाई की नमदगिरी प्रस्ताव की जाए।
2. गैर आवासीय हेतु प्रस्तावित खसरा एवं प्रस्तावित खसरा की अवसूटिन तक आवासीय में 100 मीटर की दूरी तक, 25 मीटर गुण 25 मीटर का रिड बनाकर, परीक्षण में गैर खसरा के लक्षण Level: रिड रिड में प्रस्तावित खसरा प्रस्ताव दिने जाने। इसके अतिरिक्त खसरा लीज के खसरा / नसी गैर (गैर

सचिव

Lead

सीढ़ी) से 100 मीटर तक की दूरी में नदी तटों की स्तरों (Levels) का भी सर्वे किया जाये। जहाँ जैवमंडल (Levels) हेतु कम से कम 2 टेम्पलेट बेंच मार्क (Consolidated BIM structure) निर्धारित किये जायें। टेम्पलेट बेंच मार्क (TBM) में आसपास, जो-जो निर्माण (Construction) करिये किये जायें। बिना भी 2 टेम्पलेट बेंच मार्क (TBM) को भी पर्याप्त, सभी खनिज विभाग से प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष पर्याप्त फोटोग्राफ सहित जानकारी/वस्तुनिष्ठ प्रमाण किये जायें।

3. नदीतट से खदान की सीमा की दूरी न्यूनतम 1.5 मीटर या नदी के तट की चौड़ाई का 10 प्रतिशत (जो भी अधिक हो) रखी जानी है। यदि इससे अनुप्राण खदान की कुछ क्षेत्र में पर्याप्त स्थान जाना संभव न हो तो उसकी गहिराई कम, नली पर पर्याप्त, इसका उचित माइनिंग प्लान में इतिहासी रूप से करवाया जाये। खदान की खनन क्षेत्र एवं अभिनवित क्षेत्र को लीके पर खनिज विभाग से सौंपाजान करवाकर, प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाए।
4. पर्याप्त स्थान से निकटतम पुर, का, एनिकाट एवं जल आपूर्ति नली की दूरी कमतम जानकारी प्रस्तुत की जाए। पुर /एनिकाट की दूरी खदान की आसपास में न्यूनतम 500 मीटर तथा आसपास में न्यूनतम 250 मीटर रखा जाना अनिवार्य है। यदि जीव क्षेत्र पर्याप्त/अनुप्राण दूरी के अंतर स्थित हो, तो पर्याप्त अंतर पर खनन हेतु प्रतिबंधित क्षेत्र को अंतर/अनुप्राण नली पर खनिज एवं पर्याप्त नली पर सौंपाजान तथा माइनिंग प्लान में इस संबंध उल्लेख किया जाए।
5. वेत उपकरण हेतु पर्याप्त स्थान पर खनन में उपलब्ध वेत की नोटबाई जानने के लिए प्रति संस्करण में कम से कम एक नमूना (थ्रू) पर्याप्त उसकी वास्तविक नमूनाई का मापन कर, खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की जाए। वेत की वास्तविक नमूनाई हेतु पधनामा भी प्रस्तुत किया जाये।
6. यदि पूर्व में आवेदित स्थान पर खनन हेतु राज्य स्तर पर्याप्त/अनुप्राण निर्धारण प्रतिक्रिया (एन.ई.आई.ए.ए.), पर्याप्त/अनुप्राण अंतरा जिला पर्याप्त/अनुप्राण निर्धारण प्रतिक्रिया (सी.ई.आई.ए.ए.), पर्याप्त/अनुप्राण द्वारा पर्याप्त/अनुप्राण स्वीकृति दी गई हो, तो पूर्व में जारी पर्याप्त/अनुप्राण स्वीकृति की प्रति एवं अभिलेखित सर्वे के खनन में जो नई कार्यवाही की जानकारी फोटोग्राफ सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही पर्याप्त/अनुप्राण की खदान स्थिति की जानकारी फोटोग्राफ सहित प्रस्तुत की जाए।
7. यदि खदान पूर्व से संबंधित है, तो स्थान वर्ष में लिए गए पर्याप्त की वास्तविक नमूना (विलीय नदी) की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित जग का प्रस्तुत की जाए।
8. सी.ई.आई. (Corporate Environment Responsibility) हेतु विस्तृत प्रमाण पूर्व विभाग के साथ प्रस्तुत किया जाए।
9. यदि निर्धारण एवं पर्याप्त/अनुप्राण पर्याप्त की खदान में वेत की जैवमंडल (Levels) लेने वाले सर्वेयर (Surveyor) को साथ पर्याप्त/अनुप्राण प्रमाणित जानकारी / वस्तुनिष्ठ (अनुप्राण फोटोग्राफ) सहित प्रत्यक्ष/अनुप्राण दिये जाने हेतु निर्धारण किया जाए।

पर्याप्त/अनुप्राण पर्याप्त/अनुप्राण की एन.ई.आई.सी., पर्याप्त/अनुप्राण की पर एन.ई.-नेत/अनुप्राण दिनांक 08/04/2021 एवं 27/04/2021 द्वारा पर्याप्त/अनुप्राण हेतु सुनिश्चित किया गया।

(ब) सविधि की 385वीं पैराक दिनांक 04/08/2021:

पर्याप्त/अनुप्राण हेतु भी सविधि जारी, अधिकृत प्रतिनिधि निर्दिष्ट पर्याप्त/अनुप्राण के मापन से आवेदित हुए। सविधि द्वारा जारी, प्रमाणित जानकारी का आवेदन एवं पर्याप्त/अनुप्राण पर निम्न स्थिति पाई गई-

1. ग्राम पंचायत का अनामति प्रमाण पत्र — इस प्रमाणन की संख्या में ग्राम पंचायत पंचायतों का दिनांक 22/08/2018 का अनामति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. किन्दाकिन्दा/सीमाकिन्दा — कार्यलय कलेक्टर (अतिरिक्त सहाय) की जांच प्रमाण पत्र अनुसार यह खदान किन्दाकिन्दा/सीमाकिन्दा कम घोषित है।
3. प्रमाणन योजना — राष्ट्रीय स्तर प्रस्तुत किया गया है, जो अतिरिक्त अधिकारी, जिला-सुरजपुर के द्वारा क्रमांक / 208 / अतिरिक्त / 2021, सीमांक संयुक्तपुर-दिनांक 11/02/2021 द्वारा अनुमोदित है।
4. 500 मीटर की परिधि में स्थित खदान — कार्यलय कलेक्टर (अतिरिक्त सहाय), जिला-सुरजपुर के द्वारा क्रमांक / 211 / अतिरिक्त / ग.क.12 / 2021 सुरजपुर, दिनांक 08/02/2021 के अनुसार अधिसूचित खदान में 500 मीटर की सीमा अतिक्रमण अन्य विद्यमान खदानों की संख्या निकल है।
5. 200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं — कार्यलय कलेक्टर (अतिरिक्त सहाय), जिला-सुरजपुर के द्वारा क्रमांक / 209 / अतिरिक्त / ग.क. 12 / 2021 सुरजपुर, दिनांक 08/02/2021 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार खदान के 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे पुल, बांध, एरीकट, मंदिर, मस्जिद, मस्जिद, राष्ट्रीय राजमार्ग एवं जल आपूर्ति अदि अधिसूचित क्षेत्र निर्मित नहीं है।
6. एल.जी.आई. का विवरण — एल.जी.आई. की जमीन सिद्धियों के नाम पर है, जो कार्यलय कलेक्टर (अतिरिक्त सहाय), जिला-सुरजपुर के द्वारा क्रमांक / 1075 / सी.सी. / दि.जी. / ग.क.12 / 2020 सुरजपुर, दिनांक 28/11/2020 द्वारा जारी की गई, जिसकी जमीन 4 मज है।
7. डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट — वर्ष 2018 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की जांच प्रस्तुत की गई है।
8. ग्राम पंचायत का अनामति प्रमाण पत्र — कार्यलय कलेक्टर (अतिरिक्त सहाय), सुरजपुर कलेक्टर, जिला-सुरजपुर के द्वारा क्रमांक / अतिरिक्त / 4400 सुरजपुर, दिनांक 08/12/2018 से जारी अनामति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
9. महापूरण संरचनाओं की दूरी — निकटतम खानगी घान-समस्त 1 कि.मी., स्थूल घान-समस्त 1 कि.मी. एवं अनामति सुरजपुर 4.8 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 68 कि.मी. एवं राजमार्ग 13 कि.मी. दूर है। पुल खदान में 648 मीटर की दूरी पर अनामति में स्थित है। सीकुर रेल खदान की 1 कि.मी. की दूरी तक एरीकट स्थित नहीं है।
10. पारिस्थितिकीय/जैववैविध्यता संवेदनशील क्षेत्र — परियोजना प्रभावक द्वारा 50 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय खदान, अनामति, केन्द्रीय प्रमुख निरक्षण क्षेत्र द्वारा घोषित जैववैविध्यता संवेदनशील क्षेत्र, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैववैविध्यता क्षेत्र स्थित नहीं होने अधिसूचित किया है।
11. खनन स्थल पर नदी के घाट की चौड़ाई एवं खदान की नदी तट से दूरी — अनामति अनुसार खनन स्थल पर नदी के घाट की चौड़ाई — अधिकतम 201 मीटर, न्यूनतम 160 मीटर तथा खनन स्थल की लंबाई — अधिकतम 420 मीटर, न्यूनतम 327 मीटर एवं चौड़ाई — अधिकतम 88 मीटर, न्यूनतम 53 मीटर


11/02/2021



दर्शाई गई है। खदान की नदी तट के किनारे से दूरी अधिकतम 40 मीटर, न्यूनतम 14 मीटर है, जबकि दुधकी नदी तट से न्यूनतम दूरी 7.5 मीटर जबकि नदी से तट की चौड़ाई का 10 प्रतिशत होना चाहिए।

12. खदान स्थल पर रेत की मोटाई - आवेदन अनुसार खदान पर रेत की मोटाई- 3 मीटर तथा रेत खनन की प्रस्तावित मोटाई - 2 मीटर दर्शाई गई है। अनुसंधित सड़किये प्लान अनुसार खदान में सड़किये रेत की मोटाई - 8.50 मीटर है। रेत काखनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत खदान की मोटाई जानने के लिए प्रस्तावित स्थल पर 3 गड्ढे तथा खोदकर उसकी प्रस्तावित मोटाई का मापन कर, सड़किये विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की गई है। इससे अनुमान रेत की उपलब्ध औसत मोटाई 2.62 मीटर है। रेत की प्रस्तावित मोटाई हेतु प्रस्तुत पत्राचार के अनुसार प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में रेत की उपलब्ध औसत मोटाई 2.62 मीटर है। उक्त पत्राचार से यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि उपलब्ध क्षेत्र में 2.62 मीटर मोटाई के नीचे रेत की उपलब्धता है अथवा नहीं? इस संबंध में विधिगत स्पष्ट किया जाना आवश्यक है।
13. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण- इस खदान की पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।
14. खदान क्षेत्र में रेत खनन की अवधि - रेत काखनन हेतु प्रस्तावित स्थल पूर्व प्रस्तावित स्थल के साथ तट पर 100 मीटर की दूरी तक, 24 मीटर गुण 24 मीटर के विच विन्दुओं पर दिनांक 20/02/2021 को रेत खनन की वर्तमान योजना (Layout) तैयार, पूर्ण सड़किये विभाग से प्रमाणिकरण प्राप्त की जा चुकी है।
15. कॉर्पोरेट पर्यावरणीय सड़किये (C.E.R.) - परियोजना प्रस्तावक द्वारा सड़किये के तहत विभाग से सर्वे कराया निम्नानुसार प्रस्तुत प्रस्तुत किया गया है-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
34	2%	0.68	Following activities at nearby Government Panchayat Bhavan, Village- Namadgiri	
			Rain Water Harvesting System	0.56
			Potable Drinking water Facility	0.18
			Running water facility for Toilets	0.20
Total			0.78	

16. रेत सड़किये क्षेत्र - नदी के तट की चौड़ाई अधिकतम 221 मीटर, न्यूनतम 140 मीटर है, जबकि खदान नदी तट के किनारे से दूरी अधिकतम 40 मीटर, न्यूनतम 14 मीटर है। रेत खनन सिद्धांत के अनुसार नदी तट से न्यूनतम 7.5 मीटर जबकि नदी के तट की चौड़ाई का 10 प्रतिशत दूरी तक के क्षेत्र में खनन

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

नदी किनारे का जलवायु; वायुमय धरम की अनुसार नदी काट की किनारे में जलम क्षेत्र की दूरी नदी की घाट की चौड़ाई का 10 प्रतिशत दूरी चौड़ाकर वायवम किनारे जलम प्रसारित है, जिसमें 200 मीटर का नदी किनारे क्षेत्र रखा गया है। काट के लक्षण का कार्य धरम की अनुसार 2.50 इन्टीयर क्षेत्र में किया जाना प्रसारित है।

समिति द्वारा वायवम सर्वेक्षणों में निम्नानुसार निर्णय किया गया था—

1. परियोजना प्रस्तावक को प्रस्तावित खड्ड का वर्तमान में क्षेत्र सीक (Bed Rock) की जलम अवस्थिति का की गहराई संबंधी जानकारी (समावेष्ट सहित) प्रस्तुत किया जाने हेतु निर्दिष्ट किया जाए।
2. सी.ई.आर. (Corporate Environmental Responsibility) हेतु विस्तृत प्रस्ताव पूर्ण विवरण के साथ प्रस्तुत किया जाए।
3. परियोजना प्रस्तावक को जलवायु जानकारी / समावेष्ट प्रस्तुत किया जाने हेतु निर्दिष्ट किया जाए।

समावेष्ट प्रस्तावकी, समीक्षण 268वीं बैठक दिनांक 01/06/2021 को अधिसूचना में परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी/समावेष्ट दिनांक 01/06/2021 को प्रस्तुत किया गया है।

(स) समिति की 378वीं बैठक दिनांक 01/06/2021:

समिति द्वारा नदी, प्रस्तुत जानकारी का समावेष्टन एवं परीक्षण करने का निम्न निर्णय पड़े गये—

1. नदी वायवम हेतु प्रस्तावित खड्ड का वर्तमान में वायवम नदी खड्ड की गहराई जानने के लिए प्रस्तावित खड्ड पर 3 मयूरी (3m) चौड़ाकर खड्ड की वास्तविक गहराई का मापन कर, मापनांक सहित समिति विवरण से प्रस्तुत जानकारी प्रस्तुत की गई है। इसके अनुसार नदी की गहराई 2.5 मीटर है।
2. सी.ई.आर. (Corporate Environmental Responsibility) हेतु विस्तृत प्रस्ताव पूर्ण विवरण के साथ प्रस्तुत किया गया है।
3. नदी वायवम हेतु खड्ड किनारे से एवं गहराई का कार्य खड्ड द्वारा कठोर जलम प्रसारित है।
4. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 2 मीटर की गहराई तक वायवम की अनुमति नहीं है। अनुमोदित वायवम क्षेत्र में वायवम किण्व जाने वाले क्षेत्र की वार्षिक नदी पुनर्भरण संबंधी अध्ययन कार्य एवं समावेष्टी जानकारी का समावेष्ट नहीं किया गया है। नदी नदी छोटी नदी है तथा इसकी वर्तमान में समान-पत्रा 1 मीटर गहराई के अधिका नदी का पुनर्भरण होने की संभावना है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपर्युक्त सर्वेक्षणों में निम्नानुसार निर्णय किया गया—

1. समावेष्ट धरम (घाम-समावेष्ट) का लक्षण 2 इन्टीयर है। धरम की सीमा में 200 मीटर की अधिसूचना में स्वीकृत/समावेष्ट धरमों का कुल क्षेत्रफल 2 इन्टीयर का खड्ड बन होने से जलम यह धरम की-2 क्षेत्रों की नहीं गयी।
2. पुनर्भरण कार्य — समावेष्टन के आधार पर नदी घाट पर कुल 1,500 मी. लंबी — 100 मम आरुण की लंबी तथा क्षेत्र 150 मम (जलम, कठोर, बंध, जल आदि) लंबी समावेष्ट कार्य। इसके अधिसूचित खड्ड कार्य पर 1,200 मम लंबी समावेष्ट कार्य।

3. परिचोपना प्रस्तावक को खदान क्षेत्र में जगहों 1.5 वर्षों में विस्तृत सर्वेक्षण (Detailed Study) करानी है, ताकि वे क्षेत्र में पुनर्वास (Rehabilitation) कार्य करी सकें, वेत प्रकल्पन का नदी, नदीपाल, जलनीय नालवर्षि, जीव एवं वृक्ष जीवों पर प्रभाव तथा नदी को घनी की पुनर्वास का वेत प्रकल्पन के प्रभाव को करी प्रकल्पन करी करी करी।

4. जीव क्षेत्र की सार्व का वेतप्रार्थन सार्व -

- क. वेत प्रकल्पन-प्रकारण नालवृक्ष को पूर्ण (पूर्व) सार्व की जलिन सार्व/वृक्ष को प्रकल्पन सार्व। इन्ही विषय विन्दुओं में सार्वनित जीव क्षेत्र तथा जीव क्षेत्र को सार्वनित एवं सार्वनित में 100 मीटर तक तथा सार्वनित जीव क्षेत्र / नदी तथा (जीवों जीवों) को 100 मीटर तक को क्षेत्र में नदी सार्व को सार्व (Levels) का करी पूर्ण निर्धारित विषय विन्दुओं पर विषय करी।
- ख. इन्ही प्रकल्पन नालवृक्ष को सार्व (अवस्था/सर्वप्रकार सार्व में वेत प्रकल्पन सार्व करी को पूर्ण) इन्ही विषय विन्दुओं पर वेत सार्व को सार्वनित Levels का सार्व विषय करी।
- ग. वेत सार्व को पूर्ण निर्धारित विषय विन्दुओं पर वेत सार्व को सार्वनित Levels को सार्व का करी जगहों 3 वर्ष तक निर्धारित विषय करी। सार्व-नालवृक्ष को सार्वनित विषयन 2021, 2022, 2023 एवं जी-नालवृक्ष को सार्वनित जगह 2021, 2022, 2023 तक निर्धारित सार्व को सार्वनित/सार्व, सार्वनित/सार्व को प्रकल्पन करी करी।

5. सार्वनित द्वारा विषय विषय प्रकल्पन सार्वनित से की जलिन विधिदली, एन-1, सार्वनित सार्व सार्व, सार्वनित 1202, एन-नमदगिरी, सार्वनित व विषय-सुप्रसुप्त, सुप्र जीव क्षेत्रनित 3 क्षेत्रनित में वे वेत सार्वनित क्षेत्र 209 वर्गमीटर क्षेत्र सार्व करी 2.87 क्षेत्रनित क्षेत्र में, वेत प्रकल्पन सार्वनित 2.8 मीटर की सार्वनित तक सार्वनित सार्व सार्व, सुप्र 17.800 वर्गमीटर सार्वनित वेत प्रकल्पन सार्व सार्वनित सार्व सार्व, जलिन विषयन से 22 वर्ष तक की सार्वनित सार्व विषय करी को सार्वनित की सार्व। वेत की सार्वनित सार्वनित द्वारा (Monthly) की सार्वनित। विषय वेत (Water Bed) में सार्व सार्वनित का सार्वनित सार्वनित सार्व। जीव क्षेत्र में विषय वेत सार्वनित सार्व (Excavation Area) में सार्वनित सार्वनित तक वेत का सार्वनित सार्वनित सार्वनित द्वारा विषय करी।

6. वेत सार्वनित क्षेत्र एवं सार्वनित सार्वनित क्षेत्र का सार्वनित या सार्वनित विषयन से सार्व सार्वनित करी को प्रकल्पन की सार्वनित विषयन द्वारा प्रकल्पन की सार्वनित की सार्वनित।

प्रकल्पन द्वारा सार्वनित वेत विषय - सार्वनित प्रकल्पन का प्रकल्पन की विषयन 34/06/2021 को सार्वनित 113वीं सार्वनित में विषयन विषयन सार्व। प्रकल्पन द्वारा सार्वनित का सार्वनित विषयन सार्व। विषयन विषयन प्रकल्पन प्रकल्पन द्वारा सार्वनित में सार्वनित की सार्वनित को सार्वनित करी सार्वनित की जलिन विधिदली, एन-1, सार्वनित सार्व सार्व, सार्वनित 1202, एन-नमदगिरी, सार्वनित व विषय-सुप्रसुप्त, सुप्र जीव क्षेत्रनित 3 क्षेत्रनित में वे वेत सार्वनित क्षेत्र 209 वर्गमीटर क्षेत्र सार्व करी 2.87 क्षेत्रनित क्षेत्र में, वेत प्रकल्पन सार्वनित 2.8 मीटर की सार्वनित तक सार्वनित सार्व सार्व, सुप्र 17.800 वर्गमीटर सार्वनित वेत प्रकल्पन सार्व सार्वनित सार्व सार्व, जलिन विषयन से 22 वर्ष तक की सार्वनित सार्व विषय करी का सार्वनित विषयन सार्व।

परिचोपना प्रस्तावक को सार्वनित सार्वनित सार्वनित सार्वनित करी विषयन सार्व।

28. गैरवासी टी.आर.टि.डि.केट. डिविजन (कुजमनगर डिविजन अर्थात्वाळे कावली, साईन एम्ब डिविजन डिविनी डिक फाट, प्रो.- की वीमजाल राजवाडे), वाम-कुजमनगर, तहसील व जिला-सुरजपुर (वर्षिवालय का वसती क्रमांक ४२१)

अनिवाडेन आवेदन - प्रवेदन नंबर - एसआई/ सीडी/ एम्बडेन/ ४२२४/२०१४, दिनांक ३०/०१/२०१६।

प्रस्ताव का विवरण - यह अवस्थित गौण खनिज वास्तव्य खदान एम डिविजन डिविनी ईट वास्तव्य इकाई है। वाम-कुजमनगर, तहसील व जिला-सुरजपुर डिविजन वास्तव्य क्रमांक ४२२, ४२३, ४२४, ४२५, ४२६ एम ४२७, कुल क्षेत्रफल - २.२५ हेक्टर में अवस्थित है। खदान की आवेदन गौण खनिज वास्तव्य नमूना - ४२२.२४ वर्गमीटर अतिरिक्त एम ईट वास्तव्य नमूना - ६,००,००० मम अतिरिक्त है।

प्रस्ताव के साथ संलग्न मुख्य प्रमाण पत्र - परिशोधना असायक द्वारा गौण खनिज वास्तव्य खदान एम डिविजन डिविनी ईट वास्तव्य इकाई के गौणखनिज खोजी हेतु आवेदन के साथ मुख्य पत्र से निम्न प्रमाण पत्र संलग्न किये गये हैं:-

1. वाम वंशावली का अनामति प्रमाण पत्र - वास्तव्य के संबंध में वाम वंशावली कुजमनगर का दिनांक ०१/१०/२०११ का अनामति प्रमाण पत्र अनुसृत किया गया है।
2. वास्तव्य खोजना - कावली प्लान, इन्वायरीमेंट मैनेजमेंट प्लान एम्ब कावली खोजना प्लान अनुसृत किया गया है, जो खनि अतिकारी, जिला-सुरजपुर के डायन क्रमांक १३२३/खनिज/२०१६, सुरजपुर दिनांक ११/०६/२०१६ द्वारा अनुसृतित है।
3. ६०० मीटर की परिधि में निम्न खदान - कावली खोजना (खनिज वास्तव्य), जिला-सुरजपुर के डायन क्रमांक १३१/खनिज/ई-मिडिया-कुजमनगर/२०१६ सुरजपुर, दिनांक १६/०४/२०१६ के अनुसार आवेदनित खदान में ६०० मीटर की क्षेत्र अतिरिक्त अन्य खदानों की संख्या निम्न है।
4. २०० मीटर की परिधि में निम्न सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं - कावली खोजना (खनिज वास्तव्य) जिला-सुरजपुर के द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार खदान खदान की ६०० मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, अस्पताल, स्कूल, पुस्तकालय, एम्बडेन एम आर आरपी आदि अतिरिक्तित क्षेत्र निर्मित नहीं है।
5. एम.डी.आई, तहसील डिविजन - एम.डी.आई, कावली खोजना (खनिज वास्तव्य), जिला-सुरजपुर के डायन क्रमांक १३०१/खनिज/ ई-मिडिया-कुजमनगर/२०१६ सुरजपुर, दिनांक ०४/०६/२०१६ द्वारा जारी की गई, जिसकी फोटो जारी दिनांक से ६ महीने की अवधि तक की। यह परिशोधना असायक द्वारा अनुसृत एम.डी.आई की फोटो संलग्न हो गई है।

बैठकों का विवरण -

(अ) समिति की ३९१वीं बैठक दिनांक २१/०६/२०१६

समिति द्वारा प्रस्ताव की वसती एवं अनुसृत जानकारी का परीक्षण, तथा पर्यवेक्षण सार्वजनिकी से निम्नानुसार निर्णय किया गया था:-

1. क्षेत्र सीमा से निकटतम का क्षेत्र की सार्वजनिक पूर्ण संकी जानकारी हेतु वन विभाग से जारी अनामति प्रमाण पत्र अनुसृत किया जाए।

2. एम.जी.आई, किला रुद्रि संसदी प्रस्तावक प्रस्तुत किया जाय।

3. परिशोधना प्रस्तावक को आगामी मही के आरंभित बैठक में समस्त सुसंगत जानकारी / प्रस्तावक सहित प्रस्तुतीकरण दिदे जाने हेतु निर्दिष्ट किया जाय।

तदनुसार परिशोधना प्रस्तावक को एम.ई.ए.सी, छत्तीसगढ़ के प्रथम दिनांक 11/08/2019 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(क) समिति की 294वीं बैठक दिनांक 18/08/2019

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परिशोधना प्रस्तावक को यह दिनांक 18/08/2019 द्वारा सूचना दी गयी है कि अपेक्षित काली (एम.जी.आई, किला रुद्रि नहीं होने के कारण) से समिति के समक्ष बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित होना संभव नहीं है। अतः अधिलेखित समय प्रदान करने हेतु अनुमति किया गया है।

समिति द्वारा सासमय सर्वसम्मति से निर्णय किया गया था कि परिशोधना प्रस्तावक द्वारा सूचित जानकारी एवं अनुमति प्राप्त प्रप्त होने पर आगामी कार्यवाही की जायगी।

परिशोधना प्रस्तावक को एम.ई.ए.सी, छत्तीसगढ़ के प्रथम दिनांक 08/11/2019 द्वारा जानकारी/प्रस्तावक प्रस्तुत करने हेतु सूचित किया गया। परिशोधना प्रस्तावक द्वारा अद्य दिनांक तक सूचित जानकारी एवं अनुमति प्राप्त प्रस्तुत नहीं किया गया है।

परिशोधना प्रस्तावक को एम.ई.ए.सी, छत्तीसगढ़ के प्रथम दिनांक 27/08/2020 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ख) समिति की 323वीं बैठक दिनांक 04/07/2020

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परिशोधना प्रस्तावक द्वारा कोई अनुमति प्राप्त प्रस्तुत नहीं किया गया है।

समिति द्वारा सासमय सर्वसम्मति से निर्णय किया गया था कि परिशोधना प्रस्तावक को आगामी मही के आरंभित बैठक में पूर्व में सूची गई सूचित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / प्रस्तावक सहित प्रस्तुतीकरण दिदे जाने हेतु निर्दिष्ट किया जाय।

तदनुसार परिशोधना प्रस्तावक को एम.ई.ए.सी, छत्तीसगढ़ के प्रथम दिनांक 25/08/2020 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ग) समिति की 337वीं बैठक दिनांक 01/09/2020

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परिशोधना प्रस्तावक द्वारा कोई अनुमति प्राप्त प्रस्तुत नहीं किया गया है।

समिति द्वारा नोट किया गया कि पूर्व में समिति की दिनांक 18/08/2019 एवं 04/07/2020 के बैठकों में प्रस्तुतीकरण हेतु अवसर प्रदान किया गया था। परंतु परिशोधना प्रस्तावक की ओर से कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हो पाये है। अतः परिशोधना प्रस्तावक को अनुमति प्रस्तुत हेतु अधिन अवसर प्रदान किया जाय।

तदनुसार परिशोधना प्रस्तावक को एम.ई.ए.सी, छत्तीसगढ़ के प्रथम दिनांक 03/10/2020 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(इ) समिति की 343वीं बैठक दिनांक 08/10/2020

प्रस्तुतिकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परिशोधन प्रस्तावक को पत्र दिनांक 08/10/2020 द्वारा सूचना दी गयी है कि अप्रतिभाई (असत्य होने का कारण) जारसी से समिति को समझ बैठक में प्रस्तुतिकरण हेतु उपस्थित होना संभव नहीं है। अतः जारसी पत्र की अप्रतिभाई बैठक में समय उपलब्ध करने हेतु अनुपस्थित किया गया है।

समिति द्वारा साक्षरता सर्वेक्षणों से निर्णय लिया गया था कि परिशोधन प्रस्तावक को प्रस्तुतिकरण हेतु अतिरिक्त अवकाश प्रदान करती हुए जारसी पत्र की अप्रतिभाई बैठक में पूर्व में जारी हुई वरिष्ठ जानकारी एवं समस्त सुनिश्चित जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतिकरण विधि जानने हेतु निर्दिष्ट किया जाय।

सहायता परिशोधन प्रस्तावक को एल.जी.आई. कार्यालय के द्वारा दिनांक 28/10/2020 द्वारा प्रस्तुतिकरण हेतु सूचित किया गया।

(ई) समिति की 345वीं बैठक दिनांक 08/11/2020

प्रस्तुतिकरण हेतु की टेम्पलेट संशोधन, ऑनलाईन परीक्षा हुए। समिति द्वारा जारी, प्रस्तुत जानकारी का अप्रतिभाई एवं परीक्षा करने का विषय निर्धारित नहीं गये-

1. धान पंचायत का अप्रतिभाई प्रमाण पत्र - परिशोधन प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत धान पंचायत अप्रतिभाई प्रमाण पत्र में अंतर तथा सविनय कृतज्ञता नहीं है।
2. एल.जी.आई. संबंधी डिटेल - एल.जी.आई. कार्यालय कलेक्टर (खण्ड गांधी, जिला-सुरजपुर के द्वारा क्रमांक 1202/खण्ड/ ई-विधि-सुलभ/2018 सुरजपुर, दिनांक 04/08/2018 द्वारा जारी की गई, जारसी पत्र दिनांक 08/10/2020 में 6 पत्र की अप्रतिभाई थी। कार्यालय कलेक्टर (खण्ड गांधी, जिला-सुरजपुर के द्वारा क्रमांक 182/खण्ड/2020 सुरजपुर दिनांक 18/08/2020 द्वारा एल.जी.आई. की विषय वृद्धि हेतु मानवीय व्यवस्था संवालय, संवालयनालय, सीमिडी तथा खनिज, एल.जी.आई. की धान-सुरजपुर, एल.जी.आई. व जिला-सुरजपुर निम्न क्रमांक 883, 882, 884, 885, 886 एवं 887, कुल क्षेत्रफल - 3.25 हेक्टेयर में अप्रतिभाई जारसी प्रदान किया जाने हेतु पत्र निर्दिष्ट किया गया है, जो कि विवादाधीन है।

3. भू-स्वामित्व -

क्र.	भूमि स्वामी का नाम	खसरा क्र.	क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
1.	श्री सुरेश्वर, श्री सुरेश्वर, श्री जयश्याम	883	0.81
2.	श्री रामचंद्र, श्री रामचंद्र, श्री रामचंद्र	882	0.73
3.	श्री श्रीधर	884	0.38
4.	श्री धर्मराज, श्री धर्मराज	885	0.14
5.	श्री रामचंद्र, श्री रामचंद्र, श्री रामचंद्र, श्री धर्मराज, श्रीमती रामचंद्र	886	0.18
6.	श्री शिवराज	887	0.33
	कुल		3.25

साक्षरता हेतु जारसी पत्र प्रस्तुत किया गया है।

4. डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट - वर्ष 2018 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

6. जल विभाग का अनाथित प्रमाण पत्र - कार्यवाही अनाथित/अधिकारी, सुराजपुर जलमण्डल: सुराजपुर के जल अनाथित पत्र/1517 सुराजपुर, दिनांक 28/12/2018 में जारी अनाथित प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र जल नुंगे की सीमा से 30 कि.मी. की दूरी पर है।
7. महारवपूर्ण संरचनाओं की दूरी - निकटतम आवेदी राम-कुल्लनर 0.28 कि.मी., मरुत राम-कुल्लनर 1.0 कि.मी. एवं अनाथित विभागपुर 2.8 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 10 कि.मी. एवं राजमार्ग 22 कि.मी. दूर है। खिर नदी 1.28 कि.मी. दूर है।
8. परिसिञ्चिताकील/जैवविकिरात संवेदनशील क्षेत्र - परिसिञ्चिता प्रमाणक द्वारा 10 कि.मी. की परिसि में अनाथितकील क्षेत्र, राष्ट्रीय राजमार्ग अनाथितकील क्षेत्र प्रमुख सिंचना बोर्ड द्वारा घोषित सिंचिताकील क्षेत्र/राजमार्ग क्षेत्र, परिसिञ्चिताकील संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविकिरात क्षेत्र स्थित नहीं होने प्रतिवेदित किया है।
9. खदान संघदा एवं खदान का विवरण - सिंचिताकील निचले 45,000 घनमीटर, मरुतकील निचले 37,783 घनमीटर एवं सिंचिताकील निचले 21,988 घनमीटर है। खदान की 1 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (खदान के लिए प्रतिवेदित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 0.10 हेक्टर है। खदान काट केनुप्रकार सिंचिता कील प्रमाणक द्वारा। खदान की प्रमाणित अधिकतम गहराई 2 मीटर है। क्षेत्र की चौड़ाई 1 मीटर एवं चौड़ाई 1 मीटर है। खदान की संभावित आयु 10 वर्ष है। प्रमाणित खदान क्षेत्र की सीमा क्षेत्रफल 0.4 हेक्टर में ईट निर्माण हेतु किन्तु सिंचिता कील प्रमाणक 02 मीटर प्रमाणित है। ईट निर्माण हेतु मिट्टी के साथ 30 अधिकतम गहराई एक का प्रमाणित किया जाएगा। एक साथ ईट निर्माण हेतु 02 टन क्षेत्रफल की आवश्यकता होगी। खदान की संभावित आयु 10 वर्ष है। खदान में पानी प्रमुख सिंचिता कील प्रमाणक द्वारा सिंचिता कील प्रमाणक द्वारा। खदान प्रमाणित खदान का विवरण निम्नानुसार है:-

वर्ष	क्षेत्रफल (वर्गमीटर)	गहराई (मीटर)	आयतन (घनमीटर)	प्रमाणित आयतन (टन)	ईट निर्माण (नव)
प्रथम वर्ष प्रथम क्षेत्र	508	1	508	457	8.00.000
प्रथम वर्ष द्वितीय क्षेत्र	473	1	473	428	
द्वितीय वर्ष प्रथम क्षेत्र	508	1	508	457	8.00.000
द्वितीय वर्ष द्वितीय क्षेत्र	473	1	473	428	
तृतीय वर्ष प्रथम क्षेत्र	508	1	508	457	8.00.000
तृतीय वर्ष द्वितीय क्षेत्र	473	1	473	428	
चतुर्थ वर्ष प्रथम क्षेत्र	508	1	508	457	8.00.000
चतुर्थ वर्ष द्वितीय क्षेत्र	473	1	473	428	
पंचम वर्ष प्रथम क्षेत्र	508	1	508	457	8.00.000
पंचम वर्ष द्वितीय क्षेत्र	473	1	473	428	
षष्ठम वर्ष प्रथम क्षेत्र	508	1	508	457	8.00.000
षष्ठम वर्ष द्वितीय क्षेत्र	473	1	473	428	
सप्तम वर्ष प्रथम क्षेत्र	508	1	508	457	8.00.000
सप्तम वर्ष द्वितीय क्षेत्र	473	1	473	428	
अष्टम वर्ष प्रथम क्षेत्र	508	1	508	457	8.00.000
अष्टम वर्ष द्वितीय क्षेत्र	473	1	473	428	

Handwritten signature in purple ink.

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

अल्प वर्ष द्वितीय बंध	473	1	473	426	6,00,000
मध्यम वर्ष प्रथम बंध	508	1	508	457	
मध्यम वर्ष द्वितीय बंध	473	1	473	426	
उच्चतम वर्ष प्रथम बंध	508	1	508	457	6,00,000
उच्चतम वर्ष द्वितीय बंध	473	1	473	426	

नोट: जलिका में प्रस्तावित की गई कीमतों को वास्तविकता में लाया गया है।

9. **पत्र आवृत्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 4.56 करोड़ लिटर प्रतिदिन होगी। जलान में विभिन्न क्रियाकलापों (जल सिंचन, कुआरीकरण) हेतु जल की आवृत्ति वार संभवतः अंतराल वर्षों के दौरान के दौरान से की जाएगी। वार संभवतः कुआरीकरण के प्रथम दिनांक 08/11/2020 को द्वारा अनुमानित प्रमाण वार अनुमान किया गया है।
10. **कुआरीकरण कार्य** – जल बंध की सीमा में सबसे कम 1 मीटर की गहराई में 200 मीटर कुआरीकरण किया जाएगा।
11. **पूर्य में जारी पत्रावलीय स्वीकृति संबंधी विवरण** – इस जलान की पूर्य में पत्रावलीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।
12. **कॉर्पोरेट पत्रावलीय पत्रिका (C.P.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति को सलाह कि जलान की कार्य अंतर्गत निम्नलिखित विस्तृत प्रमाण अनुमान किया गया है:-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
38.75	2%	0.74	Following activities at Navan Prashna Shala Village - Jhargana	
			Rain Water Harvesting System	0.70
			Plantation in school campus	0.04
			Total	0.88

समिति द्वारा आवश्यक सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय किया गया था:-

1. प्रस्तावित पत्र सचिव द्वारा सहायक जल संयोजक का अनुमति प्रमाण पत्र की प्रति अनुमति की जाए।
2. एन.सी.आई. किताब वृद्धि संबंधी प्रस्तावित अनुमान किया जाए।
3. ईट निर्माण के लिए आवश्यक कोयले की प्रमाण सही अनुमानित अनुमान की जाए।
4. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत सलाह पूर्ण जानकारी / प्रस्तावित अनुमान किया जाने से प्रमाणित जानकारी जारी करी जाएगी।



08/11/20





(10) समिति की 324वीं बैठक दिनांक 01/08/2021-

समिति द्वारा सभी, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति आई गई-

1. राज्य स्तर विशेषज्ञ अंजन समिति (एस.ई.ए.सी.), जयपुरागढ़ की 281वीं, 284वीं, 293वीं, 307वीं, 340वीं एवं 345वीं बैठक अंशतः दिनांक 22/08/2019, 18/08/2019, 04/07/2020, 01/09/2020, 08/10/2020 एवं 08/11/2020 में अंशतः का विचार किया गया। जहां बैठकों की प्रक्रिया में परिशोधन प्रस्तावक को प्रस्तुतिकरण / जानकारी / दस्तावेज हेतु दिनांक 11/08/2019, 27/08/2020, 29/08/2020, 03/10/2020, 28/10/2020 एवं 08/02/2021 को तब स्थित किया गया। परिशोधन प्रस्तावक से समिति द्वारा पूर्व बैठकों में गृहक-गृहक पत्रों से जानकारी ली गई थी।
2. परिशोधन प्रस्तावक द्वारा प्रेषित जानकारी / दस्तावेज आज दिनांक तक प्रस्तुत नहीं किये गये हैं।
3. परिशोधन प्रस्तावक द्वारा अंजन की पर्यावरणीय स्थिति एवं प्रेषित जानकारी प्रस्तुत करने में तथ्य नहीं की जा रही हैं।

उपरोक्त तथ्यों को अंशतः पर समिति द्वारा विचार विमर्श उपरोक्त सर्वसम्मति से निर्णय लेकर उक्त आवेदनों को डि-लिस्ट / निरस्त किये जाने की अनुमति की गई।

प्रतिकरण द्वारा बैठक में विचार - उपरोक्त अंजन का प्रतिकरण की दिनांक 24/08/2021 को संलग्न 112वीं बैठक में विचार किया गया। प्रतिकरण द्वारा सभी का अवलोकन किया गया। विचार विमर्श उपरोक्त प्रतिकरण द्वारा सर्वसम्मति से समिति की अनुमति को प्रोत्साहन करते हुए आवेदन को डि-लिस्ट / निरस्त करने का निर्णय लिया गया।

परिशोधन प्रस्तावक को तत्पश्चात सूचित किया जाए।

26. विचारों द्वारा लगे आईन (पी.- सी अग्निशोक यंत्रधारी), धाम-ईरा, तहसील व जिला-राजसमंदगांव (सचिवालय का तहसील क्रमांक 1274)

ऑनलाईन आवेदन - प्रवेश नम्बर - एसआईए/ सीसी/ एसआईए/ 100846/2020, दिनांक 30/03/2020)

प्रस्तावक का विवरण - यह पूर्व से संयोजित मिट्टी (नीम अम्लित) खदान है। खदान धाम-ईरा, तहसील व जिला-राजसमंदगांव विवरण खंडका क्रमांक 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 458, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468/2, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495/1, 495/2, 496, 498, 499, 500 एवं 529, कुल क्षेत्रफल- 4682 हेक्टर में है। खदान की आवेदित साक्ष्यन अंशतः-3,500 वर्गमीटर प्रमाणित है।

बैठकों का विवरण -

(10) समिति की 322वीं बैठक दिनांक 18/06/2020

समिति द्वारा प्रस्ताव की गयी एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा सत्यापन सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था—

1. यदि पूर्व में आवेदित सत्य एवं सफल हेतु सत्य एवं सर्वोत्तम सम्बन्धित निर्देश प्रतिकूल (एन.ई.आई.ए.ए.) प्रतीसमय अथवा त्रुटि भरीय सर्वोत्तम सम्बन्धित निर्देश प्रतिकूल (सी.ई.आई.ए.ए.) प्रतीसमय द्वारा सर्वोत्तम सतीकृति ही नई ही, ही पूर्व में जारी सर्वोत्तम सतीकृति की प्रति एवं आवेदित कर्तों के सत्य में ही नई आवेदारी की जानकारी प्रोटेक्शन सति प्रस्तुत की जाय। सत्य ही सुसंगत की अद्यतन सिति की जानकारी प्रोटेक्शन सति प्रस्तुत की जाय।
2. यदि प्रदान पूर्व से संशयित है, तो विना कर्तों में किन् नए प्रस्ताव की सत्यसि सत्य की जानकारी सति विना से प्रसंगित सत्य कर प्रस्तुत की जाय।
3. सत्य प्रदान द्वारा जारी, सम्बन्धित प्रदान सत्य (आवेदारी सिक सति) की सत्य / सत्य प्रति प्रस्तुत किया जाय।
4. सत्य सत्य, सर्वोत्तम, सत्य और प्रस्ताव प्रसिद्धि सत्य, नई दिनी के सी.ए. दिनांक 01/08/2018 के अनुसार सी.ई.आई.ए.ए. (Corporate Environment Resolutions) हेतु प्रदान प्रस्तुत किया जाय।
5. सर्वोत्तम प्रस्तावक की सत्य सत्य पूर्व जानकारी / सत्य (अद्यतन प्रोटेक्शन) के सत्य जानकारी सत्य की आवेदित सिक में प्रस्तुत सति दिने जाने हेतु निर्देशित किया जाय।

सत्य सर्वोत्तम प्रस्तावक की एन.ई.ए.सी. प्रतीसमय के सत्य दिनांक 23/08/2020 द्वारा प्रस्तुत हेतु सुचित किया गया।

(ब) समिति की 32वीं बैठक दिनांक 03/08/2020

प्रस्तुत हेतु कोई भी सति सति नहीं है। सर्वोत्तम प्रस्तावक द्वारा कोई प्रस्तुत सत्य प्रस्तुत नहीं किया गया है।

समिति द्वारा सत्य सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि सर्वोत्तम प्रस्तावक की जानकारी सत्य के आवेदित सिक में पूर्व में जारी नई सति जानकारी एवं सत्य सुसंगत जानकारी / सत्य सति प्रस्तुत सति दिने जाने हेतु निर्देशित किया जाय।

सत्य सर्वोत्तम प्रस्तावक की एन.ई.ए.सी. प्रतीसमय के सत्य दिनांक 27/08/2020 द्वारा प्रस्तुत हेतु सुचित किया गया।

(ग) समिति की 33वीं बैठक दिनांक 02/07/2020

प्रस्तुत हेतु कोई भी सति सति नहीं है। सर्वोत्तम प्रस्तावक द्वारा दिनांक 02/07/2020 के सत्य से सत्य ही नहीं है कि आवेदित कर्तों के समिति के सत्य सिक में प्रस्तुत हेतु प्रसिद्धि सत्य सत्य नहीं है। सत्य दिनांक 03/07/2020 एवं दिनांक 04/07/2020 की आवेदित सिक में सत्य प्रदान करने हेतु प्रस्तुत किया गया है।

समिति द्वारा सत्य सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि सर्वोत्तम प्रस्तावक की जानकारी सत्य के आवेदित सिक में पूर्व में जारी नई सति जानकारी एवं सत्य सुसंगत जानकारी / सत्य सति प्रस्तुत सति दिने जाने हेतु निर्देशित किया जाय।







संवसुतन परियोजना प्रस्तावक को एचई/एसी, अरविमल्ल में प्रमाण दिनांक 25/08/2020 द्वारा अनुमोदित हेतु सूचित किया गया।

(ख) समिति की 337वीं बैठक दिनांक 09/09/2020

प्रस्तुतीकरण हेतु की अतिरिक्त जानकारी, अपेक्षित जानकारी हुए। समिति द्वारा सभी प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने का निम्न विधि कई गई—

1. काम संवाधत का अनाधिकृत प्रमाण पत्र — अवलोकन के समय में काम संवाधत हुए का दिनांक 28/08/2020 का अनाधिकृत प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. अवलोकन कीयना — सभी फल अवलोकन किए जारी करीयना फल एनड अनाधिकृत निवेदनमें फल प्रस्तुत किया गया है, जो एक संवाधत (अतिप्रवा), जिला-राजपुर के प्रमाण अनांक /खति/सीए-5/2018/323, राजपुर, दिनांक 08/02/2018 द्वारा अनुमोदित है।
3. 500 मीटर की परिधि में स्थित खदान — कार्यलय कलेक्टर (अति प्रवा), जिला-राजपुराण के प्रमाण अनांक 2781/खति 03/2018 राजपुराण, दिनांक 04/11/2018 के अनुसार जारीयना प्रमाण से 500 मीटर के भीतर अवलोकन 1 खदान, क्षेत्रफल 4.411 हेक्टर पर होना बताया गया है। जिसमें केवल विद्यार्थीन खदान के लीज सीमा से 500 मीटर की परिधि में अवलोकन खदानों का विवरण दिया गया है। उक्त प्रमाण पत्र से यह स्पष्ट नहीं हो रहा है कि उक्त खदानों से 500 मीटर के भीतर अन्य खदान हैं अथवा नहीं। अतिप्रवा, नॉटिफिकेशन, 2008 (एनड संवाधत) में परिभाषित कलेक्टर अनुसार कोई कलेक्टर इस समय संवाधत करण, जब एक लीज की परिधि के बीच दूरी एक सपुत समित क्षेत्र में अन्य पट्टे के परिधि से 500 मीटर से कम है। अतिप्रवा कलेक्टर हेतु इन्वेस्टिगेशन विवरण क्षेत्र में विद्यार्थीन खदान के लीज सीमा से 500 मीटर के भीतर जाने वाले सभी खदानों को समित करते हुए एनड इस प्रकार समित खदानों के लीज सीमा के 500 मीटर के भीतर जाने वाले अन्य सभी खदानों को (कलेक्टर में खदानों को नहीं तक समित किया जाए, जहाँ तक 500 मीटर की दूरी में कोई खदान अवलोकन न हो) समित किया जाना चाहिए।
4. 200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं — कार्यलय कलेक्टर (अति प्रवा), जिला-राजपुराण के प्रमाण अनांक 2781/खति 03/2018 राजपुराण, दिनांक 04/11/2018 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में नॉटि, मलवा, अवलोकन, सपुत, गुल, बंग, एनड, राष्ट्रीय राजमार्ग एवं जल आपूर्ति जदि इतिरिक्त क्षेत्र स्थित नहीं है।
5. लीज का विवरण — लीज प्लॉ में की विवरण जानकारी के नाम पर ली, लीज कीड का अवलोकन की अतिरिक्त जानकारी के नाम पर दिनांक 14/08/2017 को किया गया है। लीज कीड 10 वर्षी अतिप्रवा दिनांक 10/10/2020 से 08/10/2018 तक की अवधि हेतु की। राजपुराण लीज कीड में 20 वर्षी की दिनांक 08/10/2020 तक की अवधि वृद्धि की गई है।
6. नू-समाधि — नू की अतिरिक्त जानकारी के नाम पर है।
7. डिप्टीस्ट सर्वे रिपोर्ट — वर्ष 2018 की डिप्टीस्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

8. **वन विभाग का अनुमति प्रमाण पत्र** - सर्वोच्च न्यायाधिकारी, उत्तराखण्ड राजधानी, जिला-राजधानी के द्वारा अनुमति/पत्रि./म.अ. 10-1/2020/12578 राजधानी, दिनांक 18/12/2018 से जारी अनुमति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

9. **सहायपूर्ण संरचनाओं की दूरी** - निकटतम आवासीय घास-झोला 1.3 कि.मी. एवं सड़क घास-झोला 1.7 कि.मी. एवं अंततः घास-झोला 2.25 कि.मी. की दूरी पर किया है। राष्ट्रीय राजमार्ग 324 कि.मी. एवं राजधानी 11.8 कि.मी. दूर है। तिवनख नदी 8.108 कि.मी. दूर है।

10. **पारिस्थितिकीय/जैववैविध्यता संवेदनशील क्षेत्र** - परियोजना अंतर्गत द्वारा 70 कि.मी. की परिधि में अंतर्राष्ट्रीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रकृत्य विरासत क्षेत्र द्वारा परिमित जैववैविध्यता संवेदनशील एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या पारिस्थितिकीय क्षेत्र स्थित नहीं होने प्रतिबंधित किया है।

11. **खनन संवेदा एवं खनन का विवरण** - जियोटेक्निकल रिपोर्ट लगभग 89,820 घनमीटर एवं साइनेचल रिपोर्ट 81,884 घनमीटर है। जीव क्षेत्र की आगे जोर 1 मीटर संपटी जोर का क्षेत्रफल 1,128 वर्गमीटर है। जोरन ऊपर संपुटन रिपोर्ट में उल्लेख किया जाता है। उल्लेख की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 2 मीटर है। ऊपरी मिट्टी की गहराई 2 मीटर है, इसका उपयोग ईट निर्माण में किया जाता है। खनन में कुछ भागों में 1 मीटर की गहराई तक उल्लेख किया जा चुका है। क्षेत्र की ऊंचाई 1 मीटर एवं नीचाई 1 मीटर है। जीव क्षेत्र में खनन विनयी की ऊंचाई 38 मीटर है तथा इसका क्षेत्रफल 1,200 वर्गमीटर है। जीव क्षेत्र की 700 वर्गमीटर क्षेत्र में पूरा खड़े है। ईट निर्माण हेतु मिट्टी को मात्र 80 अधिकतम गहराई तक का उपयोग किया जाता है। खदान की संरक्षित आयु 14 वर्ष है। खदान में रातु प्रकृत्य विरासत हेतु जल का उपकरण किया जाता है। साइनेचल प्लान में खनन प्रस्तावित उल्लेख का विवरण निम्नानुसार है-

वर्ष	क्षेत्रफल (वर्गमीटर)	गहराई (मीटर)	आयतन (घनमीटर)
प्रथम	2,000	1	2,000
द्वितीय	3,000	1	3,000
तृतीय	3,000	1	3,000
चतुर्थ	3,000	1	3,000
पंचम	3,000	1	3,000

आवासीय वर्गों का उल्लेख प्रोजेक्ट

वर्ष	क्षेत्रफल (वर्गमीटर)	गहराई (मीटर)	आयतन (घनमीटर)
प्रथम	3,000	1	3,000
द्वितीय	3,000	1	3,000
तृतीय	3,000	1	3,000
चतुर्थ	3,000	1	3,000
पंचम	3,000	1	3,000

12. **जल आपूर्ति** - परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 8 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति सोपेनल से प्राप्त की किया जाता है।

13. वृक्षारोपण कार्य – जीव क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 1 मीटर की गहरी में लगानी 06 मटर में वृक्षारोपण किया जाएगा।

14. पूर्ण में जारी पर्यावरणीय सीक्युरिटी संबंधी विवरण:-

- पूर्ण में निम्नी खण्डन परतत जलमल 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468/2, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 477, 478, 479, 480, 481, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495/1, 496/2, 498, 499, 499 पूर्ण 525, कुल सीक्युरिटी – 4582 हेक्टीयर, जलमा – 3,000 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय सीक्युरिटी विना पर्यावरण संरक्षण निरंतर प्रतिकार, विना-दाखनादखन द्वारा दिनांक 10/11/2018 को जारी की गई। यह सीक्युरिटी दिनांक 31/03/2020 तक की अवधि हेतु जारी की गई।
 - पूर्ण में जारी पर्यावरणीय सीक्युरिटी के जारी के खण्डन में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है।
 - निर्धारित सार्वजनिक वृक्षारोपण नहीं किया गया है।
 - दिनांक वर्षों में किए गए खण्डन की वार्षिक मात्रा की जानकारी उपरिष्ठ विवरण में प्रस्तुत करा कर प्रस्तुत नहीं की गई है।
15. प्रस्तुत खण्डन योजना में सीक्युरिटी रिजर्व की मात्रा 5,136 घनमीटर एवं सीक्युरिटी क्षेत्र का क्षेत्रफल 5,136 घनमीटर बताया गया है। खण्डन सीक्युरिटी रिजर्व की मात्रा काफी अधिक होगी। इस प्रकार खण्डन योजना की गणना में त्रुटि है। इस त्रुटि को सुधार कर संशोधित अनुमोदित खण्डन योजना प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
16. कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.) – माला जलमा, पर्यावरण एवं जीव खण्डन पर्यावरण संरक्षण, गई दिनांक के अधीन दिनांक 01/08/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु संपत्ति के संचालन विवरण में जारी प्रस्ताव निम्नानुसार विस्तृत बताया प्रस्तुत किया गया है:-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
40	2%	0.80	Following activities at Govt. Higher Secondary School Village - Khateri	
			Rain Water Harvesting System	0.60
			Potable Drinking Water	0.20
			Total	0.80

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्पत्ति से निम्नानुसार निर्णय किया गया था:-

1. पूर्व में दिए हुए विवरण अनुसार संबंधित अनुसंधान सार्वजनिक स्थान प्रस्तुत किया जाए।
2. विद्यापीठ की वेबसाइट किंग्स गेट परिसर की वास्तविक मानक की जानकारी (विशेषीय रूप से) समितिके विभाग से प्रदानित करा जान प्रस्तुत की जाए।
3. सार्वजनिक विभाग से संबंधित क्षेत्र में 500 मीटर की सीमा अवस्थित अन्य सड़कों की जानकारी पूर्व में दिए हुए विवरण अनुसार प्रस्तुत किया जाने की किंग्स निर्दिष्ट किया जाए।
4. जल की आपूर्ति योजना से किया जाना बचाव गया है। सिन्ट्रल प्राइमरी वॉटर सप्लाई द्वारा जारी सार्वजनिक अनुसंधान परियोजना तथा सभी विटिफिकेशन अथवा विटिफिकेशन अथवा सेवा जॉब से अंतरित जाने बचाव जानकारी प्रस्तुत की जाए। प्राइमरी वॉटर उपकरण करने हेतु सिन्ट्रल प्राइमरी वॉटर सप्लाई से आपूर्ति की गयी प्रस्तुत की जाए।
5. स्वयं निर्दिष्ट के कारणों से ई.आर. (Corporate Environmental Responsibility) का विस्तृत प्रमाण प्रस्तुत किया जाए।
6. परियोजना प्रस्तावक की उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / प्रस्तावित प्रस्तुत किया जाने कारण अपनी कार्यवाही की जाएगी।

तदनुसार एन.ई.ए.सी., काशीसमूह के प्रमाण दिनांक 29/10/2020 की परिधि में परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी / प्रस्तावित दिनांक 28/12/2020 को प्रस्तुत किया गया है।

(इ) समिति की 261वीं बैठक दिनांक 10/12/2020

समिति द्वारा मनी, प्रस्तुत जानकारी का अपडेटेशन एवं परीक्षा करने का निम्न स्थिति आई गई:-

1. काशीसमूह काउन्सिलर (अभि. समूह) विद्या-संसाधन के प्रमाण दिनांक/2020/स.नि.08/2020 काउन्सिलर, दिनांक 08/11/2019 को अनुसंधान अवधि के 500 मीटर की सीमा अवस्थित 1 सड़क, लंबाई 10.8 एमएम है। क्या प्रमाण यह से यह स्पष्ट नहीं हो रहा कि अवस्थित सड़क की 500 मीटर की सीमा अन्य सड़क अवस्थित है अथवा नहीं? यह स्पष्ट किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्पत्ति से निम्नानुसार निर्णय किया गया था:-

1. काशीसमूह काउन्सिलर (अभि. समूह) द्वारा जल संचयन के 500 मीटर की परिधि में अवस्थित अन्य सड़कों संबंधी जानकारी की अद्यतन प्रमाण यह प्रस्तुत किया जाए।
2. सी.ई.आर. (Corporate Environmental Responsibility) हेतु विस्तृत प्रमाण पूर्ण विवरण प्रस्तावित सड़क का नाम, यह एवं संबंधित कार्य का विवरण से संबंध प्रस्तुत किया जाए।
3. परियोजना प्रस्तावक की उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / प्रस्तावित (अद्यतन फोटोग्राफ) के साथ जानकारी यह की आवेष्टित बैठक में प्रस्तुतीकरण दिने जाने हेतु निर्दिष्ट किया जाए।

संयुक्त परियोजना प्रस्तावक को एच.ई.एच.सी, धर्मपुरा के द्वारा दिनांक 02/01/2021 द्वारा अनुमोदन हेतु सूचित किया गया।

(2) समिति की 254वीं बैठक दिनांक 08/01/2021:

संयुक्त परियोजना हेतु की विस्तृत जानकारी, अधिसूत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा सभी संयुक्त जानकारी को अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति आई गई-

1. आवेदित अनुमोदित माइनिंग प्लान प्रस्तुत नहीं किया गया है।
2. कार्बोलेट कलेक्टर (राजिब साहू), जिला-राजनांदगांव के द्वारा अनाक 1045/राजि-02/2020 राजनांदगांव, दिनांक 18/08/2020 द्वारा दिनांक वर्षों में किये गये जायजना की जानकारी निम्नानुसार है-

वर्ष	जायजना (घनमीटर)
2010	1,800
2011	1,400
2012	1,500
2013	850
2014	850
2015	800
2016	निर्दिष्ट
2017	1,400
2018	1,400
2019	1,750

3. कार्बोलेट कलेक्टर (राजिब साहू) द्वारा प्लान जायजना की 500 मीटर की परिधि में उपस्थित अन्य खदानों संबंधी जानकारी की अद्यतन प्रमाण पर प्रस्तुत नहीं किया गया है।
4. सेंट्रल इन्स्टीट्यूट ऑफ मैनिंग द्वारा जारी माइनिंग हेतु अनुमति परियोजना स्थल क्षेत्री डिस्ट्रिक्ट प्लान के अंतर्गत आता है। इन्स्टीट्यूट ऑफ मैनिंग करने हेतु सेंट्रल इन्स्टीट्यूट ऑफ मैनिंग की अनुमति की संख्या में आवेदन किया जाना होगा तथा है।
5. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु विस्तृत प्रमाण प्रस्तुत किया गया है।
6. परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति की सलाह माला सनवाल, मनीषा, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा परियोजना प्रस्तावक को लेख पर दिनांक 08/10/2020 की प्रति प्रस्तुत की गई। जिसमें अनुमति परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया गया कि-

"I am directed to refer to your letter dated 10th January, 2020 regarding above mentioned subject. The definition of cluster in the context of mining was defined vide notification S.O. 22093 dated 01.07.2016. In this regard, it is informed that applicability of provisions of above said Notification is applicable prospectively i.e. after 01.07.2016."

परियोजना प्रस्तावक का उत्तर है कि प्लान पर में भारत सरकार, मनीषा, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय, नई दिल्ली की अधिसूचना दिनांक

Labr

[Handwritten signature]

01/07/2018 को अनुदान परिभाषित क्लस्टर को मान्य किया जाने का लेख किया गया है। अतः अधिसूचना अनुदान परिभाषित क्लस्टर में दिनांक 08/08/2018 को पूर्ण स्वीकृत क्लस्टरों को क्लस्टर में शामिल नहीं किया जाना चाहिए।

2. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, नवी दिल्ली को द्वारा परिभाषित प्रस्तावक को लेख जल पत्र दिनांक 08/10/2020 के परिशिष्ट में शामिल द्वारा निम्नानुसार तथ्यों को विवेचन की गई-

1. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, नवी दिल्ली को अधिसूचना क्रमांक काजा 2288(अ), दिनांक 01/07/2018 में परिभाषित क्लस्टर अनुदान "कोई क्लस्टर एक समय बनना जाएगा, जब एक सीज के परिवर्तन के बीच पूरी एक संपूर्ण समित्त क्षेत्र में अन्य पट्टों के परिवार से 500 मीटर से कम है, जो 08 सितम्बर, 2018 को और उसके माध्यम अनुदान प्राप्त पट्टों का क्लस्टर अनुसंधानों को लागू होगी।"

2. माननीय एन.जी.टी, दिल्लीय क्षेत्र, नई दिल्ली द्वारा सर्वोच्च माननीय विभाग भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन नवी दिल्ली एवं अन्य (अतिरिक्त एलिसीकरण नं. 188 जीके 2018 एवं अन्य) में दिनांक 13/08/2018 को पत्रित आदेश में मुझ रूप से निम्नानुसार निर्दिष्ट किया गया है:-

- a) Providing for EA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.
- b) If a cluster or an individual lease size exceed 5-ha. EA / EMP to made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

3. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, नवी दिल्ली द्वारा माननीय एन.जी.टी, दिल्लीय क्षेत्र, नई दिल्ली द्वारा अतिरिक्त एलिसीकरण नं. 188 जीके 2018 एवं अन्य में दिनांक 13/08/2018 को जारी आदेश के परिशिष्ट में ईआईए, अधिसूचना 2008 में उक्त आदेश का संशोधन नहीं किया गया है तथा अ.ए.ए. दिनांक 12/12/2018 के द्वारा माननीय एन.जी.टी के उपरोक्त आदेश का पालन किये जाने हेतु निर्दिष्ट किया गया है।

4. उक्त तथ्यों के परिशिष्ट में निर्दिष्ट द्वारा सर्वोच्चति के यह निर्देश किया गया कि ईआईए, अधिसूचना में क्लस्टर के पर्यावरणीय प्रकल्प का तथ्यों विचाररथीय क्लस्टर की सीज सीज से 500 मीटर में जाने वाले समस्त संपूर्ण समित्त क्षेत्रों की क्लस्टरों में पर्यावरणीय पट्टों में होने वाले एरिक्चर एवं कार्य प्रणय के आकलन उपरान्त उसके उपरान्त पट्टों (Assessed Mitigation) को समस्त रूप से लागू किया जा सके। अतः माननीय एन.जी.टी, दिल्लीय क्षेत्र, नई दिल्ली के उपरोक्त आदेश दिनांक 13/08/2018 एवं भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, नवी दिल्ली की.ए.ए. दिनांक 12/12/2018 के अन्तर्गत पत्र 8 हेतुदेय एवं उसके अतिरिक्त समस्त क्लस्टर अन्तर्गत क्लस्टर बनने पर पूरी उपरान्तों को "डी-1" केवी का मान्य जाना चाहिए है।

समिति द्वारा सामान्य सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था—

1. मुर्गे में किए हुए विचार अनुसार संबंधित अनुसूचित भाईनाथ खान प्रस्तुत किए जाएं।
2. भारतीय बालेस्टर (अनियत शायर) द्वारा जमा खदान की 500 पीटर की समिति में अवस्थित अन्य खदानों संबंधी जानकारी की अवगत प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए जाएं।
3. भारतीय बालेस्टर उपरोक्त करने हेतु पीटर भारतीय बालेस्टर अवॉरिटी से अनुमति की जाए प्रस्तुत की जाए।
4. परिवोधन प्रसाधक द्वारा उपरोक्त करना पूर्ण जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत किए जाने उपरोक्त जानकारी संबंधी की जाएगी।

(3) समिति की 374वीं बैठक दिनांक 04/08/2021:

समिति द्वारा नली, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति आई गई—

1. राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति (एम.ई.ए.सी.) भारतीय नली की 322वीं, 328वीं, 334वीं, 337वीं, 341वीं एवं 364वीं बैठक प्रमाण दिनांक 18/05/2020, 03/06/2020, 02/07/2020, 01/08/2020, 10/12/2020 एवं 08/01/2021 में प्रमाण पत्र विचार किया गया। जमा बैठकों से परिचित में परिवोधन प्रसाधक को दस्तुतियान / जानकारी / दस्तावेज हेतु दिनांक 23/05/2020, 27/08/2020, 25/08/2020, 29/10/2020, 03/01/2021 एवं 15/02/2021 को पत्र भेजिए किया गया। परिवोधन प्रसाधक से समिति द्वारा पूर्ण बैठकों में मुद्रक-मुद्रक पत्रों से जानकारी मांगी गई थी।
2. परिवोधन प्रसाधक द्वारा भविष्य जानकारी / दस्तावेज आज दिनांक तक प्रस्तुत नहीं किये गये हैं।
3. परिवोधन प्रसाधक द्वारा उपरोक्त की पर्याप्ततम सीक्युरिटी एवं भविष्य जानकारी प्रस्तुत करने में यदि नहीं की जा रही है।

उपरोक्त सभी के अवगत पर समिति द्वारा विचार विमर्श उपरोक्त सर्वसम्मति से निर्णय लेकर जमा आवेदनों को डि-रिजिट/विचार किये जाने की अनुमति दी गई।

प्रतिकल्प द्वारा बैठक में विचार — उपरोक्त प्रमाण पर प्रतिकल्प की दिनांक 24/08/2021 को संलग्न 112वीं बैठक में विचार किया गया। प्रतिकल्प द्वारा नली का अवलोकन किया गया। विचार विमर्श उपरोक्त प्रतिकल्प द्वारा सर्वसम्मति से समिति की अनुमति को सीक्युरिटी करने हेतु आवेदन को डि-रिजिट / विचार करने का निर्णय लिया गया।

परिवोधन प्रसाधक को तदनुसार सूचित किया जाए।

10. मेघाल की इकरा संदा (निवास्थता संस्था भाईनाथ खान-विद्यानाथ, तदानी-अपरा, जिला-जायपीर-बांधा), जिन संकाय भाई, जौनपुर जिला-जायपीर-बांधा (सचिवालय का नली क्रमांक 1347)

जीनभाईनाथ आवेदन — उपरोक्त नली - एलजाईए / सीजी / एलजाईए / 181805/2020, दिनांक 04/07/2020।

इलाका का विवरण - यह इलाकित केत खदान (कीम खनिज) है। यह खदान खान-विहाणवादा, जलसील-अमरा, जिला-जोधपूर-बांधा जिला अमराज 01, कुल जीज डोककल 4 डेस्टेयर में इलाकित है। जालमन-मास नदी से किये जाल इलाकित है। खदान की आवेदित जालमन अमरा-66,000 घनमीटर प्रीवर्न है।

बीडकी का विवरण -

(क) सभिति की प्रकती बीडक दिनांक 02/06/2020-

सभिति द्वारा खदान की नली एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा खदान की सर्वेक्षण की निम्नानुसार निर्देश किये गये थे-

1. इलाकित खान क्षेत्र की लंबाई एवं चौड़ाई तथा नदी के बरत की चौड़ाई की जानकारी प्रस्तुत की जाए।
2. खेत जालमन हेतु इलाकित स्थल एवं इलाकित स्थल के अन्वयगत तथा जालमन में 100 मीटर की दूरी तक, 20 मीटर गुन 20 मीटर का विड अमराज, जलसील में खेत सारा की लेवल (Levels) लेवल विड क्षेत्र में प्रदर्शित कर प्रस्तुत किये जाये। इसके अतिरिक्त खान क्षेत्र के बरत / नदी बरत (टोपोग्राफी) में 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी सारा की सारा (Levels) का भी सर्वे किये जाये। जल लेवल (Levels) हेतु खान से कम 2 टैम्परी क्षेत्र नली (Controlled Till structure) निर्दिष्ट किये जाये। टैम्परी क्षेत्र नली (TBM) में आरक्षण, को-ऑर्डिनेट्स (Co-ordinates) दर्शित किये जाये। विड क्षेत्र में टैम्परी क्षेत्र नली (TBM) को भी दर्शाकर, उन्हें अतिरिक्त विभाग से उपरोक्त जालमन प्रीवर्न सहित जानकारी / प्रमाण प्रस्तुत किये जाये।
3. नलीकत से खदान की लंबाई की दूरी न्यूनतम 7.5 मीटर का नदी के बरत की चौड़ाई का 10 प्रतिशत (जो भी अधिक हो) नहीं जानी है। यदि इसके अनुसार खदान के कुल क्षेत्र में जालमन किये जाने संभव न हो तो प्रकती गणना कर, नली का दर्शाकर, इसके अतिरिक्त भाडनिंग खान में अतिरिक्त क्षेत्र से खदान जाये। खदान की खान क्षेत्र एवं अतिरिक्त क्षेत्र की सीमा एवं अतिरिक्त विभाग से निर्धारित करण, प्रमाण एवं प्रमाण किये जाये।
4. इलाकित स्थल से निखारण कुल, बंध, एनीकत एवं जल जापुति खान की दूरी संबंध जानकारी प्रस्तुत की जाए। कुल / एनीकत की दूरी खदान के अन्वयगत में न्यूनतम 500 मीटर तथा जालमन में न्यूनतम 250 मीटर तथा जाना जालमन है। यदि जीज क्षेत्र उपरोक्तानुसार दूरी के अंतर किये हो, तो उपरोक्त अंतर का खान हेतु अतिरिक्त क्षेत्र के अन्वयगतानुसार नली का विडित कर, जालमन सीमा एवं निर्धारण तथा भाडनिंग खान में इस संबंध अतिरिक्त किये जाये।
5. खेत जालमन हेतु इलाकित स्थल का खान में उपलब्ध नदी की चौड़ाई जानने के लिए, जति डेस्टेयर में कम से कम एक सारा (5m) खोदकर जलसील जालमन नली का खान कर, अतिरिक्त विभाग से उपलब्ध जानकारी प्रस्तुत की जाए। खेत की जालमन नली हेतु प्रमाण से प्रस्तुत किये जाये।
6. यदि दूरी में आवेदित स्थल का खान हेतु जालमन सार सर्वेक्षण समुदाय निर्धारण प्रमाण (एन.ई.आई.ए.ए.), प्रतीक्षण अमरा जिला सार क्षेत्र प्रमाण तथागत निर्धारण प्रमाण (बी.ई.आई.ए.ए.), जालमन द्वारा अतिरिक्त जलसील से गई हो, तो दूरी में जलसील क्षेत्र की जति एवं अतिरिक्त सारा के खान में भी गई जलसील की जानकारी प्रीवर्न सहित प्रस्तुत की जाए। जाल की प्रमाण की अतिरिक्त सभिति की जानकारी प्रीवर्न सहित प्रस्तुत की जाए।

1. यदि कठमन पूर्व से संबंधित है, तो विगत वर्षों में विद्यमान कानून के अंतर्गत न्यायिक न्याय की आवश्यकता के अनुसार विचार से प्रस्तावित करार को प्रस्तुत किया जाए।

2. कानून कानून, परीक्षण, एवं और कानून परीक्षण मंत्रालय, नई दिल्ली के जो एन. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार जी.ई.आर. (Corporate Employment Relationship) हेतु विगत कानून पूर्व विचार के साथ प्रस्तुत किया जाए।

जबकि निर्देशक एवं परीक्षण प्रशासक को कानून में वेतन के संशोधन (Lease) जैसे कानून परीक्षण (Surveys) के साथ कानूनी न्याय के अंतर्गत वेतन में कानून सहाय सुसंगत जानकारी / दस्तावेज (अवगत कोर्टों/आदेश) सहित प्रस्तुतीकरण दिदि जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

अनुसार परीक्षण प्रशासक एवं जनि निर्देशक को एन.ई.ए.सी. परीक्षण के कानून दिनांक 03/04/2020 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(अ) समिति की 229वीं बैठक दिनांक 05/10/2020:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परीक्षण प्रशासक द्वारा कोई अनुरोध पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है।

समिति द्वारा कानून सर्वसम्मति से निर्णय किया गया था कि परीक्षण एवं परीक्षण प्रशासक को कानूनी न्याय के अंतर्गत वेतन में पूर्व से जारी नई सहित जानकारी एवं सहाय सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिदि जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

अनुसार जनि निर्देशक एवं परीक्षण प्रशासक को एन.ई.ए.सी. परीक्षण के कानून दिनांक 29/10/2020 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 243वीं बैठक दिनांक 04/11/2020:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परीक्षण प्रशासक द्वारा कोई अनुरोध पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है।

समिति द्वारा कानून सर्वसम्मति से निर्णय किया गया था कि परीक्षण प्रशासक को कानूनी न्याय के अंतर्गत वेतन में पूर्व से जारी नई सहित जानकारी एवं सहाय सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिदि जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

अनुसार जनि निर्देशक एवं को एन.ई.ए.सी. परीक्षण के कानून दिनांक 02/12/2020 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(क) समिति की 248वीं बैठक दिनांक 07/12/2020:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई प्रस्ताव नहीं, कोर्टों/आदेश उपस्थित हुए। समिति द्वारा जारी प्रस्तुत जानकारी का अंतर्गत एवं परीक्षण करने पर निम्न निम्न निर्देश जारी रहे-

1. परीक्षण प्रशासक द्वारा कानून न्याय कि एन.ई.ए.सी. की प्रस्ताव न्याय के नाम पर है, जो कानून सर्वसम्मति (अन्तिम कानून) दिना-कोर्टों/आदेश के कानून 01/2020/वीन सहित / कोर्टों/ आदेश / न्याय / 2020 कोर्टों/ आदेश दिनांक 04/01/2020 द्वारा जारी की गई, जो दिनांक 03/07/2020 तक कि थी। कानून में एन.ई.ए.सी. की कानून न्याय हेतु कानून सर्वसम्मति (अन्तिम कानून) के साथ अंतर्गत प्रस्तुत नहीं किया गया है।

2. समिति का मत था कि बुकि परिचयना प्रस्तावक को जहाँ एल.सी.आई. की किताब सल्लाह दी गई है एवं परिचयना प्रस्तावक द्वारा एल.सी.आई. की किताब बुकि हेतु सख्त आवेदनाएँ (आवेदन विभाग) को सख्त आवेदन की प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः प्रस्ताव में आवेदनाएँ किताब खाना संभव नहीं है।

समिति द्वारा उपरोक्त सर्वप्रथम से निर्णय किताब तथा यह कि परिचयना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी हुई अधिक जानकारी / दस्तावेज तथा एल.सी.आई. की किताब बुकि संबंधी प्रस्तावित प्रस्तुत किये जाने उपरोक्त अपर्याप्त आवेदनाओं को जारी।

(3) समिति की 374वीं बैठक दिनांक 01/08/2021।

समिति द्वारा जारी प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने का निम्न निष्पत्ति हुई गई—

1. राज्य सरकार विशेषज्ञ अल्प समिति (एल.ई.ए.सी.) आजीवनदा की 334वीं, 336वीं, 343वीं एवं 348वीं बैठक अन्तर्गत दिनांक 02/08/2020, 06/10/2020, 04/11/2020 एवं 07/12/2020 में प्रस्ताव पर विचार किया गया। अतः बतायी कि परिचयना में परिचयना प्रस्तावक को प्रस्तुतकरण / जानकारी / दस्तावेज हेतु दिनांक 03/10/2020, 29/10/2020, 02/12/2020 एवं 08/03/2021 को पर ध्यान दिया गया। परिचयना प्रस्तावक से समिति द्वारा पूर्व बैठकों में स्पष्ट-पुष्टक पत्रों से जानकारी जारी हुई थी।
2. परिचयना प्रस्तावक द्वारा अधिक जानकारी / दस्तावेज अतः दिनांक तथा प्रस्तुत नहीं किये गये हैं।
3. परिचयना प्रस्तावक द्वारा प्रस्ताव की पर्याप्तता की स्वीकृति एवं अधिक जानकारी प्रस्तुत करने में सक्षम नहीं हो पायी है।

आजीवनदा कमी के अन्तर्गत समिति द्वारा विचार किताब उपरोक्त सर्वप्रथम से निर्णय लेकर अतः आवेदनों को डि-जिस्ट/निष्का किये जाने की अनुमति दी गई।

अधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त अन्तर्गत अधिकरण की दिनांक 24/08/2021 को संख्या 112वीं बैठक में विचार किया गया। अधिकरण द्वारा जारी यह अवलोकन किया गया। विचार किताब उपरोक्त अधिकरण द्वारा सर्वप्रथम से समिति की अनुमति की स्वीकार करने हेतु आवेदन को डि-जिस्ट / निष्का करने का निर्णय किया गया।

परिचयना प्रस्तावक को तत्पश्चात् सूचित किया जाय।

सूचीका आवेदन अन्तर्गत-3 अन्तर्गत सूचीका की अनुमति से अन्य विचार

1. मेघनाद आर.एस. इन्फ्रा (राजपट्ट) प्राइवेट लिमिटेड, ओ.पी. सिटी औद्योगिक पार्क, घास-पूनीमन्दा, जिला-राजपट्ट

ऑनलाइन आवेदन – प्रस्तावक संख्या – एल.सी.आई./ सी.सी./ आजीवनदा/ 215050/2021, दिनांक 12/06/2021।

प्रस्ताव का विवरण -

1. मैसर्स आर.एस. इन्फ्रा लिमिटेड, प्लॉट नं. 182, 184 एवं 188, सेक्टर-जी, विंडल इन्फ्रस्ट्रक्चर पार्क, पूरबीखण्ड, जिला-रायगढ़ (छ.प्र.) को अनाम विस्तार के तहत कठिनुआला कांस्ट्रक्शंस लिमिटेड द्वारा अनाम अनाम-48,000 टन प्रतिवर्ष से 1,20,000 टन प्रतिवर्ष हेतु जारी पर्यावरणीय स्वीकृति को उद्योग को डी-कार्ड होने के कारण मैसर्स आर.एस. इन्फ्रा (रायगढ़) प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर सार्वजनिक करने का कार्य अर्बेदन प्रस्तुत किया गया है।

2. पूर्व जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:- पूर्व में एनईआईएड, उत्तरिखण्ड के द्वारा अनाम 2018/11AA-CG/EC/अ/CGH/278/11, कस्तुर दिनांक 20/11/2018 द्वारा मैसर्स आर.एस. इन्फ्रा लिमिटेड, प्लॉट नं. 182, 184 एवं 188, सेक्टर-जी, विंडल इन्फ्रस्ट्रक्चर पार्क, पूरबीखण्ड, जिला-रायगढ़ (छ.प्र.) को अनाम विस्तार के तहत कठिनुआला कांस्ट्रक्शंस लिमिटेड द्वारा अनाम अनाम-48,000 टन प्रतिवर्ष से 1,20,000 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जारी की गई थी।

3. परिशिष्टका प्रस्तावक द्वारा मैसर्स आर.एस. इन्फ्रा लिमिटेड, प्लॉट नं. 182, 184 एवं 188, सेक्टर-जी, विंडल इन्फ्रस्ट्रक्चर पार्क, पूरबीखण्ड, जिला-रायगढ़ (छ.प्र.) को अनाम विस्तार के तहत कठिनुआला कांस्ट्रक्शंस लिमिटेड द्वारा अनाम अनाम-48,000 टन प्रतिवर्ष से 1,20,000 टन प्रतिवर्ष हेतु जारी पर्यावरणीय स्वीकृति को उद्योग को डी-कार्ड होने के कारण मैसर्स आर.एस. इन्फ्रा (रायगढ़) प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर सार्वजनिक करने का कार्य अर्बेदन के साथ निम्न प्रस्तावित प्रस्तुत किया गया है -

1. मैसर्स आर.एस. इन्फ्रा लिमिटेड, प्लॉट नं. 182, 184 एवं 188, सेक्टर-जी, विंडल इन्फ्रस्ट्रक्चर पार्क, पूरबीखण्ड, जिला-रायगढ़ (छ.प्र.) को अनाम विस्तार के तहत कठिनुआला कांस्ट्रक्शंस लिमिटेड द्वारा अनाम अनाम-48,000 टन प्रतिवर्ष से 1,20,000 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति।
2. मैसर्स आर.एस. इन्फ्रा लिमिटेड द्वारा जिला रायगढ़ एवं उद्योग केंद्र रायगढ़ को रायगढ़ इंडस्ट्री को आर.एस. इन्फ्रा लिमिटेड का आर.एस. इन्फ्रा (रायगढ़) प्राइवेट लिमिटेड में डी-कार्ड किया जाने की सूचना पत्र की प्रति।
3. मैसर्स अनाम जी टिन्टुआला (प्राइवेट लिमिटेड) को अनाम सेब द्वारा उद्योग को डी-कार्ड स्वीकृति हेतु अर्बेदन दिनांक 08/05/2018 की प्रति।
4. उत्तरिखण्ड पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा पत्र अनाम 6308/15/EC/अ/2018 अनाम अनाम, कस्तुर, दिनांक 27/11/2018 (जिला दिनांक 21/12/2020 तक) द्वारा जारी अनाम एवं कस्तुर अनाम स्वीकृति की प्रति।

प्रतिक्रिया द्वारा वैधक में विचार - उपरोक्त प्रस्ताव का प्रतिक्रिया की दिनांक 24/08/2021 को संलग्न 112वीं वैधक में विचार किया गया। प्रतिक्रिया द्वारा जारी अनामों का अर्बेदन किया गया एवं विचार किया उपरोक्त प्रतिक्रिया द्वारा अर्बेदन की से यह निर्णय किया गया कि परिशिष्टका प्रस्तावक को कठिनुआला अनामों सार्वजनिक करने -

1. मैसर्स आर.एस. इन्फ्रा लिमिटेड, प्लॉट नं. 182, 184 एवं 188, सेक्टर-जी, विंडल इन्फ्रस्ट्रक्चर पार्क, पूरबीखण्ड, जिला-रायगढ़ (छ.प्र.) को अनाम विस्तार के

(Handwritten signatures and marks)

